सप्तम माला,

2 April 1981

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(पांचवां सत्र)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपए

विषय-सूची

अंक 34 गुरुवार, 2 अप्रैल, 1981/12 चैत्र 1903 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या 640, 644, 645, 647 से 649 और 652	1—25
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या 639, 641, से 643, 646, 650, 651 और 654 से 658	25—155
अतारांकित प्रश्न संख्या 6046 से 6205	
स्थगन प्रस्ताव, विशेषाधिकार के प्रश्न आदि के बारे में	155—159
सभा पटल पर रखे गये पत्र	159—160
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	160
चौदहवां प्रतिदिन	
याचिका समिति	161
तीसरा प्रतिवेदन	
नियम 377 के अधीन मामले	161—166
(1) पंजाब में फरीदकोट जिले के मुक्तसर कस्बे में पानी जमा हो जाना	161
श्रीमती गुरब्रिन्दर कौर ब्रार	
(2) मद्रास में पेयजल की सप्लाई	162
श्री के० मायातेवर	
(3) पश्चिम बंगाल में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने का उपाय	162
श्री सोमनाथ चटर्जी	
(4) दिल्ली में पेड़ों को काटे जाने का समाचार	163
डा० वसन्त कुमार पंडित	

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(5) देश में प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता	164
श्री रामावतार शास्त्री	
(6) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के सर सुन्दरलाल अस्पताल का बन्द होना	165
श्री हरिकेश बहादुर	
(7) रेडक्रास सोसाइटी के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कथित विश्वास भंग के लिए न्यायालय में मामला	165
श्री जार्ज फर्नान्डीस	
(8) गुजरात में देसी तम्बाकू उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिया जाना	166
श्री मोती भाई आर० चौधरी	
अनुदानों की मांगें, 1981-82	166—260
(1) पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय	166—201
श्री नवल किशोर शर्मा	166
श्री सूर्य नारायण सिंह	170
श्री कृष्ण प्रताप सिंह	173
श्री रामसिंह यादव	175
श्री हरिकेश बहादुर	179
श्री दिलीप सिंह भूरिया	187
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	190
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	201
(2) संचार मंत्रालय	215—260
श्री सुशील भट्टाचार्य	216
श्री गिरधारी लाल व्यास	220
श्री बापू साहिब परुलेकर	223
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	228
श्री मनोहर लाल सैनी	231
श्रीमती विद्या चेन्नुपति	233
श्री अर्जुन सेठी	259

लोक-सभा

गुरुवार, 2 अप्रैल, 1981/12 चैत्र, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजकर तीन मिनट पर समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री जार्ज फर्नान्डीस : श्रीमान् जी, प्रश्नों के बारे में कार्यवाही प्रारम्भ करने से पहले मैं समाचार (बुलेटिन) के बारे में एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि यह सदन की कार्यवाही का रिकार्ड है और इसमें एक गलती हो गई है। मुझे विश्वास है कि यह भूल से हो गई है, लेकिन इसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

प्रो० मधु दंडवते : यह भूल की वजह से हुई है। इसमें सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान् जी, यह प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि वे रोजाना ही प्रश्नकाल के दौरान ऐसा मामला उठाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा।

जनसंख्या में वृद्धि के रोकने के लिए प्रोत्साहित तथा जनसंख्या वृद्धि को हतोत्साहित करना

*640. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत में जनसंख्या में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए और अधिक प्रोत्साहन देने तथा जनसंख्या में वृद्धि करने से हतोत्साहित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री : (श्री निहार रंजन लास्कर)
(क) जी, नहीं

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री अर्जुन सेठी : श्रीमान् जी, सदन में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में उत्तर देते समय माननीय मन्त्री महोदय ने देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने के अनेक उपायों का उल्लेख किया था। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह उपाय भारत सरकार की प्रोत्साहन योजनायें नहीं हैं ? यदि हां, तो मन्त्री महोदय "जी नहीं" का उत्तर किस प्रकार दे रहे हैं ?

श्री निहार रंजन लास्कर : श्रीमान् जी, निश्चित रूप से हम यह बताते रहे हैं। राज्यों में तथा केन्द्र सरकार में इस समय कोई भी हतोत्साहन उपाय नही हैं। क्षतिपूर्ति के रूप में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को कुछ प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं। अगर आप चाहे तो मैं उन उपायों का उल्लेख करना चाहूंगा।

अपने प्रश्न के दूसरे भाग में उन्होंने यह पूछा है कि हमारे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है, हमारी एक जनसंख्या सम्बन्धी नीति है और मैं इसके अन्तर्गत एक या दो मदों का उल्लेख कर सकता हूं। वर्तमान जनसंख्या-नीति इस प्रकार है :—

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं को एकीकृत रूप में उपलब्ध करके क्रियान्वित किया जायेगा जिसमें मां और शिशु कल्याण पर विशेष बल दिया जायेगा; जनसंख्या नीति का उद्देश्य वर्ष 1995 तक वृद्धि दर को एक तक कम करना है जिसका अर्थ जन्म दर को कम करके प्रति एक हजार जनसंख्या के लिए 21 तक लाना है और मृत्यु दर को प्रति एक हजार जनसंख्या के लिए 9 तक कम करना है; परिवार कल्याण सेवाओं को उपलब्ध करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मूलाधार ढांचे की व्यवस्था करना और पर्याप्त मात्रा में अनुवर्ती कार्यवाही करना और अभियान प्रारम्भ करना। श्रीमान् जी, हम छोटे परिवार के सिद्धांत के बारे में लोगों को शिक्षा देने के कार्य को अधिक महत्व दे रहे हैं। यह वह कुछ कार्यक्रम है जिनके बारे में हम द्रुतगति से कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री अर्जुन सेठी : श्रीमान् जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। क्या ये वह उपाय नहीं हैं जिनके अनुसार उन लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है जो जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को अपनाते हैं ? प्रश्न का उत्तर "जी नहीं" कैसे हो सकता है। मैंने यह पूछा था कि क्या कोई प्रोत्साहन दिए जाते हैं। मंत्री महोदय कहते हैं "जी नहीं"। दूसरी ओर, उन्होंने पुराने कार्यक्रमों का ब्यौरा दिया है। प्रश्न का उत्तर "जी नहीं" कैसे हो सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : रामविलास जी जब "स्पष्ट" को "अस्पष्ट" कहते हैं तो इस "नो" को "येस" समझ लो।

श्री निहार रंजन लास्कर : प्रश्न यह है "क्या सरकार का विचार भारत में जनसंख्या में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए और अधिक प्रोत्साहन देने ..."

श्री अर्जुन सेठी : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है : अभी हाल ही में की गई जनगणना से यह पता चलता है कि हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट होने की संभावना है। इस संदर्भ में मैं यह

जानना चाहता हूं कि क्या आगामी दशकों में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए, अभी हाल ही के जनसंख्या आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार का कोई विशेष उपाय करने का विचार है ?

श्री निहार रंजन लास्कर : छोटे परिवार की धारणो को अपनाने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इन प्रोत्साहन कार्यक्रमों का उल्लेख किया जा चुका है। मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी दे सकता हूँ कि सबसे पहले हमने यह निर्णय किया है कि जन प्रचार.साधनों के माध्यम से राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के पक्ष में वातावरण को सुदृढ़ किया जाये और उसमें विस्तार किया जाये। दूसरे हम यह प्रयास कर रहे हैं कि परिचर्चाओं को आयोजित करके अधिक मात्रा में परिवार कल्याण की धारणा को अपनाया जाये। और व्यक्तियों के बीच इस बारे में विचार-विमर्श हो और तीसरे, पहले से ही प्रचलित औपचारिक और गैर-औपचारिक पद्धतियों के माध्यम से जनसंख्या सम्बन्धी शिक्षा दी जाये। यहां मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह सर्वविदित है कि अगर पूंजीनिवेश के सम्भाव्य स्तरों से जनसंख्या वृद्धि का स्तर अधिक रहता है तो नियोजित समाजिक आर्थिक विकास और लाभ का उचित वितरण नहीं हो सकेगा। यही कारण है कि हमने छोटे परिवार की धारणा को अधिक महत्व दिया है और हम यह आशा करते हैं कि सभी योग्य युगल छोटे परिवार की धारणा अपनायेंगे। इस प्रकार हम इस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास रहे हैं।

श्री रामनाथ दुबे : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार फैमिली प्लानिंग के लिए लोगों को एजूकेट करने के अलावा परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करने के लिए जैसे बीमा कम्पनी में एजेंट नियुक्ति किए जाते हैं, उसी तरह से कोई कार्यक्रम बिना जोर-जबर्दस्ती किये परिवार नियोजन के लिए लोगों को समझाने-बुझाने का शुरू कर रही है ?······ (व्यवधान)···

श्री राम नगीना मिश्र : मुझे भी एक प्रश्न पूछ लेने दीजिए क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री निहार रंजन लास्कर : हम प्रोत्साहन देने वाले व्यक्तियों को अधिक प्रोत्साहन दे रहे हैं।

श्री रामनाथ दुबे : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। ······ (व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : माननीय मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के कार्यक्रम के बारे में कहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस कार्यक्रम में एक विषय को शामिल करेंगे। मैं यह सुझाव देता हूं कि अगर कोई नवयुवक विवाहित है लेकिन बेरोजगार है और यदि वह जनसंख्या में वृद्धि को रोकने के इस सूत्र को अपनाता है तो उसे रोजगार दिया जाना चाहिए। क्या मंत्री महोदय इस सुझाव को उस कार्यक्रम में शामिल करेंगे, जिसका वह पहले उल्लेख कर चुके हैं ?

श्री निहार रंजन लास्कर : हम अपने कार्यक्रम में जनसंख्या के सभी वर्गों को शामिल करते हैं और बेरोजगार भी उसके अन्तर्गत आते हैं।

श्री रामनगीना मिश्र : मान्यवर, मेरा एक निजी अनुभव है कि जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जितने मन्त्री आर्गुमेंट दे रहे हैं इनसे परिवार नियोजन नहीं हो सकता ।

अध्यक्ष महोदय : आप बता दीजिए जैसे हो सकता है ।

श्री रामनगीना मिश्र : मान्यवर, मैं बता रहा हूं कि जितने साधन सम्पन्न लोग हैं उन सब के रहने के लिए घर है । **(व्यवधान)** जत तक देश में गरीबी रहेगी, जब तक गरीबों के लिए एक घर के बजाय दो घर नहीं होगा तब तक निश्चित रूप से यह परिवार नियोजन नहीं हो सकता है । अगर परिवार नियोजन करना है तो देश से गरीबी को मिटा दीजिए और एक परिवार को रहने को दो घर की व्यवस्था कीजिए, परिवार नियोजन हो जाएगा । मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या मन्त्री जी ऐसी व्यवस्था करना चाहेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आपने सजेशन दिया है, बढ़िया है ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं हाथ उठा रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आपने देखा नहीं कि कितने इधर से हाथ उठा रहे हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने एक हफ्ते से सवाल नहीं पूछा है । मैं देख रहा हूं कि रोज क्या होता है ?

अध्यक्ष महोदय : में हिसाब बताऊंगा कि आपने कितने सवाल पूंछे हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं एक हफ्ते से था नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं हिसाब बताऊंगा ।

श्री रामावतार शास्त्री : सब का हिसाब कीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : आपका भी करूंगा ।

श्री रामावतार शास्त्री हम यहां कुछ सवाल ही उठाने के लिए आते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : सभी मेम्बर सवाल उठाने के लिए आते हैं ।

प्रो० मधु दन्डवते : आप इनको मौका दे दीजिए, क्योंकि पापुलेशन के मुतल्लिक इनका काफी ताल्लुक है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो मजाक में कहा था ।

श्री सतीश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले माननीय मंत्री महोदय ने इस सदन में यह घोषणा की थी कि वह जनसंख्या वृद्धि को रोकने के बारे में सभी राजनीतिक पार्टियों और शैक्षिक संगठनों का सहयोग चाहते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार यह निर्णय करने के लिए कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को चुनाव के लिए टिकट न दिया जाये जिसके तीन से अधिक बच्चे हों, सभी राजनैतिक पार्टियों के साथ चर्चा करने का है ? **(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, घबराइयें मत ? आपको इससे छूट दे दी जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : यही बजह है कि मेरी नजरें नीची हो गयी हैं । **(व्यवधान)**

श्री सतीश अग्रवाल : मैं आपके चेहरे से आपकी प्रतिक्रिया का अच्छी तरह अनुमान लगा सकता हूं कि आप इस बारे में चिंतित हैं क्योंकि आपके 5 बच्चे हैं (**व्यवधान**) लेकिन फिक्र मत कीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री के 8 बच्चे हैं। (**व्यवधान**) क्या सरकार सभी राजनैतिक पार्टियों के साथ चर्चा प्रारम्भ करने के लिए इस सुझाव पर विचार करेगी कि वे स्वयं यह निर्णय करें कि किसी भी ऐसे उम्मीदवार को टिकट न दिया जाये जिसके तीन से अधिक बच्चे हों ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : जहां तक माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझावों का सम्बन्ध है मुझे नहीं मालूम कि क्या उन्होंने अपनी पार्टी में इस सुझाव पर चर्चा की है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इन से यह तो पूछ लो कि जिन्होंने शादी की है, क्या उन्हें दो टिकट देंगे ?

श्री बी० शंकरानन्द : मैं यह जानना चाहता हूं कि शादी का बच्चे पैदा करने से क्या सम्बन्ध है ? मुझे नहीं मालूम कि वह शादी को बच्चे पैदा करने के साथ कैसे जोड़ रहें हैं ? (**व्यवधान**) मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिन व्यक्तियों ने शादी नहीं की है। उन्होंने कोई बच्चे पैदा नहीं किये हैं। (**व्यवधान**) चूंकि उन्होंने मेरा व्यक्तिगत रूप से उल्लेख किया है. मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि मैं एक उस उम्र में पहुंच चुका हूं जिसमें परिवार-नियोजन की कोई संगति नहीं है। मेरा सबसे छोटा बच्चा पन्द्रह साल का है। वह यह जानना चाहते थे कि क्या मैं परिवार-नियोजन को अपना रहा हूं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब काफी हो चुका है। मेरे पांच बच्चे हुए हैं। (**व्यवधान**)

श्री सतीश अग्रवाल : तब आप अपना घर का काम जल्दी पूरा कर लेते हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हम बहुत शीघ्र ही इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। यह काफी व्यापक विषय है।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, परिवार-नियोजन ऐसी चीज है जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता, सब लोग इसमें सहयोग करना चाहते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहां जो बैठी हुई मूर्तियाँ हैं, यहां जो संसद सदस्य हैं उन्हें और विधान सभा सदस्यों को इस परिवार-नियोजन कार्यक्रम में शामिल किया जाए, क्या इसके लिए कोई योजना आपने बनाई है या हम लोगों को भी शिक्षित करने का विचार रखते हैं, क्योंकि हमारे यहां एक कहावत है कि "राह बतावे सो आगे चल" तो हम लोग दुनियां को कह रहे हैं कि परिवार-नियोजन होना चाहिए, आखिर हम लोगों के लिए भी कुछ सिद्धांत निर्धारित होंगे या नहीं, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : संसद सदस्य अध्यक्ष महोदय के नियंत्रण में हैं (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं चाहता कि कोई भी मेरे निवास में घुसपैठ करे।

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा उसका आशय यह था कि संसद सदस्यों को अन्य लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। यही वह कहना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि वह ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें।

एक माननीय सदस्य : एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब बहुत हो गया है । यह तो बहुत लम्बा-चौड़ा सवाल है, फिर कभी इस पर डिबेट रख लेंगे । श्री जी० वाई० कृष्णान् । अनुपस्थित । श्री नारायण चौबे । अनुपस्थित । श्री आर० एल० भाटिया । अनुपस्थित । कितना बढ़िया कार्य-निष्पादन है ?

रेल विद्युतीकरण

*644. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** :

प्रो० के० तिवारी :

क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि रेल-विद्युतीकरण से रेलवे की डीजल पर निर्भरता कितनी कम हो जायेगी तथा कितने कोयले की बचत होगी ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपामंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : छठी योजना में 2800 मार्ग कि०मी० में प्रत्याशित विद्युतीकरण को ध्यान में रखते हुए, छठी योजना के अन्त तक इंजनों द्वारा लगभग 10 लाख टन उच्च गति डीजल, 100 लाख टन कोयला और 32600 लाख के० डब्ल्यू० एच० बिजली शक्ति की वार्षिक खपत किये जाने की प्रत्याशा है । यदि यह विद्युतीकरण प्रारम्भ नहीं किया जाता है तो 2.56 लाख टन अतिरिक्त डीजल तेल की खपत होगी ।

श्री के० के० तिवारी : मैं मन्त्री महोदय से यह बात जानना चाहता हूं कि रेल लाइनों का विद्युतीकरण करने के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाये गये है ।

श्री मल्लिकार्जुन : विद्युतीकरण योजनायें विभिन्न चरणों में चल रही हैं क्योंकि एक सामान्य प्रश्न हो गया है इसलिए मैं ऐसी विभिन्न लाइनों के बारे में बताना चाहता हूं जिनके बारे में विचार किया जा रहा है और जिन पर कार्य चल रहा है । छठी योजना के अन्त तक अर्थात वर्ष 1990 तक हम 2800 लाइनों का विद्युतीकरण करना चाहते हैं और इस का ब्यौरा योजना के अनुसार दिया जायेगा । समस्त योजना अवधि में हम 450 करोड़ रुपये की राशि व्यय करेंगे । वर्ष 1990 तक 7,800 किलो मी० लाइनों का विद्युतीकरण करने का हमारा व्यापक कार्यक्रम है । मैं विभिन्न रेलों का ब्यौरा देता हूं । मध्य रेलवे—झांसी, बीना, भोपाल, इटारसी, भूसावल, बीना, कटनी, इटारसी, नागपुर, भुसावल, नागपुर, वर्धा, बल्हारशाह, पूर्व रेलवे—सीतारामपुर, दानापुर, मुगलसराय···

एक माननीय सदस्य : यह विवरण सभापटल पर रखा जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है । पूरा विवरण देना आवश्यक नहीं है ।

श्री मल्लिकार्जुन : उत्तर रेलवे—चार लाइनों का विद्युतीकरण आरम्भ किया जायेगा—मुगलसराय, वाराणसी, लखनऊ, सहारनपुर, जलन्धर सिटी···

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है । श्री कुरियन ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया कि यदि छठी योजना में 28.00 मार्ग किलोमी० रेल लाइन का विद्युतीकरण हो जाता है तो इससे 2·56 लाख टन डीजल की बचत होगी। इसको ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या बिजली की उपलब्धता और रेल विद्युतीकरण के लिए बिजली के उपयोग के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है। उदाहरण के लिए कुछ ऐसे राज्य हैं जहां बिजली की बहुत अधिक कमी है वहां विद्युतीकरण आरम्भ किया जाता है। कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां बिजली फालतू है परन्तु वहां 1 किलोमी० रेल लाइन का भी विद्युतीकरण नहीं किया जाता। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां कोयला बिल्कुल नहीं है। उदाहरण के लिए आप बिहार से दक्षिण राज्यों, केरल और तमिलनाडु को कोयला भेजते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप का प्रश्न क्या है ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : मुझे विस्तार से बताना पड़ेगा। अन्यथा वह मेरी बात नहीं समझेंगे। जहां कोयला अधिक है वहां आप विद्युतीकरण करते हैं जहां बिजली अधिक मात्रा में उपलब्ध है वहाँ आप रेलगाड़ियां कोयले से चलाते हैं। मेरे विचार से इसमें कुछ विसंगति है। मैं वह जानना चाहता हूं कि क्या आप फालतू बिजली उपलब्ध होने के बारे में सर्वेक्षण करायेंगे। उसी के अनुसार फिर से विद्युतीकरण योजना बनायेंगे ताकि जहाँ फालतू बिजली हो वहाँ सभी रेल लाइनों का विद्युतीकरण हो और जहां बिजली की कमी हो वहां रेल गाड़ियां डीजल इंजन से चलायी जायें।

श्री मल्लिकार्जुन : विद्युत उत्पादन तापीय और जल विद्युत परियोजनाओं से किया जाता है। जहां तक ऊर्जा मंत्रालय के व्यापक कार्यक्रम का सम्बन्ध है छठी योजना में उसके लिए 9,000 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है। जिसमें सुपर पावर स्टेशन भी शामिल हैं। जह तक विद्युतीकरण के लिए बिजली की खपत का सम्बन्ध है इस समय कोई ऐसी स्थिति हमारे समाने नहीं है कि बिजली की सप्लाई में कोई कमी आ रही हो। विभिन्न कारणों से यदाकदा कटौती की जाती है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या आप को पता है कि केरल में उपयोग से अधिक मात्रा में बिजली उपलब्ध है और वहां एक किलो मी० रैल लाइन का भी विद्युतीकरण नहीं किया गया है। वहाँ रेल लाइन का विद्युतीकरण करने के बारे में कोई प्रस्ताव भी नहीं है। क्या आप को इसका पता है। कृपया इसका स्पष्ट उत्तर दें। हम तमिलनाडु और कर्नाटक को बिजली सप्लाई कर सकते हैं परन्तु केरल में 1 किलो मी० रेल लाइन का भी विद्युतीकरण नहीं किया जा सकता।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : मैं माननीय सदस्य की बात समझता हूं। उनके राज्य में फालतू बिजली है और उनका प्रश्न यह है कि उस फालतू बिजली का उपयोग विद्युतीकरण के लिए क्यों नहीं किया जाना चाहिए। परन्तु विद्युतीकरण का कार्यक्रम बिजली के उपलब्ध होने अथवा न होने पर आधारित नहीं होता है यह यातायात की मात्रा पर आधारित होता है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : यह भी एक कारण होना चाहिए।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : विद्युतीकरण कार्यक्रम यातायात की मात्रा पर आधारित होता है। वह यह कह कर तुलना करने का प्रयास कर रहे थे कि बिहार में कोयला और केरल में बिजली फालतू है अत: नीति की समीक्षा की जानी चाहिए। यह उनका प्रश्न था। हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख कर कार्यक्रम बनाते हैं। बिहार में कोयला उपलब्ध हो सकता है। परन्तु कोयला विद्युत संयंत्र जैसे अन्य प्रयोजनों के लिए भी उपलब्ध होना चाहिए। इसका उपयोग केवल रेलें चालने के लिए ही नहीं है। कभी-कभी रेलगाड़ियों को रोककर विद्युत संयंत्रों और अन्य उद्योगों को कोयला सप्लाई करते हैं जिनके लिए ये बहुत आवश्यक होता है। माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है हमारा दृष्टिकोण उससे भिन्न है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : उन्होंने मेरे विशिष्ट प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मुझे आप का संरक्षण चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह सब ठीक है। संरक्षण की कोई बात नहीं है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मंत्री महोदय को मेरे विशिष्ट प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। जहां बिजली फालतू है वहां एक ही लाइन का विद्युतीकरण नहीं किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही उत्तर दे चुके हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : उन्होंने उत्तर नहीं दिया। उन्हें कम से कम यह कहना चाहिए कि वे इस पर विचार करेंगे।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : जैसा कि मैंने बताया है, वहां यातायात इतना अधिक नहीं है।

श्री एम० एस० संजीवी राव : हमें इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण कार्यक्रम चलाना चाहती है। मैं मंत्री महोदय से एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उन्हें इस बात का पता है कि मद्रास और कलकत्ता के बीच यातायात की मात्रा बहुत अधिक है। मंत्री महोदय ने मद्रास-विजयवाड़ा विद्युत रेल लाइन का उद्घाटन किया है। कलकत्ता और खड़गपुर के बीच पहले ही से विद्युत रेल लाइन विद्यमान है। इस लाइन का शेष भाग अर्थात विजयवाड़ा और खड़गपुर भाग पर विद्युतीकरण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा। ताकि मद्रास से कलकत्ता तक समस्त मार्ग का विद्युतीकरण हो जाये।

श्री मल्लिकार्जुन : माननीय सदस्य मद्रास से कलकत्ता तक विद्युतीकरण चाहते हैं। छठी योजना में सरकार की यह नीति है कि सभी मुख्य मार्गों का विद्युतीकरण हो जाये। मुझे विश्वास है कि विजयवाड़ा से वालटेयर तक का मार्ग इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ जायेगा। जैसे कार्य चलेगा इसका और विस्तार कर दिया जायेगा। क्योंकि हम बंबई से दिल्ली और कलकत्ता वास्तव में सभी मुख्य लाइनों का विद्युतीकरण करना चाहते हैं। मुझे आशा है कि यह कार्य शीघ्र ही पूरा होगा।

श्री एम० एस० संजीवी राव : मेरा प्रश्न विजयवाड़ा से खड़गपुर के बारे में था। बल्लारशाह का कलकत्ता से कोई संबंध नहीं है।

श्री सुनील मैत्रा : कलकत्ता के आसपास रेलगाड़ियों की दृष्टि से यातायात की मात्रा बहुत अधिक है। काकुरगाची कोर्ड लाइन का पहले ही विद्युतीकरण किया जा चुका है। परन्तु वहां पर कोई यात्रागाड़ी नहीं चलती है। क्योंकि इस लाइन का विद्युतीकरण किया जा चुका है और यहां यातायात की मात्रा भी बहुत अधिक है इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय सदन में ऐसा आश्वासन देंगे कि इस मार्ग पर विद्युत चालित रेलगाड़ियां चलाई जायेंगी।

श्री मल्लिकार्जुन : हम इस पर विचार करेंगे।

रायलसीमा क्षेत्र में रेल लाईनें

***645. श्री के० ओबुल रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में अभी तक कोई नहीं रेल-लाईनें बिछाई गई हैं;

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि उक्त क्षेत्र में भारी मात्रा में खनिजों का उत्पादन होता है जिसे विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए विदेशों को निर्यात किया जाता है;

(ग) क्या यह सच है कि रेल-परिवहन सुविधायें उपलब्ध न होने के कारण खनिज समय पर पत्तनों पर नहीं पहुंचाये जा सकें तथा इसके फलस्वरूप देश को निर्यात-आदेश नहीं मिल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार कुड्डापाह से नन्दयाल तक तथा ओंगोल से धर्मावरम-बरास्ता-कुड्डापाह तक नई रेल-लाईनें बिछाने हेतु तुरन्त कदम उठायेगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस क्षेत्र में निम्नलिखित निर्माण कार्य किये जा रहे हैं :—

1. गुत्ती /गुन्तकल्लु से धर्मावरम तक समानान्तर बड़ी लाइन और धर्मावरम से बेंगलूरू सिटी तक मीटर लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव।

2. गुत्ती-गुन्तकल्लु खंड में दोहरी लाइन बिछाना।

3. गुत्ती-रायलचेरुबु, कोंडापुरम-मुद्दनूरु के बीच कहीं-कहीं दोहरी लाइन बिछाना तथा रायलचेरुबु-जुतूरु क बीच पार स्टेशन की व्यवस्था।

4. चित्रदुर्ग से रायदुर्ग तक नयी मीटर लाइन के लिए सर्वेक्षण।

5. गुन्तकल्लु से द्रोणाचलम तक सामान्तर बड़ी लाइन के लिए सर्वेक्षण तथा द्रोणाचलम से गुटूर तक के वर्तमान मीटर लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव।

6. बेल्लारी-रायदुर्ग मीटर आमान खंड का बड़ी लाइन में बदलाव के लिए सर्वेक्षण।

7. नंदयाल से येरगुंटला तक (1981-82 के लिए नया निर्माण-कार्य) नयी लाइन के लिए सर्वेक्षण।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं। रेलों ने निर्यात के लिए खनिज यातायात की पत्तनों तक पर्याप्त रूप से ढुलाई की है।

(घ) छठी योजना में कुड्डापाह और नंदयाल के बीच नयी लाइनों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री के० ओबुल रेड्डी : मैंने स्पष्ट रूप से यह प्रश्न किया था कि क्या रायलसीमा क्षेत्र में अब तक कोई नई रेलवे लाइन बिछाई गई है। किन्तु मंत्री महोदय ने अपने विवरण में यह बताया है कि यहां वहां लाइन को दोहरा करने का काम किया गया है और मैसूर में चित्रदुर्ग से रायदुर्ग तक एक मीटर गेज लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। "नहीं" कहने के स्थान पर उन्होंने यह उत्तर दिया है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें यह पता है कि पिछले 100 वर्षों से रायलसीमा क्षेत्र में, जो कि एक सड़क क्षेत्र है, कोई नई रेलवे लाइन नहीं बिछाई गई है, हालांकि दो लाइनों—कटपदि से कुरनूल बरास्ता कुड्डप्पा, जिसे दक्कन लाइन कहा जाता है तथा दूसरे धर्मवर्म से ओंगुले बरास्ता कुड्डप्पा जिसे पेन्नार लाइन कहा जाता है, के लिए सर्वेक्षण किया गया था। वह इसके लिए सर्वेक्षण कार्य कब आरंभ कर रहे हैं?

श्री मल्लिकार्जुन : यह सच है में अभी हालांकि रायलसीमा क्षेत्र में कोई नई लाइन नहीं बिछाई गई है। विवरण में मैंने वहां चल रहे कार्य के बारे में बताया है। जहां तक नई लाइनों का संबंध है उस समय रायलसीमा क्षेत्र में चार सर्वेक्षण कार्य चल रहे हैं। एक सर्वेक्षण पूरा हो गया है। इसकी जाँच की जायेगी। योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दिये जाने पर इन लाइनों पर निर्माण कार्य आरंभ किया जायेगा। जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के अन्य हिस्से का संबंध है, समय-समय पर सर्वेक्षण किये जाते हैं। स्वतन्त्रता से पहले भी ऐसे सर्वेक्षण किये गये हैं। समय समय पर स्थिति का जायजा लिया जाता है। इस समय चार सर्वेक्षण किये जा रहे हैं।

श्री के० ओबुल रेड्डी : क्या सरकार के पास इस समय कोई ऐसा प्रस्ताव है जिसके अधीन राज्यों की सभी राजधानियों को बड़ी लाइन से जोड़ने का कार्यक्रम हो? यदि हां तो दो राज्यों की राजधानियों बंगलौर और हैदराबाद के बीच बड़ी लाइन कब तक बनाई जायेगी।

श्री मल्लिकार्जुन : इस समय यह कहना संभव नहीं है कि बंगलौर और हैदराबाद को बड़ी लाइन से कब जोड़ा जायेगा? पहले ही बंगलौर से गुंटाकल तक निर्माण कार्य चल रहा है और गुंटाकल से हैदराबाद बरास्ता वाड़ी बड़ी लाइन विद्यमान है। इस समय बंगलौर और हैदराबाद को जोड़ना संभव नहीं है।

श्री दारूरपुलय्या : महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार रायलसीमा के पीछड़े क्षेत्र में गुंटाकल से तुमकर, बारास्ता उरवाकोंडा और कल्याणदुर्ग, नई रेलवे लाइनें बिछाने के लिए सर्वेक्षण करने के बारे में विचार करेंगी और क्या सरकार बैलरी से चित्तलदुर्ग; बारास्ता रायदुर्ग, नई रेलवे लाइन बिछाने का काम आरंभ करने जारी रही है।

श्री मल्लिकार्जुन : जहां तक बैलरी से रायदुर्ग तक लाइन का संबंध है; पहले ही लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण चल रहा है। किंतु जहां तक गुंटाकल से तुमकर तक

नई लाइन बिछाने का प्रश्न है, इस पर विचार करना होगा और मैं सभा में इस बारे में कोई वचन नहीं दे सकता।

श्री दारूरपुलय्या : महोदय, इन्होंने रायदुर्ग और चित्तलदुर्ग के बारे में कुछ नहीं कहा है।

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, यह मामला योजना आयोग के समक्ष है।

2 मार्च, 1981 को तूफान एक्सप्रेस में डकैती

*647. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 मार्च, 1981 को बड़हैया तथा मोकामेह स्टेशनों के बीच तूफान एक्सप्रेस को लूट लिया गया था;

(ख) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त घटना के बाद इसके शिकार हुए व्यक्तियों को रेलवे से कोई सहायता प्राप्त हुई थी ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य-विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जी हां। 2.3.1981 को लगभग 18.30 बज जब 7 अप (हवड़ा-दिल्ली तूफान एक्सप्रेस) बढ़ैया स्टेशन से चली तो लगभग 14/15 व्यक्ति यान सं० इ० आर० 4571 में घुस गये और देशी पिस्तौल और चाकू दिखाकर डिब्बे के यात्रियों को लूटना प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने लगभग 20 यात्रियों से लगभग 20,000 रु० मूल्य की नकदी, घड़ियां, गहने, सूटकेश आदि छीन लिए। बदमाशों द्वारा ड्यूटी पर तैनात एक बिहार सैनिक पुलिस कांस्टेबुल तथा चल टिकट परीक्षक सहित 16 यात्रियों को घायल कर दिया गया। यात्रियों को लूटने के बाद, हातीदाह और ताल जंकशन स्टेशनों के बीच खतरे की जंजीर खींचकर बदमाशों ने गाड़ी रोक दी और लूटी हुई सम्पत्ति सहित भाग गये।

लगभग 19.10 बजे मोकामा स्टेशन में गाड़ी पहुंचने पर, सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी, पूर्व रेलवे, मोकामा द्वारा सभी घायल व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार किया गया।

नियमानुसार ऐसे अपराधों में हुई हानि के लिए रेलों द्वारा यात्रियों को किसी क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाता है।

राजकीय रेलवे पुलिस, मोकामा ने भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के अन्तर्गत 2.3.81 को मामला सं० 12(3) 81 दर्ज किया। पुलिस के प्रयासों के फलस्वरूप, लूटी गयी लगभग 10,000 रु० की सम्पत्ति बरामद की गयी और 10 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उप-महानिरीक्षक (रेलवे) बिहार और अधीक्षक रेलवे पुलिस, जमालपुर ने बढ़ैया का तुरन्त दौरा किया और व्यक्तिगत रूप से जांच पड़ताल का पर्यवेक्षण किया।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा : महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या रेल गाड़ियों में पुलिस साथ चलती है, और यदि हां तो सरकार ने रेलगाड़ियों में डकैती रोकने के लिए क्या कार्यवाही की ?

श्री मल्लिकार्जुन : यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि रेल गाड़ियों में डकैतियां और लूटमार की घटनाएं हो रही हैं, विशेषकर उस लाइन पर जहाँ तूफान एक्सप्रैस चलती हैं। जब डकैती हुई, 20,000 रुपये मूल्य की सम्पत्ति लूट ली गई, सरकार ने बहुत तेजी से कार्यवाही की और लगभग 10,000 रुपये की मूल्य की सम्पत्ति ....

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा : महोदय, मेरा प्रश्न यह नहीं है।

श्री मल्लिकार्जुन : मैं उस पर आ रहा हूं। क्योंकि यह एक नाजुक प्रश्न है। सरकार ने जो उपाय किये हैं मैं उन्हें पृष्ठभूमि के साथ बता रहा हूं। सरकार इस बारे में प्रभावी उपाय कर रही है कि रेलगाड़ियों में डकैतियां और लूटमार की घटनाएं न हों और इस समय जो कदम उठाया जा रहा है वह यह है कि रात को महत्वपूर्ण सवारी गाड़ियों में संबंधित सरकारों के जी० आर० पी० के सशस्त्र गार्डों को साथ भेजा जाता है। साथ ही सरकार स्टेशनों, प्लेटफार्मों, और प्रतीक्षालयों में गश्त लगाने, अपराधियों और बदमाशों पर निगरानी रखने के बारे में भी व्यवस्था कर रही है।

(व्यवधान)

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा : मेरा प्रश्न स्पष्ट है। मैं यह नहीं पूछ रहा कि सरकार क्या उपाय कर रही है ? मैं केवल यह जानना चाहता था कि क्या उस दिन रेल गाड़ी में सशस्त्र पुलिस थी या नहीं ? और यदि थी तो डकैती रोकने में उसने क्या कार्यवाही की ?

श्री मल्लिकार्जुन : मैं उसी बारे में बता रहा था किन्तु माननीय सदस्य ने मुझे बात पूरी नहीं करने दी। उस दिन जब मोकामा जंक्शन पर डकैती डाली गई तो हमारा पुलिस कुत्ता दल भी वहां लाया गया और हमारे रेलवे पुलिस ने भी तत्परता से काम किया। इस प्रकार ....

(व्यवधान)

श्री राजेश कुमार सिंह : ट्रेन में पुलिस सिक्योरिटी थी या नहीं ? अगर थी, तो उसने क्या कार्यवाही की ?

रेल मंत्रालय में राज्य सशस्त्रविहीन मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : जी० आर० पी० के पांच कान्सटेबल थे जो ट्रेन के साथ जा रहे थे। एक कान्सटेबल को जब वह इन से भिड़ गया तो चोटें लगीं। चार अन्य अलग-अलग डिब्बों में थे। रेलगाड़ी के स्टेशन से चलने के बाद डकैती डाली गई और बाद में जब रेलगाड़ी मोकामा स्टेशन पहुंची तो उन्होंने जंजीर खींची और भाग गए। बाद में पुलिस ने जांच पड़ताल की। उन्होंने अपराधियों को पकड़ा और उनसे समान बरामद किया जा रहा है।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा : इस बात को देखते हुए कि 17 फरवरी को इसी गाड़ी में डकैती हुई थीं। क्या सरकार के लिए यह जरूरी नहीं था कि वह रेलगाड़ी के साथ सशस्त्र पुलिस कार्मिकों को भेजती।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैंने पहले ही कहा है कि उस गाड़ी के साथ पुलिस थी।

अध्यक्ष महोदय : क्या उनके पास शस्त्र थे ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ। अब हम ने यह पक्का कर लिया है कि रात के समय चलने वाली सभी गाड़ियों में आर० पी० एफ० और जी० आर० पी० के जवान साथ रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : और साथ में उन्हें शस्त्र भी दिये जायेंगे।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : सशस्त्र और बिना शस्त्र के दोनों ही।

श्री राम विलास पासवान : मैं मंत्री महोदय को, और खासकर श्री पांडे को, बताना चाहता हूं कि मोकामेह और बढ़हैया की लाइन पर; जो बक्सर तक चली जाती है, यात्रियों का जीवन कभी सुरक्षित नहीं है। माननीय सदस्य, श्रीमती कृष्णा साही, भी यही बात कहेंगी। उधर बेगूसराय वाली लाइन की भी यही दुर्गति है। यह एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि बराबर ऐसी घटनाएं होती हैं। कोई भी, किसी भी स्तर का, पैसेंजर हो—वी० आई० पी०, मिनिस्टर, एम. पी. या एम. एल. ए. हो—, किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं है। चोरी डकैती वहां का पर्मानेंट फीचर हो गया है। कोई घटना होती है, मंत्री महोदय यहां उसके बारे में जवाब देते हैं। उसके बाद लगातार घटनाएं होती रहती हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने इस समस्या का कोई निदान निकाला है; यदि हां, तो वह क्या है। क्या सरकार इस हाउस को एशोर कर सकती है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पग उठाए जाएंगे और भविष्य में ऐसी घटना नहीं घटेगी ?

रेल मन्त्री (श्री केदार पांडे) : इसमें दो बातें हैं : एक आर० पी० एफ० है और दूसरा जी० आर० पी०। यह सही है कि उस एरिया में इस तरह की घटनाएं होती हैं। कुछ अन-आर्म्ड सिपाही ट्रेन में जा रहे थे और वे इस घटना को नहीं रोक सके, और उसका बुरा असर हुआ है। हम वहां ध्यान देंगे और ज्यादा कांनसेंन्ट्रेट करेंगे, ताकि इस तरह की घटना न घटे।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मैंने मोकामेह का दस बरस तक प्रतितिधित्व किया है और अब बड़हैया का भी प्रतिनिधित्व कर रही हूं। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि क्या उन्हें इस बात को जानकारी है कि जो जी० आर० पी० या पुलिस वहां पर पोस्टिड होती है, उसी की सांठ-गांठ से रेलवे में डकैतियां होती हैं। मैं कहना चाहती हूं कि सारे हिन्दुस्तान में माल-गाड़ियों से सामान की जितनी चोरी होती है, उसमें सबसे ज्यादा गरहड़ा यार्ड से होती है, जो वहीं पर है। मैंने इस ओर मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाया है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सारे हिन्दुस्तान में जितनी चोरी होती है, उसकी 50 प्रतिशत चोरी वहीं पर होती

है । वहां पर डकैती एक नहीं, अनेक हुई हैं । क्या सरकार इस समस्या का समाधान करने के लिए भविष्य में वहाँ पूरी पुलिस प्रोटेक्शन और आर्म्ड गार्ड की व्यवस्था करेगी ? मन्त्री महोदय यह साबित कर देंगे कि वहाँ पर जी० आर० पी० के चार सिपाही थे, लेकिन वे सिपाही नहीं थे । वहां आर्म्ड गार्ड के बिना काम नहीं चल सकता है । क्या सरकार इस बात की व्यवस्था करेगी कि लोगों के जानो-माल की सुरक्षा के लिए वहाँ पर आर्म्ड गार्ड रखे जायें ?

श्री केदार पांडे : हम उस पर विचार करेंगे ।

राजधानी में परिवहन व्यवस्था

*648. **श्री जगदीश टाईलर** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी दिल्ली के यातायात सम्बन्धी स्थिति यहां की परिवहन व्यवस्था का निरन्तर लापरवाही के कारण अस्तव्यस्त होती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थिति को सुधारने तथा सुगम बनाने के लिए सकरार किन उपायों पर विचार कर रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं । हालांकि कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर शहर में भीड़-भाड़ की कुछ समस्या है ।

(ख) यातायात में सुधार लाने और इसे सुगम बनाने के लिए सरकार, स्थानीय अधिकरण, दिल्ली पुलिस, और दिल्ली परिवहन निगम सभी प्रयास कर रहे हैं । दिल्ली परिवहन निगम सार्वजनिक यातायात की क्षमता में वृद्धि कर रहा है । 1980-81 में दिल्ली परिवहन निगम ने 630 नई बसें खरीदी हैं । शहर के चारों ओर बिजली से रेल चलाने के लिए आवश्यक निर्माण कार्य किया जा रहा है । आशा है यह काम 1982 के मध्य तक पूरा हो जाएगा । सात फ्लाई ओवरों का निर्माण किया जा रहा है व सड़कों को चौड़ा और चौराहों का सुधार किया जा रहा है । भीड़ वाले क्षेत्र से बाहर ट्रांसपोर्ट नगर बनाये जा रहे हैं ताकि सघन क्षेत्रों से बेकार पड़े कार-पार्कों आदि को हटाया जा सके । आवश्यक यातायात के बारे में आवश्यक प्रतिबंधों को लागू किया जा रहा है ताकि गाड़ियों के आने जाने में सुविधा हो सके । मोटर गाड़ी अधिनियम में भी सशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि उसके उपबन्धों को अधिक कारगर बनाया जा सके ।

श्री जगदीश टाईटलर : माननीय मंत्री महोदय ने पहले प्रश्न का जो उत्तर दिया है वह गलत है दूसरे प्रश्न का उत्तर आँशिक रूप से गलत है और आँशिक रूप से सही है । समस्त दिल्ली में यातायात की समस्या समान रूप से एकसी है ।

मैं माननीय मन्त्री महोदय का पहले तो इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि दिल्ली में वाहनों की संख्या में वृद्धि हो रही है तथा यदि दिल्ली में पंजीकृत किए गये वाहनों की संख्या का

जारी किये जा रहे लाइसेंसों की संख्या से तुलना की जाये तो यह पता चलेगा कि बाद में भी संख्या जारी किए जा रहे लाइसेंसों की संख्या से अधिक है तथा लाइसेंसों की संख्या दिल्ली में पंजीकृत किए गये वाहनों की संख्या से दो गुनी है। इससे यह स्पष्ट है कि या तो लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी भ्रष्ट हैं और यदि वे उतने भ्रष्ट नहीं हैं तो दिल्ली में अधिकांश व्यक्ति बिना लाइसेंस के वाहन चलाते हैं। यह भी सच है दिल्ली में ऐसी बहुत सी कारें तथा वाहन हैं जिन्हें बिना लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति अथवा अशिक्षित व्यक्ति चलाते हैं। अब तथाकथित मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल स्थापित हो गये हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहता हूं कि वे किसी नाम से 400 रुपए दें और वह व्यक्ति घर बैठा हो, जीवित हो या जीवित न भी हो तब भी उसे कार चलाने का लाइसेंस मिल जायेगा। दिल्ली में इस समय यह हो रहा है।

अब मैं इस प्रश्न के सम्बन्ध में पहला पुनः-पूरक प्रश्न पूछता हूं····

अध्यक्ष महोदय : क्या यह सब पृष्ठभूमि थी ?

श्री जगदीश टाईटलर : मैं उन्हें तथा कथित चल न्यायालयों के बारे में भी बताऊंगा। यदि आप दिल्ली में किसी मैजिस्ट्रेट को वाहनों का चालान करते देखें तो आपको पता चलेगा लगभग प्रत्येक 10 व्यक्ति जिन्हें जुर्माना देने के लिए रोका गया है उनमें से 3 या 4 व्यक्ति जुर्माना देते हैं और इस बात का पता नही लग पाता कि शेष-व्यक्तियों से प्राप्त जुर्माने की राशि कहां जाती है। यह भी देखा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति प्रभावशाली होता है, अथवा वह किसी को जानता है अथवा कोई राष्ट्रीय नेता होता है तो उससे बड़े सम्मान से बात की जाती है तथा पुलिस मैन बड़े सम्मान से संकेत देकर विदा कर देता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है तथा ऐसा कुछ अन्य लोगों के साथ भी हुआ है। ये चल न्यायालय तथा कथित मैजिस्ट्रेट जो यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए दोषी व्यक्ति पर जुर्माना करने के लिए वहां तैनात होते हैं ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं।

अब मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न यह है कि क्या सरकार चालक के लाइसेंस को जब्त कर लेने तथा उसमें लाइसेंस पर उसका अपराध को दर्ज कर देने पर विचार कर रही है तथा क्या सभी प्रकार के वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस देने के नियम तथा विनियम और शर्तों को कठोर तथा दोष रहित बनाया जायेगा जिससे कि भ्रष्टाचार, उपेक्षा और निहित स्वार्थ को पूरा किया जा सके।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मेरा विचार है कि दिल्ली में यातायात की भीड़ बढ़ती जा रही है···

अध्यक्ष महोदय : जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होने की भी समस्या है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप इस प्रकार मंत्री महोदय की सहायता नहीं कर रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : ···क्योंकि दिल्ली की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। 1981 की जनगणना के अनुसार इस समय दिल्ली की जनसंख्या 62 लाख है। और जहां तक वाहनों की

संख्या का सम्बन्ध है, वाहनों की संख्या इतनी बढ़ी है जिस के आकड़े मेरे पास है। 1961 में वाहनों की कुल संख्या 41000 थी और आज इन की संख्या लगभग 5 लाख है। इसमें जो वृद्धि हुई है वह इतनी 1088·3 प्रतिशत है। 1961 में प्रति वर्ग मील वाहन की सघनता 125·5 प्रतिशत थी, 19 8 में यह 1006·05 प्रतिशत थी। 1961 में विशेषकर साइकिलें केवल 2·4 लाख थीं और आज इनकी संख्या 12 लाख है। आज जबकि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है सड़कों की स्थिति में इनकी क्षमता में, कोई वृद्धि नहीं हुई है जब तक उन्हें चौड़ा नहीं किया जाता तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता साथ ही इस बात की भी समस्या है कि सड़कों को किस सीमा तक चौड़ा किया जाए। सड़कों को चौड़ा करने के लिए वृक्ष काटने पड़ते हैं और सड़क के दोनों ओर की भूमि और भवनों का अधिग्रहण करना होता है। यह एक बड़ी जटिल समस्या है। मेरे अनुमान के अनुसार इस समस्या का केवल यही समाधान है कि तेज चलने वाली गाड़िया भूमि के ऊपर और भूमिगत दोनों प्रकार की गाड़ियां चलायी जाए। मेरा विचार है कि यह समस्या केवल देहली तक ही सीमित नहीं है यह समस्या उन सभी शहरों में भी है जिनकी आबादी 20 लाख से अधिक है। एक माननीय सदस्य ने यहां की लाइसेंस देने की प्रणाली के सम्बन्ध में पूछा है। मैं इस मामले की जांच करूंगा। मैं केवल इतना ही कर सकता हू।

श्री जगदीश टाईटलर : मेरा दूसरा प्रश्न चल न्यायालयों के सम्बन्ध में है। मैं इस सम्बन्ध में आपसे स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली में यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना करने के लिये स्थापित चंद चल न्यायालय वर्तमान प्रणाली में मनमाने ढंग से कार्य करती हैं तथा जुर्माना सम्बन्धित मैजिस्ट्रेटों तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों की इच्छा के अनुसार लगाया जाता है। यह अधिनियम दिल्ली में काफी समय से लागू हैं और यह प्रश्न पहली बार ही नहीं उठाया गया है अगर आप 10 वर्षों का रिकार्ड देखें तो आपको पता चलेगा कि यह समस्या अनेक वर्षों से विद्यमान है। यह ठीक है जो भी आपने निर्णय किये हैं वह इन समस्याओं को सुलझाने के लिए दिए गए हैं। सरकार के लिए यह एक समस्या है। मैंने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में अपने ध्यानाकर्षण में इस बात की ओर ध्यान दिलाया था कि क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है इसलिये यहां पर भीड़ व जमाव का बढ़ना अनिवार्य है। जनसंख्या और यातायात की भीड़ की समस्या ऐसी है जिसको आप नहीं रोक सकते हैं। यह दिल्ली की समस्या है किसी एक व्यक्ति की नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप मनमाने ढंग से कार्य करने वाले न्यायालय को नहीं चाहते। आप यही कहना चाहते हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : चल न्यायालय के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं उसके बारे में मैं माननीय सदस्य को तथा सदन को यह बता देना चाहता हूं कि हम मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के द्वारा इन सभी बातों पर विचार कर रहे हैं। इस पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। हम मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करना चाहते हैं जिससे कि ड्राईविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके और उसमें यथासम्भव भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। जब सदन में यह विधेयक पेश किया जाएगा तब उन सभी

मामलों पर हम लोग लोग विचार करेंगे तथा हम चल न्यायालयों के स्थापित करने के सम्बन्ध में भी विचार करेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्री टाइटलर की जानकारी कुछ पुरानी पड़ गई है। उन्होंने कहा है कि एक जारी लाइसेंस देने के लिये केवल 400 रुपये की जरूरत पड़ती है। यदि आप बिना लाइसेंस के चला रहे हैं और पकड़े जाते हैं तो इसमें छूटने के लिये केवल 50 रुपये व्यय करने पड़ते है। तो कोई व्यक्ति 400 रुपये क्यों देगा।

श्री सतीश अग्रवाल : श्री पाटिल आप इसके लिये क्या एक समिति नियुक्त नहीं करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वामी मितव्ययी हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : प्रश्न यातायात प्रणाली की निरन्तर उपेक्षा किये जाने पर यातायात की हालत के बारे में है। मंत्री महोदय ने संकेत दिया है इसका केवल एक तरीका तेज चलने वाले यातायात प्रणाली को आरम्भ करना है। क्या वे बताएंगे कि दिल्ली में तेज यातायात प्रणाली को आरम्भ करने के लिये इस समय कौन कौन से प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यही बात मैंने अपने उत्तर में कही है। रिंग रेलवे प्रणाली आरम्भ की जाएगी तथा भूमि ऊपर तथा भूमिगत प्रणाली को भी आरम्भ किया जाएगा। यह मेरा सुझाव है। मैंने कहा था कि मेरा अनुमान है कि भूमिगत और भूमि के ऊपर रेलवे प्रणाली आरम्भ करके इस समस्या को सुलझाया जा सकता है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : ऐसे प्रस्तावों पर विचार करना मेरे अथवा मेरे मंत्रालय के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है। यह ऐसे प्रस्ताव मेरे रेलवे मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आते हैं इसलिये मैंने कहा था कि मेरा सुझाव है।

डा० कर्ण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया है कि दिल्ली की यातायात प्रणाली अयवस्थित है। यह एक ऐसी समस्या है जिसमें यह बताना कठिन है कि कहां भीड़ ज्यादा है कहां अव्यवस्था शुरू होती है क्योंकि इसमें बहुत कम अन्तर हैं। तथ्य यह है कि अनेक स्थानों पर यह अव्यवस्था की ओर बढ़ रही है। मन्त्री महोदय ने पुरानी दिल्ली का उल्लेख किया है मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या नई दिल्ली के सम्बन्ध में भी उनको जानकारी है। और जिसमे कि संसार की राजधानी होने के कारण उसकी यातायात की व्यवस्था एक आदर्श रूप में होनी चाहिए। जबकि वहां इतना अधिक भीड़ है उदाहरण के लिये सिंधिया हाउस के समीप जनपथ पर। मुझे पुस्तकों में रूचि है। मैं एक दुकान पर पुस्तक खरीदने जाता हूं यदि आप वहां जाएं तो आप देखेंगे कि वहां सड़क के दोनों ओर कारें पार्क की जाती है और वहां कार चलाना कठिन हो जाता है। और वास्तव में वहां कार चलाना एक प्रकार से 'ड्राईविंग टेस्ट" होता है। जबकि आप को कुछ सो मीटर की दूरी तक कार चलानी पड़ती है। राजधानी में ऐसे

और अन्य स्थान भी है। माननीय मंत्री महोदय सदन को आश्वासन देंगे कि दीर्घ-कालीन उपायों के अलावा भूमिगत रेलें अथवा रिंग रेलें अथवा उसे आप जो भी कुछ कहें आरम्भ की जाएगी। क्या इस सम्बन्ध में मंत्रालय शीघ्र ऐसे उपाय करेगा। जिससे कि नई दिल्ली और दिल्ली में यातायात की भीड़ के स्थानों पर सुव्यवस्था स्थापित करने के लिये अगले 6 अथवा 8 महीनों में सुधार किये जाएंगे।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यह एक अच्छा सुझाव है।

श्री धर्मदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे प्रश्न पूंछने की अनुमति दी। माननीय मंत्री जी ने अभी दिल्ली की बस सेवा के बारे में जो आंकड़े बताए हैं उनसे दिल्ली वालों को तसल्ली नहीं होगी। मन्त्री जी बतायेंगे कि क्या कभी उन्होंने स्वयं जाकर दिल्ली की भीड़-भाड़ देखी है और उसके साथ साथ · · ·

अध्यक्ष महोदय : आप लेकर क्यों नहीं जाते हैं ?

श्री धर्मदास शास्त्री : मैं जानना चाहता हूं क्या उन्होंने कभी स्वयं जाकर भीड़ देखी है ?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि क्या इन्होंने दिल्ली की बस व्यवस्था को आदर्श-व्यवस्था बनाने के लिए कोई मास्टर-प्लान तैयार किया है ? यदि किया है, तो उसमें उन्होंने क्या-क्या प्रस्ताव प्रस्तावित किए हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यहां कि बस व्यवस्था में बहुत से प्राइवेट आपरेटर हैं, तो कि धाँधलेबाजी करते हैं, तो क्या दिल्ली परिवहन एक सिस्टम लागू करने के लिए तैयार है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहाँ तक दिल्ली की बस व्यवस्था का सवाल है, जैसा कि मैंने अपने रिप्लाई में कहा है कि 1980-81 में 530 बसों को बढ़ा दिया है और हमारी प्रपोजल हैं कि 1981-82 में 325 बसों को और बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का जहाँ तक सवाल है, वे कहते हैं कि दिल्ली में जितनी रोड्स हैं, उनकी कैपेसिटी 400 वेगन से ज्यादा नहीं है, इसलिए दिल्ली में बस बढ़ाने से समस्या हल होने वाली नहीं है। जैसा कि डा० कर्ण सिंह जी ने कहा है कि कन्जैशन बढ़ रहा है, इसलिए नहीं कि बसों की व्यवस्था अच्छी नहीं है, बल्कि यहाँ पर वैहिकुलर पोपुलेशन बहुत ही बढ़ रही है। इसलिए इस सवाल का जवाब यही हो सकता है कि जब तक हम मैट्रो सिस्टम, अण्डर और ओवर ग्राउन्ट सिस्टम और रेलवे सिस्टम को इन्ट्रोड्यूस नहीं करेंगे, तब तक समस्या हल नहीं होगी। (इति)

पटपादा गांव के किसानों से अधिगृहीत की गई भूमि

*649. **निहाल सिंह :** क्या **रेल मंत्री** मिम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) रेलवे लाइन और रेलवे यार्ड बनाने के लिए गांव पटपादा, परगना मवाई, तहसील चन्दौली, जिला वाराणसी के प्रत्येक किसान से कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया;

(ख) क्या इस प्रकार अधिगृहीत भूमि के लिए मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है और यदि हां, तो किस मूल्य पर;

(ग) क्या सरकार को उन किसानों के शिक्षित बच्चों को रेलवे में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनकी भूमि रेलवे लाइन और रेलवे यार्ड बनाने के लिए अधिगृहीत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) मुगलसराय यार्ड के ढांचे में परिवर्तन के सम्बन्ध में पटपादा गांव के 71 किसानों की पट्टे पर दी गयी 22.73 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था।

प्रत्येक किसान से अधिगृहीत भूमि का क्षेत्रफल तथा भुगतान की गयी मुआवजे की रकम सभा-पटल पर रखे विवरण में प्रस्तुत की गयी है।

(ग) पूर्व रेलवे को अभी तक ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भूमि मालिकों की सूची, लगभग क्षेत्रफल और दिया गया मुआवजा

क्र० सं०	भूमि मालिकों के नाम	क्षेत्रफल	कुल लागत (रुपये)
1	2	3	4
1.	राम अधार सुपुत्र राम जगत	.11	311.07
2.	रामावतार सुपुत्र राम जगत	.34	961.47
3.	चिरकित सुपुत्र बिजीय	.02	3,216.95
4.	बाबूलाल सुपुत्र मेवालाल	.01	186.72
5.	नरसिंह सुपुत्र सुखदेव	.11	330.36
6.	शिवभद्रा सुपुत्र ललता	.06	253.37
7.	सुखानन्द सुपुत्र हीरा मन	.01	823 45
8.	जयश्री सुपुत्र महाबीर	.55	1,142.38
9.	वीहामी सुपुत्र महाबीर	.04	1,333.39
10.	साहा सुपुत्र महेश	.08	316.71
11.	जीर बन्धन सुपुत्र चिगालू	.05	179.47

1	2	3	4
12.	साधा सुपुत्र सीता	.015	1,119.42
13.	शिला सुपुत्र बुद्धराम	.05	352.53
14.	खट पातु सुपुत्र राम खेलावन	·01	769.59
15.	लालू सुपुत्र बादन	.05	177.39
16.	हरि सुपुत्र मुनिलाल	.09	254.51
17.	राधेश्याम सुपुत्र पनाई	.08	226.23
18.	जदुनन्दन सुपुत्र बादन	.05	141.39
19.	मुटापे शावरी सुपुत्र पनतज	.01	1,222.76
20.	ओधा लाल	.03	2,254.70
21.	पन्नालाल सुपुत्र डागी	.01	1,074.58
22.	भगवत सुपुत्र गोविन्द	.06	1,438.01
23.	कल्यानाथ सुपुत्र पुनाई	.03	84.89
24.	त्रिभवन सुपुत्र बाली	.01	21.11
25.	चैरबुटी सुपुत्र फकीर	.04	825.34
26.	बालेश्वर सुपुत्र जैराम	.08	2,827.95
27.	सापरी सुपुत्र बैजू	.04	215.45
28.	खरपातु सुपुत्र बाचित	.01	98.03
29.	भूरी सुपुत्र भूषण	.01	155.75
30.	गोपाल सुपुत्र रामचरण	.01	622.13
31.	पन्नालाल सुपुत्र रामचरण	·23	989.75
32.	नारंत्तम सुपुत्र बुद्धराम	.13	965.95
33.	रामबचन सुपुत्र हीरा	.02	71.82
34.	विश्वनाथ सुपुत्र गया	.02	745.90
35.	पुनावश सुपुत्र बुद्धराम	.23	1,131.14
36.	जगेश्वर सुपुत्र सचराम	.05	2,682.45
37.	मलाऊ सुपुत्र पुरुषोत्तम	.01	2,864.19
38.	श्रीमती दुखन सती	.19	1,465.98
39.	मुत्तु सुपुत्र बल्लीगार	.04	746.90

1	2	3	4
40.	निर्मल सुपुत्र अलीबर	.14	·84.61
41.	नरसिंह सुपुत्र सुचदेव	.10	2,896.95
42.	मन्नू सुपुत्र सहदेव	.03	739.98
43.	सुखनन्दन सुपुत्र हीरामन	.01	21.11
44.	सेतू सुपुत्र महेश	.02	105.57
45.	जीबाधन सुपुत्र चिगाबू	.02	168.91
46.	राम कुमार सुपुत्र महादेव	.02	4,007.00
47.	राम भजन सुपुत्र महादेव	.09	1,414.44
48.	शिवमूर्ति सुपुत्र जैराम	.04	177.39
49.	लालू सुपुत्र बादन	.12	425.73
50.	हरि सुपुत्र मुन्निलाल	.02	764.04
51.	चिथराहु सुपुत्र बुधाई	.09	650.51
52.	राधेश्याम सुपुत्र पुनाई	.21	593.85
53.	जदुनन्दन सुपुत्र बादन	.06	1,088.53
54.	बेचन सुपुत्र भागा	2.525	2,573.34
54 क.	$\frac{1}{3}$	.05	56.56
54 ख.	$\frac{1}{3}$	.01	
55.	पन्नालाल सुपुत्र जग्गी	.02	84.84
56.	बालचरण सुपुत्र बादे	.03	275.62
57.	रागु सुपुत्र बदाऊ	.09	529.75
58.	कल्पनाथ सुपुत्र पुराई	.15	819.77
59.	ऊदल सुपुत्र राप्रण	.26	84.45
60.	त्रिभुवन सुपुत्र बालो	.03	311.06
61.	बालेश्वर सुपुत्र गायीराम	.11	71.42
62.	कन्हैया सुपुत्र शंकर	15.00	3,221.23
63.	राधा श्याम सुपुत्र पुनाई	.02	1,838.57
64.	बोधी सुपुत्र पुनाई		
65.	चन्द्रादेव सिंह सुपुत्र गौरी शंकर	.09	815.79
66.	जदुनन्दन सुपुत्र बदाऊ	.09	358.73

1	2	3	4
67.	चोबा सुपुत्र शुराहु	.05	526.35
68.	भगवत सुपुत्र गोबिन्द		
69.	बदुलाल सुपुत्र मेवा		
70.	चाबा सुपुत्र घुरई	06	575.00
71.	कन्हैया सुपुत्र गौरी शंकर		
	जोड़	22.73	60,626.30

श्री निहाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, केवल यह प्रस्ताव पटपादा गांव का नहीं है, बल्कि मुगलसराय, महेवां, नई बस्ती, परसरामपुर, सारनपुर, गोवरिया, अमाधपुर, मुगलचक और घरना आदि गांवों की जो जमीने ली गई हैं, सबका मामला है। वहां पर जिनकी जमीनें ली जाती हैं, वे बेचारे बेघर-बार हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जाना चाहता हूं कि वे कोई ऐसा सिद्धान्त तय करेंगे, जितनी जमीने यार्ड बनाने के लिए या रेलवे लाइन बनाने के लिए ली जाती हैं, उनके परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को नौकरी में स्थान अवश्य दिया जाए, ताकि वह अपना जीवन-यापन कर सके ?

श्री मल्लिकार्जुन : अध्यक्ष जी, जिन लोगों की जमीने ली जाती है, एक्वायर की जाती हैं उनको रिहैबिलिटेट करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। लेकिन रेलवे कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं लेता है, जिस ढंग से माननीय सदस्य बता रहे हैं कि जिन लोगों की जमीन ली गई है, उनको रोटी-रोजगार के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, उनके बच्चों को एम्पलायमेंट देना चाहिए, जैसा कि माननीय सदस्य बता रहे हैं। इस सम्बन्ध में हमारे पास उनकी तरफ से कोई एप्लीकेशन नहीं आई, फिर भी हम इस चीज पर विचार करेंगे।

श्री निहाल सिंह : आश्चर्य की बात है, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कह रहे हैं कि कोई एप्लीकेशन नहीं है। मेरे पास पचासों एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं, जिसकी पहली प्रति रेल मन्त्री को दी गई और दूसरी प्रति राज्य सभा के डिप्टी चेयरमैन, श्री श्यामलाल यादव को दी गई है। तीसरी प्रति हम को मिली—इतनी सारी एप्लीकेशन्ज हैं। मैं इन सब एप्लीकेशन्ज को मंत्री महोदय को दे रहा हूं तथा जानना चाहता हूं कि क्या जिनकी जमीन ली गई है उन सबको नौकरी देंगे ? मंत्री महोदय एकदम स्पष्ट उत्तर दें।

श्री मल्लिकार्जुन : मैं स्पष्ट कहता हूं—वे एप्लीकेशन्ज हम को दे दीजिए, हम उनकी जांच करेंगे। जहां तक हो सकेगा जिन फार्मर्ज की जमीन ली गई है उनके परिवारों के लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप उन्हें हमें दे दीजिए, आपके पास रहने से कैसे होगा ?

अध्यक्ष महोदय : श्री एन० के० राजन

श्री आर० एन० राकेश

श्रीमती सुशीला गोपालन

श्री सुनील मैत्रा

कलकत्ता में एक क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र का स्थापित किया जाना

*652. **श्री सुनील मैत्रा :**

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी भारत के लिए एक क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र स्थापित करने के विचार से चित्तरंजन नेशनल रिसर्च सेंटर और चित्तरंजन कैंसर अस्पताल, कलकत्ता के विलय का प्रस्ताव काफी समय पहले सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया था;

(ख) यदि हां तो कब;

(ग) इस विलय को अब तक कार्यरूप न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) विलय कब तक होने की सम्भावना है; और

(ङ) पूर्वी भारत के लिए एक क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र स्थापित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) पूर्वी भारत के लिये एक क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र पहले ही कलकत्ता में चल रहा है। इसके अलावा, डा० बी० बी० कैंसर संस्थान, गोहाटी का विकास करके उसे भी क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान और उपचार केन्द्र बनाने के लिए चुन लिया गया है।

श्री सुनील मैत्रा : क्या सच है कि राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों तथा केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के बीच अनेक बैठकें हो चुकी हैं तथा क्या यह भी एक सच है कि पश्चिमी बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री ने श्री लास्कर के साथ बातचीत की थी और इन बैठकों में किन बातों पर चर्चा हुई।

श्री निहार रंजन लास्कर : इन दो संस्थाओं को मिला देने के प्रश्न पर काफी चर्चा हो चुकी है। यह सब विचाराधीन है।

श्री सुनील मैत्रा : क्या आप हमें इस बात का आश्वासन देंगे कि कलकत्ता में इन दोनों संस्थाओं को मिला देने की बात भारत सरकार के विचाराधीन है।

श्री निहार रंजन लास्कर : मैं आपसे यह कह चुका हूँ कि यह सब बातें विचाराधीन हैं।

श्री सुनील मैत्रा : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है। क्या आपने जनवरी में पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री से यह संदेश प्राप्त हुआ था जिसमें इन दोनों संस्थाओं अथवा चित्तरंजन नेशनल कैंसर रिसर्च सेन्टर तथा चित्तरंजन कैंसर हास्पीटल को मिला देने के प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय करने की प्रार्थना की गई थी।

श्री निहार रंजन लास्कर : हमने पश्चिमी बंगाल सरकार से इस सम्बन्ध में और अधिक जानकारी देने के लिए कहा है। जब वह हमको प्राप्त हो जाएगी तो सम्पूर्ण मामले पर शीघ्र कार्यवाही की जाएगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जो कुछ उत्तर दिए गए हैं उनसे मैं यही समझता हूं कि यह सारा मामला विचाराधीन है। एक भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री महाराजा कर्णसिंह मेरे पीछे बैठे हुए हैं।

डा० कर्णसिंह : महोदय "महाराजा" शब्द को हटा लिया जाए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त :—डा० कर्ण सिंह मुझे इस बात का खेद है। क्या यह तथ्य नहीं है कि आपके कार्यकाल में इन दोनों संगठनों को मिला देने के बाद सिद्धांत रूप से स्वीकार कर ली गई थी। और अब उसके केवल ब्यौरे तैयार किए जाने हैं और इसीलिए यह चर्चा हो रही है। क्या वह इस बात की पुष्टि करेंगे कि इस सम्बन्ध में सिद्धान्त रूप में निर्णय किया जा चुका है और अब इसको बदलने की कोई सम्भावना नहीं है।

श्री निहार रंजन लास्कर : जैसा कि आपको पहले कह चुका हूं कि सारा मामला विचाराधीन है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह बहुत गम्भीर मामला है। यह बात काफी समय से ज्ञात है कि इस सम्बन्ध में सिद्धान्त रूप में निर्णय किया जा चुका है और कलकत्ता में एक यूनिट इस बात को जानती है बल्कि इसकी सबको जानकारी है। महोदय, मैं कैंसर अस्पताल वर्कर्स के कर्मचारी संघ का प्रेसीडेंट हूं। प्रत्येक व्यक्ति को इसकी जानकारी है। किन्तु हमें यह बताया गया है कि इसके ब्यौरे तैयार किए जाने हैं। महोदय, अब सात वर्ष के बाद भी मंत्री महोदय यह कहते हैं कि इनको मिलाए जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह चर्चा कब आरम्भी हुई थी और हम इस मामले पर कब तक चर्चा करते रहेंगे। क्या आप इसके सम्बन्ध में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं करेंगे। यह अन्तिम रूप से निर्णय कब लिया जाएगा। यह एक ऐसा मामला है जिसका पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किए गए निर्णय पर फिर से विचार किया जायेगा।

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के पीछे सभी प्रयास तथा मंत्रीयों तथा अधिकारियों के बीच की बैठकें इन्हीं दो संस्थाओं

को मिलाने के सम्बन्ध में की जा रही है। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य के मन में इस बारे में संदेह क्यों पैदा हो गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह संदेह आपके द्वारा दिए गए आज के उत्तरों से पैदा हुआ है। अन्यथा हमारे मन में कोई संदेह नहीं था।

श्री वी० शंकरानन्द : यह तथ्य कि ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं इससे माननीय सदस्यों को सन्तुष्ट हो जाना चाहिए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

वाल्टेयर-किरन्डूल सेक्शन का विद्युतीकरण

*639. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में वाल्टेयर-किरन्डूल सेक्शन का विद्युतीकरण पूरा हो गया है;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड पांच अन्य केन्द्रों सहित डिलमिली और अमगुरा को बिजली सप्लाई करने पर सहमत हो गया था जैसाकि रेल विभाग ने इच्छा व्यक्त की थी, किन्तु रेल विभाग ने सप्लाई स्वीकार नहीं की; और

(ग) क्या यह भी सच है कि रेल विभाग डिलमिली और अमगुरा को सप्लाई की जा रही बिजली के लिए न्यूनतम दर से भी भुगतान नहीं कर रहा है और इस प्रकार उन शर्तों का उल्लंघन कर रहा है जो पहले उसने स्वीकार कर ली थी ?

रेल मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) जी हां, वात्तेरु-किरन्दूल खंड के जगदलपुर-किरन्दूल खंड को, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, अगस्त, 1980 में विद्युत कर्षण के अन्तर्गत कर दिया गया है।

(ख) 5 स्थानों से पहले से ही बिजली ली जा चुकी है। आमगुडा और डिलीमिलों पर शेष दो स्थानों के लिए, जहां कि रेलों का निर्माण-कार्य पूरा किया जा रहा है, रेलवे के कार्य के पूरा होते ही बिजली ली जायेगी।

(ग) चूंकि आमगुडा और डिलीमिली से कोई बिजली नहीं ली गई इसलिए उनकी अभी तक कोई भुगतान देय नहीं हुआ है। अगस्त, 1980 से एक वर्ष के पूरा होने पर रेलों द्वारा उन सभी 7 सब-स्टेशनों को यथाविधि वार्षिक निम्नतम भुगतान किया जायेगा, जब यह देय हो जायेगा।

माल ढुलाई से प्राप्त हुआ राजस्व

*641. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में माल ढुलाई भाड़े से प्राप्त हुए राजस्व का ब्योरा क्या है;

(ख) गत दो वर्षों में रेल से ढुलाई के दौरान चोरी गये गेहूं का ब्योरा क्या है और रेलवे प्राधिकारियों द्वारा इसके लिए कितनी राशि के दावों का भुगतान किया गया; और

(ग) रेल प्राधिकारियों द्वारा इसके लिए कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

रेल मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान माल यातायात से होने वाली आमदनी इस प्रकार है :—

वर्ष	रकम
1978-79	1305.41 करोड़ रुपये
1979-80	1440.44 करोड रुपये

(ख) और (ग) गेहूं की उठाईगीरी के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते। फिर भी, पिछले दो वर्षों के दौरान गेहूं सहित अनाज और दालों की हानि/चोरी तथा उठाईगीरी के लिए भुगतान की गई क्षतिपूर्ति के दावों की रकम नीचे की तालिका में दी गई है :—

1978-79	104.79 लाख रुपये
1979-80	120.71 लाख रुपये

दक्षिण पूर्व रेलवे के लिए जोन-परामर्श-दात्री समिति

*642. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण-पूर्व रेलवे के लिऐ एक जोन-परामर्शदात्री समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) इस समिति के कृत्य क्या हैं;

(घ) गठन के पश्चात इस समिति की कितनी बैठकें हुई हैं; और

(ङ) क्या इस समिति की कोई भी बैठक नहीं हुई है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) 28 जनवरी, 1981

(ग) यह समिति यात्रियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने, नये स्टेशन खोलने, खान-पान और वेंडिंग सुविधाओं और सम्बद्ध विषयों से सम्बन्धित मामलों पर परामर्श निकाय के रूप में कार्य करती है।

(घ) अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है ?

(ङ) यह समिति हाल ही में गठित की गयी है ।

मेक्सिको सम्मेलन के लिए तैयारी करने हेतु बैठक

*643. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने मेक्सिको में होने वाले शासनाध्यक्षों के सम्मेलन की तैयारी के लिए गत मास वियना में हुई बैठक में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो इसकी उपलब्धियां क्या हैं; और

(ग) इसमें भारत का योगदान क्या रहा ?

विदेश मत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां ।

(ख) अब तक ग्यारह विदेश मंत्रियों की दो प्रारम्भिक परामर्शदात्री बैठकें वियना में हो चुकी हैं । पहली बैठक नवम्बर, 1980 में और दूसरी बैठक मार्च, 1981 में हुई थी । इन दोनों अवसरों पर जारी की गई प्रेस विज्ञप्तियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं जिनमें इन परामर्शदात्री बैठकों के परिणामों का उल्लेख किया गया है । [**ग्रन्थालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी०** 2290/81] ।

(ग) सभी निर्णय आम-सहमति और सर्व-सम्मति से लिये गये थे । भारत ने विचार-विमर्शों में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया ।

कर्नाटक में मेडिकल कालेजों का कार्यकरण तथा और अधिक कालेज खोलना

*646. **श्री० एम० पुत्तेगोडा :**

श्री के० लकप्पा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में इस समय कौन-कौन से मेडिकल कालेज चल रहे हैं;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में और अधिक मेडिकल कालेज खोलने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस बारे में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) कर्नाटक में चल रहे मेडिकल कालेजों के नामों का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

उपलब्ध सूचना के अनुसार कर्नाटक राज्य में निम्नलिखित कालेज चल रहे हैं :—

1. मैसूर मेडिकल कालेज, मैसूर ।
2. बंगलौर मेडिकल कालेज, बंगलौर ।
3. कर्नाटक मेडिकल कालेज, हुब्ली ।
4. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, बेलरी ।
5. सेंट जान मेडिकल कालेज, गुलबर्गा ।
6. एम० आर० मेडिकल कालेज बंगलौर ।
7. जे० जे० एम० मेडिकल कालेज, देवनगिरी ।
8. जे० एन० मेडिकल कालेज, बेलगाम ।
9. कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मनीपाल ब्रांच और मंगलौर ब्रान्च ।
10. एम० एस० रमैया मेडिकल कालेज, बंगलौर ।
11. केम्पे गौडा इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बंगलौर और
12. डा० अम्बेडकर मेडिकल कालेज, बंगलौर ।

नेशनल फैडरेशन आफ इंडियन रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स द्वारा प्रस्तुत मांग-पत्र

*650. **श्री के० ए० राजन** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल फैडरेशन आफ इंडियन रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ने हाल ही में सरकार को एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य मांगें क्या हैं और सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होता ।

स्टेशन मास्टर्स एसोसियेशन की रैली

*651. **श्री आर० एन० राकेश** :

श्रीमती सुशील गोपालन :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में आल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन ने बोट-क्लब पर एक रैली की थी, अपनी 'बिना नाप की' वर्दियों को जलाया था और अपनी शिकायतों के बारे में रेल मन्त्रालय को विरोध पत्र दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) यह रिपोर्ट की गई थी कि एसोसिएशन ने 23.2.1981 को बोट क्लब पर एक रैली की थी और वर्दी के कुछ ढेरों को भी जलाया था।

(ख) स्टेशन मास्टरों द्वारा की गयी मांगों में अन्य बातों के साथ-साथ ये मुद्दे भी शामिल हैं—स्टेशन मास्टरों के ग्रेड में संशोधन, पदों के वितरण प्रतिशत में समानता, पदोन्नति और सेवा शर्तों की समान सरणि, छुट्टी एवजियों की व्यवस्था, वर्दियों की सप्लाई आदि।

सरकार की नीति के अनुसार, किसी भी स्रोत से प्राप्त कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर उचित ढंग से ध्यान दिया जाता है और उनके बारे में यथा-अपेक्षित कार्रवाई की जाती है।

आल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन की मांगों पर सरकार द्वारा वित्तीय और प्रशासनिक तंगियों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर विचार किया गया है और मांगों के गुण-दोष के आधार पर कार्रवाई की गई है।

अफगान समस्या के हल के लिए अमरीका सोवियत रूस शिखर सम्मेलन

*651. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत रूस का विश्व के नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण को सुधारने के लिऐ एक "पैकेज" प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सोवियत रूस अफगान समस्या के हल के लिए अमरीकी राष्ट्रपति के साथ बैठक के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है;

(ग) क्या भारत को भी इस बारे में सूचित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव : (क) वारसा में मई 1930 में सम्पन्न वारसा संधि संगठन की राजनैतिक परामर्शदायी समिति की बैठक में विश्व के नेताओं के शिखर-सम्मेलन का प्रस्ताव किया गया था।

(ख) इस वर्ष फरवरी में मास्को में हुई 26वीं पार्टी कांग्रेस के समक्ष सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी को केन्द्रीय समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए पार्टी के महासचिव श्री ब्रेजनेव ने यह प्रस्ताव किया कि दोनों देशों के बीच के पारस्परिक संबन्धों की स्थिति पर और अनसुलझी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं" पर विचार-विमर्श के लिए "शिखर सम्मेलन के स्तर पर" एक बैठक आयोजित की जाय।

(ग) सोवियत संघ के राष्ट्रपति श्री ब्रेजनेव ने प्रधान मन्त्री को एक संदेश भेज कर भारत सरकार को इस बात की सूचना दी है।

(घ) इस संदेश पर सावधानी पूर्वक विचार किया जा रहा है।

"तीन बीघा" का बंगलादेश को हस्तांतरण

*655. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बंगला देश को पहुँच मार्ग देने के लिए कूच बिहार जिले में भारतीय क्षेत्र के "तीन बीघा" नामक एक टुकड़े को स्थाई पट्टे पर बंगलादेश को हस्तांतरित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो (1) बंगलादेश के साथ उस समझौते का ब्यौरा क्या है जिसके अन्तर्गत पहुँच मार्ग दिया जा रहा है, (2) पहुँच मार्ग की भौगोलिक स्थिति क्या है, और (3) क्या इससे भारतीय भूक्षेत्र का कुछ भाग देश के अन्य भागों से कट जाएगा ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) भारत और बंगलादेश के बीच भू-सीमांकन और सम्बन्धित मामलों पर समझौते के अनुसार, जिस पर 16 मई 1974 को हस्ताक्षर हुए थे, भारत ने, दाहाग्राम को बंगलादेश के पनवाड़ी मौजा (थाना पतग्राम) से जोड़ने के लिए, पश्चिम बंगाल के जिला कूच बिहार में 'तीन बीघा' के निकट का एक क्षेत्र स्थाई पट्टे पर दिया जाना है। पट्टे की शर्तों के ब्यौरों पर इस समय बंगला देश के साथ बातचीत चल रही है।

पट्टे पर दी जाने वाली भूमि पर भारत की प्रभुसत्ता बनी रहेगी। साथ ही, भारत ने पट्टे की जो शर्तें रखी हैं उनमें यह व्यवस्था है कि भारतीयों को पट्टे पर दिये गए इस क्षेत्र से आने जाने और अपना माल लाने-ले जाने का निर्बाध अधिकार बना रहेगा। इस प्रकार भारतीय क्षेत्र के किसी भी भाग को "अलग कर दिये जाने" का कोई प्रश्न नहीं है।

क्षय रोग के उपचार के अद्यतन तरीके

*656. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षय रोग अस्पतालों में क्षय रोग के उपचार का कोई अद्यतन तरीका निकाला गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां, लेकिन आजमायशी तौर पर।

(ख) क्षयरोग अस्पतालों में क्षय रोगियों के उपचार के लिए जिन बढ़िया गुणकारी और प्रभावकारी क्षय विरोधी औषधियों का उपयोग किया जा रहा है, वे हैं :—(1) स्ट्रेप्टोमाइसीन

(2) आई० एन० एच० (3) पी० ए० एस० (4) थायसेटाजोन ।

जिन रोगियों में इन दवाइयों को पचा जाने की ताकत पैदा हो जाती है, उनका अनेक दवाइयों वाला इलाज किया जाता है जिनमें एथाम्बुटोल, रिफैम्पिसीन और पायराजिनेमाइड नामक नई क्षय निरोधी औषधियों का इस्तेमाल किया जा रहा है । रिफैम्पिसीन, पायराजिनेमाइड, स्ट्रेप्टोमाईसीन और आई० एन० एच० वाले बहुऔषधि उपचार का प्रयोग करके क्षयरोगी के उपचार की अवधि को कम करने के लिए भी परीक्षण किए जा रहे हैं।

बंगलादेश के विदेश मन्त्री द्वारा खाड़ी द्वीपों के बारे में दिया गया वक्तव्य

*657. **श्री माधव राव सिंधियां :**

श्री आर० के० महालगी :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बंगलादेश के विदेश मन्त्री के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी में स्थिति साउथ तलपति द्वीप किसी भी देश के कब्जे में नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इन द्वीपों की वास्तविक स्थिति क्या है और ये द्वीप किस देश के हैं;

(ग) क्या भारतीय समुद्री सीमा में ऐसा कोई अन्य द्वीप भी है जिसके अधिकार/कब्जे अथवा स्वामित्व के बारे में पड़ोसी देशों के साथ कोई विवाद है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वीं० नरसिंह राव) : (क) और (ख) सरकार ने बंगलादेश के विदेश मंत्री के उस वक्तव्य को देखा है जो उन्होंने बंगलादेश की संसद में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में दिया था । उन्होंने कहा था कि उनकी सूचनानुसार बंगलादेश उस द्वीप समूह का वैध स्वामी है जो हरियाबंग नदी के मुहाने पर हाल ही में उभरा था । उन्होंने इस द्वीप समूह को विवाद-ग्रस्त क्षेत्र बताया ।

हमारी सूचनानुसार वहां केवल एक द्वीप है । हमारे नक्शों में इसे 'न्यू मूर' द्वीप कहा गया है, पश्चिम बंगाल सरकार इसे पुरभाषा कहती है और बंगलादेश सरकार इसे दक्षिण तलपट्टी कहती है । इस द्वीप समूह पर भारत का हक स्पष्ट है । ऐसा लगता है कि बंगलादेश के विचार में 'न्यू मूर' द्वीप समूह और पुरभाषा दो अलग-अलग द्वीप हैं । हमने उन्हें बताया है कि ये एक ही द्वीप के अलग-अलग नाम हैं । हमारा विचार है कि इस सम्बन्ध में हम बंगला देश के समक्ष स्थिति को और स्पष्ट कर दें ताकि किसी तरह की कोई गलतफहमी न रहे ।

(ग) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम रेलवे के मुख्यालय को अहमदाबाद ले जाया जाना

*658. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 9 मार्च, 1981 को उन्होंने अहमदाबाद में कहा था कि पश्चिम रेलवे के मुख्यालय को बम्बई से बदलकर अहमदाबाद ले जाने की सम्भावनाओं का अध्ययन करने के लिए शीघ्र ही एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित स्थानांतरण के क्या कारण हैं;

(ग) इससे संचालन कुशलता में किस तरह सहायता मिलेगी; और

(घ) इस स्थानान्तरण पर और अहमदाबाद में कार्यालय तथा आवासों के नए भवनों का निर्माण करने पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

तूतीकोरिन नाविक प्रगतिशील संघ से अभ्यावेदन

6046. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशन** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को तूतीकोरिन नाविक प्रगतिशील संघ से जनवरी, 1981 में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें अनुरोध किया गया है कि नमक के लदान और कोयले को उतारने का कार्य पुराने बंदरगाह में ही किया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) टूटीकोरिन बोटमैन प्रोग्रेसिव यूनियन का अभ्यावेदन टूटीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष को विचारार्थ भेजा गया था। पत्तन न्यास के अध्यक्ष ने सूचित किया है कि पुराने पत्तन पर जब कभी दो स्थास अधिक जहाज माल लादते या उतारते रहे होते हैं तब विभिन्न परिचालनात्मक कारणों से जहाजों पर माल लादने की दर अनिवार्य रूप से कम रहती है और इस कारण जहाजों को घाट पर आने व यहाँ से जाने में काफी समय लगता है। नमक व कोयले के यातायात को शीघ्रता से करने और इसमें देरी से बचने के लिए काम की अधिकता को देखते हुए कभी-कभी नमक के जहाजों को नये पत्तन की ओर भेज दिया जाता है। इस प्रकार की घटनाओं को छोड़कर यहां नमक के जहाजों से माल पुराने पत्तन पर ही उतारा जाता है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग

6047. **डा० आर० रोथुआभा** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-पूर्वी राज्यों में वे विभिन्न सड़के कौन-सी है जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में स्वीकार किया किया जा रहा है;

(ख) उत्तर पूर्वी राज्यों में इस तरह के नए राष्ट्रीय राजमार्गों के स्वीकार किए जाने में अन्तर्विष्ट त्रितीय आबंटन की राशि राज्यवार कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र द्वारा मिजोरम में सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में शुरू करने के लिए समयबद्ध योजनाएं तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो वे किन-किन सड़कों की हैं और वे कब कार्यान्वित होनी हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय उन छह सड़कों से है जिन्हें हाल ही में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली में शामिल किया गया है । इस सम्बन्ध में विवरण संलग्न है ।

(ख) उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्ताव है कि उपरोक्त राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित की गई नई सड़कों के विकास पर छठी पंचवर्षीय योजना अवधि (1980-85) में 38 करोड़ रुपए खर्च किए जाएं । अनुमान है कि विभिन्न राज्यों से होकर गुजरने वाले नीचे लिखे राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निम्न प्रकार से राशि आबंटित की जाएगी :—

असम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31-ग, 51, 52, 53 व 54	18.5 करोड़ रुपये
अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 22-क और 52	6.0 करोड़ रुपये
मणिपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53	5.0 करोड़ रुपये
मेघालय में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 51	1.5 करोड़ रुपये
मिजोरम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 54	7.0 करोड़ रुपये

(ग) और (घ) नव-घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 54 जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53 पर असम में सिलचर को ऐजल से जोड़ता है और मिजोरम में लुंगली पर खत्म होता है, का अधिकांश हिस्सा संघ-शासित क्षेत्र मिजोरम में पड़ता है और इसके बारे में यह विचार है कि करीब 7 साल की अवधि में इस राष्ट्रीय राजमार्ग को एक लेन वाला स्टैण्डर्ड राजमार्ग बनाया जाए । फिलिहाल, मिजोरम में किसी अन्य सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विवरण

क्रम संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या
1.	यह सड़क गलगलिया के नजदीक से शुरू होती है और पश्चिम बंगाल में बाघडोगरा, चलसा, नगरकट, देलगोन हसीमरा, राजाभट्टखवा और असम में कोचूगांव और सिडली को आपस में जोड़ती हुई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर स्थित बिजाई नामक स्थान पर खत्म होती है ।	31 ग
2.	यह सड़क असम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 पर अपने जंक्शन पाइकान से शुरू होकर तुरा को जोडती हुई मेघालय में डालू नामक स्थान पर खत्म होती है ।	51
3.	यह सड़क असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर बाइहटा चराली नामक स्थान पर अपने जंक्शन से शुरू होकर तेजपुर, बन्दर देवा, उत्तरी लखीमपुर, पासीधाट, तेसू और सीतापानी को आपस में जोड़ती हुई राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर सिखोआधाट के नजदीक खत्म होती है ।	52
4.	यह सड़क असम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर बन्दर सेवा में अपने जंक्शन से शुरू होती है और अरुणाचल प्रदेश में ईटा नगर नामक स्थान पर खत्म होती है ।	52क
5.	यह सड़क असम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर बदरपुर के नजदीक अपने जंक्शन से शुरू होकर सिल्चर और जिराधाट को जोड़ती हुई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 पर इम्फाल के नजदीक खत्म होती है ।	53
6.	यह सड़क, असम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53 पर सिल्चर में अपने जंक्शन से शुरू होकर ऐजावई को जोडती हुई मिजोरम में लुंगली नामक स्थान पर खत्म होती है ।	54

जनकपुरी तथा दक्षिण दिल्ली के बीच बस सेवा

6048. **श्री भीकूराम जैन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनकपुरी से धौलाकुआं से आगे दक्षिण दिल्ली के लिए केवल एक बस रूट (संख्या 711) है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस स्टाप पर सेवा बहुत ही अपर्याप्त है विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि यह सेवा जनकपुरी-रामाकृष्णपुरम साउथ एक्सटेंशन तथा लाजपत नगर में रहने वाले 10 लाख लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने रूट नं० 711 पर सेवा बढ़ाने और जनकपुरी को दक्षिण दिल्ली की अन्य कालोनियों अर्थात् माल्वीय नगर आई० आई० टी० तथा नेहरू प्लेस के साथ जोड़ने वाले वैकल्पिक रूट की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाएं हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जनकपुरी और लाजपत नगर के बीच 711 नम्बर का बस रूट है जो धौलाकुआं होते हुए है। इस रूट पर बसें 10/20 मिनट के बाद चलती हैं। यह मौजूदा यातायात के लिए पर्याप्त हैं। इसके अलावा जनकपुरी से धौलाकुआं तक 703, 704, 720, 730, 740 नम्बर के बस रूट हैं और धौलाकुआं से दक्षिणी दिल्ली के विभिन्न इलाकों को अनेक बस रूट हैं।

(ग) यह ऊपर भाग (ख) में दिये गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए आवश्यक नहीं समझा गया। लेकिन, 18-1-1981 तथा 16-2-1981 से रूट संख्या 711 पर दो डीलक्स अतिक्रित बसें चलाई गई हैं।

होशियारपुर रेलवे स्टेशन

6049. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह स्टेशन हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत महत्त्व रखता है, होशियारपुर रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं में कोई सुधार किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1981-82 में किस तरह के सुधार किए जाने की योजना बनाई जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) होशियारपुर रेलवे स्टेशन पर किसी एक समय में अधिकतम 410 (मेला यातायात को छोड़कर) यात्री यात्रा करते हैं। इस स्तर के यात्री यातायात के लिए अपेक्षित सुविधाएं जैसे प्रतीक्षालय,

ऊंचे दर्जों का प्रतीक्षा गृह, शौचालय, जल की सप्लाई, बुकिंग खिड़कियां, बेंचें, प्लेटफार्म पर छत-रोशनी आदि की व्यवस्थाएं पहले से ही की हुई हैं जो पर्याप्त समझी जाती हैं। इस समय वर्तमान सुविधाओं में से किसी में भी वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वर्ष 1981-82 में होम्योपैथिक क्लीनिकों का खोला जाना

6050. **श्री डी० पी० जडेजा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार और अधिक संख्या में होम्योपैथिक क्लीनिकों की स्थापना को प्रोत्साहन देने का है; और

(ख) वर्ष 1981-82 में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) यह विषय मौलिक रूप से राज्यों में संघ शासित सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है जो अपनी आवश्यकताओं तथा वित्तीय एवं अन्य कठिनाइयों को ध्यान में रखकर होम्योपैथिक क्लिनिकों की स्थापना करती हैं। भारत सरकार की केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन 1979-80 में तो 18 होम्योपैथिक औषधालय यूनिट चल रहे थे जबकि वर्ष 1980-81 में उनकी संख्या 23 थी। 1981-82 में 6 और क्लिनिक खोलने का विचार है।

(ख) होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के विकास के लिए 1981-82 में विभिन्न प्लान योजनाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है :—

	(रुपये लाखों में)
(1) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली	3·80
(2) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, गजियाबाद	33·00
(3) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता	3·00
(4) होम्योपैथिक भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद	12·00

रोहतक-भटिंडा लाइन

6051. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोहतक से भटिंडा तक दोहरी लाइन बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह काम कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रोहतक और जाखंल के बीच (76 कि. मी.) कहीं-कहीं दोहरी लाइन बिछाने का काम 1981-

82 के बजट में प्रथम चरण के रूप में शामिल कर लिया गया है। इस काम के छठी योजना की अवधि में पूरा हो जाने की संभावना है।

वायारलेस ऑपरेटर

6052. **श्री समर मुखर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सभी रेलों में (रेल-वार) ऐसे कितने वायरलैस आपरेटर हैं जो वेतनमान के अधिकतम पर रुके हुए हैं और 1 जून, 1981 को जोन-वार ऐसे लोगों की संख्या कितनी होगी;

(ख) क्या यह सच है कि वरिष्ठ वायरलैस ऑपरेटर आई० डब्ल्यू० टी० कार्यालय में हेड क्लर्कों के बराबर 210-380 रु० के वेतनमान में थे;

(ग) क्या यह सच है कि अब वरिष्ठ वायरलैस आपरेटर डब्ल्यू० टी० एस०/आई० डब्ल्यू० टी० 425-640 रु० के वेतनमान में हैं जबकि हेड क्लर्क पद का वेतनमान 425-700 रु० है हालांकि वरिष्ठ वायरलैस/आपरेटर/डब्ल्यू० टी० एस०/आई० डब्ल्यू० टी० शैक्षिक तथा तकनीकी दृष्टि से अधिक साधारण हेड क्लर्कों से अधिक अर्हता प्राप्त हैं; और

(घ) यदि हां, जो सरकार ने वरिष्ठ वायरलैस आपरेटर डब्ल्यू० टी० एस०/आई० डब्ल्यू० टी० के वेतमान को 425-640 रु० से 425-700 रु० तक संशोधन करने के लिए क्या कदम उठये हैं जिससे कि वरिष्ठ वायरलैस आपरेटर डब्ल्यू० टी० एस०/आई० डब्ल्यू टी० और हेड क्लर्कों के वेतनमान में गत्यावरोध तथा विषमता दूर हो सके ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अतिरिक्त सभी क्षेत्रीय रेलों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना दी गयी है। पूर्वोत्तर सीमा से सम्बन्धित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) वेतन के प्राधिकृत वेतनमान में उनके वेतनमान एक-समान थे।

(ग) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन का संशोधित वेतनमान वरिष्ठ वेतार प्रचालकों/वेतार यातायात पर्यवेक्षकों/वेतार यातायात निरीक्षकों और प्रधान लिपिकों को आबंटित किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उन्होंने उनकी ड्यूटी, उत्तरदायित्व, भर्ती अर्हता, पर्यवेक्षण करने की क्षमता आदि को भी ध्यान में रखा था।

(घ) वेतार प्रचालकों/वेतार यातायात पर्यवेक्षकों/वेतार यातायात निरीक्षकों के वेतनमान में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

रेलवे का नाम	वेतार प्रचालकों की संख्या जो अपने वेतनमान के अधिकतम में रुके पड़े हैं		वेतार प्रचालकों की संख्या जो पहली जून, 1981 को वेतन के अधिकतम में रुके रहेंगे	
	वेतनमान		वेतनमान	
	330-560 रु०	425-640 रु०	330-560 रु०	425-640
मध्य	15	11	19	16
पूर्व	26	16	26	16
उत्तर	30	20	31	20
पूर्वोत्तर	26	12	26	19
दक्षिण	7	5	12	8
दक्षिण मध्य	—	—	—	—
दक्षिण पूर्व	26	15	28	16
पश्चिम	4	10	4	10

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे से सम्बन्धित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

शंटिग केबिन एंड ट्रैफिक स्टाफ एसोसिएशन से ज्ञापन

6053. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आल इंडिया शंटिग, केबिन एंड ट्रैफिक स्टाफ एसोसिएशन ने उन्हें एक 26 सूत्री ज्ञापन पेश किया है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत मांगों में शंटिग जमादारों, केबिन मैनों आदि के वेतन मानों का संशोधन, कर्मचारियों के लिए समयबद्ध पदोन्नति, वर्दियों में सुधार, यातायात विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों की व्यवस्था आदि जैसे मामले

शामिल थे। इन सभी मांगों पर, वित्तीय और प्रशासनिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा समय-समय पर विचार किया गया है और मांगों के गुणों-दोष के आधार पर उपयुक्त कार्रवाई की गयी है।

मान्यता न प्राप्त संघों से प्राप्त अभ्यावेदन

9054. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कोई नीति है कि मान्यता न प्राप्त प्राप्त संघों से अभ्यावेदनों पर कोई कार्रवाई न की जाएगी और कठिनाइयों को दूर नहीं किया जाएगा;

(ख) यदि नहीं, तो क्या रेल प्रशासन को अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर एसोसिएशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो 1980-81 में कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए; और

(घ) अभ्यावेदनों में उठाई गई कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ख) सरकार की नीति किसी भी स्रोत से प्राप्त कर्मचारी अभ्यावेदनों पर यथोचित विचार करने की है और प्रशासनिक तथा वित्तीय नियंत्रणों के अंतर्गत यथोचित उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

सरकार को अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर एसोसिएशन, से जो एक गैर मान्यताप्राप्त संगठन है, सीधे तथा विभिन्न स्रोतों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उन पर उपर्युक्त नीति के ढांचे के अंतर्गत मांगों के गुण-दोष के आधार पर उपयुक्त कार्रवाई की गयी है।

मंगलोर और लक्षद्वीप द्वीप-समूह के बीच नियमित जलयान सेवा

6055. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या नौवहन परिवहन और मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलोर और लक्षद्वीप द्वीप-समूह के बीच नियमित जलयान सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार की सेवा कब शुरू किए जाने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होता।

गया-राजगढ़ रेल लाइन

6056. **श्री सूरजभान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे के अंतर्गत गया-बोधगया-राजगढ़ नई रेल लाइन तथा

गया-रांची बरास्ता शेरघाटी छतारा, नई रेल लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण तथा अन्य आवश्यक कार्य पूरे हो गए थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय रेल प्रयोक्ता संघ और पूर्व रेलवे के अधिकारियों की एक बैठक 26 मार्च, 1979 को पूर्व रेलवे मुख्यालय, कलकत्ता में हुई थी जिसमें से इन नई रेल लाइनों का निर्माण तेजी से पूरा करने की सर्वसम्मति से सिफारिश की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इन रेल लाइनों का निर्माण कब तक शुरू होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) गया से राजगीर तक एक नयी बड़ी लाइन बिछाने के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जा चुका है। सर्वेक्षण रिपोट हाल ही में प्राप्त हुई है और उसकी जांच की जा रही है। इस परियोजना का निर्माण कार्य इसे अर्थक्षम पाये जाने पर ही शुरू किया जायेगा बशर्ते कि योजना आयोग द्वारा इसे स्वीकृत कर लिया जाये और इसके लिए आबंटित कर देगा। शेर घाटी और छतारा के रास्ते गया से रांची तक नई लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण-पूर्व रेलवे पर 65 माल डिब्बों वाले जम्बो रेल का रोका जाना

6057. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण पूर्व रेलवे के छोटे से गांव के स्टेशन, हिरोडीह जिसकी शंटिंग के लिए बगल वाली रेल की पटरी की क्षमता केवल 15 माल डिब्बों की है, में एक स्केप विक्रेता के अनुरोध पर 65 माल डिब्बों वाले जम्बो रेक को 26 से 29 दिसम्बर, 1980 तक रोके जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब शुल्क के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया और इस प्रकार रोके जाने का औचित्य क्या है और इसमें कौन-कौन सी पार्टियां शामिल हैं;

(ग) क्या यह सच है कि असामान्य प्रकार से रोके जाने के इस मामले में सांठ-गांठ और गुप्त लेन-देन हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकर्जुन) : (क) से (घ) दक्षिण पूर्व रेलवे पर "हेरोडीह" नाम का कोई स्टेशन नहीं है। किन्तु पूर्व रेलवे पर "हिरोडीह" नामक एक स्टेशन है। सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी चिकित्सा भंडार डिपो का कार्यकरण

6058. **श्री के० बी० एस० मणि :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी मेडिकल भंडार केन्द्रों के सामान्य कार्य क्या हैं और इन केन्द्रों के डिपोवार सभी मुख्य इनडेंटकर्ता कौन हैं ;

(ख) पिछले तीन वर्षों (28 फरवरी, 1981 तक) के दौरान चिकित्सा भंडार संगठनों के लिए कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई और पिछले तीन वर्षों में डिपोवार तथा वर्षवार ब्यौरा देते हुए सप्लाई का प्रतिशत कितना था;

(ग) क्या इनडेंटकर्ताओं से उन्हें की गई सप्लाई के कम प्रतिशत के बारे में कोई शिकायत मिली है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान मद्रास डिपो और बम्बई डिपो में वर्षवार कितने टनों में और कितने रुपयों का उत्पादन हुआ;

(च) पिछले तीन वर्षों में डिपोवार तथा वर्षवार डिपुओं को प्राप्त हुए इनडेंट के मूल्य का ब्यौरा क्या है; और

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन डिपुओं का डिपोवार तथा वर्षवार लाभ कितना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) सरकारी चिकित्सा सामग्री भण्डारों का सामान्य कार्य, केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों और अर्द्ध सरकारी संस्थानों के विभिन्न इंडेंठकर्ताओं को चिकित्सा सामग्री, औषधियों, पट्टियों, अस्पतालों और प्रयोगशालाओं के औजारों, प्रतिक्रियाशील रसायनों, पशु चिकित्सा सम्बन्धी दवाइयों तथा पशु चिकित्सा वाले औजारों और उपकरणों आदि की सप्लाई करना है। इंडेंटकर्ताओं का डिपोवार ब्योरा विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) विभिन्न चिकित्सा सामग्री भण्डारों को पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी राशि मंजूर की गई और उन्होंने कितना प्रतिशत माल सप्लाई किया, इसका ब्योरा विवरण-2 पर है।

(ग) कुछ इंडेंटकर्ताओं से ये शिकायतें मिली हैं कि उन्हें सप्लाइयां कम मिली हैं। सप्लाइयों के कम मिलने का कारण यह है कि माल पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के जरिये मंगाया जाता है जिससे अनिश्चितता, अभाव और देरी की स्थिति पैदा हो जाती है और उसके परिणामस्वरूप कई बार तो डिपुओं में माल अधिक हो जाता है और कई बार कम हो जाता है।

(घ) कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक और डिपुओं के

अध्यक्षों की स्थानीय खरीद की शक्तियां क्रमशः 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये और 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई हैं।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान मद्रास तथा बम्बई के डिपुओं की फैक्टरियों में कितने मूल्य का कितना-कितना उत्पादन हुआ इसका ब्योरा विवरण-3 में दिया गया है।

(च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(छ) वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के लाभ तथा हानि लेखों का संकलन और लेखा परीक्षा अभी भारत के महा-नियंत्रक और लेखा परीक्षक की रेजीडेंट आडिट पार्टी द्वारा की जाती है। इन तीन वर्षों के दौरान डिपुओं को कितना लाभ हुआ इसका पता इन लेखों के संकलित किये जाने के बाद ही लग सकता है।

विवरण—I

सरकारी चिकित्सा सामग्री भण्डार से इन्डेंटकर्ताओं को कितना-कितना माल मिला, इसका राज्यवार/संघ क्षेत्रवार ब्योरा

सरकारी चिकित्सा सामग्री भण्डार का नाम	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	इन्डेंटकर्ताओं की संख्या	
(1)	(2)	(3)	
1. मद्रास	तमिलनाडु	तमिलनाडु राज्य —	537
		प्रा० स्वा० केन्द्र/पी०एच० यूनिटें	410
		प्रा० स्वा० केन्द्र के उप-केन्द्र	1924
		शैक्षणिक संस्थाएं	28
		कर्मचारी राज्य बीमा	116
		पुलिस	12
		जेल	12
		सुधार-प्रशासन	26
		कृषि	30
		रोजगार और प्रशिक्षण (आई० टी० आई०)	26
		अन्य विविध	295
		सरकारी विभाग गैर सरकारी संस्थाएं	670
		केन्द्रीय सरकार के संस्थान	42
		जोड़	4128

(1)	(2)	(3)	
	पांडिचेरी	चिकित्सा संस्थाएं	15
		पशुपालन	15
		जोड़	30
2. कलकत्ता	बिहार		640
	उड़ीसा		616
	पश्चिम बंगाल		2
	अण्डमान और निकोबार (संघ क्षेत्र)		4
	डाक-तार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा दल, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सहित अन्य केन्द्रीय सरकारी संस्थान		202
		जोड़	1664
3. गोहाटी	असम	असम राज्य	81
		अन्य यूनिटें	28
		एस० एस० बी० यूनिट	37
		सीमा शसुरक्षा दल	35
		केन्द्रीय रिजर्व पुलिस	44
		जोड़	225
	अरूणाचल प्रदेश		206
	मणिपुर		7
		जोड़	213

(1)	(2)	(3)				
4. करनाल						
		सिविल अस्पताल	फोर्सेज	प्रा० स्वा० केन्द्र	औषधालय	कुल
	पंजाब	126	27	362	407	922
	हरियाणा	89	8	182	554	833
	हिमाचल प्रदेश	5	32	—	—	37
	उत्तर प्रदेश	13	19	13	—	45
	राजस्थान	—	18	—	4	22
	मध्य प्रदेश	—	7	—	—	7
	जम्मू और कश्मीर	3	37	—	—	40
	दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र)	12	15	175	72	274
	चण्डीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र)	4	3	45	—	52
					जोड़	2232
5. बम्बई						
	महाराष्ट्र			—		1622
	मध्य प्रदेश			—		1570
	गुजरात			—		412
	राजस्थान			—		49
	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना			—		4
	डाक और तार विभाग			—		16
	सीमा सुरक्षा दल			—		46
	केन्द्र शासित प्रदेश			—		19
	अर्द्ध सरकारी और स्वायत्त निकाय			—		538
					जोड़	4276

(1)	(2)	(3)	
6. हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	सरकारी अस्पताल	282
		औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के औषधालय	44
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	80
		जेल औषधालय	10
		पुलिस अस्पताल	8
		लोकल फण्ड डिसपेंसरीज	296
		ग्रामीण औषधालय	257
		म्यूनिसिपल औषधालय	55
		केन्द्रीय सरकार तथा पी० एस० यू० अस्पताल	15
		मुख्यालय अस्पताल	15
		कर्मचारी राज्य बीमा	82
		पशु अस्पताल	1500
		जोड़	2644
		कुल इडेंटकर्ता	15412

विवरण—2

पिछले तीन वर्षों के दौरान चिकित्सा सामग्री भण्डार संगठन को डिपोवार कुल कितनी राशि मंज़र की गई तथा उन्होंने कितना-कितना माल सप्लाई किया इसका डिपोवार विवरण

चिकित्सा सामग्री भण्डार का नाम	1978-79		1979-80		1980-81	
	मंजूर की गई कुल राशि (रुपये करोड़ों में)	सप्लाई की प्रतिशतता	मंजूर की गई कुल राशि (रुपये करोड़ों में)	सप्लाई की प्रतिशतता	मंजूर की गई कुल राशि (रुपये करोड़ों में)	सप्लाई की प्रतिशतता
मद्रास	4.97	67%	4.58	62%	4.68	हिसाब
बम्बई	4.51	71%	4.42	65%	4.49	नहीं
कलकत्ता	3.83	53%	3.14	52%	3.24	लगाया
करनाल	4.50	73%	4.20	69%	4.24	गया
हैदराबाद	1.68	61%	1.70	7.%	1.67	है।
गोहाटी	1.37	66%	1.46	53%	1.65	
योग	20.86		19.50		19.97	

विवरण—3

पिछले तीन वर्षों के दौरान बम्बई और मद्रास के सरकारी चिकित्सा भण्डारों की फैक्ट्रियों में कितने मूल्य का कितना-कितना उत्पादन हुआ, इसका विवरण

	1977-78		1978-79		1979-80	
	बम्बई	मद्रास	बम्बई	मद्रास	बम्बई	मद्रास
1. कुल मूल्य (रुपये लाखों में)	19.64	42.035	19.99	31.79	18.84	34.45
2. तैयार की गई सामग्री						
गोलियाँ (दस लाख की संख्या में)	103.973	70.64	192.118	40.195	125.2775	69.1873
स्टीम (लीटर)	—	98,763	—	36,407	—	39,087
टिनचर (लीटर)	67,840	92,100	36,140	34,359	56,363	35,698
पाउडर (किलोग्राम)	1,245	5,000	3,332	4,410	5,365	7,362
मलहम (किलोग्राम)	—	48,000	—	34,336	—	24,580
पट्टी (संख्या एस०)	7,60,744	6,13,110	8,96,738	8,27,000	—	9,26,640
ओ० आर० एस० (पेकेट)	—	20,000	—	1,94,950	—	1,18,000
शर्बत (लीटर/किलोग्राम)	17,879	—	5,510	—	20,040	—

परादीप पत्तन के कर्मचारियों के लिए स्टाफ़

6059. **श्री रामचन्द्र रथ :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के पत्तन-क्षेत्रों में कर्मचारियों के लिए कुछ क्वार्टर निर्माणाधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1981-82 के दौरान परादीप पत्तन के कर्मचारियों के लिए कितने स्टाफ क्वार्टर बनाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या छठी योजना के अन्त तक परादीप पत्तन के सभी कर्मचारियों को आवास प्रदान किए जा सकते हैं; और

(घ) उक्त योजनावधि में विभिन्न श्रेणियों के कितने क्वार्टर बनाने के विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय निम्नलिखित श्रेणियों के 488 स्टाफ क्वार्टर निर्माणाधीन है :—

श्रेणी 'क'	372
श्रेणी 'ख'	10
श्रेणी 'ग'	10
डारमेटरी श्रेणी	96

(ग) नहीं।

(घ) छठी योजना के दौरान नीचे लिखी संख्या में मकान बनाने का प्रस्ताव है :—

श्रेणी 'क'	100
श्रेणी 'ख'	290
श्रेणी 'ग'	12

लोह अयस्क के लिए रेक

6060. **श्री चिंतामणी जेना :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेकों की सप्लाई न किये जाने के कारण उड़ीसा में पारादीप पत्तन के माध्यम से बांसपानी-बरबनदा क्षेत्र से निर्यात के लिये लौह अयस्क की ढुलाई ठप्प हो गई है;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे रेकों की पर्याप्त सप्लाई न किये जाने के कारण 17 लाख

मी० टन से अधिक लौह अयस्क विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर पड़ा हुआ है, यदि हां, तो इस जमा पड़े हुए लौह अयस्क की कब तक ढुलाई कर दी जायेगी ; और

(ग) इस क्षेत्र से पारादीप पत्तन के माध्यम से निर्यात के लिये अयस्क लौह की ढुलाई के लिये प्रतिदिन कम से कम तीन रेक सप्लाई करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) बड़ा जामदा क्षेत्र में खनिज एवं धातु व्यापार निगम के लेखे के लौह-अयस्क का भारी संचय निर्यात कार्यक्रम से अत्यधिक उपलब्धता के कारण हो गया था। यह 17 लाख टन मात्रा एक वर्ष के संचलन कार्यक्रम से अधिक है।

(ग) पारादीप पत्तन के लिए लौह अयस्क को क्लोज सर्किट ढुलाई करने के लिए निर्धारित बी० ओ० एक्स० रेक लगाकर रेलों ने 2 से 3 रेकों का प्रतिदिन लदान करने की पर्याप्त व्यवस्था की है।

प्रशिक्षुओं के लिये यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता

6061. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल कर्मचारियों का जब पशिक्षकों के रूप में चयन किया जाता है तो वे रेलवे बोर्ड के 13 नवम्बर, 1968 के आदेश संख्या ई (ट्रेनिंग) 1-67 टी०आर० आई०/144 के संदर्भ में यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता के हकदार होते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे में मद्रास डिवीजन के एप्रेन्टिसेज़ टेलीकम, मैंटनरों द्वारा दिसम्बर, 1980 और जनवरी, 1981 के लिये प्रस्तुत दावे ए० पी० ओ०/मद्रास द्वारा लौटा दिये गये थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ए० पी० ओ०/मद्रास द्वारा लौटाये गये दावे यूनियन के उन अभ्यावेदनों, जिसमें रेलवे बोर्ड के आदेशों के बारे में बताया गया है, के बावजूद टी० सी० आई०/रिपीटर/मद्रास के पास पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो भुगतान करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) दिसम्बर, 1980 के यात्रा भत्ते के बिल को मार्च, 1981 के वेतन बिल में सम्मिलित किये जाने के प्रबन्ध किये जा रहे हैं। जनवरी, 1981 के दावे सहायक कार्मिक अधिकारी/मद्रास के कार्यालय में मार्च, 1981 में ही प्राप्त हुए थे और दावों के अपूर्ण होने के कारण उन्हें पुन: प्रस्तुत किये जाने हेतु वापस कर दिया गया था। जनवरी, 1981 मास के दावों को निपटाने की कारंवाई उन के प्राप्त होने और उन के सब प्रकार से पूर्ण होने के पश्चात् की जायेगी।

उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में छोटी माता

6092. **श्री शिव कुमार सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भिन्न-भिन्न भागों में अभी भी असंख्य व्यक्ति चेचक से पीड़ित न होकर छोटी माता से पीड़ित हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर नियंत्रण करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री निहाल रंजन लास्कर) : (क) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित सारे देश में छोटी माता के रोगी हुए हैं।

(ख) फिलहाल छोटी माता के नियंत्रण के लिए कोई जाने-माने कारगर उपाय नहीं हैं।

राष्ट्रीय रक्त नीति

6063. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से अनुरोध किया गया है कि ऐसे रोगियों को, जिन्हें खून की अत्यधिक आवश्यकता होती है, स्वस्थ रक्त उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय रक्त नीति तैयार की जानी चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह आवश्यक हो गया है कि यह नीति केन्द्रीय सरकार के स्तर पर तैयार की जाए ;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में नीति बनाने के लिए सहमत हो गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) सरकारी अस्पतालों से सम्बद्ध ब्लड बैंकों तथा भारतीय रेड क्रास सोसाइटी और अन्य स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाये जा रहे ब्लड बैंकों के जरिये अत्यधिक आवश्यकता वाले रोगियों को स्वस्थ रक्त उपलब्ध कराया जा रहा है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

सुन्दरवन में तटीय विकास

6064. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटीय विकास में जो सुन्दरवन विकास परियोजना का एक भाग है और जिसके

लिए कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निधि द्वारा सहायता दी जाती है, उनके मन्त्रालय द्वारा क्या भूमिका अदा की जाने की संभावना है; और

(ख) कल दी गई राशि में से इस विकास कार्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पटिल) : (क) और (ख) सुन्दरवन विकास परियोजना की देखरेख जिसमें कृषि विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निधि की सहायता से खारे पानी वाला मछली फार्म बनाना शामिल है कृषि मंत्रालय करता है। कृषि मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार इस समय इस परियोजना के किसी भी पहलू से हमारा कोई संम्बन्ध नहीं है।

कोंकण क्षेत्र के लिये रेल मार्ग

6065. **श्री बापू साहेब परूलेकर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि महाराष्ट्र में कोंकण का कोई भी क्षेत्र अभी तक रेल मार्गों से देश के अन्य भागों से जुड़ा हुआ नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सरकार के कोंकण को महाराष्ट्र के अन्य भागों से जोड़ने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है, वे कब प्राप्त हुए थे और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) पर्याप्त संसाधनों की अनुपलब्धता।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र सरकार आप्ता-मेंगलूर रेलवे लाइन के निर्माण के लिए अनुरोध करती आ रही है। आप्ता से रोहा तक (62 कि० मी०) एक नयी बड़ी लाइन के निर्माण कार्य को स्वीकृति दे दी गयी है और वह कार्य प्रगति पर है।

जी० डी० ओ० II मेडिकल अधिकारियों को स्थायी करना

6066. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1977 में भर्ती किये गये मेडिकल अधिकारी, जी० डी० ओ० II अभी स्थायी नहीं किये गये हैं, हालांकि दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे जी० डी० ओ० अधिकारियों की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उनको स्थायी करने में कितना समय लगेगा; और

(घ) संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किये गये अधिकारियों को स्थायी करने का मानदंड क्या है जबकि संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्ती किये गये अधिकारियों को 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी करने के पश्चात् स्थायी कर दिया जाता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां।

(ख) 220।

(ग) और (घ) जी० डी० ओ० ग्रेड-II पद (जूनियर क्लास-I स्केल) शुरू में अस्थायी रिक्त पदों पर भरे जाते हैं। इस ग्रेड अधिकारियों को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी कर लेने के बाद स्थायी किया जाता है बशर्ते कि स्थायी रिक्त पद भी उपलब्ध हों। 1977 में नियुक्त किए गए अधिकारियों को स्थायी करने के बारे में स्थायी पदों के उपलब्ध होने पर विचार किया जाएगा। अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलकर तथा सामान्य कारणों से रिक्त हुए पदों के अनुसार तत्र स्थायी रिक्तियों की संख्या की जाती है। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में भाग लेने वाले सभी संगठनों से सरकारी अनुदेशों के अनुसार अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने का कार्य पूरा करने का अनुरोध किया गया है।

रेल प्रशासन द्वारा अनधिकृत और गैर कानूनी रूप से भाप के कोयले से लदे वैगनों को खाली करना

6067. **श्री रामजी भाई मावणि :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोरवी, गुजरात की मोरवी रूफिंग टाइल्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ने 11 फरवरी, 1981 को रेल प्रशासन द्वारा अनधिकृत एव गैरकानूनी रूप से भाप-कोयला के वैगनों को खाली किये जाने के सम्बन्ध में चैयरमैन, रेलवे बोर्ड को एक पत्र लिखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) उस सन्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम रहे हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) मोरवी रूफिंग टाइल्स मैन्यूफैक्चरर एसोसिएशन मोरवी ने अभ्यावेदन दिया था कि उनके लिए कोयले से लदे 32 बी० ओ० एक्स० माल डिब्बों से रेलों ने कोयला उतार लिया था।

(ग) पश्चिम रेलवे ने रेलवे बोर्ड को सूचित किया है कि उन्होंने कोयले के 26 बी० ओ० एक्स० माल डिब्बों को रोक लिया था और गाड़ी सेवाओं को रद्द न करना पड़े, उस रेलवे के विभिन्न लोको शेडों में उनका उपयोग किया गया। कोयले का लदान करने वाली क्षेत्रीय रेलवे को, पहले ही माल डिब्बों को रोक देने के लिए, उन्हें क्षतिपूर्ति करने की सलाह दी गयी है।

बम्बई सेन्ट्रल में विश्राम कक्ष

6068 **श्रीमती ऊषा वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या पश्चिम रेलवे के बम्बई सेंन्ट्रल और दादर स्टेशनों, मध्य रेलवे के नागपुर तथा आगरा छावनी स्टेशनों तथा उत्तर रेलवे के लखनऊ और वाराणसी स्टेशनों के कुलियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, वहाँ उपयुक्त तथा सुविधाजनक विश्राम-कक्षों का निर्माण किया गया है और यदि हाँ, तो उसके निर्माण पर कितना व्यय किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) लाइसेंसशुदा कुलियों को वर्दी देने और पर्यवेक्षण कार्य के लिए विभिन्न रेल विभागों द्वारा शुल्क के रूप में सैकसन-वार, कितनी राशि वसूल की जाती है और इस राशि को कहाँ और किस तरह खर्च किया जाता है तथा इस बारे में स्टेशन-वार ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) लाइसेंस-धारी भारिकों को विश्रामालय उपलब्ध नहीं कराये जाते।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्टेशन के महत्व के आधार पर लाइसेंसधारी भारिकों से प्रति मास एक रुपये से 6 रुपये तक लाइसेंस शुल्क लिया जाता है। यह राशि तथा इससे और अधिक पर्यवेक्षक तथा वर्दियों पर खर्च की जा रही है।

रेल हमालों के लिये हैंडलिंग' दरें

6069. **श्री जार्ज फर्नान्डीस : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) रेल हमालों को विभिन्न रेलों में क्या हैडलिंग दरें दी जा रही हैं;

(ख) क्या साउथ सेन्ट्रल रेलवे हमाल फेडरेशन ने उक्त दरें बढ़ाने के लिए मांग की है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार का उस पर क्या निर्णय है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सम्हलाई की दरें स्थान-स्थान पर अलग-अलग होती हैं और कुछ स्थानों पर श्रमिको को फुटकर दरों के आधार पर भुगतान किया जाता है, अन्यत्र माल डिब्बों के लदान या प्रति श्रमिक दैनिक दर के आधार पर भुगतान किया जाता है। दक्षिण मध्य रेलवे पर उनको फुटकर दर अर्थात् सम्हाले गये वचन के आधार पर भुगतान किया जाता है जैसे सिकन्दराबाद और हैदराबाद मंडलों में प्रति एक सौ क्विंटल वजन के लिए 6 रुपये की दर से और विजयवाड़ा मंडल में प्रति एक सौ क्विंटल के लिए 10 रुपये की दर से भुगतान किया जाता है।

(ख) से (घ) दक्षिण मध्य रेलवे हैमलस फेडरेशन ने प्रति एक सौ क्विंटल वजन के लिए

6 रु०/10 रु० से बढ़ाकर 21 रुपये कर देने के लिए अभ्यावेदन दिया है। उनकी यह मांग दक्षिण मध्य रेलवे के विचाराधीन है।

दिल्ली परिवहन निगम का प्रचार कार्यालय

6070. श्री रतन सिंह राजदा : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा बसों पर प्रचार तथा अन्य मदों के लिए रखे जा रहे प्रचार कार्यालय में कौन-कौन व्यक्ति काम करते हैं,

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रचार कार्यालय पर वर्षवार कुल कितना व्यय किया गया; और

(ग) दिल्ली परिवहन निगम को गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार, और मद-वार उसकी बसों पर (पीछे के पैनलों, साइड के पैनलों, पूरी बस पर) पंक्ति शेल्टरों और उसके डिपो और कालोनियों में पट्टों पर किए गए प्रचार से कुल कितनी आय हुई ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) प्रचार कार्यालय के कुल कर्मचारियों का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

प्रचार अधिकारी	1
प्रभारी सहायक	3
आशुलिपिक	1
कनिष्ठ लिपिक	7
चपरासी	2
चालक	3
फिटर	1
सहायक फिटर	2
हैल्पर	35

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रचार कार्यालय पर निम्नलिखित व्यय किया गया :—

	वर्ष	लाख रुपयों में
1)	1977-78	2.05
2)	1978-79	3.19
3)	1979-80	3.53

(ग) दिल्ली परिवहन निगम को अपनी बसों (बैक पैनलों, साइड पैनलों आदि) क्यू शेल्टरों

और होर्डिगों के माध्यम से प्रचार करने पर जो धनराशि प्राप्त हुई उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

अवधि	बस पैनलों तथा साइड पैनलों से	पूरी बस पर पेंटिग से	बस क्यू शैल्टरों तथा टाइम कीपर बूथों से	कुल आय
1977-78	26.29	—	—	26.29
1978-79	25.65	—	4.86*	30.51
1979-80	25.68	2.85	10.71**	39.24

* दिल्ली नगर निगम के 2.16 लाख रुपये के शेयर सहित ।

** दिल्ली नगर निगम के 4.72 लाख रुपये के शेयर सहित ।

समस्तीपुर डिवीजन में गाड़ियों का लेट चलना

6071. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री समस्तीपुर डिवीजन में रद्द की गई रेल गाड़ियों की संख्या के बारे में 12 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3307 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाड़ियों के दो घण्टे से अधिक लेट चलने की 1385 घटनाओं में से किसी भी घटना के लिए कोई रेल अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाए गए हैं और उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उत्तरदायित्व निर्धारित करने में कार्यालय की असफलता के सम्बन्ध में कोई जांच शुरु किये जाने का विचार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) से (ङ) परिहार्य चूकौनियों के मामलों में उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है और दोषी पाए गए 512 कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कारंवाई की गई है ।

सूखाग्रस्त राज्यों में स्वास्थ्य सुधार के उपाय

60 2. **श्री राजेश पायलट : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखाग्रस्त राज्यों राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में जलवाह (वाटर-बोर्न) बीमारियों के कारण फैली बीमारियों पर काबू पाने के लिए स्वास्थ्य रक्षा के लिये क्या सुधरे हुए उपाय किये जा रहे हैं क्योंकि कुछ राज्यों में तो लगातार दूसरे वर्ष भी सूखा पड़ा है; और

(ख) इसका सुनिश्चित कैसे किया जाता है कि सूखा/बाढ़ से ग्रस्त लोगों के लिए चिकित्सा राहत/स्वास्थ्य सम्बन्धी उपायों हेतु दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता का अन्यत्र उपयोग न किया जाये ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण सूखाग्रत क्षेत्रों में पानी से पैदा होने वाली बीमारियों को फैलने से रोकने के उपाय करना प्रथमतया राज्य सरकारों का काम है। इसमें केन्द्र सरकार की भूमिका इतनी ही है कि वह सूखाग्रस्त राज्य के स्वास्थ्य प्राधिकारियों को उनके द्वारा किए जाने वाले विभिन्न स्वास्थ्य तथा चिकित्सा राहत उपायों में मदद और सलाह दे जो इस प्रकार है :—

(1) केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा सूखाग्रस्त राज्यों को स्वास्थ्य/चिकित्सा राहत उपायों के लिये उपयुक्त मात्रा में केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की जाती है।

(2) सूखाग्रस्त राज्यों के अनुरोध पर स्वास्थ्य मंत्रालय हैदराबाद, मद्रास, बम्बई करनाल, गोहाटी, कलकत्ता तथा दिल्ली स्थित सरकारी चिकित्सा भण्डारों के माध्यम से अनिवार्य दवाइयां, बिसंक्रामक कीटनाशक दवाइयां तथा वैक्सीन उधार स्वरूप देने की व्यवस्था करता है।

(3) सूखे के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री का 12 सूत्री कार्यक्रम सभी सूखाग्रस्त राज्यों को अनुपालन के लिए भेजा जा चुका है। इस कार्यक्रम के 10वें सूत्र में यह व्यवस्था है कि पानी के सभी उपलब्ध सरकारी तथा निजी स्रोतों की सुरक्षा की जाए, उन्हें अवरुद्ध किया जाए, संक्रमित किया जाए, और उनका यथासम्भव अधिकतम गांवों तक विस्तार किया जाए। इससे पानी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों की महामारी रुकेगी।

(4) उन सभी गांवों को जिनमें पानी से पैदा होने वाले रोग स्थानिक रूप में होते हैं, उन्हें निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा समस्या ग्रस्त गांवों की श्रेणी में रख दिया गया है और 31 मार्च, 1980 तक पता लगाए गए ऐसे सभी समस्या ग्रस्त गांवों में छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान साफ पीने का पानी पहुँचाने का प्रस्ताव है।

(5) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने प्राकृतिक विपदाओं में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य परिचर्या सम्बन्धी एक विस्तृत योजना तैयार की है और इसे मार्गदर्शन और कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भेज दिया गया है।

(ख) सूखाराहत के विभिन्न स्वास्थ्य उपायों तथा अन्य मदों के लिए खर्च का निर्धारण केन्द्र अध्ययन दल द्वारा स्थिति का मौके पर किए गए चुनिंदा मूल्यांकन को तथा केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पर राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को ध्यान में रख कर किया जाता है। यदि कोई राज्य सरकार किसी योजना/कार्य विशेष का खर्च निर्धारित आबंटित रकम से कम बताती है तो केन्द्रीय सहायता में उतनी ही कटौती कर दी जाती है। इस प्रकार राज्य सरकारों को जो केन्द्रीय सहायता दी जाती है उसका समायोजन बाद में राज्य प्लान के खर्च के लेखा परीक्षित आंकड़ों तथा उस काम/योजना के आधार पर करना होता है जिसके खर्च की सीमा भारत सरकार निर्धारित करती है। यदि राज्य सरकार स्वास्थ्य उपायों के लिए की गई व्यवस्था का उपयोग किन्हीं अन्य मदों पर करती है तो केन्द्रीय सहायता में उतनी ही कटौती कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त, बाढ़, सूखा आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में सहायता के तौर पर स्वीकृत किये गये धन की समीक्षा करने के लिये भारत सरकार समीक्षा समितियां भेजती है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता का राज्य सरकारों द्वारा सही सही ढंग से इस्तेमाल किया गया है।

रेल-मार्गों का बदला जाना

6073. **श्री अजित कुमार साहा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल के बी० डी० आर० रेलवे रेल मार्ग (ट्रेक) को बदलने और पुराने भाप इंजनों के स्थान पर डीजल इंजन चलाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या उपाय किये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 97 कि० मी० लम्बी बांकुड़ा-दामोदर (छोटी लाइन) का संचालन और अनुरक्षण दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा किया जाता है। रेलपथ का बदलाव निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर तथा धन की उपलब्धता और प्राथमिकता को ध्यान में रखकर किया जाता है। रेलपथ को सुरक्षित मानक तक रखने के लिए जब भी अपेक्षित होता है, इस लाइन की पटरियों और स्लीपरों का अनिवार्य नवीकरण किया जाता है।

इस लाइन के रेलपथ की वर्तमान संरचना छोटी लाइन के मौजूदा डीजल रेल इंजनों को जिनका धुरा भार बहुत अधिक है, सम्भालने योग्य नहीं हैं।

आरक्षित पदों को सामान्य उम्मीदवारों से भरा जाना

6074. **श्री भीखा भाई :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौवहन और परिवहन मंत्रालय के विभिन्न विभागों में भिन्न

सेवा श्रेणियों अर्थात् बी० सी० और डी० में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अनेक पदों को सामान्य उम्मीदवारों से भर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1978, 1979 और 1980 में इस प्रकार के पदों का श्रेणीवार ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के हित में आरक्षित पदों को सामान्य पदों में बदलने पर प्रतिबंध लगाने का सरकार का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण सम्बन्धी लागू आदेशों के अनुसार, किसी भी रिक्ति को जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए आरक्षित की गई हो, उसको निहित कार्यविधि के अनुसार बिना आरक्षित किए, नहीं भरा जाना चाहिए । जहां तक विभिन्न कार्यालय में तथा मंत्रालय के अधीन संगठनों में वर्ष 1978, 1979 तथा 19:0 के दौरान ग्रुप 'ख' 'ग' तथा 'घ' अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदों को आरक्षित किए जाने के पश्चात् सामान्य अभ्यर्थियों द्वारा पदों को भरे जाने तथा उसके कारणों का सम्बन्ध सूचना एकत्रित की जा रही है तथा उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

आरक्षित रिक्तियों को सामान्य अभ्यर्थियों की रिक्तियों में बदला नहीं जाता बल्कि उनको अनारक्षित किया जाता है तथा सामान्य अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाता है । सभी मामलों में आरक्षण को तीन वर्षों तक आगे ले जाया जाता है, केवल ग्रुप 'ग' से 'ख', ग्रुप 'ख' के अन्तर्गत तथा ग्रुप 'ख' से न्यूनतम ग्रुप 'क' में चयन द्वारा पदोन्नति के मामलों को छोड़कर जहां कि आरक्षण को आगे नहीं ले जाया जाता तथा उसकी उसी भर्ती के वर्ष में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बीच अदला-बदली की जा सकती है। अन्य मामलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बीच आगे ले जाये गए तीसरे तथा अन्तिम वर्ष के अन्त में अदला-बदली की जा सकती है । इस प्रकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हितों की पूर्णरूप से रक्षा की जाती है तथा आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित न करके उनकी हानि नहीं होने दी जाती बल्कि वे लोग आरक्षण का पहली भर्ती के वर्ष के सहित चार वर्ष तक लाभ उठा सकते हैं । आरक्षित रिक्तियों को सामान्य अभ्यर्थियों की रिक्तियों के साथ अदला-बदली पर रोक लगाने का प्रश्न ही नहीं होता ।

तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग

6075. **श्री एन० डेनिस** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित की गई सड़कों का ब्योरा क्या है; और

(ख) उन पर किए गए खर्च का ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) पिछले तीन कैलेंडर वर्षों में तमिलनाडु में किसी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित नहीं किया गया है ।

बम्बई पत्तन में माल की चोरी

6076. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई पत्तन न्यास की परिरक्षा में रखे हुए माल से प्रतिवर्ष 6 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक मूल्य के माल की चोरी होती है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, बम्बई पत्तन न्यास की परिरक्षा से कितने माल की चोरी हुई और इसका मूल्य क्या है;

(ग) इस चोरी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या सरकार का ध्यान 'सूर्या' के फरवरी अंक में 'पायरेसी एट इंडिया प्रीमियर डाक' 'शीर्षक लेख की ओर दिलाया गया है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : बम्बई पत्तन की गोदियों में बम्बई पत्तन न्यास की देखरेख में रखे माल में से कुछ माल की चोरी हर साल हो जाती है । पिछले तीन वर्षों में चोरी हुए माल की कीमत का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) बम्बई पत्तन की गोदियों में और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी पत्तन के सुरक्षा संगठन और महाराष्ट्र राज्य पुलिस को सौंपी गयी है । गोदी के द्वारों पर रात-दिन सुरक्षा संगठन, पुलिस तथा सीमाशुल्क विभाग के कर्मचारी तैनात रहते हैं । पुलिस और पत्तन न्यास के सुरक्षा कर्मचारी समय-समय पर छापा मारते हैं और इन छापों व नाकेबंदी के दौरान संदेहास्पद व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है । आग लगने वाले माल की रक्षा के लिए सशस्त्र पुलिस गार्डों को तैनात किया जाता है । सुरक्षा संगठन तथा पुलिस विभाग के जो कर्मचारी अपने कर्तव्य में कोताही करने के दोषी पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है ।

(घ) जी, हाँ । बम्बई पत्तन न्यास की गोदियों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए बम्बई पत्तन न्यास ने आवश्यक कदम उठाए हैं ।

विवरण

	सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों की संख्या	चोरी गए माल की कीमत (लाख रु०)	बरामद किए गए माल कीमत कीमत (लाख रु०)	बरामद किए गए माल की कीमत का प्रतिशत
1978-79	143	37.14	22.51	60.61
1979-80	205	44.29	32.35	73.04
1980-81 (1-4-80 से 25-3-81 तक)	155	75.33	55.96	74.29

राणाघाट तथा बोगंईगांव सेक्शन के बीच फ्लैग स्टेशन का दर्जा बढ़ाया जाना

6077. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सियालदह डिवीजन राणाघाट-बोगंईगांव सेक्शन पर फ्लैग स्टेशनों और हाल्ट स्टेशनों का दर्जा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) इस खण्ड के फ्लैग/हाल्ट स्टेशनों में से किसी का ग्रेड बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है, और ऐसा करने का कोई औचित्य भी नहीं है ।

दिल्ली परिवहन निगम के टिकटों पर लाटरी प्रणाली

6078. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली परिवहन निगम की टिकटों पर लाटरी प्रणाली लागू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) यात्रियों को अनिवार्य रूप से टिकट खरीदने के लिए प्रेरित करने हेतु दिल्ली परिवहन निगम ने 24 मार्च, 1981 से तीन महीने के लिए प्रयोगात्मक आधार पर लाटरी प्रणाली शुरू की है ।

(ख) लाटरी प्रणाली के अधीन प्रत्येक मूल्य-वर्ग के टिकटों के लिए प्रति सप्ताह अलग अलग पुरस्कार रखे गए हैं, जो इस प्रकार हैं :—

क्रम संख्या	मूल्य-वर्ग	पुरस्कारों की संख्या	पुरस्कार की राशि
1.	30 पैसे वाले टिकट	2	प्रत्येक को 500/- रुपए या सिलाई की एक एक मशीन ।
2.	40 पैसे वाले टिकट	2	प्रत्येक को 750/- रुपए या एक एक फिलिप्स रेडियो जिस की कीमत 750/- रुपए (प्रत्येक की) से अधिक न हो ।
3.	50 पैसे वाले टिकट	2	प्रत्येक को 1000/- रुपये या एक टेप रिकार्डर (कैसेट) जिसकी कीमत 1000/- रुपए (प्रत्येक की) से अधिक न हो ।
4.	75 पैसे वाले टिकट	1	1500/- रुपए या एक टू-इन-वन टेप रिकार्डर जिसकी कीमत 1500/- रुपए से अधिक न हो ।
5.	100 पैसे वाले टिकट	1	2000/- रुपए या 6 कुर्सियों सहित एक डाईनिंग टेबल जिसकी कीकत 2000/- रुपए से अधिक न हो ।

ईरान ईराक संघर्ष को हल करने के लिए गुट-निरपेक्ष ग्रुप की जेनेवा बैठक

6079. प्रो० मधु दण्डवते :

श्री चित्त बसु :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान ईराक संघर्ष सम्बन्धी गुट-निरपेक्ष मंत्री स्तर के ग्रुप की 9 मार्च, 1981 को जेनेवा में बैठक हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो यह ग्रुप ईरान-ईराक संघर्ष को समाप्त करने की सम्भावना का कहाँ तक पता लगा सका; और

(ग) क्या उक्त ग्रुप को निकट में कोई अनुकूल परिणाम मिलने की आशा है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां, गुट-निरपेक्ष देशों के ईरान-ईराक युद्ध से सम्बद्ध मत्रीय ग्रुप की बैठक जेनेवा में 9-10 मार्च, 1981 को हुई थी।

(ख) इस ग्रुप ने हाल ही की घटनाओं पर तथा गुट-निरपेक्ष आन्दोलन द्वारा किए गए प्रयत्नों पर विचार किया तथा उसने इस मामले को निपटाने की तात्कालिकता पर भी ध्यान दिया ताकि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के दो सदस्य देश ईरान और ईराक के बीच शांति स्थापित हो जाए।

(ग) ग्रुप इस बात के लिए कृत संकल्प है कि गुट-निरपेक्ष देशों को नई दिल्ली घोषणा के परा 86 में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार इसके पूर्ण समाधान की दिशा में अपना योगदान देने के लिए वह हर सम्भव प्रयत्न करेगा हालांकि वह इसमें निहित जटिल समस्याओं से पूर्णतः अवगत है।

चित्तौड़गढ़ कोटा लाइन

6080. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1981-82 के बजट में चित्तौड़गढ़ कोटा बड़ी रेल लाइन के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस लाइन का इस बीच प्रारम्भिक सर्वेक्षण कर लिया गया है;

(ग) क्या इस रेल लाइन से बूंदी को चित्तौड़गढ़ के साथ मिलाया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस लाइन के किन-किन महत्वपूर्ण स्थानों को इस लाइन से जोड़ा जाएगा ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) प्रस्तावित लाइन बून्दी के रास्ते कोटा और चित्तौड़गढ़ को जोड़ेगी। इस समय कोटा से बूंदी तक के खण्ड में काम प्रगति पर है और आगे के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का काम चल रहा है। प्रस्तावित लाइन द्वारा जोड़े जाने वाले स्थानों के नाम अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो जाने तथा रिपोर्ट मिल जाने के बाद ही मालूम हो सकेंगे।

219 अप/220 डाउन गाड़ी का मारवाड़ जंक्शन पर रुक जाना

6081. **श्री अशोक गहलोत** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर और उदयपुर के बीच चलने वाली 219 अप/220 डाउन गाड़ी को 23 जनवरी, 1981 को उदयपुर से आते हुए मार्ग में मारवाड़ जंक्शन पर ही रोक लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या मारवाड़ जंक्शन पर यात्रियों को अपने गन्तव्य स्थानों पर पहुंचने के लिए अपना निजी प्रबन्ध करने की सलाह दी गई थी;

(ग) क्या इस कुव्यवस्था के कारण उस गाड़ी से यात्रा कर रही बारातों को अत्याधिक असुविधा का सामना करना पड़ा था; और

(घ) यदि हाँ, तो गाड़ी को मार्ग में ही अप्रत्याशित रूप से रोक लेने के क्या कारण थे ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) 219/220 सवारी गाड़ी केवल उदयपुर सिटी तथा मारवाड़ जंक्शन के बीच चलती है। सम्भवत: आशय 219/220 सवारी गाड़ी में उदयपुर तथा जोधपुर के बीच चलने वाले दो थ्रू सवारी डिब्बों तथा मेल लेने वाली 209/210 मारवाड़-रेवाड़ी सवारी गाड़ी से है, जिन्हें कोयले की कमी के कारण 24-1-81 से अस्थायी तौर पर रद्द करना पड़ा। चूंकि जोधपुर के रास्ते मारवाड़ तथा रेवाड़ी के बीच चलने वाली 209/210 सवारी गाड़ी को कोयले की उपलब्धता में कमी आने के कारण रद्द करना पड़ा, अतः कोई पूर्व सूचना नहीं दी जा सकी।

आर० पी० ओ०, भोपाल द्वारा जारी किए गए पासपोर्ट

6082. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978, 1979 और 1980 के दौरान पासपोर्ट कार्यालय भोपाल द्वारा कितने पासपोर्ट जारी किए गए हैं;

(ख) 10 मार्च, 1981 को भोपाल कार्यालय में पासपोर्ट की मंजूरी के लिए कितने आवेदन विचाराधीन अथवा लम्बित थे; और

(ग) कितने आवेदन गत तीन माह या अधिक समय से विचाराधीन हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) 1978, 1979 और 1980 के दौरान भोपाल स्थित पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या इस प्रकार है :—

1978	1,561
1979	12,467
1980	15,339

(ख) और (ग) 10 मार्च, 1981 तक 2,908 आवेदन पत्र पर कार्यवाही चल रही थी अथवा अनिर्णीत थे। इनमें से 1,078 आवेदन-पत्र तीन महीने से अधिक अवधि मे अनिर्णीत पड़े हैं इनमें से अधिकतर मामले ऐसे थे जिनमें निदेशों के अनुपालन नहीं किए गए थे और आवेदकों से अपेक्षित कार्रवाई अथवा विवरण की प्रतीक्षा की जा रही है।

रेल वैगनों का आबंटन

6083. **श्री मोहनलाल पटेल :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल वैगनों के आबंटन में किन वस्तुओं को प्राथमिकता दी जाती है; और

(ख) प्रत्येक जोन में गत छः महीने से रेल वैगनों के आबंटन के लिए विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है, और उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सभी रेलों पर लागू होने वाले अधिमान्य यातायात अनुसूची सामान्य आदेश और भारतीय रेल अधिनियम 1890 की धारा 27-क के अन्तर्गत केन्द्र सरकार में निहित अधिकारों के अन्तर्गत प्रत्येक 6 महीने में जारी किए जाने वाले अलग-अलग रेलों पर लागू विशेष आदेश से माल डिब्बों का आबंटन किया जाता है। विभिन्न पण्यों को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है जो मद 'क' से 'ङ' तक हैं, जिनकी अन्तर्वर्गीय प्राथमिकता अधोक्रम में होती है जिसमें मद 'क' को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। प्रत्येक प्राथमिकता के अन्तर्गत ढोये जाने वाले माल/माल की श्रेणी नीचे दी गयी है :—

(1) प्राथमिकता 'क'—क्वार्टर मास्टर जनरल के अनुभाग से दिए गए आदेश से तात्कालिक और परिचालनिक स्वरूप की ढुलाई।

(2) प्राथमिकता 'ख'—खाद्यान्नों, उर्वरकों और सरकारी लेखे की लेवी चीनी की योजनाबद्ध ढुलाई, आयोडीनयुक्त नमक, पेस्टिसाइड और जूट, चाय, तम्बाकू, काफी, कपास, हाइड्रोजनयुक्त तेल (टिनों, ड्रमों या पीपों में) आदि जैसे उच्च दर वाले यातायात की योजनाबद्ध ढुलाई।

(3) प्राथमिकता 'ग'—केन्द्र/राज्य सरकारों के लिए योजनाबद्ध ढुलाई, कोयला, सीमेंट, आयोडीन रहित नमक, दवाइयां, पीतल के बर्तन, कास्टिक सोडा, खारा सोडा, माइका, सरसों/मूंगफली का तेल (टिनों, ड्रमों, पीपों में), कागज, गत्ता आदि जैसे ऊंची दर वाले यातायात की योजनाबद्ध ढुलाई।

(4) प्राथमिकता 'घ'—व्यापारियों के लेखे में सीमेंट, कैरमिक, उर्वरक, माचिस, कागज, शीशे की चादर के उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री, गेहूं और चावल।

(5) प्राथमिकता 'ङ'—उपर्युक्त प्राथमिकताओं के अन्तर्गत न आने वाले पण्य। इस प्राथमिकता में, विशेष आदेश से अलग-अलग रेलों को पण्यों का कोटा दिया जाता है।

(ख) पिछले 6 महीनों के दौरान रेलवेवार तथा आमानवार माल डिब्बों के आबंटन की बकाया मांगों की संख्या आगे दी गई है :—

रेलवे	अक्तूबर, 80	नवम्बर, 80	दिसम्बर, 80	जनवरी, 81	फरवरी 81,	मार्च, 81 (25/3 तक)
			बड़ी लाइन			
1	2	3	4	5	6	7
मध्य	41331	44837	44700	46310	49616	43445
पूर्व	48813	62100	56006	47678	37619	36972

1	2	3	4	5	6	7
उत्तर	12178	13482	14025	13355	12811	10084
पूर्वोत्तर सीमा	4574	4714	5833	4845	3871	3341
दक्षिण	2652	3778	2743	1528	758	599
दक्षिण मध्य	18753	19324	21615	20737	21623	21766
दक्षिण पूर्व	25506	35923	40467	43776	44682	44783
पश्चिम	12047	15128	17863	14996	15021	14977
			मीटर लाइन			
मध्य	306	222	77	194	219	315
उत्तर	15888	15192	16091	16641	16868	13671
पूर्वोत्तर	14748	16291	22934	27265	21050	16149
पूर्वोत्तर सीमा	15197	16757	18095	19220	18010	18612
दक्षिण	4015	3574	4688	3110	1619	673
दक्षिण मध्य	8750	8299	9423	8731	7386	7597
पश्चिम	13573	16987	14862	23529	24948	24111

बकाया मांगें केवल उस यातायात के सम्बन्ध में हैं जिसकी निम्नतम प्राथमिकता के अधीन ढुलाई की जाती है। चूंकि खाद्यान्न, उर्वरक, कोयला, सीमेंट, लौह अयस्क आदि जैसे वचनबद्ध और योजनाबद्ध यातायात की निकासी के लिए, जो ढुलाई की सर्वोच्च प्राथमिकता के अन्तर्गत आते हैं, उपलब्ध खाली माल डिब्बे प्राथमिकता के आधार पर सप्लाई किए जाते हैं। अतः निम्न प्राथमिकता के अन्तर्गत आने वाले पण्यों की मांग ठहरकर पूरी की जाती है।

गोआ में, जुआरी पुल का निर्माण

6084. श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में जुआरी नदी पर पुल निर्माणाधीन है;

(ख) इस परियोजना की मंजूरी कब दी गई थी, इसे कब शुरू किया गया था और मूल प्राक्वलनों के अनुसार इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है;

(ग) इस निर्माण को पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना के पूरा होने तथा उपयोग के लिए क्या तिथि निश्चित की गई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) गोवा में तत्कालीन पश्चिमी तट सड़क पर केन्द्रीय सहायता योजना के रूप में जुआरी नदी पर एक पुल के निर्माण के बारे में तकनीकी स्वीकृति शुरू में सितम्बर, 1970 में दी गई थी। बाद में जब पश्चिमी तट सड़क को मार्च 1972 में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 के रूप में घोषित कर दिया गया, तो परियोजना को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में 7-8-1972 को तकनीकी अनुमोदन और वित्तीय स्वीकृति दे दी गयी। यह कार्य 12-4-1972 को शुरू हुआ और इसे पूरा किए जाने की तारीख पहले 11-4-76 निर्धारित की गयी थी।

(ग) पुल समय से पूरा करने में इन कारणों से बिलम्ब हुआ—(1) पथरीली जमीन में नीवें भरने में कठिनाइयाँ, (2) मिट्टी की और जांच करना, नौसेना के गोताखोरों द्वारा कुओं की आधार नीवों की जांच करना और नीवों से संबन्धित कुछ कठिन समस्यायें जिन्हें विशेषज्ञों के परामर्श से हल किया जाना था, (3) निर्माण काल के दौरान दो कुओं के लिए बालू के आयलेंड बह जाना, (4) कुछ कुओं के लिए कैशन्ज के फैब्रीकेशन के लिए स्ट्रक्चरल प्लेटों का न मिलना, और (5) विभिन्न कुओं की नीवों की टिल्टों और शिफ्टों का सुधार करना।

(घ) अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं हुई तब जून 1982 तक।

गुजरात के आदिवासियों के लिए विशेष स्वास्थ्य योजनाएं

6085. **श्री छीतू भाई गामित :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के आदिवासियों के लिए कोई विशेष स्वास्थ्य योजना बनाई गई है या बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) गुजरात में उन आदिवासी क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां छठी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या गुजरात सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कोई योजना तैयार की है और केन्द्रीय सरकार को अनुमोदन के लिए भेजी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ङ) सूचना गुजरात राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्वास्थ्य-सुधार के लिए उड़ीसा में ब्रिटेन से सहायता

6086. **श्री रास बिहारी बहेरा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने उड़ीसा राज्य को स्वास्थ्य सुधार के लिए सहायता देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता दी गई है और उस कार्य की प्रगति क्या है जिसके लिए इसका उपयोग किया जा रहा है तथा तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री बिहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) उड़ीसा राज्य में स्वास्थ्य के सुधार की ऐसी कोई योजना नहीं है जिसकी आर्थिक सहायता ब्रिटेन ने देनी हो। वैसे, भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए एक योजना तैयार की है जिसमें भिन्न-भिन्न विदेशी एजेंसियों से सहायता-प्राप्त विभिन्न क्षेत्रीय परियोजनाओं के अन्तर्गत चुने हुए जिलों को कवर किया गया है। इस परियोजनाओं में एक परियोजना उड़ीसा की भी है जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा आंशिक रूप से सहायता दी जायेगी। उड़ीसा के जिन जिलों को इस परियोजना में शामिल किया गया है, वे हैं—कटक, गंजम, कालाहांडी, फूलबनी और पुरी। यह परियोजना हाल ही में शुरू की गई है।

गौड़ एक्सप्रेस को न्यू कूचबिहार से कलकत्ता तक बढ़ाया जाना

6087. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान गौड़ एक्सप्रेस को न्यू कूचबिहार से कलकत्ता तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि यहां, तो इसमें कितना समय लगेगा;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि दार्जिलिंग मेल को न्यू कूचबिहार या न्यू अलिपुरद्वार तक बढ़ाने के लिए जनता की मांग है;

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) उत्तर बंगाल के लिए और अधिक गाड़ियों की लम्बे समय से चली आ रही मांगों के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य-विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सप्ताह में तीन दिन चलने वाली 53/54 सियालदह-माल्दा टाउन गौड़ एक्सप्रेस को न्यू कूचबिहार तक बढ़ाना चामग्राम-माल्दा टाउन न्यू जलपाईगुड़ी खंड पर लाइन क्षमता की कमी तथा न्यू कूचबिहार स्टेशन पर अतिरिक्त टर्मिनल सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

(घ) से (च) इसी प्रकार, 43/44 दार्जिलिंग मेल को न्यू कूचबिहार तक या न्यू अलीपुरद्वार तक बढ़ाना या उत्तरी बंगाल के लिए एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना लाइन क्षमता तथा टर्मिनल कठिनाइयों के कारण परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

विटामिनों की कमी से होने वाले रोग

6088. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विटामिनों और विशेष रूप से विटामिन "ए" और "सी" की कमी से होने वाले रोगों के बारे में भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा किये गये अध्ययन के महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है; और

(ख) जनसाधारण में विटामिनों की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जहां तक विटामिन "ए" का सम्बन्ध है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सर्वेक्षणों से पता चला है फि निम्न आय वर्ग के लगभग 8 प्रतिशत बच्चे विटामिन "ए" की कमी से पीड़ित हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने यह भी बताया है कि विटामिन "सी" की कमी आम नहीं है।

(ख) सरकार ने एक से पांच वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों में विटामिन "ए" की कमी को रोकने के लिए एक योजना चलाई है। पोषणिक दृष्टिहीनता की रोकथाम के लिये चुने हुये इलाकों में इस आयु वर्ग के बच्चों को प्रत्येक छह मास में एक बार तेल में मिलाकर विटामिन "ए" की अधिक शक्ति वाली खुराक पिलाई जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों को सीधे विटामिन घोल पिलाया जाता है। प्राय: सूखा पड़ने वाले इलाकों और जनजातीय इलाकों आदि में जहां विटामिन "ए" की कमी होने की अधिक सम्भावना रहती है, बच्चों तक विटामिन "ए" पहुंचाने के प्रयत्न किये जाते हैं। यह योजना सभी राज्यों में चल रही है। प्रत्येक वर्ष में लगभग 2 करोड़ 50 लाख बच्चों को यह सुविधायें देने का लक्ष्य है।

पलवल स्टेशन में जल पम्प

6089. **श्री मूल चन्द डांगा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सत्र है कि पलवल-दिल्ली सैक्शनों पर चल रही 368 आप/367 डाउन और 374 अप/365 डाउन रेलगाड़ियां लोको इंजनों द्वारा चलती हैं और इसके परिणामस्वरूप इन्हें भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है जिसके लिए उन्हें 10-15 मिनट के लिए फरीदाबाद स्टेशन में रुकना पड़ता है जिसके फलस्वरूप बहुत समय बेकार जाता है और इन रेलगाड़ियों द्वारा यात्रा कर रहे कार्यालियों में जाने वाले कर्मचारी प्रतिदिन अपने कार्यालियों में विलम्ब से पहुंचते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पलवल स्टेशन में एक जल पम्प लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 368 अप/367 डाउन और 374 अप/365 डाउन दिल्ली-पलवल सवारी गाड़ियों भाप रेल इंजनों द्वारा चलायी जाती हैं। इन इंजनों में गंतव्य स्टेशनों, पलवल और दिल्ली पर पूरा पानी भर दिया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में गाड़ियाँ फरीदाबाद में पानी नहीं लेती क्योंकि इसी पानी से यात्रा-समाप्ति तक काम चलने की आशा की जाती है। पिछले तीन महीनों के दौरान दिल्ली में आने वाली गाड़ियों का समयपालन संतोषजनक रहा है।

(ख) पलवल में पानी के उपयुक्त पम्पों की व्यवस्था पहले से ही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-लिबिया समझौता

6090. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिबिया के विशेषज्ञों के एक दल ने इस वर्ष भारत का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो भारत के नेताओं के साथ हुइ वार्ता के क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या लिबिया के साथ कोई समझौता किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेशमंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस वर्ष लीबिया के साथ कोई करार नहीं हुआ है, लेकिन 25 फरवरी से 2 मार्च के बीच त्रिपोली में भारत-लीबियाई संयुक्त आयोग की बैठक हुई थी। इसमें भारतीय

प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उद्योग राज्यमंत्री डा० चरणजीत सिंह चानना ने किया। इस मौके पर भारत और लीबिया के बीच भावी सहयोग के लिए कई योजनाएं तय की गयीं।

जैसलमेर और बाड़मेर के रास्ते से पठान कोट-काण्डला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 को चौड़ा करना

6091. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसलमेर और बाड़मेर के रास्ते से होकर पठान-कोट काण्डला राष्ट्रीय राज-मार्ग संख्या 15 राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई के मानदण्ड के अनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके लिए निर्धारित किए गए मानक के अनुसार उपरोक्त सड़क को चौड़ा करने का कार्य शुरू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे चौड़ा करने का कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 15 जो पठाककोट से काण्डला तक है, पंजाब (367 कि० मी०,) राजस्थान (860 कि० मी०) और गुजरात (272 कि० मी०) से होकर गुजरता है। इस राज मार्ग की चौड़ाई, यातायात की आवश्यकता अनुसार मुख्यत: इकहरी लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुरूप है। सड़क की चौड़ाई बहुत से ऐसे स्थानों पर कुछ कम ही है, जो रेतीले क्षेत्र में पड़ते हैं। रेतीली भूमि के कारण यह क्षेत्रीय समस्या है। वहां प्राकृतिक परिस्थितियां असाधारण होने के कारण सड़क की पटरी/पुश्ते टूट जाते हैं। परन्तु, मौजूदा सड़क को मध्यम दर्जे की दो लेनों की सड़क में चौड़ा करने (5·5 मी० चौड़ाई) और सड़क की पटरी के बचाव के लिए पहले से ही कदम उठाए गए हैं और बीकानेर-गंगानगर खंड में लगभग 90 कि० मी० और बीकानेर-बापखंड में लगभग 58 कि० मी० सड़क के लिए अनुमान पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। चूंकि, राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करना/सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए भारत सरकार इस समस्या पर पूरी तरह नजर रखे हुए है। राजस्थान में सूरतगढ़ से पोकरान तक लगभग 400 कि० मी० लम्बी सड़क को और कुछ भाग जो पंजाब और गुजरात में पड़ता है, उसे दो लेनों तक चौड़ा करने पर 1980-85 की छठी पंचवर्षीय योजना में विचार किया जाएगा। यातायात आवश्यकताओं, परस्पर प्राथमिकता और धन उपलब्ध होने जैसी कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए इस योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

ट्रेन कंट्रोलर

6092. **श्री कमला मिश्र मधुकर :**
श्री रामवतार शास्त्री :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रेन कट्रोलरों की प्राय: किस पद पर पदोन्नति की जाती है; और

(ख) उनके मंत्रालय द्वारा उनकी पदोन्नतियों तथा उनके दर्जे में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सम्भवतः आशय सेक्शन कंट्रोलरों के पदों से है। यदि हां, तो 470-750 रु० (सं० वे०) के सेक्शन कंट्रोलर 700-900 रु० (सं० वे०) के वेतन के उप मुख्य कंट्रोलरों और 840-1040 रु० के वेतनमान के मुख्य कंट्रोलरों तथा इससे आगे वर्ग "ख" (श्रेणी-2) की कोटियों में पदोन्नति के पात्र हैं।

(ख) जैसा कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में कहा गया है, कर्मचारियों की कोटि के लिए पदोन्नति के पर्याप्त सारणियां पहले से ही हैं।

पत्तनों का आधुनिकीकरण

6093. **श्री जर्नादन पुजारी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में बड़े पत्तनों का आनुनिकीकरण करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) पत्तन सुविधाओं का आनुनिकीकरण करना और सुधार करना और एक सतत प्रक्रिया है। 1980-85 की छठी पंचवर्षीय योजना में मौजूदा पत्तन सुविधाओं को आधुनिक बनाने और अतिरिक्त मशीनों की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया है ताकि देश की बढ़ती हुई अवश्यकता को पूरा किया जा सके। इस प्रयोजन के लिए 1980-85 की योजना में 10 बड़े पत्तनों के लिए 531 करोड़ रु० नियत किए गए हैं। बड़े पत्तनों के विकास और आधुनिकीकरण की कुछ मुख्य योजनाएं इस प्रकार हैं।—

(1) बम्बई, कोचीन और मद्रास के पत्तनों पर कन्टेनर-हैंडलिंग मशीनें लगाना।

(2) पत्तनों द्वारा कार्गो-हैंडलिंग उपकरण प्राप्त करना।

(3) कांडला, मामुंगाव, मंगलौर, न्हावा-शेवा (बम्बई) परादीप, टूटीकोरिन और विशाखापत्तनम् पत्तनों पर आधुनिक मशीनों से युक्त नये घाटों का निर्माण करना।

गुट-निरपेक्ष देशों के प्राकृतिक संसाधनों का "पूल" किया जाना

6094. **श्री हरिनाथ मिश्र : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुट-निरपेक्ष देशों की हाल ही में नई दिल्ली में फरवरी, 1981 में हुई बैठकों में गुट-निरपेक्ष देशों के प्राकृतिक संसाधनों को 'पूल करने' की आवश्यकता पर बल दिया था;

(ख) यदि हां, तो सर्व सम्मति से क्या निर्णय किया गया और कौन-कौन से देश इस सुझाव से सहमत हो गए हैं, और

(ग) सर्व सम्मति के संदर्भ में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) फरवरी 1981 में नई दिल्ली में गुट-निरपेक्ष विदेश मंत्रियों की बैठक में इन देशों के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की एक सम्मलित विधि तैयार करने के प्रश्न पर विशिष्ट रूप से कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ था लेकिन इन मंत्रियों ने गुट-निरपेक्ष देशों के बीच और दूसरे विकासशील देशों के साथ सभी क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग विकसित करने की सम्भावनाओं का पता लगाने, उन्हें परिभाषित करने और उनसे काम लेने की बात दोहरायी थी, ताकि इन देशों के स्वत: अपने लाभ के लिए तथा पारस्परिक लाभ के लिए और उनकी सामूहिक आर्थिक प्रगति के लिए इस समय उपलब्ध सभी संसाधनों का और अधिक युक्तियुक्त उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

उपर्युक्त आम-सहमति पर समुचित अन्तवर्ती कार्रवाई गुट-निरपेक्ष देशों के आर्थिक सहयोग से सम्बद्ध सक्रिय कार्यक्रम के अन्तर्गत और 77 देशों के समूह के तत्वावधान में विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग के कार्यक्रम के अन्तर्गत की जाएगी।

सीमेंट की ढुलाई

6095. **श्रीमती गुरब्रिन्दर कौर ब्रार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण में स्थित कारखानों से उत्तरी भागों विशेषतया पंजाब में सीमेंट की ढुलाई वैगनों के कम आबंटन के कारण अवरुद्ध हुई थी;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान वास्तविक मांग की तुलना में वर्षवार उनका कितनी संख्या में आबंटन किया गया; और

(ग) आगामी दो वर्षों में उद्योग को पर्याप्त संख्या में वैगनों का आबंटन करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य-विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। एक विवरण संलग्न है। विभिन्न कारखानों की सीमेंट की मांग के आंकड़े रेलों द्वारा राज्यवार नहीं रखे जाते।

(ग) कार्यक्रम के अनुकूल सीमेंट का संचलन अधिमान्य यातायात अनुसूची की प्राथमिकता "ग" के अधीन किया जाता है। उच्चतर प्राथमिकता वाला यातायात होने के कारण, मान्य कार्यक्रम की मात्रा तक मांगों को पूर्णत: पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

विवरण

राज्य	1979		1980		1981 (जनवरी और फरवरी)	
	ब० ला०	मी० ला०	ब० ला०	मी० ला०	ब० ला०	मी० ला०
दिल्ली	1605.5	1909	3624	318	374.5	—
हरियाणा	1983	86	2930	337	675.5	—
हिमाचल प्रदेश	266	8	16	—	—	—
जम्मू कश्मीर	1739	146	2351	—	1119.5	—
पंजाब	9909.5	1569	5204.5	650	1266	—
राजस्थान	38	—	30	97		—
उत्तर प्रदेश	3150.5	689	1100.5	501	248	—
कुल	18691.5	4407	15256	1903	3683.5	—

सीमेंट कारखानों से वास्तविक मांग से सम्बन्धित आवश्यक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

भारत ब्रिटेन महाद्वीपीय पत्तन मार्ग

6096. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, पाकिस्तान, बंगला देश और ब्रिटेन की फरवरी, 1981 के अंतिम सप्ताह में लदन में आयोजित बैठक भारत-ब्रिटेन महाद्वीपीय पत्तन मार्गों पर चल रही इसकी मैम्बर लाइनो में तालमेल बैठाने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी असफलता के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) क्या इसकी असफलता से भारत को भारी घाटा हुआ था ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) वाणिज्य के क्षेत्र में बड़ी-बड़ी नौवहन कंपनियों की कान्फ्रेंस की बैठकें होना एक आम बात है और सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं है। सरकार को सूचित किया गया है कि उक्त कान्फ्रेंस के सदस्य देशों ने अपनी फरवरी, 1981 की बैठक में यह निर्णय किया है कि कान्फ्रेंस की पूलिंग व्यवस्था को 1.4.1981 से समाप्त किया जाय लेकिन ऐसा करते हुए कान्फ्रेंस की क्रिया-प्रणाली का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाय। उनके द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि सम्मेलन के अन्तर्गत विभिन्न पर्लैंग ग्रुपों का एक कन्टेनर सहायत-संघ बनाया जाय।

2. सम्मेलन के कन्टेनर सहायता-संघ के बनने तक भारत की राष्ट्रीय नौवहन कंपनियों अर्थात् भारतीय नौवहन निगम, दि सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमि० तथा दि इंडिया स्टीमशिप कपनी लि० ने यह निर्णय किया है कि वे फिलाहल 1.4.1981 से अपना कंटनर सहायता संघ बना लें। ये कंपनियां सम्मेलन के ढांचे के अन्तर्गत रहते हुए कंटेनर तथा ब्रेक बल्क कार्गो के लिए नौवहन सेवाओं की व्यवस्था जारी रखेंगी।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पुलों का निर्माण

6097. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल, 1975 से 28 फरवरी, 1981 के दौरान प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय राजपथों प- वर्षवार कितने पुलों का निर्माण किया गया है; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने पुलों का निर्माण करने की योजनाएं है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों की तत्कालीन छठी पंचवर्षीय योजना (1978-83) में कुल 100 करोड़ रुपए की लागत के 838 पुल-निर्माण कार्य शामिल किए गए थे। इनमें से, पहले दो वर्षों में अर्थात् 1978-79 और 1979-80 में 22.68 करोड़ रुपए की लागत के 176 पुलों की मंजूरी दी जा चुकी है। शेष पुलों को अब 1980-85 की योजना में शामिल किया जाएगा। जो अभी तय की जा रही है। इस योजना में इन परियोजनाओं को शामिल करना संसाधनों के उपलब्ध होने और विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अन्यान्य परियोजनाओं को प्राथमिकता दिए जाने पर निर्भर है।

विवरण

(राष्ट्रीय राजमार्गों पर बनाए गए बड़े और छोटे पुल)

(1-4-75 से 28-2-81 तक)

राज्य का नाम	1-4-75 से 31-3-76	1-4-16 से 31-3-77	1-4-77 से 31-3-78	1-4-78 से 31-3-79	1-4-79 से 31-3-79	1-4-80 से 28-2-81	कुल जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	3	21	21	16	7	10	78
असम	6	3	14	21	21	4	69
बिहार	6	3	6	4	1	5	25
दिल्ली	—	1	2	2	1	—	6
गोआ	—	—	—	—	1	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8
गुजरात	7	4	23	3	11	8	56
हरियाणा	1	5	5	2	5	4	22
हिमाचल प्रदेश	—	1	1	—	1	1	4
जम्मू और कश्मीर	—	—	10	1	3	5	19
कर्नाटक	16	30	19	4	4	11	84
केरल	2	7	2	—	—	2	13
मध्य प्रदेश	21	14	12	5	12	4	68
महाराष्ट्र	28	9	36	6	13	12	104
मणिपुर	—	—	02	5	1	1	9
मेघालय	—	—	—	—	4	—	4
उड़ीसा	2	—	15	5	8	7	37
पंजाब	1	—	1	1	—	2	5
राजस्थान	3	1	7	2	4	2	19
तमिलनाडू	23	18	10	5	5	1	61
उत्तर प्रदेश	1	17	10	3	2	—	33
पश्चिम बंगाल	5	9	3	2	1	3	23
कुल:	125	143	199	87	105	81	740

स्टेशनों पर दवाइयों की दुकानें

6098. **श्री के० ए० स्वामी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का प्रस्ताव सभी बड़े तथा मध्यम दर्जे के रेलवे स्टेशनों पर दवाइयों की दुकानों की स्थापना को प्रोत्साहन देने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो यात्रियों की दवाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार की क्या योजनायें हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) बड़े और मध्यवर्गीय स्टेशनों पर आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था है। दवाई की दुकानें किसी प्रकार चिकित्सा परिचर्या की व्यवस्था नहीं करेंगी।

यातायात निरीक्षक

6099. **श्री सूर्य नारायण सिंह :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यातायात निरीक्षकों को उपमुख्य गाड़ी नियंत्रक से ऊपर वरिष्ठता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी औचित्य क्या है;

(ग) गाड़ी नियंत्रकों को किन पदों पर पदोन्नत किया जाता है और उसके आधार क्या हैं;

(घ) क्या यह सच है कि गाड़ी नियंत्रकों को उसी ग्रेड में 15 वर्षों से अधिक की सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् भी पदोन्नति नहीं दी जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) यातायात निरीक्षक (550-750 रुपये) और उप मुख्य नियंत्रक (700-900 रुपये) परिवहन शाखा के अन्तर्गत दो अलग-अलग सरणियों से सम्बन्ध रखते हैं। अराजपत्रित संवर्ग में अपनी स्वयं की कोटि में प्रत्येक कोटि को पदोन्नति की सरणि उपलब्ध है। ग्रुप 'बी' (श्रेणी II) के पदों पर प्रवरण के प्रयोजन के लिए विभिन्न कोटियों से सम्बन्धित कर्मचारियों के बारे में विचार किया जाता है और इस प्रयोजन के लिए बनाये गये सिद्धान्तों के आधार पर उनकी संघठिता वरिष्ठता निर्धारित की जाती है।

(ग) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय खंड नियंत्रकों से है। 470-750 रुपये के वेतनमान के खंड नियंत्रकों को सामान्यत: 700-900 रुपये के वेतनमान में उप मुख्य नियंत्रकों के रूप में तथा 840-1040 रुपये के वेतनमान में मुख्य नियंत्रकों के रूप में और इसके बाद ग्रुप 'बी' (श्रेणी II) कोटि में पदोन्नति करने के बारे में विचार किया जाता है क्योंकि ये पदोन्नतियां एक ही लाइन में होती हैं।

(घ) और (ङ) यद्यपि कर्मचारियों की विभिन्न कोटियों के लिए पदोन्नति की पर्याप्त सरणियाँ रेलों पर विद्यमान हैं, अत: सेवा की विशिष्ट अवधि के बाद कर्मचारियों की किसी कोटि की पदोन्नतियों की गारन्टी नहीं दी जा सकती क्योंकि इस प्रकार की पदोन्नति के लिए पदोन्नतियां उच्चतर ग्रेड के पदों की उपलब्धता और इन पदोन्नतियों के लिए विचार किये जाने के लिए कर्मचारियों की पात्रता पर निर्भर करती है।

खगरिया स्टेशन का विस्तार

6100. **श्री सतीश प्रसाद सिंह :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में खगरिया रेलवे स्टेशन का विस्तार किया जाना है;

(ख) क्या खगरिया, नौबचिया तथा थाना-भीमपुर स्टेशनों पर कोई प्रतीक्षालय नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन स्टेशनों पर प्रतीक्षालयों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है और इनका निर्माण कब तक किया जाना है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) खगारिया, नवगछिया और थाना बिहपुर स्टेशनों पर प्रतीक्षालय पहले से ही मौजूद हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

1977-78 से 1980-81 के दौरान रेलवे द्वारा प्राप्त किये गए माल डिब्बे

6101. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे द्वारा 1977-78 से 1980-81 तक वर्ष-वार, कुल कितने माल-डिब्बे प्राप्त किये गये;

(ख) इस प्राप्ति की इसी अवधि में वर्ष-वार कुल कितने डिब्बों का अभाव हुआ;

(ग) 1977-78 से 1980-81 तक, वर्ष-वार, कुल कितने माल डिब्बे पुराने घोषित किए गये; और

(घ) इसी अवधि में वर्ष-वार, इस मद में कुल कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेलों द्वारा 1977-78 से 1980-81 तक (फरवरी 1981 तक) खरीदे गये। माल डिब्बों की वर्षवार कुल संख्या तथा इसी अवधि में वर्षवार खरीद पर आयी कुल लागत नीचे दिखायी गयी है :—

(चोपहिया माल डिब्बों के हिसाब से/करोड़ रुपयों में)

वर्ष	खरीदे गये माल डिब्बे	कुल लागत/वास्तविक खर्च
1977-78	12166	72 64
1978-79	12022	98.52
1979-80	10827	107.68
1980-81 (फरवरी 1981 तक)	10384.5	*

*आंकड़े वित्तीय वर्ष के खाते बन्द होने के बाद उपलब्ध होंगे।

(ग) 1977-78 से 1980-81 तक नाकारा किये गये कुल माल डिब्बों की वर्षवार संख्या इस प्रकार है :—

(चौपहियों के हिसाब से आंकड़े)

1977-78	1978-79	1979-80	1980-81 (7 फरवरी, 1981 तक)
3,657	3,914	4,476.5	7,015

(घ) मालडिब्बों की अवस्था/आयु के आधार पर नकारा किया जाता है, अतः हानि का प्रश्न नहीं उठता।

लक्ष्मी कोतापुर और बरिनीपुर स्टेशनों के बीच टिकटों का न मिलना

6102. **श्री मुकुन्द मंडल : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि लक्ष्मी कोतापुर स्टेशन और बरिनीपुर स्टेशन के बीच दैनिक टिकटें उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और इस संभाग के कितने स्टेशनों पर दैनिक टिकटें उपलब्ध नहीं है;

(ग) क्या टिकटों के जारी न किये जाने के कारण यात्रियो को बिना टिकट यात्रा करने दी जाती है;

(घ) टिकटों के न मिलने के कारण राजस्व की अनुमानित कितनी क्षति होती है; और

(ङ) इस समस्या के बारे में सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, कुछेक स्टेशनों के लिए और अल्प समयावधि तक।

(ख) लक्ष्मीकांतपुर और बरिनीपुर के खंड में पांच स्टेशनों के पास 9 गंतव्य स्टेशनों के लिए काई टिकट नहीं हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) टिकटों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर छपवाने तथा शीघ्र उनकी आपूर्ति करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

टिकटों का मूल्य वापस दिया जाना

6103. **श्री बी० आर० नहाटा : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल यात्रियों को वापस दिये गये रेल किराये में से, यदि उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी को पकड़ने में समर्थ नहीं होती हैं, तो क्या कोई कटौती की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मापदंड क्या है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जब कोई टिकटधारी यात्री आरक्षण सहित या वगैर आरक्षण के यात्रा कर रहा होता है, और उस गाड़ी के लेट हो जाने के कारण जिससे उसने यात्रा की थी, किसी जंकशन स्टेशन पर मेल लेने वाली गाड़ी छूट जाती है तो ऐसे स्थिति में उस जंकशन स्टेशन पर यात्रा के शेष भाग का किरांया वापस कर दिया जायेगा और इसमें से यात्रा रद्द करने का शुल्क नहीं लिया जायेगा,

बशर्तें कि उसने जिस गाड़ी मे यात्रा की हो उसके पहुंचने के ठीक तीन घण्टे के भीतर टिकट वापस कर दिया हो।

मोरवी रूफिंग टाइल्स एसोसिएशन को वैगनों की सप्लाई।

6104. **श्री नवीन रवाणी : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मोरवी (गुजरात) की मोरवी रूफिंग टाइल्स निर्माता एसोसिएशन और मोरवी चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, मोरवी, (गुजरात) से (1) वैगनों के उपलब्ध न होने, (2) अपर्याप्त संख्या में वैगन मिलने, (3) उनके वैगनों में सामान लादने और उतारने आदि के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो 2 जनवरी से 28 फरवरी, 1981 के दौरान इस प्रकार की प्राप्त शिकायतों का ब्योरा क्या है;

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है और उसका क्या परिणाम रहा; और

(घ) इस सम्बन्ध में आगे और क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) यह शिकायत मिली थी कि मोरवी रूफिंग टाइल्स मैन्यूफैक्चरर एसोसिएशन के लिए कोयले से लदे एक रेक को रेलों द्वारा रोक दिया गया था।

(ग) और (घ) पश्चिम रेलवे ने मोरवी रूफिंग टाइल्स मैन्यूफैक्चरर एसोसिएशन के कुछ कोयले के सात डिब्बों को रोक लिया था और गाड़ी सेवाओं को रद्द न होने देने के लिए पश्चिम रेलवे के विभिन्न शेडों में उनका उपयोग किया गया। कोयले का लदान करने वाली रेलवे को इस प्रकार रोके गये माल डिब्बों की क्षतिपूर्ति करने की सलाह दी गयी है।

रेलवे द्वारा खाद्यान्नों का परिवहन

6105. **श्री चिन्नवाग कोनयक : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब तथा हरियाणा से चावल, गेहूं, अन्य खाद्य वस्तुओं तथा आवश्यक वस्तुएं पूर्वोत्तर राज्यों को भेजने के लिये कौन के रेलमार्ग अपनाये जाते हैं;

(ख) इन चीजों को परिवहन में औसतन कितना समय लगता है; और

(ग) उक्त परिवहन समय को घटाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) वत 1-2-1981 से लागू 1981 की युक्तियुक्तकरण योजना सामान्य आदेश संख्या 1 में अन्तर्विष्ट वर्तमान आदेशों के अनुसार रेल प्रशासन पंजाब और हरियाणा में पड़ने वाली उत्तर रेलवे पर बड़ी लाइन और मीटर लाइन के स्टेशनों से पूर्वोत्तर सीमा रेलवे द्वारा सेवित उत्तर पूर्वी राज्यों में

बड़ी लाइन और मीटर लाइन के स्टेशनों के लिए किसी माल अथवा माल की श्रेणी की ढुलाई निम्नलिखित रेल मार्गों से की जायेगी, जब तक कि परेषणों के बुक करा दिये जाने के बाद परिचालनिक कारणों से इस प्रकार के माल डिब्बों का मार्ग बदलना जरूरी न हो :—

(1) उत्तर रेलवे पर बड़ी लाइन के स्टेशनों से और उनके रास्ते पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर बड़ी लाइन और बड़ी लाइन/मीटर लाइन (दोहरे आमान) स्टेशनों के लिए यातायात बड़ी लाइन के मार्ग से होगा।

(2) उत्तर रेलवे पर बड़ी लाइन के स्टेशनों में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर मीटर लाइन के लिए यातायात गड़हरा अथवा माल्दा के रास्ते अर्थात् इनमें से जो छोटा मार्ग हो, उस रास्ते से होगा। लेकिन उत्तर रेलवे के बड़ी लाइन के स्टेशनों से पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के मीटर लाइन के स्टेशनों के लिए खाद्यान्न का यातायात बुक किया जाता है और यातायात माल्दा के रास्ते होगा।

(3) उत्तर रेलवे पर मीटर लाइन के स्टेशनों से पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर दोहरे आमान वाले स्टेशनों को छोड़कर) मीटर लाइन के स्टेशनों के लिए सभी माल यातायात समस्त मीटर आमान के मार्ग से होकर जायेगा।

(ख) रेलों द्वारा पंजाब और हरियाणा से उत्तर पूर्वी राज्यों के लिये अनिवार्य वस्तुओं के संचलन के लिये मार्ग में लगे समय के सम्बन्ध में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) हाल ही में उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ परामर्श करके यह विनिश्चय किया गया है कि रेलों द्वारा सीमेंट, नमक और इस्पात जैसी मुख्य वस्तुओं की ढुलाई बड़ी लाइन की गाड़ियों से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उपयुक्त स्टाकयार्डों तक की जायेगी और वहां से सड़क अथवा रेल द्वारा आगे वितरण की व्यस्था की जायेगी। इस व्यवस्था से यानान्तरण स्थानों पर, वहाँ पर संचलन में अवरोध रहता है, दबाव कम हो जायेगा जिससे उत्तर पूर्वी क्षेत्र को खाद्यान्न की बेहतर सप्लाई की जा सकेगी। नमक, सीमेंट और इस्पात की स्टाकयार्ड को ढुलाई बड़ी लाइन से शुरू कर दिये जाने से मीटर लाइन पर अधिक क्षमता भी उपलब्ध हो जायेगी। मीटर लाइन पर उपलब्ध क्षमता का सामान्य उपयोग अन्य सामान की ढुलाई के लिये इस्तेमाल होगा। खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं के संचलन पर रेलवे बोर्ड तथा क्षेत्रीय रेलों के स्तर पर दिन-प्रति-दिन निगरानी रखी जा रही है। इन उपायों से इस क्षेत्र में माल संचलन में पर्याप्त तेजी आ जायेगी।

इटारसी में डीजल शैड

6.06. **श्री रामेश्वर निखरा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इटारसी, मध्य प्रदेश स्थित डीजल शैड से अशोधित (उच्छिष्ट) बहता रहता है जिसे मरम्मत करने वाली इकाइयां खरीदनी हैं;

(ख) क्या इस अशोधित तेल का नीलाम किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इसे नीलाम से बेचने का है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलों द्वारा डीजल शेडों में कच्चा तेल नहीं सम्भाला जाता है। डीजल शेडों में एच० एस० डी०

और ल्यूब तेल इस्तेमाल किया जाता है। ल्यूब तेल को नाली द्वारा शोधन के न्यू कटनी भेजा जाता है और इसे सवारी और माल डिब्बा डिपुओं और भाप शेडों में इस्तेमाल किया जाता है। सर्विसिंग के दौरान एच० एस० डी० तेल की कुछ मात्रा अन्य फ्लूएन्टों के साथ-साथ निकल जाती है। इसे मुख्यत: डीजल पुर्जों की सफाई के लिये इस्तेमाल में लाया जाता है। नाली द्वारा लाया गया ल्यूब तेल और बेकार एच० एस० डी० तेल की खरीद मरम्मत यूनिटों द्वारा नही की जाती।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सहारनपुर में रेल डाक सेवा का कार्यालय

6107. **श्री रशीद मसूद :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सहारनपुर में रेल डाक सेवा के कार्यालय पर शेड नहीं है और वर्षा ऋतु में डाक थेले पानी से भीग जाते हैं जिससे महत्वपूर्ण दस्तावेज और पत्र क्षति-ग्रस्त हो जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सहारनपुर स्थित रेल डाक सेवा के कार्यालय पर शेड की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, यह सच है कि सहारनपुर के रेल डाक सेवा कार्यालय के सामने कोई शेड नही है। यदि कोई थैले खुले स्थान में रखे हों तो रेल डाक सेवा के कर्मचारियों द्वारा तिरपाल डाल कर उन्हें ढक दिया जाता है।

(ख) भारतीय रेल मानक के शेड की नियमित रूप से व्यवस्था करने पर लगभग एक लाख रुपये खर्च होंगे। धन की सीमित उपलब्धता के कारण, इस कार्य को अभी तक रेल के खर्च पर कर पाना सम्भव नहीं है।

प्राकृतिक तरीके से संतति निरोध का प्रचार करने के लिए अधिक धन राशि का आबटन

6108. **श्री एस० ए० दोराई सेबिस्तयन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए इस शताब्दी में ग्रामीण लोगों को चलचित्र और रूपक दिखाकर प्राकृतिक तरीके से संतति निरोध का प्रचार करने का है;

(ख) क्या इस समय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्राकृतिक तरीके से संतति निरोध का प्रचार कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो हमारे देश के समक्ष इस विकट समस्या के लिये अधिक धनराशि आबंटित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) संतान नियन्त्रण के मन पसन्द तरीकों में प्राकृतिक तरीके भी आ जाते हैं जिनके बारे में

जानकारी और सलाह सरकार द्वारा दी जाती है। परिवार को छोटा रखने के इच्छुक प्रत्येक दम्पत्ति को स्वेच्छा से इनमें से कोई सा भी तरीका अपनाने की छूट है। देश भर में लगाए जा रहे जन नेता शिविरों में भी लोगों को ये तरीके समझाये जाते हैं। आमतौर पर फिल्मों और अन्य श्रव्य दृश्य प्रचार माध्यमों के जरिये परिवार को छोटा रखने पर बल दिया जाता है।

(ख) परिवार नियोजन के तरीकों की जानकारी और प्रेरणा देने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़े महत्वपूर्ण स्थल हैं। इन तरीकों में प्राकृतिक तरीके भी शामिल हैं।

(ग) परिवार कल्याण के प्रचार के लिए 1981 में 528.47 लाख रुपये की राशि नियत की गई थी, जबकि 1981-82 में 64.00 लाख रुपये की राशि नियत करने का विचार है। 1980-81 में परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए कुल 140.00 करोड़ रुपये का परिव्यय है जिसे बढ़ाकर 1981-82 में 155 करोड़ रुपये किया जा रहा है।

खड़गपुर-आद्रा सैक्शन पर यातायात

6109. **प्रो० अजीत कुमार साहा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर और आद्रा सैक्शन पर पिछले तीन वर्षों के दौरान माल तथा यात्री यातायात दोनों का क्या घनत्व रहा है; और

(ख) क्या यह सच है कि इस सैक्शन पर यातायात में वृद्धि हो रही है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) चलने वाली गाड़ियों की संख्या नीचे दी गई है :—

खण्ड का नाम	चलने वाली गाड़ियां (दैनिक औसत)			
	सवारी	मालगाड़ी	मालगाड़ी	जोड़
खड़गपुर-गोकलपुर				
1977-78	10	0.1	0.2	10.3
1978-79	10	0.8	0.5	11.3
1979-80	10	0.7	0.5	11.2
गोकलपुर-मिदनापुर				
1977-78	10	2.8	1.3	14.1
1978-79	10	4.5	0.5	15.0
1979-80	10	4.0	0.5	14.5
मिदनापुर-आद्रा				
1977-78	5	3.2	2.0	10.2
1978-79	5	3.5	0.5	9.0
1979-80	5	4.0	1.0	10.0

(ख) चलने वाली सवारी गाड़ियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है परन्तु मालगाड़ियों की संख्या में मामूली कमी-बेशी हुई है।

कोहिनूर हीरे को इंग्लैंड से वापस लाना

6110. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोहिनूर हीरे को इंग्लैंड से भारत लाने में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या ब्रिटिश सरकार इसको वापस करने पर सहमत हो गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) कोहिनूर हीरा भारत की उन बहुमूल्य वस्तुओं में से एक है जो इतिहास के दौर में इस देश से बाहर चली गयी है। इस समय इस प्रकार की वस्तुओं की वापसी के लिए प्रयत्न करने का कोई नीतिगत निर्णय नहीं है; लेकिन अगर ऐसी कोई वस्तु धार्मिक अथवा ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व रखती हो तो उसकी वापसी के लिए कोशिश की जाती है।

'धूम्रपान तथा शराब पीने से दिल का दौरा नहीं होता' शीर्षक समाचार

6111. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'धूम्रपान तथा शराब पीने से दिल का दौरा नहीं होता' शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निष्कर्ष की पुष्टि के लिए भारत में इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) उसके क्या परिणाम रहे हैं और यदि नहीं, तो क्या सरकार कुछ विशेषज्ञों द्वारा इस मामले की जांच कराएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीहार रंजन लास्कर) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) भारत में तथा सम्पूर्ण विश्व में किए गए अध्ययनों से यह पता चला है कि सिगरेट पीने से अरक्तताजन्य हृदय रोग होने का अधिक खतरा है। यह बात निःसंदेह प्रमाणित हो चुकी है कि सिगरेट पीने से दिल के दौरे पड़ने का खतरा रहता है।

यद्यपि ऐलकोहाल से आरक्तता जन्य हृदय रोग होने के बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है तथापि ऐलकोहाल हृदयपेशी क्रिया को मंद करने वाला माना जाता है और इससे हृदय अतालता विशेषरूप से ऐसे लोगों में जो पहले से ही हृदय रोग से पीड़ित हों, जल्दी हो सकता है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद बम्बई, हैदराबाद, मद्रास, नई दिल्ली और बेल्लोर में युवाओं में दिल के दौरे तथा अरक्तता जन्य हृदय रोग के बारे में मल्टी डिसिप्लिनरी अस्पतालों में अध्ययन कर रहा है। इस अध्ययन में धूम्रपान शुरू करने की आयु, धूम्रपान की आवृत्ति तथा

अवधि के साथ-साथ विभिन्न आयु वर्गों में बीड़ी, सिगरेट, सिगार, पाइप, हुक्का, चिलम पीने की आदतों का भी अध्ययन किया जा रहा है। प्रारम्भिक परिणामों से पता चला है कि धूम्रपान से 'दिल का दौरा' और 'अरक्तता जन्य हृदय रोग' दोनों के होने का खतरा होता है। यद्यपि अध्ययन अभी चल रहा है।

जम्मू तथा कन्याकुमारी के बीच एक सीधी रेलगाड़ी

6112. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कन्याकुमारी को एक सीधी रेलगाड़ी से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जम्मू तवी और कन्याकुमारी के बीच गाड़ी चलने के प्रस्ताव की जांच की गई है लेकिन लाइन क्षमता की तंगी तथा टर्मिनल सुविधाओं की कमी के कारण फिलहाल परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया। इसके अलावा, कोचिंग स्टाक और पावर के रूप में अपेक्षित संसाधन भी सम्प्रति उपलब्ध नहीं हैं।

हरियाणा में रेल मार्ग

6113. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा सरकार ने किन-किन स्थानों के लिए नए रेल-मार्गों की मांग की है; और

(ख) हरियाणा सरकार द्वारा अपेक्षित स्थानों के लिए कई रेल-लाइनों की व्यवस्था करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) हरियाणा सरकार ने पलवल-सोहना-धारुहेड़ा, रेवाड़ी और रेवाड़ी-झज्जर-रोहतक के बीच एक बड़ी रेल लाइन सुलभ कराने के लिए अनुरोध किया है।

धन की कमी के कारण इन निर्माण कार्यों को छठी योजना में हाथ में लेना संभव नहीं है।

ट्रेन कंट्रोलर्स एसोसिएशन से ज्ञापन

6114. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया ट्रेन कंट्रोलर्स एसोसिएशन, पूर्वोत्तर रेल की क्षेत्रीय शाखा ने कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) मुख्य मांगों का सम्बन्ध पदों का दर्जा बढ़ाने, राष्ट्रीय अवकाश भत्ता दिए जाने, मुख्य नियंत्रकों के अतिरिक्त पदों की व्यवस्था करने, मुख्य नियंत्रकों को साप्ताहिक अवकाश देने आदि से है।

(ग) सरकार की नीति के अनुसार, किसी भी माध्यम से प्राप्त कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर विधिपूर्वक विचार किया जाता है और यथा-अपेक्षित कार्रवाई की जाती है। आल इंडिया ट्रेन कंट्रोलर एसोसिएशन, पूर्वोत्तर रेलवे के ज्ञापन पर भी इसी नीति के अनुसार कार्रवाई की गई है।

यार्ड काडर

6115. **श्री दया राम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेशन मास्टर्स काडर से यार्ड काडर कब पृथक किया गया था;

(ख) क्या यह पृथक्करण सभी जोनल रेलवे में क्रियान्वित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

रेलवे में सविराम कर्मी

6116. **श्री दया राम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम न्यायाधिकरण 1969 ने विनिश्चित सविराम कर्मियों के लिए केवल 8 घंटे प्रतिदिन की मानक "ड्यूटी" की सिफारिश की थी;

(ख) क्या कार्य विश्लेषण व निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसरण में अपवाद स्वरूप प्रतिदिन दो या चार घण्टे की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई जाती है;

(ग) भारतीय रेलवे में निश्चित सविराम कर्मियों की संख्या कितनी है जिनको आठ घण्टे प्रतिदिन अथवा 40 घंटे प्रति सप्ताह काम करना होता है; और

(घ) इन निश्चित सविराम कर्मियों के मामले में, जिनके लिए कोई कार्य विश्लेषण नहीं किया गया है और न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों के भीतर काम तय नहीं किया गया और रोस्टर के घण्टों में अतिरिक्त घंटे अलग से नहीं दिखाए गए हैं, क्या वे सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम के लिए एच० ओ० ई० आर० के अनुसार समयोपरि भत्ते पाने के अधिकारी हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) उन कर्मचारियों को जिन्हें अनिवार्यतः सविरामी क रूप में वर्गीकृत किया गया है, सामान्यतया दैनिक ड्यूटी रोस्टर के 8 घंटों से अधिक के लिए नियोजित किया जाता है। निम्नलिखित को छोड़कर सामान्यतया उनका साप्ताहिक रोस्टर 60 घंटों का होता है: —

(1) उन कर्मचारियों को जो छोटे स्टेशनों पर 5 कि० मी० की परिधि में तैनात होते हैं और जिनके पास उनके कार्य स्थल से आवासीय क्वार्टर हैं उनका साप्ताहिक रोस्टर 72 घंटे का होता है; और

(2) सैलून परिचरों, सी श्रेणी के समपारों के चौकीदारों और विश्रामगृहों, पानी की टंकियों की देखभाल करने वालों आदि को जिनकी ड्यूटी अपेक्षाकृत हल्की किस्म की होती है, उनके लिए दो सप्ताह की अवधि में 144 घंटे का ड्यूटी रोस्टर होता है। जहाँ कर्मचारियों को अपने सामान्य कार्य को आरम्भ करने से पहले तथा उसे पूरा करने के बाद प्रारम्भिक और पूरक कार्य करना अपेक्षित होता है, उनके रोस्टर में निम्नलिखित समय दिखाया जाता है :—

साप्ताहिक 60 घंटों के रोस्टर में $4\frac{1}{2}$ घंटे जोड़ दिए जाते हैं; साप्ताहिक 72 घंटे के रोस्टर में 3 घंटे तथा दो सप्ताह के 144 घंटों के रोस्टर में 6 घटे जोड़ दिये जाते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-सरकारी ठेका प्रणाली

6117. **ए० के० राय :** क्या रेल मंत्री गैर-सरकारी ठेका प्रणाली चालू किए जाने के बारे में 26 फरवरी, 1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 150 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे के गुजहाडी सैक्शन पर दो ठेकेदार काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कब से काम कर रहे हैं और वे किस प्रकार का काम कर रहे हैं और उनके अधीन कितने कर्मी काम करते हैं तथा उनको कितना दैनिक वेतन मिलता है और वह वेतन राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा उस प्रकार के कार्य के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन से तुलनीय है;

(ग) क्या यह सच है कि 1978-79 और 1979-80 वर्षों में वही कार्य केन्द्रीय गैंगमैनों द्वारा किया जाता था; और

(घ) यदि हां, तो वहां पर ठेका प्रणाली लागू करने का आधार क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) झिगोडीह और कोडरमा स्टेशनों के बीच डाउन ग्रांड कार्ड लाइन पर अप्रैल, 1980 से दिसम्बर, 1980 तक श्री जी० के० गुप्ता, ठेकेदार ने काम किया था। टनकुप्पा और बंधुआ स्टेशनों के बीच डाउन ग्रांड कार्ड लाइन पर जनवरी, 1981 से मैसर्स छोटा नागपुर कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है। दोनों मामले, रेलपथ की गहन जाँच पड़ताल की प्रकृति के काम के हैं प्रत्येक मामले में लगभग 200 नैमित्तिक श्रमिक लगाए जाते हैं। शुरू में श्री जी० के० गुप्ता ने 7.00 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिये जिसे बाद में बढ़ाकर 7.50, रुपये कर दिये गए। मैसर्स छोटा नागपुर कंस्ट्रक्शन 7.50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान कर रहा है। रेलवे के साथ करार करते समय ठेकेदारों ने वचन दिया था कि वे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधान का अनुपालन करेंगे। दैनिक मजदूरी की दरें उस क्षेत्र की न्यूनतम मजदूरी दरों से कम नहीं हैं।

(ग) 1978-79 और 1979-80 में नैमित्तिक श्रमिकों को लगाकर ऐसे गहन छान-बीन के काम कराये गये थे।

(घ) बकाया काम को पूरा करने तथा प्रगति तीव्र करने के लिए ये काम ठेके पर दिए गए हैं।

स्टेशन मास्टरों के लिए उच्च ग्रेड के पद

6118. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 सितम्बर, 1956 से स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के ग्रेडों के वितरण की प्रतिशतता क्या है और उच्च ग्रेड पदों के आवंटन का आधार क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों की कुल संख्या के आधार पर उच्च ग्रेडों में वितरण की प्रतिशतता बंद कर दी गई है जिसके परिणामस्वरूप उच्च ग्रेडों के पदों में कमी हुई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विस्तृत तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों का दर्जा बढ़ाने से कार्यालय क्लर्कों; कमर्शियल क्लर्कों और अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के साथ भेदभाव हो जाता है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और यह भेदभाव दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक विवरण संलग्न है। पुनर्वितरण स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों के समय पर निर्धारित काम तथा जिम्मेदारियों के आधार पर किया गया था।

(ख) वास्तव में उच्च ग्रेडों में प्रतिशत वितरण को स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों की कुल संख्या के आधार पर 1962 में बंद कर दिया था, और शंकर सरन अधिकरण के एक फैसले से उच्च ग्रेडों के पदों में कमी नहीं हुई है।

(ग) और (घ) चूंकि स्टेशन मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, कार्यालय क्लर्क, वाणिज्य क्लर्क, और अन्य कोटियां विभिन्न संवर्गों और विभिन्न कर्तव्य तथा जिम्मेदारियों के पद हैं, इसलिए भेदभाव का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

		ग्रेडों में प्रतिशत वितरण		
	ग्रेड	स्टेशन मास्टर	सहा० स्टेशन मास्टर	
1. 1.4.56 से (नई	80-1˚0 रुपये		60	(सहायक स्टेशन मास्टर तथा स्टेशन मास्टर के के कुल पदों में से)
योजना के अन्तर्गत)	100-135 रुपये	सहा० स्टे० मास्टर तथा स्टेशन मास्टर	30	वही
	150-225 रुपये 200-300 रुपये 260-350 रुपये 300-400 रुपये 360-500 रुपये	वही	5	वही
2. 1.10.1962 से	80-170 रुपये		75	
(शंकर सरन	100-135 रुपये	75	20	
निर्णय)	150-225 रुपये	13	3	
	200-300 रुपये और ऊपर	12	2	
3. 1.1.79 से	330-560 रुपये		55	
(संवर्ग पुनर्संरचना	425-640 रुपये	50	37.5	
के अन्तर्गत)	455-700 रुपये	37.5	7.5	
	550-750 रुपये	10		
	700-900 रुपये	2.5		
4. 1.10.79 से	330-560 रुपये		55	
(संवर्ग पुनर्संरचना	425-640 रुपये	45	37.5	
के अन्तर्गत)	455-700 रुपये	37.5	7.5	
	550-750 रुपये	15		
	700-900 रुपये	2.5		

अहमदाबाद और त्रिवेन्द्रम के बीच सुपर फास्ट रेलें

6119. **श्री ए० के० राजन :**

श्री आर० पी० गायकवाड :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 145/146 नवजीवन एक्सप्रेस की पद्धति पर अहमदाबाद और त्रिवेन्द्रम के बीच एक सीधी सुपर फास्ट रेल सेवा शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस प्रस्ताव पर सरकार का क्या निर्णय है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पुक में 25 और 26 आईलैण्ड एक्सप्रेस का रूकना

6120. **श्री के० ए० राजन :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे की रेल प्रयोक्ता संघ, पुड्वाद, केरल से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें पुक में 25 और 26 आईलैंड एक्सप्रेस को रोकने और बम्बई के लिए तीन बर्थों का कोटा आबंटित करने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य-विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) पडुक्कड में 25/26 आईलेंड एक्सप्रेस के ठहराव तथा इस स्टेशन में बम्बई के लिए शायिकाओं के कोटे का आवंटन करने के लिए रेल उपयोगकर्ता एसोसिएशन, पडुकर से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, इनकी जांच की गयी थी किन्तु वाणिज्यिक दृष्टि से इनका औचित्य नहीं पाया गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 4 पर हुबली-धारवाड़ बाइ-पास पर भूमि का अधिग्रहण

6121. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** पुणें-बंगलौर राष्ट्रीय राजमार्ग के बदले के बारे में 11 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3436 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 4 पर हुबली-धारवाड़ बाई-पास के लिए भूमि के अधिग्रहण के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है और अब तक कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है; और

(ग) उपरोक्त बाई-पास के लिए भूमि के अधिग्रहण का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) हुबली-धारवाड़ बाई-पास के निर्माण का प्रस्ताव, जिसमें भूमि अधिग्रहण करना भी शामिल है, व्यय वित्त समिति को अनुमोदनार्थ भेजा जा रहा है। अनुमोदन मिलते ही भूमि अधिग्रहण करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग की सूचना के अनुसार, इस प्रयोजन के लिए लगभग 159 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहण करनी होगी। फिलहाल यह नहीं बताया जा सकता कि भूमि अधिग्रहण करने का काम किस तारीख तक पूरा होगा।

दीवा-पनवल सेक्शन का विद्युतीकरण

6122. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पनवल (जिला रायगढ़, महाराष्ट्र) के यात्री संघ ने एक ज्ञापन द्वारा मध्य रेलवे के दीवा-पनवल सेक्शन के विद्युतीकरण की माँग की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस मार्ग पर यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो इस मार्ग पर अतिरिक्त गाड़ियां चलाने के दृष्टिकोण से यात्रियों की संख्या में किस सीमा तक वृद्धि हुई है और उसका स्वरूप क्या है; और

(घ) उक्त संघ द्वारा की गई माँगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां, कुछ वृद्धि हुई है।

(ग) इस खंड में यात्री यातायात में हुई वृद्धि नीचे दी गयी है :—

वर्ष	प्रतिशत वृद्धि
1978-79	10.5
1979-80	19.4

(घ) इस खंड पर अतिरिक्त गाड़ियाँ चलाने के कोई औचित्य नहीं है।

पेंशन के लम्बित मामले

6123. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मन्त्री मंहगाई भत्ते के एक भाग को पेंशन में शामिल करने के बारे में 18 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4446 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के बम्बई डिवीजन में सेवा निवृत्त व्यक्तियों के 30 जुलाई, 1977 से पहले के पेंशन के लम्बित मामलों को निपटाने के लिये गत तीन महीनों में क्या विशेष प्रयास किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि कोई प्रगति नहीं हुई है तो इसके क्या कारण हैं और काम में तेजी लाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) पेंशन के 550 अनिणित मामलों में से 547 मामलों का निपटान किया जा चुका है। बाकी तीन मामलों के निपटान के लिए कार्यवाई की जा रही है।

मध्य रेलवे कार्मिक संघ से अभ्यावेदन

6124. **श्री आर० के० महालगी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को दक्षिण मध्य रेलवे कार्मिक संघ से दिनांक 17 नवम्बर 19 0 का एक अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो उनमें क्या मांगें की गई हैं; और

(ग) सरकार ने उसमें की गई प्रत्येक मांग पर क्या कार्यवाई की है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) अभ्यावेदन में दक्षिण मध्य रेलवे के हुबली मण्डल में कार्यरत कर्मचारियों की कुछ स्थानीय शिकायतें दी गयी थीं।

(ग) सरकार की नीति के अनुसार किसी भी साधन से प्राप्त होने वाले कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर यथावत विचार किया जाता है और यथा-अपेक्षित कार्रवाई की जाती है। दक्षिण मध्य रेलवे कार्मिक संघ के दिनांक 17.11.1980 के अभ्यावेदन पर भी इसी नीति के अनुसार कार्रवाई की गयी है।

जगाधरी में रेलवे आउट एजेन्सी के एजेन्ट

6125. **श्री सन्त कुमार मण्डल :** क्या रेल मन्त्री जगाधरी में रेलवे आउट एजेन्सी के बारे में 11 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3442 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जगाधरी रेलवे आउट एजेन्सी के वर्तमान आउट एजेन्टों की अवधि कब समाप्त होती है;

(ख) क्या सरकार ने रेलवे प्रशासन को अनुदेश जारी करने का निर्णय किया है कि वह नये टेंडरों के लिए विज्ञापन जारी करे ताकि एक ही पार्टी को बार-बार ठेका दिये जाने के बजाय नये लोगों को इस अत्यधिक लाभप्रद हैंडलिंग कार्य में लाया जा सके; और

(ग) यदि नहीं तो क्या सरकार आउट-एजेन्सियों का आवंटन जीवन-पर्यन्त आधार पर न करके, हर बार अवधि समाप्त होने पर कुल लोगों से नई निविदायें मांगकर इस आउट एजेन्सी सम्बन्धी नीति की पुनर्विचार करेगी ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 15.8.1981 को ।

(ख) ठेके की अवधि समाप्त होने से पहले मौजूदा ठेकेदार के समग्र कार्यनिष्पादन के आधार पर रेल प्रशासन द्वारा इस मामले में विनिश्चय कर लिया जायेगा ।

(ग) आउट एजेन्सियों के ठेके जिन्दगी भर के लिए नहीं बल्कि उसे 5 वर्ष की अवधि के लिए दिये जाते हैं । तदुपरान्त आउट एजेन्ट के कार्यनिष्पादन के आधार पर इन ठेकों का नवीकरण किया जाता है । इस नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं समझी जाती ।

वैस्टर्न इण्डिया शिपर्स एसोसिएशन के साथ समझौता

6126. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुगल लाइन वैस्टर्न इंडिया शिपर्स एसोसिएशन के साथ 'डो और लो' का समझौता करके अन्य भारतीय नौवहन कम्पनियों से आगे बढ़ गयी है ताकि उसे भारत के पश्चिमी तट—'रेड सी' के पत्तन मार्ग पर ढुलाई के लिए पूरा माल मिल सके;

(ख) यदि हां, तो अन्य तीन शिपिंग लाइनों, यथा, भारतीय नौवहन निगम, सिंधिया स्टीम नैवीगेशन कम्पनी और इंडिया स्टीमशिप कम्पनी ने वैस्ट इंडिया शिपर्स एसोसिएशन के साथ ऐसा समझौता करने के बारे में क्यों नहीं सोचा;

(ग) क्या पश्चिमी तट पर 'नोन-कांफ्रेंस' नौवहन लाइनें कुल माल में से 60 प्रतिशत से अधिक माल की ढुलाई कर रही हैं; और

(घ) इस अनेमी पोत (ट्रैम्प) परिवहन की रोकथाम के लिए क्या प्रभावी उपाय करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) मुगल लाईन लि० ने वैस्टर्न इंडिया शिपर्ज एसोसिएशन के साथ 2.3.81 को एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अनुसार इस एसोसिएशन की सदस्य कम्पनियों को माल की बुकिंग और ढुलाई के मामले में विशेष तरजीह दी जाएगी ।

(ख) शिपिंग कम्पनियां ही अपने वाणिज्यिक हितों के बारे में सर्वोत्तम निर्णायक होती हैं ।

(ग) कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

(घ) एक कार्यदल, इस समय, बे-ईमान ट्रैम्प आपरेटरों के कार्यकलापों की जांच कर रहा है । यदि आवश्यक समझा गया तो सरकार इस कार्यदल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए

इन आपरेटरों के कार्यों को रोकने या उन पर नियंत्रण रखने के लिए यथा समय आवश्यक उपाय करने पर विचार करेंगी।

वाणी-चनका लाइन

6127. **श्री बापू साहिब परुलेकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में वाणी-चनका रेल लाइन के निर्माण की परियोजना के लिये 1973 में मन्जूरी दी गई थी;

(ख) क्या परियोजना की लागत 5.30 करोड़ रुपये थी जबकि अब तक 1 करोड़ 67 लाख रुपये खर्च किये गये हैं;

(ग) क्या उक्त परियोजना के लिये 1979-80 में एक करोड़ रुपये मन्जूर किये गये थे; और

(घ) परियोजना की प्रगति क्या है और उक्त परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) परियोजना की मूल लागत 5.30 करोड़ रुपये थी। पिंपालकोटी तक परियोजना की वर्तमान लागत का अनुमान 8.50 करोड़ रुपये लगाया गया है। 31.3.81 तक 338 लाख रुपये खर्च हो गये होंगे।

(ग) जी हां।

(घ) पिपालकोटी तक की लाइन के 1982 में पूरा हो जाने की संभावना है।

रेलवे चिकित्सा सेवायें

6128. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मन्त्रालय द्वारा 1978, 1979 और 1980 में रेलवे चिकित्सा सेवाओं के रोकथाम कार्यक्रमों के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ख) उपरोक्त वर्षों में रेलवे कालोनियों की जनसंख्या क्या थी;

(ग) रलवे चिकित्सा सेवाओं में सफाई संगठनों के विशिष्ट-कार्यों का ब्योरा क्या है तथा भारतीय रेलों के सफाई संगठन की सम्बन्धित श्रेणियों में वर्ष 1955 और 1980 में कर्मचारियों की कुल संख्या क्या थी; और

(घ) रोकथाम के टीके लगाने के लिये कितने कर्मचारियों को मन्जूरी दी गई और उनका डिवीजन-वार ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रोकथाम के कार्यों के लिए आबंटित धन राशि निम्नलिखित थी :—

	1978	...	11,08,91,200 रुपये
	1979	...	13,67,86,000 रुपये
	1980	...	14,80,79,000 रुपये
(ख)	1978	...	29,09,555 रुपये
	1979	...	30,63,637 रुपये
	1980	...	30,13,927 रुपये

(ग) रेलवे का स्वास्थ्य विभाग रेलवे कोलोनियों तथा कुछ स्टेशनों पर सफाई की व्यवस्था, रेलों पर खाद्यान्न प्रदूषण निवारक अधिनियम के लागू करने, बर्तनों में रखे जाने वाले पानी को किटाणुरहित करके तथा उसका परीक्षण करके सप्लाई करने, संक्रामक रोगों की रोकथाम करने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के लागू करने, पाठशाला स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य शिक्षा के लिए काम करता है। सफाई संगठनों में कर्मचारियों की कुल संख्या इस प्रकार थी :—

1955	...	22,807
1980	...	27,816

(घ) निरोधक टीके लगाने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की स्वीकृति नहीं दी गयी है। बहरहाल, यह काम चिकित्सा और परा-चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है।

गाड़ी परीक्षक

6129. **श्री सूरज भान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में जनरल मैनेजर के पत्र संख्या 752 ई/213 (बी० II सी०) दिनांक 30 अक्तूबर, 1954 के द्वारा 1 अप्रैल 1950 से सीधी भरती के गाड़ी परीक्षकों तथा पदोन्नत गाड़ी परीक्षकों के बीच भरती का अनुपात क्रमश: 80 : 20 नियत किया गया था ; और

(ख) यदि नहीं, तो उस समय भर्ती का क्या अनुपात नियत किया गया था ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। लेकिन 425-700 रुपये के ग्रेड के गाड़ी परीक्षकों के पदों को भरने के लिए 30-10-1972 से लागू प्रतिशत में निम्नलिखित संशोधन किया गया है :—

40% रेल सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती करके, 20% मध्यवर्ती प्रशिक्षु गाड़ी परीक्षकों तथा 40% रैन्करों में से पदोन्नति द्वारा।

(ख) जी नहीं।

गाड़ी परीक्षकों की वरिष्ठता सूची

6130. **श्री सूरज भान : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के दिल्ली मण्डल में 1968 में तथा उसके बाद भर्ती किए गए गाड़ी परीक्षकों की वरिष्ठता सूची अभी तक जारी नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रशासन का उक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता सूची कब तक जारी करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सहायक कैरिज सफाई निरीक्षकों की तुलना में गाड़ी परीक्षकों की वरिष्ठता का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। चूंकि मामला न्यायाधीन है, अत: कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

रेलवे में परिवीक्षाधीन अधिकारियों को स्थायी किया जाना

6131. **श्री सूरज भान : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान नियमों के अनुसार परिवीक्षा पर भर्ती किए गए सभी व्यक्तियों को परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने पर, यदि विशिष्ट अधिसूचना द्वारा उनकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ा न दिया जाये तो स्थायी किया जाना होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे में परिवीक्षाधीन अधिकारियों को स्थायी करने में उक्त नियम को कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो रेलवे में स्थायी करने हेतु क्या तरीका अपनाया जा रहा है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) वर्तमान नियमों के अनुसार, वर्ग 'क' (श्रेणी-1) रेल सेवाओं के सभी परिवीक्षाधीन अधिकारियों को तभी स्थायी किया जाता है यदि वे सभी प्रकार से उपयुक्त हों जिसमें यह अन्तर्निहित है कि उन्हें केवल सभी विभागीय परीक्षाएं ही पास नहीं करनी होती हैं बल्कि उनका समग्र रिकार्ड सभी प्रकार से संतोषप्रद होना चाहिए।

इलैक्ट्रिक चार्जमैनों की वरिष्ठता

6132. **श्री सूरज भान : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर-पूर्व रेलवे में इलैक्ट्रिक चार्जमैनों के काडर में वरिष्ठता विभिन्न माध्यमों की आवश्यकता अर्थात् मूल ग्रेड में सीधे भर्ती और पदोन्नति के लिए निर्धारित कोटे के सम्बन्ध में निर्धारित की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वरिष्ठता निर्धारित करने का यही सिद्धान्त रेल कर्मचारियों की अन्य श्रेणियों के लिए भी अपनाया जाता है जहां प्रारम्भिक ग्रेड में भर्ती दो अथवा अधिक माध्यमों से की जाती है तथा प्रत्येक के लिए एक निश्चित कोटा निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं और सरकार का रेल कर्मचारियों की अन्य समान श्रेणियों में वरिष्ठता निर्धारित करने की इस पद्धति को कब तक क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

व्यापारी वर्ग से वसूल किया जाने वाला हैंडलिंग शुल्क

6133. **श्री जार्ज फर्नान्डीस** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा सभी प्रकार के सामान और पार्सलों की हैंडलिंग के लिये व्यापारी वर्ग से कितना हैंडलिंग शुल्क वसूल किया जाता है ;

(ख) क्या यह शुल्क भिन्न-भिन्न वस्तुओं के लिये भिन्न-भिन्न है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) रेलें सामान्यतया फुटकर में अर्थात् माल डिब्बा भार से कम में बुक किये गये परेषणों के लिए अलग से किसी प्रकार का सप्लाई प्रभार वसूल नहीं करती हैं। माल डिब्बा भार के सम्बन्ध में सामान्यतया परेषणों को उतारने तथा चढ़ाने का काम परेषक/परेषिती द्वारा कराया जाता है । लेकिन जहां माल डिब्बा भार में परेषणों को उतारने तथा चढ़ाने का काम रेलों द्वारा निष्पादित किया जाता है, वहां माल चढ़ाने तथा उतारने के लिए अलग से प्रभार वसूल किया जाता है । ऐसे मामलों में, जहां भारी परेषणों को लादने तथा उतारने के लिए रेलवे क्रेन सप्लाई की जाती हैं, क्रेन प्रभार वसूल किया जाता है । माल की सम्हलाई के लिए रेलों द्वारा माल का लदान करने तथा उतारने और उन प्रभारों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया है ।

विवरण

प्रभार की किस्म	प्रभार की दर
1	2
(1) नियमानुसार जिन परेषणों को चढ़ाना/उतारना मालिक द्वारा किया जाना अपेक्षित होता है परन्तु जिन्हें रेलों द्वारा चढ़ाया/उतारा जाता है, उनके सम्बन्ध में परेषणों को चढ़ाने तथा उतारने के लिए प्रभार ।	दर सूची में अधिसूचित नहीं की गयी हैं लेकिन अलग-अलग रेलों द्वारा निर्धारित की गयी हैं।

1	2		
(2) ऐसे मामलों में, जहां पर परे-पणों को उतारने तथा चढ़ाने के लिए रेलवे क्रेन सप्लाई की जाती हैं/लगाये गये क्रेन प्रभार	क्रेन की व्याख्या	क्रेन को माल उठाने की क्षमता	प्रति घंटे अथवा एक घंटे से कम के लिए प्रभार (रुपये)
	(क) स्थायी हैन्ड क्रेन	मीटरिक टन सभी प्रकार का माल उठाने की क्षमता	7
	(ख) चलती-फिरती हैन्ड क्रेन	1-10	35
		11-20	54
	(ग) स्थायी क्षमता चलती फिरती भाप/पैट्रोल बिजली/डीजल क्रेन	1-10	54
		11-20	72
		21-30	84
		31-100	90
		101-और अधिक	156

नोट :—उपर्युक्त दरों के अलावा 1-4-79 से लागू 10%, 15-7-1980 से लागू 15% और 1-4-1981 से लागू 15% पूरक प्रभार भी लागू है।

नंदगांव लोको शेड का स्थानान्तरण

6134. **श्री जार्ज फर्नान्डीस :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे लोको शेड को नन्दगांव से किसी अन्य स्थान को स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या रेलवे लोको शेड बचाओं कृति समिति ने इसके स्थानान्तरण के विरुद्ध अभ्या-वेदन दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) भारतीय रेलों ने कर्षण प्रणाली का उत्तरोत्तर युक्तिकरण करने और इसे धीरे-धीरे भाप कर्षण में बदलने की योजना बनायी है जो कि डीजल/विद्युत कर्षण की तुलना में अलाभप्रद है। परिणाम-स्वरूप, जहां-कहीं डीजलीकरण/विद्युतीकरण किये जाने के कारण भाप इंजन सेवाएं समाप्त कर

दी गई हैं, वहां युक्तिकरण के भाग के रूप में भाप रेल इंजन शेडों को बन्द करना पड़ेगा। इगतपुरी-भुसावल विद्युतीकृत खण्ड पर थ्रू भाप कर्षण को समाप्त करने से बड़ी संख्या में भाप रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण का कार्य मनमाड में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसलिए नन्दगांव शेड का भाप रेल इंजनों के खड़ा करने के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है। बहरहाल, इस समय इस शेड का उपयोग बाहरी रेल इंजनों की मरम्मत करने तथा उनमें कोयला भरने के लिए किया जा रहा है।

(ग) और (घ) मध्य रेलवे को 6-3-81 को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और इस पर विचार किया जा रहा है।

पाकिस्तान को हथियारों की बिक्री

6135. **श्री एस० एम० कृष्ण : क्या विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लंदन में पाकिस्तान के विदेश मन्त्री श्री आगाशाही द्वारा दिए गए और दिनांक 3 मार्च 1981 के "टाइम्स आफ इंडिया" नई दिल्ली (पृष्ठ 7) में "आर्मस सेल टू पाकिस्तान शुड नाट बी डिटरमिंड बाई एक्सेप्टेबिलिटी टू इंडिया" शीर्षक से प्रकाशित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) भारत का हमेशा यही मत रहा है कि अगर अमरीका किसी देश के विरुद्ध लड़ाई के लिए पाकिस्तान में हथियार भेजता है तो उससे हमारे निकट पड़ोस में बड़ी शक्तियों के बीच संघर्ष बढ़ आने की आशंका है। इससे हथियारों की होड़ बढ़ सकती है, इस उपमहाद्वीप में सामान्यीकरण की प्रक्रिया को धक्का पहुँच सकता है और इस क्षेत्र के देशों की सुरक्षा और उनके स्थायित्व पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इसी संदर्भ में सरकार ने पाकिस्तान की सरकार को यह आश्वासन दिया है कि उन्हें भारत से कोई खतरा नहीं है। इसके साथ ही भारत ने अमरीकी सरकार के समक्ष सोवियत संघ के मुकाबले इस क्षेत्र में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने की अमरीकी नीति की रूपरेखा के अन्तर्गत पकिस्तान को हथियार बेचने के उनके कथित निर्णय के सम्बन्ध में अपनी गम्भीर चिंता व्यक्त कर दी है।

रेल सुरक्षा (विशेष) बल के जवान

6136. **श्री दया राम शाक्य : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सुरक्षा (विशेष) बल के कुछ जवानों को नवम्बर, 1980 में उनकी सेवा से निकाल दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या आरोप लगाए और उन्हें सेवा से निकाले जाने के क्या कारण थे?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य-विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) रेलवे सुरक्षा बल के दस कर्मचारियों को नवम्बर, 1980 में उनकी गम्भीर अनुशासनहीनता के कारण नौकरी से बर्खास्त कर दिया क्योंकि उन्होंने भूख हड़ताल करने और सामूहिक सिक रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों को बहकाने और उकसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ; स्वीकृत छुट्टी से अधिक समय तक छुट्टी पर रहने और बिना किसी प्राधिकार या सूचना के ड्यूटी से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने के कारण चार अन्य-कर्मचारियों को भी सेवा से हटाया गया।

भूटान से घुसपैठ करके आ रहे शरणार्थी

6137. **श्री रामचन्द्र रथ** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूटान से भारत में बड़ी संख्या में शरणार्थी घुसपैठ करके आ रहे हैं ;

(ख) क्या उनमें से अधिकांश लोग तिब्बती मूल के हैं ;

(ग) वे भूटान किस लिये छोड़ रहे हैं ; और

(घ) इस बारे में सरकार का विचार क्या पुनर्वास उपाय करने का है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) जी, नहीं। भूटान से भारत में शरणार्थी चोरी छिपे नहीं आए हैं, लेकिन भूटान के शाही सरकार और परम पावन दलाई लामा के अनुरोध पर भारत सरकार भूटान के उन 3,000 लोगों में से 1500 तिब्बती शरणार्थियों के भारत में पुनर्वास की व्यवस्था के लिए सहमत हो गयी है, जिन्होंने भूटान की नागरिकता लेना अस्वीकार कर दिया था।

(घ) भारत ने जिन 1500 तिब्बती शरणार्थियों को भारत में फिर से बसाना स्वीकार किया है उनमें से करीब 640 तिब्बती शरणार्थियों को कर्नाटक राज्य की वर्तमान तिब्बती पुनर्वास-बस्तियों में बसाया जा रहा है। बाकी लोगों को बसाने के लिए पुनर्वास विभाग दूसरे राज्यों में वहां की सरकारों के परामर्श से जगहें चुनने का प्रयत्न कर रहा है।

'गोल्ड फाउण्ड इन ह्यूमन सीमेन' शीर्षक समाचार

6138. **श्री अर्जुन सेठी** :

श्री के० मालन्ना :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जनवरी, 1981 के 'डेकन हैराल्ड' में इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि एक कायचिकित्सक (फिजिशियन) ने मनुष्य के वीर्य में स्वर्ण होने का दावा किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 'वर्णक्रमीय विश्लेषण' पद्धति से उसने जिन वीर्य नमूने का भी अध्ययन किया है उन सभी में उसने स्वर्ण होने का दावा किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को ऐसी किसी प्रकाशित वैज्ञानिक सामग्री की जानकारी नहीं है जिसमें मनुष्यों के वीर्य के अनेक नमूनों की जाँच करने से उसमें स्वर्ण मिलने की बात कही गई हो।

रेलवे को माल-डिब्बों की आवश्यकता

6139. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लुरी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे को वर्ष 1978, 1979 और 1980 के लिये कितने माल-डिब्बों की आवश्यकता थी ;

(ख) कुल कितने माल डिब्बों का आर्डर दिया गया और उनमें से प्रति वर्ष कितने माल डिब्बे प्राप्त हुए ;

(ग) उपरोक्त अवधि के लिये माल डिब्बों के निर्माण के लिये क्या वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया गया था ; और

(घ) वास्तव में कितने डिब्बों का उपयोग किया गया ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) पंचवर्षीय योजना की अवधि में निर्धारित माल-डिब्बों की प्राप्ति से माल डिब्बों की मांग परिलक्षित होती है। वर्षानुवर्ष आधार पर खरीद की योजना वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक योजना में आबंटित किये गये धन के आधार पर बनायी जाती है। 1978-79 से 1980-81 तक के वर्षों के दौरान, सप्लाई के लिए वर्ष में अदेशित माल-डिब्बों की संख्या और वास्तव में सप्लाई किये गये माल-डिब्बों की संख्या नीचे दी गयी है :—

(आंकड़े चौपहियों के हिसाब से)

वर्ष	वर्ष के दौरान सप्लाई के लिए आदेशित माल डिब्बों की संख्या	वास्तविक सप्लाई
1978-79	12,475	12,022
1979-80	13,000	10,827
1980-81 (फरवरी, 1981 तक)	13,000	10,384

(ग) और (घ) 1978-7 से 1980-81 तक की अवधि में माल डिब्बों की प्राप्ति के लिए जितने वित्तीय परिव्यय की व्यवस्था की गयी और वास्तव में जितना खर्च किया गया है वह इस प्रकार है :—

वर्ष	धन की व्यवस्था	वास्तविक खर्च (करोड़ रुपयों में)
1978-79	96.58	98.52
1979-80	108.27	107.68
1980-81	102.97	**

**वित्तीय वर्ष के आंकड़े लेखा समाप्त होने के पश्चात् उपलब्ध होंगे।

दिल्ली की यमुना पार और अन्य पुनर्वास बस्तियों के लिए दिल्ली परिवहन निगम की सेवाएं

6140. श्री जगदीश टाईटलर : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवहन सेवाओं में सुधार करने के विचार से गत एक वर्ष में दिल्ली की यमुनापार और पुनर्वास बस्तियों के लिए दिल्ली परिवहन की बसों की संख्या और (फ्रीक्वेंसी) बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में और कौन सी योजनाएं सरकार के विचाराधींन है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जनवरी, 1980 से समय-समय पर किए गए यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम ने 15 नए रूट आरंभ किए हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली परिवहन निगम ने 27 रूटों पर बसें जल्दी-जल्दी चला कर या इन रूटों पर अधिक बसें चलाकर बस-सेवा में वृद्धि की है।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम क्षेत्र विशेष को ध्यान में रख कर नहीं बल्कि समूचे परिचालन क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखकर अपनी योजनाएं बनाता है। अतिरिक्त बस सर्विस की योजना बनाते समय सभी क्षेत्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है।

जलमार्गों के लिए राष्ट्रीयस्तर का सांविधिक प्राधिकरण

6141. श्री जगदीश टाइटलर :

श्री अमर राय प्रधान :

श्री चित महाटा :

क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के जलमार्गों के विकास, प्रबन्ध और रखरखाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई सांविधिक प्राधिकरण स्थापित करने की जांच कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका गठन कब किए जाने की सम्भावना है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) राष्ट्रीय परिवहन नीति निर्धारण समिति ने मई, 1980 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि अन्तर्देशीय जल परिवहन के समुचित विकास के लिए नेशनल वाटरवेज अथारटी आफ इंडिया की स्थापना की जाए। सरकार इस सिफारिश पर विचार कर रही है।

(ख) और (ग) सिफारिशों पर निर्णय लिए जाने पर ही इनका पता चलेगा।

गत तीन वर्षों में चलाई गई नई रेल गाड़ियों की संख्या

6142. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में चलाई गई नई रेलगाड़ियों की कुल संख्या कितनी हैं ; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों अर्थात् 1978-79, 1979-80 और 1980-81 (दिसम्बर, 80 तक) के दौरान कुल 196 नयी अनुपनगरीय यात्री गाड़ियां चलायी गयी । इन गाड़ियों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

चलायी गयी अनुपनगरीय गाड़ियों की सूची

1978-79

बड़ी लाईन 145/146 मद्रास बीच-अहमदाबाद नवजीवन एक्सप्रेस (सप्ताह में एक बार)

19/20 भुवनेश्वर-सिकन्दराबाद कोर्णाक एक्सप्रेस

101/102 सिकन्दराबाद-बम्बई वी० टी० मीनार एक्सप्रेस

159/160 दुर्ग-वाराणसी सारनाथ एक्सप्रेस

173/174 हवड़ा-जम्मू तवी हिमगिरी एक्सप्रेस (सप्ताह में दो बार)

1 यू० के०/2 यू० के० अम्बाला कैन्ट-कालका पैसेंजर

एक जोड़ी बर्दवान-आसनसोल पैसेंजर

95/96 न्यू जलपाई गुड़ी-हल्दीबाड़ी पैसेंजर

एक जोड़ी सोनपुर-पहलेजाघाट पैसेंजर

399/400 मुसावल-नागपुर पैसेंजर

495/496 दीवा-पनवेल शटल

553/554 पुणे-दोण्ड पैसेंजर

आर० सी० 3/आर० सी० 4 काकीनाडा-सामलकोट पैसेंजर

एक जोड़ी सिकन्दराबाद-फालेखमा शटल

एक जोड़ी विजयवाड़ा-रायनपाड वर्कमैन शटल

434 राजामुन्दड़ी-टैंडोपल्लीगुड्डम पैसेंजर (एक दिशा में)

1 एन० एच० पी० हजरत निजामुद्दीन-पानीपत (एक दिशा में)

2 पी० एन० जी० पानीपत-नई दिल्ली-गाजियाबाद पैसेंजर (एक दिशा में)

3 जी० एच० एन० गाजियाबाद-दिल्ली-हजरत निजामुद्दीन पैसेंजर (एक दिशा में)

आर० सी० 33/34 अंगोला-उल्लीवपाडू रेल कार

आर० सी० 37/38 भीमावरम-निडाडावल्लू पैसेंजर

147/148 विरार-वलसाड़ शटल

143/144 विरार-धानू रोड शटल

आर० सी० 9/आर० सी० 10 काकीनाडा-सामलकोट पैसेंजर

आर० सी० 35/36 अंगोला-ओहिनगंजम रेल कार

मीटर लाइन 43/44 अहमदाबाद-उदयपुर सिटी एक्सप्रेस

45/46 अहमदाबाद-भावनगर/पोरबन्दर-गांधीधाम एक्सप्रेस

63/64 पालपुर-दिसा पैसेंजर

3 एच० एस०/4 एच० एस० सादुलपुर-हिसार पैसेंजर

39/40 फकीराग्राम-धुबरी पैसेंजर

एक जोड़ी मथुरा-वृन्दावन शटल

231/232 गोरखपुर-कप्तानगंज पैसेंजर

237/238 बीकानेर-जयपुर एक्सप्रेस

एक जोड़ी कानपुर-ब्रह्मावृत्त डीजल कार

जोड़ : 64

1979-80

बड़ी लाईन	131/132 इटारसी-जबलपुर पैसेंजर
	179/180 टाटानगर-वाराणसी एक्सप्रेस (सप्ताह में एक बार)
	आर० सी० 5/आर० सी० 6 सामलकोट-काकिनाडा पैसेंजर
	एस० एम० 3 सांगली-मिरज पैसेंजर (एक दिशा में)
	451/452 भोजूडीह-भग्गा मिश्रित
	387/388 त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी पैसेंजर
	389/390 त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी पैसेंजर
	133/134 अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस (फेरे बढ़ाये गये)
	181/182 अहमदाबाद-नयी दिल्ली सर्वोदय एक्सप्रेस
	317/318 बर्दवान-रामपुर हाट पैसेंजर
	11 डी० एस० एस०/12 डी० एस० एस० दिल्ली-शाहदरा-शामली पैसेंजर
	391/392 नागरकुईल-कन्याकुमारी पैसेंजर
	393/394 नागरकुईल-कन्याकुमारी पैसेंजर
	55/56 नर्बापुर-सिकन्दराबाद एक्सप्रेस
	एस० एस० 55/एस० एस० 56 सियालदह-सोनारपुर पैसेंजर
	385/384 कोल्लन-त्रिवेन्द्रम
मीटर लाइन	265/266 भिलडी-जोधपुर एक्सप्रेस
	1 जे० एम०/2 जे० एम० जोधपुर-मारवाड़ पैसेंजर
	201/202 गुवाहाटी-सिलचर कछार एक्सप्रेस (सप्ताह में दो बार)
	285/286 मंगलोर-बंगलोर फास्ट पैसेंजर (सप्ताह में दो बार)
	283/284 मंगलोर-कबाकपुट्टूर पैसेंजर
	123/124 कासगंज-मथुरा पैसेंजर
छोटी लाइन	1 पी० एन०/2 पी० एन० पठानकोट-नगरोटा पैसेंजर
	आर० सी० 1/आर० सी० 2 चिकबालापुर-येलहंका पैसेंजर
	आर० सी० 3/आर० सी० 4 चिकबालापुर-येलहंका पैसेंजर
	आर० सी० 5/आर० सी० 6 बंगरपेट्ट-कोल्लर पैसेंजर
	आर० सी० 7/आर० सी० 8 बंगरपेट्ट-कोल्लर पैसेंजर
	जोड़ 53

1980-81 (दिसम्बर 80 तक)

बड़ी लाइन 175/176 पुरी-नई दिल्ली नीलांचल एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन बार)

1 के० एम०/2 के० एम० खुर्जा जं०-मेरठ सिटी शटल

395 त्रिवेन्द्रम-नागरकुईल पैसेंजर

5 ए० ए०/6 ए० ए० आद्रा-आसनसोल पैसेंजर

149/150 गुना-बीना पैसेंजर

183/184 हटिया-चण्डीगढ़-राँची एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन बार)

53/54 सियालदह-मालदा टाउन गौड़ एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन बार)

1 आर० के० बी०/2 आर० के० बी० रोहतक-भिवानी शटल

3 आर० के० बी०/4 आर० के० बी० रोहतक भिवानी शटल

185/186 नई दिल्ली-भिवानी एक्सप्रेस

1 बी० डी०/2 बी० डी० बीना-दमोह पैसेंजर

305/306 मद्रास आरकोणम फास्ट पैसेंजर

187/188 मथुरा-टूण्डला यमुना लिंक एक्सप्रेस

191/192 पटना-दिल्ली सोनभद्र एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन बार)

47ए/48ए वीरमगाम-राजकोट पैसेंजर

1 एच० आर०/2 एच० आर० हटिया-राँची पैसेंजर

193/194 बम्बई-वाराणसी महानगरी एक्सप्रेस (सप्ताह में दो बार)

आर० सी० 7/आर० सी० 8 सामलकोट-काकीनाडा रेल कार

89ए/90ए राउरकेला-रांची लिंक एक्सप्रेस

5 आर० के० बी०/6 आर० के० बी० भिवानी-रोहतक शटल

1 यू० एस० डी०/2 यू० एम० डी० दिल्ली शाहदरा-अम्बाला सिटी पैसेंजर

29/30 पटना-धनबाद एक्सप्रेस

357/358 बंगरपेट्ट-कोरमंडल पैसेंजर

49/50 शेरूवन्नूर-करणूर एक्सप्रेस

मीटर लाइन 113/114 तिरुच्चिरापल्लि-मदुरई एक्सप्रेस

1 बी० बी० आर०/2 बी० बी० आर० रतनगढ़-बीकानेर पैसेंजर

1247/1248 धर्मावरम-पोकाले पैसेंजर

911/912 बंगलौर-तुमकुर पैसेंजर

1073/1074 केंगरी-बंगलौर पैसेंजर

1075/1076 केंगरी-बंगलौर पैसेंजर

205/206 मैसूर-बंगलौर टिपू एक्सप्रेस

1093/1094 चिकजजूर-चित्रदुर्ग पैसेंजर

1123/1124 अरसीकेर-विरुर पैसेंजर (सप्ताह में दो बार)

503/504 जोधपुर-जयपुर मरुधर एक्सप्रेस (छः दिन)

एच० डी० 13/एच० डी० 14 हुबली-धारवाड़ पैसेंजर

एच० डी० 15/एच० डी० 16 यथोक्त

221/222 मैसूर-बंगलौर कावेरी एक्सप्रेस

263/264 वीरमगाम-मेहसाना मिश्रित

1083/1084 होज अग्रहारा-मैसूर पैसेंजर,

633/634 नेगोर-मायूरम पैसेंजर

जोड़ 79

प्रथम श्रेणी रेलवे पास जारी करना

6143. **श्री सतीश अग्रवाल :**

श्री एन० के० शेजवलकर :

डा० बसन्त कुमार पंडित :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनको वर्तमान सूची में सम्मिलित किया गया था परन्तु जिनके नाम प्रथम श्रेणी पासों के लिए पहली सूची से निकाल दिये गये थे और उनके नाम सूची में पुन: सम्मिलित किये जाने के क्या कारण हैं?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : गैर रेल कर्मियों/संस्थाओं को मानार्थ कार्ड पास रेल मंत्री के व्यक्तिगत अनुमोदन से जारी/नवीकृत किए जाते हैं। पास जारी करने के लिए बनाये गये मार्ग निर्देशों को ध्यान में रखते हुए जारी/नवीकृत करने के प्रत्येक अनुरोध पर विचार किया जाता है। यह किसी को सुविधा देना नहीं और मानार्थ कार्ड पास के लिए किसी व्यक्ति/संस्था को रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्व शांति परिषद

6144. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर में बड़ी ताकतों द्वारा हथियार इकट्ठे करने के विरोध में व्यापक कार्यवाही की योजना करने के लिये जनवरी, 1981 में विश्व शांति परिषद ब्यूरो की कोई बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, उसमें तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) विश्व शांति परिषद की अध्यक्षीय समिति के ब्यूरो की बैठक 23 से 27 जनवरी, 1981 तक अन्तानानरिवो में हुई थी। इस बैठक की कार्य-सूची में अन्य बातों के साथ-साथ "हिन्द महासागर और खाड़ी के देशों में हथियार जमा करने और अफ्रीका तथा विश्व के लिए उससे उत्पन्न खतरे" के बारे में बातचीत शामिल थी।

(ख) प्रारम्भिक और अन्तिम अधिवेशनों के अतिरिक्त जिनमें राजनयिक मिशन-प्रमुखों को आमन्त्रित किया गया था, विश्व शांति परिषद ब्यूरो की कार्यवाही गुप्त रखी गई थी।

जोनल रेलों का व्यय

6145. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) नो जोनल रेलों में से प्रत्येक का (एक) रेलमार्ग विस्तार कार्यक्रम, (दो) नई रेल लाइनों के निर्माण पर पिछली पाँच पंचवर्षीय योजनाओं में प्रत्येक रेल विभाग में किये गये कुल व्यय का जोन-वार और योजना-वार अनुपात कितना है ;

(ख) इनमें से प्रत्येक योजना के आरम्भ और अन्त में जोन के कुल रेल मार्ग किलोमीटरों में जोड़े गये रेलमार्ग किलोमीटरों की प्रतिशतता क्या है;

(ग) अन्य प्रमुख यूरोपीय तथा एशियाई और अमरीकी देशों की तुलना में यह कितना है ; और

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना में इस अनुपात को बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेल लाइनों की लम्बाई

6146. **श्री नवलकिशोर शर्मा** : क्या रेल मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की स्वाधीनता के समय देश में रेल लाइनों की कुल लम्बाई कितनी थी ;

(ख) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक राज्य में रेल लाइनों की लम्बाई में प्रति वर्ष कितनी वृद्धि हुई तथा वर्ष 1980 तक की योजनाएं क्या थी;

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना में राज्यवार रेल लाइनों की लम्बाई में कितनी वृद्धि की जानी है और कितनी लम्बाई में छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदला जाना है; और

(घ) उन पर कितना व्यय होगा ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मार्ग किलोमीटर लम्बाई के आंकड़े प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त तक के रखे जाते हैं। 31 मार्च, 1948 को देश में सरकार द्वारा प्रबन्धित तथा अन्य रेलों की मार्ग किलोमीटर लम्बाई 54,693 थी।

(ख) विवरण 1 संलग्न है।

(ग) और (घ) विवरण 2 और 3 संलग्न है।

विवरण-1

(आंकड़े कि० मी० में)

क्रम सं०	राज्य	पहली योजना 1951-56	दूसरी योजना 1956-61	तीसरी योजना 1961-66	अन्तर्योजना 1966-69	चौथी योजना 1969-74	पांचवी योजना 1974-79	अन्तर्योजना 1979-80
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	17.06	—	—	132.12	—	—	—
2.	असम	—	8.70	449.08	3.37	—	—	—
3.	बिहार	21.61	146.34	327.16	13.58	23.175	117.995	—
4.	गुजरात	428.77	67.89	60.00	100.76	100.62	27.85	—
5.	हरियाणा	—	31.81	—	—	—	42.71	—
6.	हिमाचल प्रदेश	56.31	—	—	—	—	24.00	—
7.	जम्मू और काश्मीर	—	—	6.27	—	77.10	—	—
8.	कर्नाटक	—	—	79.26	62.96	25.86	158.84	48.01
9.	केरल	95.85	155.35	—	—	—	—	29.90
10.	मध्य प्रदेश	—	272.04	146.61	161.80	275.14	207.28	—

11.	महाराष्ट्र	6.76	242.45	86.91	15.07	—	33.20	—
12.	उड़ीसा	—	104.95	252.19	184.74	84.31	—	—
13.	पंजाब	53.70	—	30.69	4.22	—	—	—
14.	राजस्थान	44.30	57.59	153.94	105.00	27.56	31.19	—
15.	तमिलनाडु	133.64	—	92.15	166.34	—	—	56.76
16.	त्रिपुरा	—	—	15.00	—	—	—	—
17.	उत्तर प्रदेश	401.13	59.42	107.21	—	36.56	142.523	—
18.	पश्चिम बंगाल	27.30	106.80	339.28	60.63	30.679	11.37	5.146
19.	चंडीगढ़	6.08	—	—	—	—	—	—
20.	दिल्ली	7.47	—	—	49.89	—	—	—
21.	गोआ	—	—	22.53	—	—	—	—
	जोड़	1299.980	1253,040	2198.280	1060.480	681.004	797.758	139.816

विवरण-2

चालू नयी लाइन परियोजनाएं

क्रम सं०	राज्य	मार्ग किलोमीटर	अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	237.00	35.12
2.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	210.37	50.29
3.	बिहार	107.60	11.36
4.	बिहार/उत्तर प्रदेश	28.41	10.00
5.	गुजरात	60.50	5.38
6.	हरियाणा	49.3	7.20
7.	कर्नाटक	189.21	50.14
8.	केरल	51.00	6.97
9.	केरल/तमिलनाडु	29.90 129.90	33.61
10.	राजस्थान मध्य प्रदेश	132.00 10.00	41.09
11.	उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश	33.00	19.04
12.	महाराष्ट्र	217.48	52.29
13.	उड़ीसा	176.00	59.28
14.	उत्तर प्रदेश	236.20	44.09
15.	पश्चिम बंगाल	90.93	17.21
	जोड़	2088.80	453.07

नयी लाइन परियोजनाएं (नयी योजनाएं)

1.	आंध्र प्रदेश	8.31	2.22
2.	असम (पुल निर्माण)	—	60.00
3.	जम्मू और काश्मीर	56.00	41.00
4.	उड़ीसा	174.00	112.00
5.	तमिलनाडु	325.00	42.36
	जोड़	563.00	267.58

विवरण-3

आमान परिवर्तन योजनायें—चालू काम

क्र० सं०	राज्य	किलोमीटर	अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	130.22	16.56
2.	आंध्र प्रदेश/कर्नाटक	267.00	25.64
3.	असम	157.00	54.00
4.	बिहार	219.60	31.71
5.	बिहार/उत्तर प्रदेश	287.00	92.52
6.	दिल्ली/हरियाणा राजस्थान/गुजरात	925.00	150.00
7.	राजस्थान/हरियाणा पंजाब	142.00	17.93
8.	गुजरात	601.64	86.11
9.	कर्नाटक	138.00	15.96
10.	महाराष्ट्र	354.00	46.02
11.	उत्तर प्रदेश	318.50	41.41
	जोड़	3839.96	577.86

नयी आमान परिवर्तन योजनाएं

1.	असम	580.00	100.00

नैमित्तिक श्रमिकों को मूल सुविधाएं दिया जाना

6147. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ये सच है कि रेलवे में नैमित्तिक श्रमिकों को न्यूनतम मूल सुविधायें अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) नैमित्तिक श्रमिक नियमित रेल कर्मचारी नहीं होते । अत: वे नियमित रेल कर्मचारियों को स्वीकार्य सुविधाओं के हकदार नहीं है । फिर भी, चतुर्थ श्रेणी में नियमित रूप से समाहित होने पर वे नियमित कर्मचारियों को स्वीकार्य सेवा की शर्तों के हकदार हो जाते हैं ।

कैंसर-रोधी औषधि का विकास

6148. **श्री अमर राय प्रधान :**

प्रो० के० के० तिवारी :

श्री जनार्दन पुजारी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता के वैज्ञानिकों द्वारा एक कैंसर रोधी औषधि का विकास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस औषधि को अस्पतालों में शुरू करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता के वैज्ञानिकों ने कैंसर रोधी एक नई औषधि 'सिकफेक' का विकास किया है जो एक जीव रासायनिक औषधि है और इसमें दुग्धशर्करा सहित पोटेशियम के फास्फेट लवण, कैल्शियम, लोह तथा सिलिका होते हैं और इसे जीव रसायन सिद्धान्तों के अनुसार तैयार किया जाता है । इस औषधि से चूहियों में अर्बुदों का बढ़ना कम हो गया और इस औषधि से इलाज करने के बाद कैंसर का एक संक्रामक रोगी संक्रामकता से मुक्त हो गया ।

(ग) यद्यपि सिकफेक से गर्भाशयी ग्रीवा के रोगियों के अर्बुदों में कुछ कमी आई है, फिर भी अब तक कितने रोगियों का इलाज किया गया है उनकी संख्या किसी वस्तुगत मूल्यांकन के लिए बहुत ही कम है । इस औषधि को अस्पतालों में शुरू करने के बारे में विचार करने से पहले

यह जरूरी है कि इस औषधि को अधिक रोगियों पर अजमाया जाए और इसके परिणामों का मूल्यांकन किया जाए ।

न्यू कूच बिहार से सियालदह के बीच नार्थ बंगला एक्सप्रेस चलाया जाना

6149. **श्री अमर राय प्रधान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने न्यू कूच बिहार से सिहालदह के बीच नार्थ बंगाल एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) न्यू कूच बिहार और सियालदह के बीच के खण्डों पर लाइन क्षमता तथा टर्मिनल सुविधाओं के अभाव के कारण एक नई गाड़ी चलाना फिलहाल परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है ।

इन्जन निर्माण एकक

6150. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार इंजनों के निर्माण के लिए एक पृथक एकक स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त एकक के लिए प्रौद्योगिकी आयात करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

नीलांचल एक्सप्रेस की समाज विरोधी तत्वों से रक्षा के उपाय

6151. **श्री राम चन्द्र रथ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि "नीलांचल एक्सप्रेस" ऐसे समाज विरोधी तत्वों का शिकार बन गई है, जो खतरे की जंजीर खींचने के साथ-साथ छोटे-छोटे सभी प्रकार के अपराध करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस गाड़ी की समाज-विरोधी तत्वों से रक्षा करने के लिए उनके मंत्रालय का क्या उपाय करने का विचार है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) नीलांचल एक्सप्रैस में कुछेक घटनाएं घटित हुई हैं। पुलिस प्राधिकारियों द्वारा इकट्टे किए गए तथ्यों से पता चलता है कि पिछले छः महीनों के दौरान नीलांचल एक्सप्रैस में डकैती के मामलों, यात्रियों के सामान की चोरी के छ: मामलों तथा खतरे की जंजीर खीचे जाने के 53 मामलों की रिपोर्ट मिली है।

(ख) और (ग) इस गाड़ी में यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा के लिए निम्न-लिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

1. इस गाड़ी में रात्रि के समय मार्गरक्षियों के रूप में पुलिस की व्यवस्था की जाती है।

2. अपराधियों पर निगरानी रखने और उनकी गतिविधियों के सम्बन्ध में आसूचना इकट्ठी करने तथा उन पर छापे मारने के लिए सादे कपड़ों में राजकीय रेलवे पुलिस के कर्मचारियों को तैनात किया जाता है।

3. राजकीय रेलवे पुलिस के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कड़ा किया जा रहा है।

4. इस प्रकार के अपराधों के लिए जिम्मेदार गिरोहों का पता लगाने के लिए राज्य पुलिस डकैती/लूटपाट के मामलों के सम्बन्ध में सशक्त कार्रवाई कर रही है।

5. इस समाजविरोधी गतिविधि में अन्तर्ग्रस्त अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस के सक्रिय सहयोग से खतरे की जंजीर खींचने के खिलाफ विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं।

जोधपुर और जयपुर के बीच चलने वाली 219 अप/220 डाऊन गाड़ी की गति को बढ़ाया जाना

6152. **श्री अशोक गहलोत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर और जयपुर के बीच चलने वाली 219 अप/220 डाऊन गाड़ी 301 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है;

(ख) क्या सरकार को इस समय में कमी करने या गाड़ी की गति बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 219/220 सवारी गाड़ी मारवाड़ जंक्शन तथा उदयपुर सिटी के बीच चलती है। सम्भवतः आशय 219/220 सवारी गाड़ी में जोधपुर तथा उदयपुर सिटी के बीच चलने वाले दो थ्रू सवारी डिब्बों तथा मेल लेने वाली 209/210 मारवाड़ रेवाड़ी सवारी गाड़ी जो 300 कि० मी० की दूरी लगभग 15 घंटों में तय करती है; के यात्रा समय को कम करने के लिए प्राप्त पत्र से है।

(ग) और (घ) 219/220 सवारी गाड़ी की गति बढ़ाकर इन सवारी डिब्बों के यात्रा समय को कम करने तथा मारवाड़ में ठहराव समय को कम करने के औचित्य की जांच की गयी है लेकिन इसे वांछनीय नहीं पाया गया है क्योंकि ये गाड़ियां मारवाड़ में महत्वपूर्ण मेल कराती हैं। मार्गवर्ती कुछ स्टेशनों पर ठहराव को समाप्त करके गाड़ी की गति बढ़ाने का वर्तमान उपयोगकर्ताओं द्वारा विरोध किया जायेगा और यह भी वांछनीय नहीं है।

नई दिल्ली और मद्रास के बीच तीसरा रेल मार्ग

6153• **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कवल माल गाड़ियों के आने-जाने के लिए नई दिल्ली और मद्रास के बीच एक तीसरा रेलमार्ग बनाने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हाँ, तो यह कब तक पूरा हो जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस मार्ग को उत्तरोत्तर दोहरा किया जा रहा है और दोहरीकरण का काम पूरा हो जाने पर यातायात की सभी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त क्षमता हो जायेगी।

विदिशा में उपरि पुल

6154. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव मध्य प्रदेश में विदिशा में रेलवे फाटक पर एक उपरि पुल का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके पूरा होने में कितना समय लगेगा; और

(घ) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को लिखा है कि वह इस संबंध में प्राक्कलन तथा विस्तृत रिपोर्ट भेजे ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) बीना-भोपाल खण्ड पर विदिशा में वर्तमान समपार सं० 270-बी के बदले में एक ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के प्रस्ताव की रेलवे और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जाँच की जा रही है राज्य सरकार से कहा गया है कि वह प्रस्तावित ऊपरी पुल के पहुँच मार्गों के लिए विस्तृत अभिकल्प, आरेखण और आकलन प्रस्तुत करे। उनके प्राप्त होने पर पहुँच भागों और पुल संरचना के लिए रेलों द्वारा सम्मिलित अनुपात तैयार किए जायेंगे और प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए कार्रवाई की

जायेगी। निर्माण कार्य की स्वीकृति दिए जाने की तिथि से तीन वर्ष के भीतर पुल के निर्माण का काम पूरा हो जाएगा।

रेलवे पुलों पर फुटपाथ

6155. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खड़गपुर डिवीजन के दक्षिण पूर्व रेलवे में नियाजुडी, बुधबलंगा, जलाका, ओधालसेंडा, निदनीपांडा, तिकोइरपडा जैसे रेलवे पुलों पर जहाँ हजारों लोग अपने जीवन को जोखिम में डालकर पटरियों को पार करते हैं और आने वाली तथा जाने वाले रेलों द्वारा प्रतिवर्ष अनेक लोग मारे जाते हैं, फुटपाथों के निर्माण के लिए लोगों द्वारा लगातार माँग की जाती रही है;

(ख) यदि हां, तो इन फुटपाथों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की एक प्रति सभा पटल पर रखने की कृपा करें; और

(ङ) इन फुटपाथों के निर्माण में अनुमानिक कितनी लागत आयेगी और यह निर्माण कब शुरू होगा, क्या समस्त कार्य एक साथ प्रारंभ होगा अथवा चरणबद्ध ढंग से ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बुनियाजोरा — बुधबलंगा रेलवे पुलों पर एक पैदल पथ और एक ट्राली गृह की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में श्री नारायण दास, महामंत्री, उड़ीसा यूथ कांग्रेस, से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) रेल पुल केवल रेल यातायात के संचलन के लिए होते हैं और इसी प्रयोजन के लिए इनके डिजाइन तैयार किए जाते हैं इसलिए इनमें जनता के लिए पैदल पथ की व्यवस्था नहीं की जाती। जनता के लिए पैदल पथो की व्यवस्था राज्य-सरकार/स्थानीय प्राधिकरण के कहने पर, यदि उन्हें व्यावहारिक पाया जाये, की जा सकती है लेकिन वर्तमान नियमों के अनुसार इनकी पूरी लागत (प्रारम्भिक तथा आवर्ती/अनुरक्षण, दोनों प्रकार की लागत) उन्हें वहन करनी होती है। इस पैदल पथ के निर्माण के सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि इसे राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित नहीं किया गया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राजघाट और नुआगन मयूरभंज हाल्टों का बदला जाना

6156. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रयोक्ताओं सहित जनता के सभी वर्गों द्वारा राजघाट और नुआगन मयूरभंज रोड यात्री हाल्टों को नियमित फ्लैग स्टेशन में शीघ्र बदले जाने की लगातार मांग की जाती रही है; और

(ख) यदि हां, तो इन दो हाल्टों को नियमित फ्लैग स्टेशन में बदलने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और इन्हें किस तिथि तक बदला जायेगा ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) राजघाट और नुआगन मयूरभंज रोड हाल्ट को फ्लैग स्टेशनों में बदलने के प्रयोजनों की जांच की गयी थी परन्तु ऐसा करने का औचित्य नहीं पाया गया।

केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षणाधीन राज्यों में चिकित्सा संस्थान और अस्पताल

6157. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने चिकित्सा संस्थान और अस्पताल कहां-कहां पर स्थित हैं, जो सीधे केन्द्र सरकार के पर्यवेक्षण में हैं;

(ख) क्या सरकार का छठी पंचवर्षीय योजनावधि में कुछ नये चिकित्सा संस्थान और अस्पताल खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो वे किन-किन राज्यों में और कहां कहां पर खोले जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सीधे नियन्त्रण में कितने चिकित्सा संस्थान और अस्पताल हैं और वे कहां कहां स्थित हैं, इसका एक विवरण संलग्न है।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय स्वास्थ्य और क्षेत्र के अधीन (1) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (2) आयुर्वेदिक अध्ययन तथा अनुसंधान संस्थान और (3) राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की स्थापना करने के लिए व्यवस्था कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, उत्तर-पूर्वी परिषद ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र में एक आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने के लिए योजना में व्यवस्था करने पर जोर दिया है।

(ग) ये संस्थान किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाने हैं इसका निश्चय अभी नहीं किया गया है।

विवरण

प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सीधे नियन्त्रण में कितने संस्थान और अस्पताल है और वे कहां-कहां स्थित हैं, इसका एक विवरण संलग्न है।

क्रम संख्या	चिकित्सा संस्थान तथा अस्पताल	स्थान	राज्य/संघ शासित क्षेत्र
1	2	3	4
1.	केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान	रांची	बिहार

1	2	3	4
2.	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान	कसौली	हिमाचल प्रदेश
3.	राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान	बंगलौर	कर्नाटक
4.	अखिल भारतीय वाक्-श्रव्य संस्थान	मैसूर	"
5.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा तंत्रिका विज्ञान संस्थान	बंगलौर	"
6.	क्षेत्रीय कुष्ठरोग एवं प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान	रायपुर	मध्य प्रदेश
7.	अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा तथा पुनर्वास संस्थान	बम्बई	महाराष्ट्र
8.	क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण संस्थान	आस्का	उड़ीसा
9.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान	जयपुर	राजस्थान
10.	केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान	चिंगलपेट	तमिलनाडु
11.	भारतीय पास्चयूर संस्थान	कुन्नूर	तमिलनाडु
12.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद्	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश
13.	अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान तथा स्वास्थ्य संस्थान	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
14.	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान	"	"
15.	चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र	"	"
16.	जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान	पांडिचेरी	पांडिचेरी
17.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़
18.	सफदरगंज अस्पताल	नई दिल्ली	दिल्ली
19.	डा० राम मनोहर लोहिला अस्पताल	नई दिल्ली	दिल्ली
20.	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल और कलावती सरण बाल अस्पताल	नई दिल्ली	दिल्ली
21.	राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान	दिल्ली	दिल्ली

1	2	3	4
22.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान	नई दिल्ली	दिल्ली
23.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जिसमें डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्र तथा पाटरी कैंसर अस्पताल शामिल हैं	नई दिल्ली	दिल्ली
24.	भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद तथा उसके अधीनस्थ संस्थान	नई दिल्ली	दिल्ली
25.	केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद	नई दिल्ली	दिल्ली
26.	केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद्	नई दिल्ली	दिल्ली
27.	केन्द्रीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा परिषद	नई दिल्ली	दिल्ली
28.	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद	नई दिल्ली	दिल्ली
29.	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद	नई दिल्ली	दिल्ली

अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर संघ द्वारा रेलवे दुर्घटना जांच समिति के अध्यक्ष को ज्ञापन

6158. **श्री ए० के० राय : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 फरवरी, 1981 के इंडियन एक्सप्रैस में "द डाजेस्टर वाज फोरसीन बाई एस० एम्स" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर संघ द्वारा 17 दिसम्बर, 79 और 22 जनवरी, 1980 को रेलवे दुर्घटना जांच समिति के अध्ययन को दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तरीकों का सुझाव देते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) रेल मन्त्रालय को इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है । बहरहाल, विचार विमर्श के दौरान समिति ने क्षेत्रीय रेलों, रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों तथा सामान्य जनता से सूचना इकट्ठी की थी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बनियाम्बाडी रेल दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त डिब्बों को हुई क्षति

6159. **श्री एन० डेनिस :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में 11 फरवरी, 1981 को हुई बनियाम्बाडी रेल दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त (एक) बम्बई मेल, (दो) योरकाड एक्सप्रेस के कितने डिब्बे और (तीन) मालगाली के कितने वैगन अन्तर्ग्रस्त हुए;

(ख) उनकी क्षति का ब्यौरा क्या है;

(ग) वे किस तारीख के बने हुए थे और उनकी की गई सर्विसिंग का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस दुर्घटना में 20 अप त्रिवेन्द्रम-मद्रास मेल के 7 सवारी डिब्बे, 69 डाउन येरकाड एक्सप्रेस के 4 सवारी डिब्बे तथा टी० एन० पी० एम० अप माल गाड़ी के 7 माल डिब्बे अन्तर्ग्रस्त हुए थे।

(ख) क्षति की लागत का निम्नलिखित अनुमान लगाया गया है :—

(1) 20 अप मेल के 7 सवारी डिब्बे	लगभग 8,92,000 रु०
(2) 69 डाउन येरकाड एक्सप्रैस के 4 सवारी डिब्बे	लगभग 7,25,000 रु०
(3) टी० एन० पी० एम० अप मालगाड़ी के 7 माल डिब्बे	लगभग 3,07,000 रु०

(ग) उनके मिर्माण के वर्ष तथा अन्तिम आवधिक ओवरहाल की तिथियां नीचे दी गई हैं :—

1		2	3
सवारी डिब्बा/वाहन सं०		निर्माण का वर्ष	पिछले ओवरहाल की तारीख
20 अप मेल			
1. सी. आर. डब्ल्यू. जी. एस. सी. एन. वाई.	9224	1978	19-9-80
2. एस. आर. डब्ल्यू. जी. एस. सी. एन. वाई.	6456	1969	9-2-80
3. एस. आर. एस. वाई. एल. आर.	4649	1966	8-1-81
4. एस. आर. डब्ल्यू. एफ. सी.	3053	1968	24-10-79
5. एस. आर. डब्ल्यू. एफ. सी.	3052	1968	24-10-79
6. एस. आर. डब्ल्यू. जी. एस. सी. एन. वाई.	6805	1976	23-8-80
7. एस. आर. डब्ल्यू. जी. एस. सी. एन. वाई.	7061	1977	26-4-80

		1		2	3
69 डाउन एक्सप्रेस					
1.	एस. आर:	डब्ल्यू. एस. वाई. एल. आर.	4628	1964	12-9-79
2.	एस. आर.	डब्ल्यू. जी. एस. सी. एन. वाई.	5532	1968	22-10-80
3.	एस. आर.	डब्ल्यू. जी. एस. सी. एन. वाई.	5988	1977	31-3-80
4.	एस. आर.	डब्ल्यू. जी. एस. सी. एन. वाई.	6944	1977	14-2-80
टी० एन० पी० एम० मालगाड़ी					
1.	ई. आर.	टी. के.	33414	तत्काल उपलब्ध नहीं	22-8-80
2.	एम. आर.	ओ. एम. टी.	42378	1979	अभी देय नहीं
3.	सी. आर.	बी. ओ. एक्स. आर.	88946	1965	17-2-78
4.	एन. ई.	बी. ओ. एक्स. टी.	87318	1974	28-7-78
5.	एन. आर.	बी. सी. एक्स. टी.	65350	1967	तत्काल उपलब्ध नहीं।
6.		सी. आर. टी.	12170	1979	अभी देय नहीं
7.		सी. आर. वी.	1426	1965	तत्काल उपलब्ध नहीं।

उड़ीसा में ज्यादा कालेज खोलने के लिए उड़ीसा सरकार को अनुमति

6060. **श्री रास बिहारी बहेरा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में और मेडिकल कालेज खोले जाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा किन स्थानों की सिफारिश की गई है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय किया गया है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) :

(क) और (ख) केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा सरकार से निम्नलिखित प्रस्ताव मिले थे :—

1. भुवनेश्वर में एक स्नातकोत्तर संस्थान खोलने सम्बन्धी प्रस्ताव जो जनवरी, 1979 में भेजा गया था।

2. भुवनेश्वर में मुख्यतः विदेशी छात्रों के लिए एक केन्द्रीय स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा संस्थान की स्थापना करने सम्बन्धी प्रस्ताव जो जनवरी, 1981 में किया गया था।

(ग) ऊपर प्रस्ताव (1) के सम्बन्ध में राज्य सरकार को यह बताया गया था कि भारत सरकार को कोई आपत्ति नहीं है यदि राज्य सरकार स्नातकोत्तर केन्द्र खोलने का प्रारम्भिक और भावी खर्च अपने संसाधनों से पूरा करती है और वह ऐसी संस्था खोलने की जरूरत समझती है। ऊपर प्रस्ताव (2) के सम्बन्ध में राज्य सरकार को यह सूचित किया गया था कि उनके इस प्रस्ताव को भी ध्यान में रखा जाएगा।

जन साधारण को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए योजना

6161. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जन साधारण को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर सरकार द्वारा कोई विचार किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में किए जा रहे वित्तीय प्रावधान क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बनाई गई योजना और कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करना मुख्यतया राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी है। वैसे, छठी योजनावधि में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं :—

(रुपये करोड़ों में 1980-85)

क्रम संख्या	कार्यक्रम	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	केन्द्र	योग
1	2	3	4	5
1.	ग्राम स्वास्थ्य के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम			
	(क) केन्द्र प्रायोजित योजनायें	102.62	168.50	271.12
	(ख) अन्य योजनायें	305.84	—	305.84
	योग	408.46	168.50	576.96

1	2	3	4	5
2.	संचारी रोगों का नियंत्रण	235.00	289.00	524.00
3.	अस्पताल और औषधालय	576.59	45.00	720.09
4.	चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान		62.00	
5.	परम्परागत चिकित्सा पद्धतियां और होम्योपैथी		29.00	
6.	अन्य		7.50	
	योग	1220.05	601.00	1821.05

लान्जीगेट रोड—अम्बागुडा लाइन

6162. श्री राम बिहारी बहेरा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्द्रावती बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माण कार्य, बाक्साइट तथा मैंगनीज के परिवहन तथा उस क्षेत्र के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए, लान्जीगेट रोड से अम्बागुडा तक प्रस्तावित रेल लाइन के बारे में पुन: विचार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वाल्टेयर और नई दिल्ली के बीच प्रतिदिन छतीसगढ़ एक्सप्रेस चलाने का प्रस्ताव

6163. श्री रास बिहारी बहेरा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायपुर में लिंक एक्सप्रेस को छतीसगढ़ एक्सप्रेस के साथ विलय करने के बजाय वाल्टेयर और नई दिल्ली के बीच प्रतिदिन छतीसगढ़ एक्सप्रेस चलाने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार को इसके लिए जनता की बढ़ती हुई मांग की जानकारी है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार वाल्टेयर और नई दिल्ली के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाने का है; और

(घ) इस बारे में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के लोगों की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) फिर भी वालतेरु और रायपुर के बीच चलने वाली लिंक एक्सप्रेस को दिल्ली तक चलाने की व्यावहारिकता की जांच की गई है परन्तु दिल्ली में टर्मिनल सुविधाओं की अपर्याप्तता और मार्गवर्ती खण्डों पर लाइन क्षमता की तंगी के कारण इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया। पिछले साल से सप्ताह में तीन बार चलने वाली 175/176 पुरी-नई दिल्ली नीलांचल एक्सप्रेस चलाई गयी है जो उड़ीसा के भुवनेश्वर, पुरी कटक आदि महत्वपूर्ण शहरों को संघ की राजधानी से जोड़ती है।

अलीपुरद्वार में आरक्षित की गई सीटें/बर्थं

6164. **श्री पीयूष तिरकी : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलीपुरद्वार, न्यू अलीपुरद्वार, कूचबिहार, न्यू कूचबिहार, पलकटा न्यू जलपाईगुडी और सिलीगुड़ी के प्रथम और दूसरे दर्जे की आरक्षित की गई सीटों और बर्थों का ब्योरा क्या है;

(ख) उत्तरी बंगाल के लिए और अधिक सीटों/बर्थों के आवंटन की लम्बी समय से चली आ रही मांग के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) जनवरी, 1979 से जनवरी, 1981 के बीच उपरोक्त स्टेशनों में से प्रत्येक से प्रतिमास श्रेणी वार बुक किए गये यात्रियों का ब्योरा क्या है और उत्तर बंगाल से होकर जाने वाली गाड़ियों में भीड़ भाड़ को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली-अहमदाबाद मार्ग पर 1 अप/2 डाउन और 3 अप/4 डाउन मेल एक्सप्रेस रेल-गाड़ियों में और अधिक डिब्बे

6165. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली-अहमदाबाद मुख्य मीटर लाइन पर 1 अप/2 डाउन, 3 अप/4 डाउन मेल एक्सप्रेस गाड़ियों के प्रथम श्रेणी के डिब्बे अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं और देखने में दूसरी श्रेणी के डिब्बों जैसे लगते हैं;

(ख) उपर्युक्त रेल गाड़ियों के श्रेणी के उन डिब्बों की कुल संख्या कितनी है जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं और कब इनके स्थान पर नए डिब्बे लगाए जाएंगे;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उपर्युक्त गाड़ियों में लगे प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के डिब्बों की संख्या बहुत कम है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का उनकी संख्या बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो उनकी कितनी संख्या बढ़ायी जाएगी और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इन गाड़ियों में प्रयोग किये गये प्रथम श्रेणी के सवारी डिब्बों का निर्माण सवारी डिब्बा कारखाने द्वारा किया गया है और ये अपेक्षाकृत नूतन बनावट के हैं। वे इस्पात ढांचे के सवारी डिब्बे हैं। इन सभी सवारी डिब्बों का अभी गत छः माह के अन्दर कर्मशाला में आवधिक ओवरहाल किया गया है। गन्तव्य स्थानों पर इन सवारी डिब्बों के उचित अनुरक्षण के लिये भी एक समुचित योजना है जहां उनकी पूर्ण रूप से जांच की जाती है और उनकी ओर ध्यान दिया जाता है। उनमें सुख-सुविधाओं का कोई अभाव नहीं है और इन सवारी डिब्बों की साधारण स्थिति सन्तोषपूर्ण मानी जाती है। इन सवारी डिब्बों के बारे में कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) दिल्ली में रेल इन्जनों की कर्षण क्षमता और टर्मिनल सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इन गाड़ियों के भार में वृद्धि करना व्यावहारिक नहीं है।

दिल्ली-पलवल सेक्शन पर बिना टिकट यात्रा

6166. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली-पलवल सेक्शन पर चलने वाली स्थानीय (लोकल) गाड़ियों में जांच कर्मचारियों के न होने के कारण प्रतिदिन सैकड़ों यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सेक्शन पर पर्याप्त संख्या में जांच कर्मचारी नियुक्त करेगी ताकि बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से जुर्माना वसूल किया जा सके तथा राजस्व की भारी राशि प्राप्त करने के लिये अचानक छापे मारे जा सकें ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) दिल्ली-पलवल खंड पर कुछ यात्री लोकल गाड़ियों में बिना टिकट यात्रा करते हैं। ऐसी लोकल गाड़ियों के लिए अलग से कोई चल टिकट परीक्षक नहीं लगाया जाता। तथापि, सभी लोकल गाड़ियों की निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल टिकट परीक्षकों के दस्ते द्वारा जांच की जाती है। 1.8.1980 से 31.1.1981 की अवधि के दौरान दिल्ली-पलवल खंड पर 618 बार

जांच की गयी जिसके फलस्वरूप 5502 व्यक्तियों को बिना टिकट/अनुपयुक्त टिकट या बिना बुक कराये गये सामान सहित यात्रा करते पकड़ा गया तथा रेलवे को देय राशि के रूप में ६0,605 रुपये वसूल किये गये।

368 अप/367 डाउन पलवल-दिल्ली शटल गाड़ियों में डीजल इन्जन लगाया जाना

6167. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पलवल-दिल्ली सेक्शन पर चलने वाली शटल गाड़ी संख्या 368 अप/367 डाउन गाड़ी में डीजल इंजन लगाये जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस गाड़ी में अब तक डीजल इन्जन लगाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस गाड़ी में कब तक डीजल इंजन लगाये जाने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिलार्जुन) : (क) से (ग) यह मामला विचाराधीन है और यथा व्यावहारिक करायी जाने वाली कार्रवाई की जायेगी।

व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए कैलोरियों की आवश्यकता

6168. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस देश में व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए कितनी कैलोरियों की आवश्यकता है;

(ख) देश में उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो अपने आहार में कैलोरियों की अपेक्षित मात्रा न मिलने के कारण बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और क्या इसके परिणामस्वरूप विशेषकर बच्चे तथा गर्भवती महिलाएं रोगग्रस्त हो जाती हैं ;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत सन्तुलित आहार न पाने वाले बच्चों को आवश्यक विटामिन दिए जाएंगे ताकि उन्हें बीमारियों से बचाया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर कितना व्यय किया जा चुका है तथा कितना व्यय किए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिये जितनी कैलोरियों की आवश्यकता होती है वह इस प्रकार है :—

ग्रुप	किये जाने वाले काम का ब्यौरा	कैरोनियों की अपेक्षित मात्रा
पुरुष	बैठे-बैठे करने वाला काम	2400
	साधारण काम	2800
	भारी काम	3900
महिला	बैठे-बैठे करने वाला काम	1900
	साधारण काम	2200
	भारी काम	3000

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेंगी।

सोनपुर डिवीजन में नैमित्तिक श्रमिक

6169. श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के सोनपुर डिवीजन में ऐसे नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या क्या है जो 120 दिन की सेवा पूरी कर चुके हैं परन्तु जो अभी तक नियमित नहीं किये गये हैं;

(ख) सोनपुर डिवीजन में श्रेणी तीन और श्रेणी चार के कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ग) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के सोनपुर डिवीजन के डिवीजन रेलवे मैनेजर रिक्त पद होने के बावजूद उन नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित नहीं कर रहा है जो 120 दिन की सेवा पूरी कर चुके हैं; और

(घ) यदि हां, तो इनके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

केलों के परिवहन के लिये वैगन

6170. श्री शिव कुमार सिंह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि वैगनों की कमी के कारण देश में केलों के परिवहन तथा अन्य देशों को उसके निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) केलों के यातायात के लिए माल डिब्बों की कोई कमी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम रेलवे के अजमेर-खंडवा मीटर गेज सेक्शन पर चलाई गई गाड़ियां

6171. **श्री शिव कुमार सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम रेलवे के अजमेर-खंडवा मीटर गेज सेक्शन पर और मध्य रेलवे की भुसावल-इटारसी बड़ी लाइन सेक्शन पर कितनी नई गाड़ियां चलाई गई हैं ; और

(ख) इन सेक्शनों पर कितनी गाड़ियों को रद्द कर दिया गया या दूसरी गाड़ियों के साथ मिला दिया गया ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भुसावल-इटारसी खंड पर 78-79 से 80-81 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान 2 जोड़ी गाड़ियां अर्थात् 177/178 पुणे-जम्मू तवी झेलम एक्सप्रेस और 193/194 सप्ताह में दो दिन चलने वाली महानगरी एक्सप्रेस चालू की गई । अजमेर-खंडवा खड पर कोई गाड़ी नहीं चालू की गयी ।

(ख) कुछ नहीं ।

घाघरा नदी के मांजीघाट पर सड़क पुल

6172. **श्री हरिनाथ मिश्र :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह भी सच है कि घाघरा नदी के मांजीघाट पर कोई भी सड़क पुल नहीं है जिससे उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार में सारन के लोगों को अत्यधिक कठिनाई होती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि माँजीघाट पर प्रस्तावित सड़क पुल का विचार त्याग दिया है; और

(ग) यदि हां, तो बलिया और सारन के जिलों को जोड़ने वाले सड़क पुल के अभाव में इन दो जिलों के लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की सड़कों के लिये केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अधीन मांजीघाट के

नजदीक घाघरा नदी पर पुल बनाने के लिए 4.50 करोड़ रुपये की ऋण सहायता देना मंजूर किया है। यह ऋण उत्तर प्रदेश और बिहार की राज्य सरकारों को बराबर-बराबर दिया जाएगा। अगर पुल-निर्माण पर 4.50 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुआ तो ये राज्य सरकारें अपने-अपने निजी संसाधनों से पूरा करेंगी। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जिस पर काम शुरु करने की जिम्मेदारी है, सूचित किया है कि अब इस पुल की निर्माण लागत बढ़कर 7.37 करोड़ रुपए हो गयी है। अतः, उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे उक्त पुल के निर्माण पर होने वाले अधिक खर्च को अपने निजी संसाधनों से पूरा करने के लिए अपनी-अपनी सहमति भेजे। उनकी सहमति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

घाघरा पर रेल-पुल

6173. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा-वाराणसी सैक्शन पर झांसी में घाघरा पर बना रेल पुल लगभग एक दशक पूर्व ही पुराना तथा जीर्ण शीर्ण हो चुका है और अब ऐसी बुरी दशा में है कि किसी समय भी ढह सकता है;

(ख) यदि हाँ, तो झांसी में इस पुल के स्थान पर दूसरा पुल बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ग) क्या झासी में एक रेल व सड़क पुल बनाने की कोई योजना है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं, यह पुल संतोषजनक स्थिति में है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

पटना मेडिकल कालेज अस्पताल के दो विभागों का दर्जा बढ़ाया जाना

6174. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना मेडिकल कालेज अस्पताल के दो विभागों का दर्जा चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में बढ़ाया गया था;

(ख) यदि हां तो उन विभागों के नाम क्या हैं और इस सम्बन्ध में उक्त संस्था को दी गई सहायता का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा दिये गए इस स्पष्ट आश्वासन पर इन विभागों का दर्जा बढ़ाया गया था कि वह चौथी योजना अवधि की समाप्ति के बाद उनका बढ़ा हुआ दर्जा बनाये रखेगी;

(घ) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न शीर्षों के अधीन उपलब्ध करायी गई धनराशि का उपयोग नहीं किया गया था और काफी बड़ी रकम व्ययगत होने दी गई थी;

(ङ) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकार इन विभागों के बढ़ाये गये दर्जे के स्तर को उसी रूप में नहीं रख रही और इसलिये अध्यापन तथा अनुसंधान कार्य ठीक प्रकार से नही चल रहा है; और

(च) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेलवे में वित्तीय मापदण्ड

6175. **श्री भीखा भाई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि डा० एच० के० परांजये ने रेलवे के वितीय मापदण्डों के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) क्या सरकार ने सिफारिशों पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने कितनी सिफारिशें स्वीकार कर ली है; और

(घ) क्या उनकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेल भाड़ें, किराये तथा अन्य प्रभारों की संरचनाओं की जांच करने के लिए डा० एच० के० परांजये की अध्यक्षता में रेल दर-सूची जांच समिति का गठन किया गया था। उस समिति ने भाड़ा और किराया दर-सूचियों को सुनिश्चत करने से सम्बद्ध, रेलों की वित्तीय व्यवस्थाओं के कुछ पहलुओं जांच की है।

(ख) और (ग) सिफारिशों की जांच की जा रही है।

(घ) कुछ प्रतियां लोक सभा के पुस्तकालय में रख दी गयी हैं। तथापि, रिपोर्टों की प्रतियां यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेंगी।

बांसवाड़ा-रतलाम लाइन

6176. **श्री भीखा भाई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान और मध्यप्रदेश को बांसवाड़ा-रतलाम रेल लाइन से जोड़ने की वांछनीयता पर कभी विचार किया है;

(ख) क्या यह सच है कि पिछले सर्वेक्षण मितव्ययी सिद्ध नहीं हुए;

(ग) क्या सरकार का विचार उस क्षेत्र में व्यापक आधारभूत सुविधाओं के विकास को ध्यान में रखते हुए पुन: सर्वेक्षण कराने का है;

(घ) क्या यह सच है उस सारे क्षेत्र में आदिवासियों की घनी आवादी है; और

(ङ) क्या यह सच है कि अधिकांश आदिवासी लोगों ने रेल लाइन देखी ही नहीं है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रतलाम और बांसवाड़ा के वीच एक बड़ी लाइन के बिछाने और इसका डूंगरपुर तक विस्तार करने की सम्भावना के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण 1977 में किया गया था और शिवगढ़ तथा सैलाना के रास्ते विभिन्न वैकल्पिक संरेखणों की जाँच की गयी जिससे पता चला था कि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इस निर्माण पर भारी लागत आयेगी और इसलिये यह परियोजना अर्थक्षम नहीं पायी गयी थी।

(ग) कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रस्तावित लाइन आदिवासी क्षेत्रों में से होकर गुजरेगी।

रेलवे के अनुसचिवीय कर्मचारी सघ से आठ सूत्री मांगें

6177. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय रेलवे अनुसचिवीय कर्मचारी संघ ने उन्हें अपना आठ सूत्री मांग पत्र पेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) मुख्य मांगे लिपिकवर्गीय संवर्ग के ग्रेडों की पुनसंरचना, जीवन निर्वाह सूचकांक आदि की लागत में वृद्धि के पूर्ण निरावेशन आदि के साथ-साथ पदों के सृजन पर लगे प्रतिबंध को पूर्णतः समाप्त करने से सम्बन्धित हैं।

(ग) सरकार की नीति के अनुसार, किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले कर्मचारी अभ्यावेदनों पर उचित रूप से ध्यान दिया जाता है और गुण-दोष के आधार पर उन पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है। आल इंडिया रेलवे मिनिस्टरियल स्टाफ एसोसिएशन की ओर से प्राप्त 8 सूत्री मांग-पत्र पर भी इस नीति की सीमा के अन्तर्गत कार्रवाई की गई है।

गुजरात के आन्दोलनकारी मैडिकल छात्रों द्वारा रेल गाड़ियों का जलाया जाना

6178. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के मैडिकल छात्रों द्वारा आरम्भ किए गए आरक्षण-विरोधी आन्दोलन

के दौरान 26 फरवरी, 1981 को अहमदाबाद में दो रेलगाड़ियों को जलाये जाने के फलस्वरूप एक महिला सहित छः व्यक्ति मारे गये थे;

(ख) यदि हां, तो उक्त घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितनी बार रेलगाड़ियों पर हमला किया गया और रेल विभाग को कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आरक्षण, विरोधियों ने गाड़ियों पर पांच बार हमले किये और रेल सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त होने के कारण रेलवे को 1,12,350 रुपये की हानि हुई।

गठिया रोग से ग्रस्त बच्चे

6179. **श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवारक उपायों के बावजूद भारत में गठिया रोग से लगभग 80 लाख बच्चे रोगग्रस्त हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह बताया जाता है कि 80 वाले दशक में गठिया-ज्वर का मुख्य कारण भारत में अधिकांश घरों का गन्दा होना और उनमें भीड़भाड़ होना था; और

(ग) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी इसके सम्बन्ध में भारत की सहायता करने के लिए अनुरोध किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा छः केन्द्रों में बात रोग और बात हृदय रोग के बारे में किए गए वैज्ञानिक अध्ययन से पता चलता है कि यह रोग राष्ट्रीय स्तर पर औसतन 6 प्रति हजार है।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा कुछ नगरों में बात रोग के बारे में किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर बच्चे ही अधिकतर बात रोगों से पीड़ित होते हैं क्योंकि वे घनी आबादी वाले और गन्दे स्थानों में रहते हैं।

(ग) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ में अप्रैल, 1980 में हृदवाहिका (कार्डियों बस्कुवर) रोगों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक राष्ट्रीय कार्यशाला लगाई गई और इसके एक लघुदल ने देश में बात हृदय रोगों की समस्या की विस्तार से जांच की।

भवन निर्माण ऋण

6180. **श्री दया राम शाक्य : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे जोनों द्वारा अपने कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए ऋण मंजूर करने के लिए अनुदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो पूर्वोत्तर रेलवे के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को ऐसे कितने ऋण मंजूर किये गये और अत्यधिक समय से विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है और उनकी मंजूरी न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1985 के बाद से, वर्षवार कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, 1-4-1978 से।

(ख) और (ग) रेलों से सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पाकिस्तान-अमरीका रक्षा संधि

6181. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **विदेशी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने अपनी हाल की अमरीका यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रीगन को सुझाव दिया है कि वह अफगानिस्तान में मास्को के उत्तरोत्तर बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पाकिस्तान के प्रति अमरीकी नीति का पुनरीक्षण करें;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि अमरीका पाकिस्तान की इस दलील पर गम्भीरता से विचार करे कि उसे पाकिस्तान के साथ 1959 में हुए समझौते को न केवल लागू करे अपितु उसे एक संधि का दर्जा भी दें;

(ग) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने अमरीका के साथ रक्षा संधि करना चाहा है और अमरीका सरकार पाकिस्तान के अनुरोध पर सहमत हो गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेशमंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) यद्यपि सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं, लेकिन वह स्पष्टत: इस बात की पुष्टि करने की स्थिति में नहीं है कि दोनों शाशनाध्यक्षों जब व्यक्तिगत तौर पर मिले थे, तो इन।। बीच क्या बातचीत हुई होगी।

(ग) बताया जाता है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने हाल ही में यह कहा था कि पाकिस्तान ने अमरीका और पाकिस्तान के बीच के 1959 के कार्यकारी करार का दर्जा बढ़ाकर उसे एक रक्षा सन्धि का रूप देने का अपना अनुरोध वापस ले लिया है।

(घ) भारत सरकार ने सभी सम्बद्ध पक्षों से बार-बार यह कहा है कि वे कोई ऐसा काम न करें जिससे इस क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता हो।

समुन्द्र कानून संबंधी सम्मेलन

6682. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 मार्च, 1981 को न्यूयार्क में पुनः आयोजित समुद्र कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन लगभग सात वर्षों के बाद समुद्र कानून संबंधी संधि के प्रारूप पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो वहां क्या समझौता हुआ;

(ग) क्या यह भी सच है कि समुद्र-तल में मूल्यवान मैंगनीज पिण्डों की खोज करने के इच्छुक आठ पश्चिमी राज्यों ने अपने राष्ट्रीय कानून पारित करने और फिर एक दूसरे के कानूनों को मान्यता देने के लिए गुप्त रूप से एक पृथक विधेयक तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इससे संधि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है;

(ङ) क्या उसने तीसरे विश्व को यह सोचने पर बाध्य कर दिया है कि क्या बातचीत करने के लिए पश्चिमी देशों पर वास्तव में विश्वास किया जा सकता है; और

(च) यदि हां, तो इस बारे में भारत की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हाँ। समुद्र-कानून संबंधी तृतीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दसवें अधिवेशन की बैठक 9 मार्च, 1981 से न्यूयार्क में हो रही है। सम्मेलन अपने समक्ष बहुत से प्रश्नों पर अब तक सहमत हो चुका है और जुलाई/अगस्त, 1980 के दौरान जेनेवा में पुनः आयोजित नौवें अधिवेशन की समाप्ति पर समुद्र कानून संबंधी प्रारूप अभिसमय जारी किया गया, जिसमें 320 अनुच्छेद और 8 उपाबंध थे। इससे पहले कि अमरीका की नई सरकार अन्तर्राष्ट्रीय समझौते पर अन्तिम रूप से अपनी रजामंदी जाहिर कर सके, फिलहाल उसने इस बारे में कुछ शंकायें व्यक्त की हैं तथा सम्मेलन में अभी तक प्रस्तुत एकमुश्त समझौतों की समीक्षा के लिए समय मांगा है।

(ख) समुद्र-कानून संबंधी तृतीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अब तक निम्नलिखित विषयों में मतैक्य हो चुका है :—

(1) 12 मील का प्रादेशिक समुद्र जिस पर तटवर्ती राज्य की अपनी प्रभुसत्ता होगी। परन्तु विदेशी जहाजों और युद्ध पोतों को अहानिकर यात्रा का अधिकार होगा।

(2) 24 मील का संलग्न क्षेत्र, जिस पर तटवर्ती राज्य सीमाशुल्क, स्वास्थ्य और आप्रवासन के मामलों में नियंत्रण कर सकेंगे।

(3) 200 मील का एक अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसके तटवर्ती राज्यों का प्रभुसत्तात्मक अधिकार होगा और उसके अनन्य अधिकार क्षेत्र में तथा इस क्षेत्र के अधीन सभी जड़-चेतन संसाधनों और अन्य सभी आर्थिक प्रयोगों पर उसका अनन्य होगा। तटवर्ती राज्यों को इस क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान को रोकने और नियन्त्रित करने का अधिकार होगा।

(4) एक महाद्वीपीय शेल्फ, जिसकी सीमाओं की परिभाषा समुद्र-कानून सम्बन्धी प्रारूप अभिसमय के अनुच्छेद 76 में की गई है (जोकि भारत के मामले में कुछ बिन्दुओं पर 350 समुद्री मील तक हो सकती है) जिस पर तटवर्ती राज्यों को प्रभुसत्तात्मक अधिकार होगा और वह उनका अनन्य अधिकार क्षेत्र होगा तथा जड़ संसाधनों और स्थानबद्ध मत्स्य क्षेत्रों की खोज पर उनका नियन्त्रण होगा।

(5) अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रतलीय क्षेत्र के उन संसाधनों की खोज को नियमित करते के लिए विभिन्न निकायों की स्थापना, जो कि मानव जाति की सामान्य सम्पत्ति हैं।

(ग) यह सच है कि मैंगनीज पिंडों की खोजबीन में दिलचस्पी रखने वाले कुछ पश्चिमी राज्य अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रतलीय क्षेत्र के संसधानों की खोज पर लागू होने वाली व्यवस्था के प्रश्न पर आपस में सलाह मशविरा करते रहे हैं। यह भी सही है कि वे समुद्रीयतल खनन को नियमित करने के लिए एक पक्षीय राष्ट्रीय कानून लागू करने की सम्भावना पर विचार करते रहे हैं और इस बात पर भी कि इस प्रकार के अन्य राष्ट्रीय कानूनों के अन्तर्गत जो संविदाएं की जायें उनकी पारस्परिक स्वीकृति के लिए ऐसे एक पक्षीय कानूनों में व्यवस्था होनी चाहिए। वस्तुतः संयुक्त राज्य अमरीका (जून 1980 में) और पश्चिमी जर्मनी (अगस्त 1980 में) पहले ही अपने राष्ट्रीय कानून पास कर चुके हैं। यू० के० की संसद में भी इस तरह का एक विधेयक पेश हैं। इन कानूनों की एक समान विशेषता यह है कि इनके अन्तर्गत कोई भी अन्वेषण लायसेंस जुलाई 1981 से पहले और इन पिंडों को वाणिज्य के लिए निकालने के परमिट जनवरी 1988 से पहले जारी नहीं किए जायेंगे। इन कानूनों में यह भी प्रस्ताव है कि इन कानूनों का पास करने वाले देश जब इस विषय से संबद्ध किसी अन्तर्राष्ट्रीय करार के पक्षकार बन जायेंगे, तो उनके यहाँ यह कानून लागू नही रहेगा।

(घ) एक ऐसा प्रतीत होता है कि इन एकपक्षीय राष्ट्रीय कानूनों का मुख्य उद्देश्य गहरे समुद्रतल में उत्खनन में उनके राष्ट्रीकों के हितों को सुरक्षित रखना और साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र-तल में किए गए निवेश को संरक्षण प्रदान करना है; भले ही ये हित और निवेश उन शर्तों का उल्लंघन करते हों जिन पर प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के काम करने की आशा की जाती है। यह कहा जा सकता है कि इस सीमा तक ये कानून प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था और इससे सम्बन्धित करार के अनुरूप नहीं हैं।

(ङ) ग्रुप 77 के अध्यक्ष ने जो कि, समुद्री कानून से संबद्ध अधिवेशन में अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र-तल क्षेत्र से संबंधित मामलों में विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है, एकपक्षीय राष्ट्रीय कानूनों के प्रति बार-बार अपनी सख्त आपत्ति जाहिर की हैं और उन्हें गैर-कानूनी तथा अवैध बताया है। आशा है कि एक-पक्षीय कारवाई के बावजूद संबंधित देश समुद्री-कानून विषयक एक व्यापक अभिसमय के लिए कार्य करने पर बचनबद्ध रहेंगे।

(च) हमारा विश्वास है कि एक-पक्षीय राष्ट्रीय कानूनों से उत्पन्न स्थिति का एक मात्र हल यही है कि समुद्री कानून पर जल्दी ही एक व्यापक अभिसमय सम्पन्न किया जाए और उसे लागू किया जाए ।

मेकेनिकल इंजीनयरिंग विभाग की लारपवाही और बनियमवाडी रेल दुर्घटना

6183. **श्री एन० डेनिस : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में 11 फरवरी, 1981 को वनियमवाडी रेल दुर्घटना के संदर्भ में दक्षिण रेलवे के मेकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग की लापरवाही की जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो मेकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में सुधार के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रायय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) इस दुर्घटना की सांविधिक जांच रेल संरक्षा आयुक्त, बेंगलूरु द्वारा की गयी है। उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है । रिपोर्ट प्राप्त होने पर यथापेक्षित कार्रवाई की जायेगी ।

हिन्द महासागर के बारे में केन्या के राष्ट्रपति के साथ हुई वार्ता

6184. **श्री बी० वी० देसाई : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और केन्या ने हिन्द महासागर में महाशक्तियों के बढ़ते दबाव तथा सैनिक प्रतिस्पर्धा का, जो इस क्षेत्र की शांति तथा स्थायित्व के लिए गम्भीर खतरा है, का जोरदार विरोध किया है;

(ख) क्या यह वक्तव्य केन्या के राष्ट्रपति की फरवरी, 1981 की भारत यात्रा तथा भारत के प्रधान मंत्री के साथ वार्ताओं के बाद जारी किया गया था;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से अन्य देश हैं हिन्द महासागर के बारे में जिनकी समान राय है; और

(घ) हिन्द महासागर के बारे में भारत के इस रुख का कितने देशों द्वारा समर्थन किया जा रहा है ?

विदेशमंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) इस वर्ष फरवरी में कीनिया के राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा के बाद जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है "कीनिया के राष्ट्रपति और भारत की प्रधान मंत्री ने हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की सैनिक उपस्थिति में वृद्धि और प्रतिस्पर्द्धा पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है । तटवर्ती और पश्च राज्यों की सुस्पष्ट इच्छाओं के बावजूद बड़ी शक्तियां अपनी सैनिक प्रतिस्पर्द्धा को तेज कर रही हैं जिससे इस क्षेत्र की शांति और स्थायित्व को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है । उन्होंने हिन्द महासागर में नौसैनिक हथियारों के परिसीमन के लिए सोवियत संघ और अमरीका के बीच

द्विपक्षीय वार्ता के स्थगित हो जाने पर खेद व्यक्त किया है। उन्होंने सभी बड़ी शक्तियों तथा नौ-वहन की दृष्टि से हिन्द महासागर का उपयोग करने वाले प्रमुख देशों से अनुरोध किया है कि वे हिन्द महासागर के संबंध में 1981 में श्रीलंका में संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन की तैयारी में सहयोग दें ताकि हिन्द महासागर को "शांति का क्षेत्र" घोषित करने से सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्र को 1971 की घोषणा को कार्यान्वित किया जा सके"।

(ग) और (घ) फरवरी 1981 में नई दिल्ली में आयोजित गुट-निरक्षेप देशों के सम्मेलन में एक घोषणा स्वीकार की गई थी जिसमें "हिन्द महासागर क्षेत्र में महाशक्तियों को सैनिक उप-स्थिति के बढ़ते हुए सैनिक जमाव पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गई थी।" सभी गुट-निरपेक्ष देशों के साथ भारत भी इस बात का समर्थन करता है कि 1971 को संयुक्त राष्ट्र की घोषणा क्रियान्वित होनी चाहिए जिसमें हिंन्द महासागर क्षेत्र से महाशक्तियों की उपस्थिति को पूरी तरह से समाप्त कर देने के लिए कहा गया है।

मद्रास में अनेक गाड़ियों की टक्कर

6185. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत किये गये अंतरिम प्रतिवेदन के अनुसार कर्मचारियों की असावधानी के कारण मद्रास में अनेक गाड़ियों की टक्कर हुई जिसमें बीस व्यक्ति मारे गये और सोलह घायल हुए;

(ख) यदि हां, तो अंतरिम प्रतिवेदन का मुख्य ब्योरा क्या है;

(ग) उत्तरदायी टहराये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सुझाव क्रियान्वित करने के लि क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) इस दुर्घटना की जांच पड़ताल रेल सुरक्षा के अपर आयुक्त, बेंगलूर द्वारा की गयी है। इस दुर्घटना में 20 अप मेल के 7 डिब्बे, 69 डाउन यरकोड एक्सप्रेस के 4 डिब्बे और माल गाड़ी के 7 डिब्बे अन्तग्रस्त थे। रेल संपत्ति की लगभग 90.79 लाख रुपये की हानि होने का अनुमान है। रेल सुरक्षा के आयुक्त की प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई थी।

(ग) और (घ) रेल संरक्षा के आयुक्त ने अभी तक अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी सिफारिशों के आधार पर उचित कार्रवाई की जायेगी।

आमों की ढुलाई के लिये विजयवाड़ा और नई दिल्ली के बीच चलने वाली विशेष गाड़ी

6186. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आमों की ढुलाई के लिये विजयवाड़ा और नई दिल्ली के बीच

चलने वाली विशेष गाड़ियों की संख्या में गत वर्ष 1980 में भारी कमी की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चालू वर्ष के लिए स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) कम मांग पत्रों के कारण पिछले वर्ष तीन विशेष गाड़ियां चलायी गयीं जबकि 1979 में 9 विशेष गाड़ियां चलायी गयी थीं।

(ग) व्यापारियों के साथ 7-4-81 को होने वाली बैठक के बाद विजयवाड़ा से आम के यातायात की निकासी के लिए किये जाने वाले प्रबन्ध के ब्यौरे को रेलवे द्वारा अन्तिम रूप दिया जायेगा।

दरभंगा-समस्तीपुर रेल लाइन को बड़ी लाईन में बदलना

6187. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेल मन्त्री समस्तीपुर-दरभंगा रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने के सम्बन्ध में 5 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2377 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980-81 केन्द्रीय बजट में दरभंगा-समस्तीपुर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने के लिए 60 लाख रुपए और दरभंगा-जयनगर लाइन को बड़ी लाईन में बदले जाने के लिए सर्वेक्षण कार्य करने के लिए 8 लाख रुपए का वित्तीय आबंटन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्धारित धनराशि नियत कार्य के लिए खर्च की गई है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है;

(ङ) क्या निरमली-थारमीठा को फिर से जोड़ने के लिए कोसी नदी के ऊपर रेल पुल का सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) समस्तीपुर-दरभंगा मीटर लाइन, जो एक अनुमोदित योजना है, के आमान-परिवर्तन कार्य शुरू करने के लिए 60 लाख रुपये का एक तात्कालिकता प्रमाणपत्र अभी हाल में ही किया गया है। 31-3-81 तक इस कार्य पर 14.15 लाख रुपये खर्च होने की आशा है । 1981-82 के दौरान इस योजना के लिए 19.99 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है ।

दरभंगा-जयनगर खंड के आमान-परिवर्तन के लिए 3.25 लाख रुपए की राशि का एक सर्वेक्षण अनुमान 1980 में स्वीकृत किया गया है । सर्वेक्षण कार्य 30-6-81 तक पूरा हो जाने की आशा है ।

(ङ) जी नहीं।

(च) 1972-1977 के दौरान कोसी नदी पर एक पुल के निर्माण के लिए 2 सर्वेक्षण पहले ही किये जा चुके हैं। मई, 1977 में प्राप्त नवीनतम सर्वेक्षण की परियोजना रिपोर्ट में कोसी नदी पर एक पुल के निर्माण के लिए 3 संभव विकल्पों का उल्लेख किया गया था, जिन्हें वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षम नहीं पाया गया, इसलिए इस सम्बन्ध में आगे कारंवाई नहीं की गई थी।

इंजन कर्मचारी

6188. **श्री जगदीश टाईटलर :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों में इंजन कर्मचारियों का भविष्य में स्वास-परीक्षण किया जाएगा;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन परीक्षणों को किस तरह दोष-रहित बनाया जायेगा; और

(घ) इस निर्णय को कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) यदि जांच करने लिए कि इंजन कर्मी ड्यूटी पर शराब के नशे में तो नहीं है।

(ग) इन जांचों की वैधता अच्छी तरह से प्रमाणित तथा मान्य है।

(घ) यह कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है।

रेल के किराए में वृद्धि

6189. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 से 1980-81 तक भारतीय रेलों के किराये में हुई वर्षवार वृद्धि (वास्तविक) का ब्योरा क्या है;

(ख) 1968-69 से 1980-81 तक इस किराया-वृद्धि से वर्षवार कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई; और

(ग) यात्री खास तौर पर नीचे की श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्री इस किराया वृद्धि से किस तरह लाभान्वित हुए हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) भारतीय रेलों 1968-69 से 1980-81 तक किरायों में वृद्धि का ब्योरा इस प्रकार है :—

(1) 1-4-68 से, वातानुकूल दर्जे का किराया सभी दूरियों के लिए 10 प्रतिशत बड़ाया गया था। अन्य सभी दर्जों के लिए यात्री किराया क्रमशः 5 पैसे, 10 पैसे और 25 पैसे बढ़ाया गया जहां पहले 5 रु० तक, 5 रुपये से अधिक और 15 रु० तक और 15 रुपये से अधिक

किराया वसूल किया जाता था। वातानुकूल कुर्सीयान का किराया उसी स्तर पर लाया गया जैसे डाकए/क्सप्रेस गाड़ी के किराये थे।

2. 1-4-70 से, यात्री किरायों का आधार निम्न प्रकार से संशोधित किया गया था।

परिवर्तन का आधार (पैसे में)

दर्जा	1 से 100 कि.मी.	+ 101 से 600 कि.मी. तक	+ 601 से 1600 कि. मी. तक	+ 1601 कि. मी और अधिक	न्यूनतम किराया रु० पै०	पूर्णांकन का नियम
यूनिट प्रति कि. मी.		प्रति 5 कि.मी.	प्रति 5 कि.मी.	प्रति 10 कि.मी.		
वातानुकूल	24	100	82	150	15.00	अगले अधिकतम रुपये में
पहला दर्जा	12	48	38	60	6.00	50 पैसे के अगले अधिकतम गुणक में
वातानुकूल कुर्सीयान	9	32	22	36	5.00	,,
दूसरा दर्जा डाक/एक्सप्रेस	7	28	22	36	3.50	,,
दूसरा दर्जा (साधारण)	6	24	18	32	0.50	,,

तीसरे दर्जे के किराये में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

3. 1-7-71 से, विभिन्न दूरियों के लिए प्रति टिकट प्रति यात्री किराये में निम्न वृद्धि की गई थी :—

	क्षेत्र की दूरी							
	1-15 कि॰मी॰	16-30 कि॰मी॰	31-50 कि॰मी॰	51-100 कि॰मी॰	10. से 200 कि॰मी॰	201 से 500 कि॰मी॰	501 से 1000 कि॰मी॰	1001 और अधिक कि॰मी॰
II साधारण	कोई परि. नहीं	0.05	0.10	0.15	0.20	0·25	0.25	0.25
III मेल और एक्सप्रेस	,,	0.15	0.20	0.25	0.25	0.50	0.75	1.00
II साधारण	,,	0.50	0.50	0.50	0.50	1.00	1.50	2.00
II मेल और एक्सप्रेस	,,	0.50	0.50	1.00	1.00	1.50	2.00	2.00
वातानुकूल कुर्सीयान	,,	0.50	0.50	1.00	1.00	1.50	2.00	2.00
पहला दर्जा	,,	0.50	9.50	1.00	1.00	2.00	2.50	3.50
वातानुकूल दर्जा	,,	1.00	1.00 इससे	2.00	2.00	4.00	5.00	7.00

4. 15-11-71 से, एक रुपये और इससे अधिक मूल्य के सभी टिकटों पर 5 प्रतिशत की दर से यात्री किराए पर कर लगाया गया है, कर से होने वाली आय राज्य सरकारों के जमा खाते में डाली जाती थी।

5. 15-4-72 से, तीसरे दर्जे के किराये में कोई वृद्धि नहीं की गई। दूसरे दर्जा में, वर्तमान प्रति टिकट आधारभूत यात्री किराये (अर्थात् 15-11-71 से लागू 5 प्रतिशत कर को छोड़कर) में निम्न प्रकार से प्रमार्य दूरियों के अनुसार वृद्धि की गयी :—

(प्रति टिकट किराये में वृद्धि)

यात्रा की श्रेणी	दूरी क्षेत्र							
	1-19 कि. मी.	20-50 कि. मी.	51-100 कि. मी.	101-200 कि. मी.	201-500 कि. मी	501-1000 कि. मी.	1001 1500 कि. मी.	1500 कि.मी. से आगे
दूसरी (साधा॰)	कुछ नहीं	0.25	0.50	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50
दूसरी (मेल/ एक्सप्रेस	,,	0.50	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	2.00
वातानुकूल कुर्सीयान	,,	0.50	0.75	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00
प्रथम श्रेणी	0.50	1.00	1.00	1.50	2.00	3.00	4.00	5.00
वातानुकूल श्रेणी	1.00	2.00	2.00	3.00	4.00	6.00	8.00	10.00

इसके अतिरिक्त 15-11-71 से लागू 5% का यात्री किराया कर भी लिया जायेगा।

6. 1-4-73 से यात्री किराया में निम्नलिखित संशोधन किया गया था :—

(1) 15-11-71 से यात्रियों से लिया जाने वाला 5% कर वापिस ले लिया गया।

(2) वातानुकूलित श्रेणी, प्रथम श्रेणी, वातानुकूलित कुर्सीयान और द्वितीय श्रेणी डाक/एक्सप्रेस और साधारण श्रेणी के लिए प्रचलित मूल किराये (5% यात्री किराया कर छोड़कर) में 10 % की वृद्धि की गयी थी।

(3) प्रथम 20 कि० मी० तक तीसरी श्रेणी के किरायों में कोई वृद्धि नहीं की गई। आगे 20 कि० मी० से आगे तीसरी श्रेणी के किए डाक/एक्सप्रेस और साधारण के प्रति टिकट वर्तमान किराये में निम्नतम वृद्धि की गई जो किसी भी दूरी के लिए साधारण तीसरी श्रेणी में प्रति टिकट 25 पैसे की अधिकतम वृद्धि तथा तीसरी श्रेणी मेल/एक्सप्रेस में 95 पैसे प्रति टिकट को वृद्धि की गई जब कर सहित पिछले किराये से तुलना करते हैं।

7. 1-1-74 से सामान्य यात्री किराए के अतिरिक्त गाड़ी दुर्घटनाओं में यात्रियों की मृत्यु होने से रेलों की देयता में वृद्धि के कारण 5 पैसे तीसरी श्रेणी में, 10 पैसे दूसरी श्रेणी या वातानुकूल कुर्सीयान, 50 पैसे प्रथम श्रेणी में और 1 रुपया वातानुकूलित श्रेणी की दर से अतिरिक्त प्रभार लिया गया।

8. 1-4-74 से गाड़ियों में यात्रा की श्रेणियों में बहुत बदलाव किया गया जैसे पुराने दूसरे दर्जे को समाप्त कर दिया गया और तीसरे दर्जे को दूसरी श्रेणी का पुर्ननाम दिया गया। पुराने दूसरे दर्जे के किराया सूची को प्रचलित होने से बन्द कर दिया गया और उस समय प्रचलित तीसरे दर्जे के किराया सूची को ही दूसरे दर्जे की किराया सूची का नाम दिया गया जो नई दूसरी श्रेणी के लिए 1-4-74 से लागू है। यात्री किराया निम्नलिखित बढ़ाया गया :—

वातानुकूलित श्रेणी :—वातानुकूलित श्रेणी के उस समय प्रचलित किराया (1-1-74 से 1 रुपया प्रति यात्री प्रतिपूर्ति अधिभार सहित) नीचे दिखाई सीमा तक बढ़ायी गई :—

दूरी (कि० मी०)	प्रति टिकट वृद्धि रु० पैसे
1 - 50	15.00
51 - 400	21.00
401 - 500	35.00
501 - 750	50.00
751 - 950	65.00
951 - 1100	77.00
1101 - 1250	90.00
1251 - 1400	110.00
1401 - 1500	135.00
1501 - 1750	150.00
1750 से अधिक	160.00

प्रथम श्रेणी और वातानुकूलित कुर्सीयान

श्रेणी :—प्रथम श्रेणी और वातानुकूलित कुर्सीयान के लिये उस समय प्रचलित किराया (1-1-74 से क्रमश: 50 पैसे और 10 पैसे प्रति यात्री छतिपूर्ति अधिभार को छोड़कर) नीचे दिखाई गई सीमा तक बढ़ायी गयी :—

दूरी (कि० मी०)	प्रति टिकट वृद्धि	
	प्रथम श्रेणी	वातानुकूलित कुर्सीयान
	रु० पै०	रु० पै०
1- 25	1.50	1.90
26 - 49	2.50	2.90
50 - 80	3.50	3.90
81 - 250	4.50	4.90
251 - 500	5.50	5.90
501- 800	6.50	6.90
801 - 1000	8.50	8.90
1001 - 1500	1.050	10.90
1501 - 2000	12.50	12.90
2000 से अधिक	15.50	15.90

दूसरा दर्जा साधारण (पुराने तीसरे दर्जे की संशोधन नामावली) :—

दूसरे दर्जे के लिए उस समय प्रचलित किराया (1-1-74 से 5 पैसे प्रति यात्री क्षतिपूर्ति अधिभार सहित) नीचे दिखायी गयी सीमा तक बढ़ाया गया :

दूरी (कि० मी०)	प्रति टिकट वृद्धि
	रु० पै०
1 - 25	0.05
26 - 49	0.10
50 - 80	0.25
81 - 100	0.35
101 - 250	0.50
251 - 500	0.60
501 - 800	0.70
801 - 1000	0.80
1001 - 1500	0.90
1500 से अधिक	1.00

दूसरा दर्जा (मेल/एक्सप्रेस) पुराने तीसरे दर्जे के (मेल/एक्सप्रेस) की संशोधित नामावली

दूसरे जेंद के (मेल/एक्सप्रेस) लिए उस समय प्रचलित किराया (1-1-74 से 5 पैसे प्रति यात्री क्षतिपूर्ति अधिभार सहित) नीचे दिखायी गयी सीमा तक बढ़ाया गया :—

दूरी (कि० मी०)	प्रति टिकट वृद्धि
1 - 18	0.25
19 - 20	0.30
21 - 23	0.35
24 - 27	0.40
28 - 49	0.45
50 - 80	0.50
81 - 100	0.65
101 - 250	0.90
251 - 500	1.25
501 - 800	2.00
801 - 1000	3.00
1001 - 1500	4.00
1501 - 2000	5.00
2001 - 2500	6.00
2501 - 3000	7.00
3000 से अधिक	8.00

9. 15-9-74 से यात्री किरायों में किया गया संशोधन नीचे दिया गया है :—

दूसरा दर्जा/मेल तथा एक्सप्रेस	
1-250 कि०मी०	25%
250 कि०मी० से अधिक	20%
दूसरा दर्जा (साधारण)	
1-25 कि०मी०	कोई परिवर्तन नहीं
26-250 कि०मी०	25%
250 कि०मी० से अधिक	20%
पहला तथा वातानुकूलित कुर्सीयान दर्जे	
सभी दूरियों के लिए	$33\frac{1}{3}$%
वातानुकूलित दर्जा	
सभी दूरियों के लिए	25%

10. 1-5-76 से, वातानुकूल दर्जे और वातानुकूल कुर्सीयान के किरायों में रियायत करके इन किरायों को 1-4-74 से लागू किरायों के स्तर पर लाया गया था।

11. 1-4-79 से 50 कि०मी० की दूरी तक के दूसरे दर्जे (साधारण) की पैसेंजर गाड़ियों की विशेष किराया तालिकाओं को समाप्त कर दिया गया था।

12. 15-7-80 से पैसेन्जर गाड़ियों के किरायों में नीचे लिखा संशोधन किया गया था।

(1) वातानुकूल दर्जा (2) वातानुकूल 2-टियर शायिका (3) पहला दर्जा	वर्तमान किरायों में प्रति टिकट 20% की वृद्धि की गयी थी
(4) (क) वातानुकूल कुर्सीयान (ख) दूसरा दर्जा मेल/एक्सप्रेस	वर्तमान किरायों में प्रति टिकट 12.5% की वृद्धि की गयी थी
(5) दूसरा दर्जा (साधारण)	(क) 100 कि०मी० तक कोई वृद्धि नहीं (ख) 100 कि०मी० से आगे की दूरी के लिए 10% वृद्धि

राजधानी एक्सप्रेस के वातानुकूल दर्जे के किराये में 20% और वातानुकूल कुर्सीयान के लिए 12.5% तथा अगले रुपये तक पूर्णांकन तक वृद्धि की गयी थी।

इस प्रकार किरायों में प्रत्येक बढ़ोत्तरी के द्वारा प्राप्त की गयी अतिरिक्त राशियों के सम्बन्ध में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते।

दूसरे दर्जे के किरायों में वृद्धि सदैव इस विचार से की जाती है कि समाज के कमजोर वर्गों पर इसका कम से कम बोझ पड़े।

रेलवे में समाज-विरोधी अपराध

6190. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक डिवीजन में 1976-77 से 1980-81 तक, वर्षवार, पृथक-पृथक डकैती, छीना-झपटी, वैगन तोड़ने और अन्य घटनाओं जैसे कितने समाज-विरोधी अपराध हुए; और

(ख) कितने मामलों में रेलवे सुरक्षा बल के कार्मिकों का हाथ था ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिम बंगाल में डाक्टर-रोगी और नर्स-रोगी अनुपात

6191. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पश्चिम बंगाल के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में (पृथक-पृथक) डाक्टर-रोगी और नर्स-रोगी का अनुपात क्या है;

(ख) ग्रामीण देशों में चिकित्सा सुविधाओं के प्रसार के लिए सरकार की क्या-क्या योजनायें हैं; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिए कुल कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) पश्चिम बंगाल के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के डाक्टर-रोगी तथा नर्स-रोगी अनुपातों की अलग-अलग सूचना उपलब्ध नहीं है। वैसे, इस राज्य में नर्सों और रोगियों का अनुपात 31-12-1979 को 1 : 2.6 था तथा डाक्टरों और जनसंख्या का अनुपात 1-1-1977 को 1 : 1760 था।

(ख) छठी योजनावधि में ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित चिकित्सा सुविधायें बढ़ाने का विचार है :—

1. 2.2 लाख और जन-स्वास्थ्य रक्षकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

2. प्रत्येक गांव में कम से कम एक-एक दाई की व्यवस्था की जायेगी

3. 40,000 अतिरिक्त उप-केन्द्र खोले जायेंगे जिनमें एक-एक महिला और एक-एक पुरुष बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता होगा।

4. 174 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें तीस-तीस पलंगों वाले ग्रामीण अस्पताल बना दिए जायेंगे।

5. 600 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे।

6. 100 ग्रामीण औषधालयों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें सहायक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जायेगा।

7. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या का विस्तार करने के लिए समयानुकूलन चिकित्सा शिक्षा योजना के अन्तर्गत प्रत्येक मेडिकल कालेज को चरणबद्ध कार्यक्रम के रूप में तीन-तीन ब्लाकों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को तब तक लेते जाना होगा जब तक वह सारा जिला कवर नहीं हो जाता, जिसमें वह कालेज स्थित है।

(ग) छठी योजनावधि में उपर्युक्त योजनाओं को कार्यरूप देने हेतु राज्यों और केन्द्रीय क्षेत्रों के लिए कुल 585.46 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

सगवाड़ा पर आउट एजेंसी

6192. **श्री भीखा भाई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेल प्राधिकारियों द्वारा सगवाड़ा पर एक आउट एजेंसी की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव की जांच अभी तक नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और सदीय कार्यविभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। डूंगरपुर स्टेशन द्वारा सेवित सगवांड़ा में आउट एजेंसी को परीक्षण के तौर पर पुन: खोलने के लिए पहले से ही टेंडर मांगे जा चुके हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में कोयला खानों से कोयला

6193. श्री बी० आर० नहाटा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण पूर्व तथा मध्य रेलवे द्वारा मध्य प्रदेश में कोयला खानों से प्रति मास कितना कोयला ढोया जाता है और किन-किन स्थानों को ले जाया जाता है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मध्य प्रदेश में कोयले की खानों से रेल द्वारा अब औसतन 1900 कोयले के माल डिब्बे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और थोड़ी मात्रा में दक्षिणी राज्यों के भी विभिन्न उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे हैं।

मीनाक्षी एक्सप्रेस का रद्द किया जाना

6194. श्री बी० आर० नहाटा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान "मीनाक्षी एक्सप्रेस" गाड़ी को कितनी बार कितने समय के लिए रद्द किया गया था तथा उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : संभवत: आशय सप्ताह में दो बार चलने वाली 69/70 अजमेर-काचेगुडा एक्सप्रैस से है। पिछले तीन वर्षों के दौरान ये गाड़ियां खंडवा-बेरवाह खंड में दरार पड़ जाने के कारण 21.7.79 से 10.10.79 तक और कोयले की अत्यधिक कमी के कारण 24.1.81 से 28.2.81 तक दो बार रद्द कर दी गई थी।

खंडवा-दोहित रेल लाइन

6195. श्री बी० आर० नहाटा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खंडवा-दोहित रेल लाइन के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया था अथवा सर्वेक्षण किए जाने के लिए आदेश जारी किए गये थे ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक सर्वेक्षण कार्य पूरा हुआ है तथा कितना इस समय तक किया जा चुका है; और

(ग) किया जा रहा सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ट्रंक मार्ग क्षमता का उपयोग

6196. **श्री बी० आर० नहाटा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे में मार्ग क्षमता का, जोन-वार, कितने प्रतिशत उपयोग होता है और अन्य रेलवे जोनों में मार्ग क्षमता का सेक्शन-वार कितना उपयोग होता है; और

(ख) उन जोनों में, जिनमें शत प्रतिशत अथवा लगभग शत प्रतिशत मार्ग क्षमता का उपयोग किया जा रहा है, मार्ग क्षमता में वृद्धि करने के लिए किए गये प्रावधान क्या हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अनुबन्ध-I के रूप में एक विवरण संलग्न है जिसमें मध्य, पश्चिम, दक्षिण पूर्व तथा अन्य क्षेत्रीय रेलों के वे महत्वपूर्ण खण्ड दिए गए हैं, जहां लाइन क्षमता का उपयोग 90 प्रतिशत या इससे अधिक किया जा रहा है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2 91/81**]

(घ) एक विवरण अनुबन्ध-II के रूप में भी संलग्न है जिसमें राज्य क्षमता बढ़ाने की वे महत्वपूर्ण योजनायें दी गयी हैं, जिन पर या तो काम चल रहा है अथवा जिन्हें 1981-82 के बजट में शामिल कर लिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2291/81**] इन निर्माण कार्यों का विस्तृत ब्योरा 1981-82 के रेलये बजट प्रलेखों के साथ पहले से सप्लाई किए गये रेलों के निर्माण, मशीन और जल-स्टाक कार्यक्रम, भाग II में देखा जा सकता है।

मोरवी जाने वाला कोयला रास्ते में उतार लिया जाना

6197. **श्री नवीन रवाणी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोरवी तथा गुजरात के अन्य स्थानों को जाने वाले कोयले के अनेक वैगन रास्ते में ही गैर कानूनी रूप से रेलवे द्वारा वास्तव में खाली कर दिये गये;

(ख) यदि हां, तो खाली किए गए इस तरह के वैगनों की संख्या कितनी है और फरवरी, 1980 से जनवरी, 1981 के दौरान इन वैगनों को किन स्थानों पर खाली किया गया और वे किन पार्टियों के थे;

(ग) इस तरह वैगनों को खाली किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसमें अन्तर्ग्रस्त रेल अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय और ससदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) रेलें कभी-कभी गाड़ी सेवायें रद्द करने से बचने के लिए लोको कोयले की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से दूसरे उपभोक्ताओं के लिए लदे कोयले के माल डिब्बों को रोक लेती हैं। ऐसे मामलों में, इन व्यवधानों के सम्बन्ध में पार्टियों को क्षतिपूर्ति करने के लिए कार्रवाई की जाती है। गुजरात के मोरवी और अन्य स्थानों के कोयले के माल डिब्बों के सम्बन्ध में फरवरी, 1980 से जनवरी, 1981 तक हुए ऐसे मामलों का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और लोक सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

विदेश भेजे गए भारतीय विशेषज्ञ

6193. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकतर विकासशील देशों में भारतीय विशेषज्ञों की भारी मांग है;

(ख) क्या सरकार विभिन्न अल्प-विकसित देशों को भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने ही खर्च पर भारतीय विशेषज्ञों की सेवा प्रदान कर रही है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1979 और 1980 में द्विपक्षीय कार्यक्रम के और भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने भारतीय विशेषज्ञ विदेश भेजे गये हैं; और

(घ) उन देशों के नाम क्या हैं, जिनमें मांगे जाने पर भारतीय विशेषज्ञ भेजे गये हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार भारतीय विशेषज्ञों की सेवाओं की व्यवस्था, प्रत्यक्ष संविदाओं के अन्तर्गत जिनके सम्बन्ध में, वेतन आदि नियोक्ता सरकारों द्वारा दिया जाता है और भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत भी कर रही है।

(ग) प्रत्यक्ष संविदाओं और भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने गये प्रतिनियुक्त विशेषज्ञों की देशवार संख्या का एक अलग विवरण संलग्न है।

(घ) भारतीय विशेषज्ञ चाहे प्रत्यक्ष संविदाओं के अन्तर्गत या भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत भी भेजे जाएं, इन्हें तभी भेजा जाता है, जबकि विदेशी सरकारें इनके लिए अनुरोध करें। उन देशों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं, जहां विदेशी सरकारों की मांग पर भारतीय विशेषज्ञ भेजे गए हैं। परन्तु, कम अवधि की प्रतिनियुक्ति के कुछ मामलों में, विशेष तौर पर जो कि कुछ विशिष्ट परियोजनाओं से सम्बन्धित हैं और सम्भाव्यता अध्ययन/रिपोर्टों के तैयार करने के लिए होते हैं हम भारत में उपलब्ध सुविज्ञता के बारे में विदेशी सरकारों को सूचित करते हैं और फिर सम्बन्धित विदेशी सरकार की रजामंदी से विशेषज्ञों के चयन के मामले पर विचार करते हैं।

विवरण

वर्ष 1979-80 के दौरान प्रत्यक्ष नियुक्ति और भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के अन्तर्गत नियुक्त किए गए विशेषज्ञों के विश्लेषण का देशवार विवरण

देश	द्विपक्षीय कार्यक्रम		भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम	
	1979	1980	1979	1980
1	2	3	4	5
अल्जीरिया	13	254	कोई नहीं	कोई नहीं
अफगानिस्तान	—	—	—	(16) कुल योग
बहरीन	—	1	—	5
भूटान	8	18	—	—
इथियोपिया	124	47	1	1
घना	—	1	—	—
ईरान	—	5	—	—
इराक	347	420	—	—
जोर्डन	2	—	—	—
कीनिया	56	75	—	—
लाइबेरिया	5	—	—	—
लीबिया	161	49	—	—
मालदीव	—	—	11	4
मारीशस	5	—	5	24
मोजाम्बिक	9	25	—	—
नाइजीरिया	43	64	—	—
ओमान	10	15	—	—
यमन लोकतांत्रिक जन गणराज्य	7	3	4	12
सेशेल्स	—	5	1	2
सोमालिया	27	7	2	—
श्री लंका	128	—	2	3
सीरिया	2	—	—	—
तन्जानिया	30	49	2	—
संयुक्त अरब अमीरात यमन	—	10	—	—
जाम्बिया	155	39	4	2
कुल	1138	1087	32	53

कुछ औषधों पर प्रतिबन्ध की विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशें

6109. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सिफारिश की है कि कुछ औषधों को विश्व भर में प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिये क्योंकि वे स्वास्थ्य पर हानिकर प्रभाव करती हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) पश्चिमी देशों में ऐसी कितनी औषधें प्रतिबंधित की गई हैं और फिर भी हमारे अपने देश में उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बतलाया है कि औषधियों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये उनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वे अपने सदस्य-देशों को समय-समय पर औषध सूचना बुलेटिनों और सर्कुलरों के जरिये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नियामक निर्णयों से अवगत कराते रहते हैं। किसी औषधि के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में किसी देश/देशों के निर्णय वाले विश्व स्वास्थ्य संगठन के बुलेटिनों/सर्कुलरों के मिलने पर यह देश उस औषधि विशेष के सम्बन्ध में वैसी ही कार्रवाई करे या न करे इस प्रश्न की औषधि नियंत्रक (भारत) चिकित्सा विशेषज्ञों, के परामर्श से जांच करता है। इन विशेषज्ञों में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद भी शामिल है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा की यूनानी चिकित्सा पद्धति को डिस्पेंसरियों को दवाओं की कम सप्लाई

6200. **श्री चन्द्रपाल शैलानी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या हाल ही में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा की एक यूनानी डिस्पेंसरी ने दरियागंज, नई दिल्ली में कार्य करना शुरू कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरोजिनी नगर डिस्पेंसरी की सूची और सप्लाई स्थिति की तुलना में इस डिस्पेंसरी की सूची में रखी गई दवाओं की कुल संख्या कितनी है और वास्तव में कितनी सप्लाई की गई ;

(ग) क्या यह सच है कि सरोजिनी नगर डिस्पेंसरी की तुलना में इस डिस्पेंसरी में साज सामान की कमी है ;

(घ) यदि हां, तो दरियागंज में नई खुली इस डिस्पेंसरी को पर्याप्त दवाओं की सप्लाई न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) लाभ प्राप्तकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए अनिवार्य पर्याप्त दवाएं इस यूनानी डिस्पेंसरी को कब सप्लाई की जाएंगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) हां । दरियागंज में एक यूनानी यूनिट में कार्य शुरू हो गया है ।

(ख) अक्तूबर, 1980 में जब यह यूनिट खुला था, तो इसे सरोजिनी नगर औषधालय मे जो यूनानी औषधियों का भण्डार भी है, 66 औषधियाँ ही सप्लाई की गई थीं ।

(ग) नहीं । सरोजिनी नगर वाला औषधालय अपने-आप में एक सम्पूर्ण औषधालय है और वहां यूनानी दवाओं का भण्डार भी है परन्तु दरियागंज में तो केवल एक यूनानी यूनिट ही है जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के एलोपैथिक औषधालय से सम्बद्ध है ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य रेलवे की भूमि

6201. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाड़ी बन्दर क्षेत्र के लाभप्रद वाणिज्यिक क्षेत्र में एक लाख वर्ग फुट भूमि के लिए किसी भी प्राइवेट लाइसेंस धारी द्वारा मध्य रेलवे मुगतान किए जाने वार्षिक लाइसेंस शुल्क की वर्तमान दर क्या है और कितनी निर्दिष्ट धनराशि पर इस तरह के भूखण्डों का निपटान हाल ही में किया गया है;

(ख) क्या किसी लाइसेंसधारी द्वारा तिमाही मुगतान करना अनिवार्य है;

(ग) यदि हां, तो किसी दोषी पार्टी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या लाइसेंस शुल्क को घटाने अथवा बढ़ाने के लिए कोई आदेश जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनके बारे में ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बाड़ी बन्दर क्षेत्र में भूमि के खुले प्लाट के लिए वर्तमान लाइसेंस फीस की दर प्रति वर्ष प्रति 100 वर्ग मीटर 6000 रु० और उस प्लान के लिए प्रतिवर्ष प्रति 100 वर्ग मीटर 12,000 रु० है जहां लाइसेंसधारी को भूमि से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए संस्थापनों या अस्थायी संरचनाओं का निर्माण करने की अनुमति दी जाती है और जहां प्लाट के लिए निर्धारित रेलवे साइडिंग उपलब्ध है । हाल ही में रेलवे ने 31.1.80 से एक पार्टी को लगभग 8500 वर्ग मीटर भूमि के प्लाट का

लाइसेंस दिया है जिसकी लाइसेंस फीस 30.1.80 से 31.3.80 तक प्रति वर्ष प्रति 100 वर्ग मीटर 6,000 रु० और 1.4.80 से 31.12.80 तक प्रति वर्ष प्रति 100 वर्ग मीटर 12000 रु० है तथा 1.1.81 से लाइसेंस फीस में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत (संयोजित किये बिना) की वृद्धि की गयी है।

(ख) जी हां। करार के अनुसार, पार्टियों को पाक्षिक भुगतान करना होता है।

(ग) यदि करार के अनुसार कोई पार्टी भुगतान करने में चूक करती है तो सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोक्ताओं का निष्काशन) अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है ताकि ऐसी पार्टियों को रेलवे परिसरों से निष्कासित किया जा सके और लाइसेंस फीस का भुगतान न करने के कारण क्षति की वसूली की जा सके।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली हवाई अड्डे से पंजाब के स्थानों के लिए बस सेवा

6202. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली हवाई अड्डा-पंजाब बस सेवा योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव किस अवस्था में है; और

(ख) पंजाब के किन-किन स्थानों से दिल्ली हवाई अड्डे तक ये सेवाएं आरम्भ की जायेंगी ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) राज्य परिवार प्राधिकरण, दिल्ली प्रशासन को इस बारे में कोई प्रतिवेदन नहीं प्राप्त हुआ है जो प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग पर बस चलाने के परमिट जारी करने के लिए सक्षम है।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

दक्षिण अफ्रीका से आए शरणार्थियों को वित्तीय सहायता

6203. **श्री चिरंजीलाल शर्मा :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन शरणार्थियों के बारे में ब्यौरा क्या है जो दक्षिण अफ्रीका से आए हैं; और

(ख) सरकार ने उनको कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) भारत में दक्षिणी अफ्रीका के कोई शरणार्थी नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी

6204. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल मंत्रालय पुस्तकों की दुकानों के ठेके लगातार मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी तथा अन्य बड़े बड़े ठेकेदारों को लगातार देता चला आ रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मैसर्स ए० एच० व्हीलर तथा गुलाब सिंह एण्ड सन्स के साथ हुए करार के खंड संख्या 17, 18, 19, 20, 21क, 22ख, और 24 के अनुसार प्लेटफार्मों पर काम कर रहे सभी पुस्तक विक्रेता उपरोक्त ठेकेदारों के कर्मचारी हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त ठेकेदार रेलवे करार के अनुसार अपने इन पुस्तक विक्रेताओं को कोई क्षतिपूर्ति राशि तथा अन्य सुविधाएं, नहीं देते हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सभी बुक स्टालों के ठेकों का समय-समय पर नवीकरण किया जाता है बशर्ते कि ठेकेदारों का काम सन्तोषजनक हो।

(ख) और (ग) वेंडर मैसर्ज ए० एच० व्हीलर एण्ड कं० तथा मैसर्स गुलाब सिंह एण्ड कं० के एजेन्टों द्वारा लगाए जाते हैं अत: वे बुकस्टाल-ठेकेदारों के कर्मचारी नहीं हैं।

भारतीय पत्तन संगठन

6205. **श्री के० ए० राजन** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी बड़े पत्तन न्यासों के चेयरमैनों का अपना एक संगठन है जिसे भारतीय पत्तन संगठन (इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन) के नाम से जाना जाता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का उस पर किस प्रकार का नियन्त्रण है;

(ग) इस संगठन को राजस्व कहां से प्राप्त होता है;

(घ) क्या यह सच है कि भारतीय पत्तन संगठन ने एक सेवा निवृत्त पत्तन अधिकारी को अपना सलाहकार नियुक्त किया है;

(ङ) इस अधिकारी पर सरकार का क्या नियंत्रण है; और

(च) इस अधिकारी को सौंपे गए कार्य और दायित्व क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पटिल) : (क) इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। सभी बड़े पत्तन न्यासों के अध्यक्ष इसके शासी निकाय के सदस्य हैं।

(ख) सरकार का इस सोसाइटी पर कोई नियंत्रण नहीं है।

(ग) इस सोसाइटी का खर्च बड़े पत्तन न्यासों से अंशदान लेकर पूरा किया जाता है।

(घ) इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन के शासी निकाय ने अपनी 13 नवम्बर, 1980 की बैठक में एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया था जिसमें कहा गया था कि किसी बड़े पत्तन न्यास के एक अध्यक्ष को सेवा-निवृत्ति के बाद सलाहकार (पत्तन कार्य) के रूप में नियुक्त किया जाए।

(ङ) सलाहकार (पत्तन कार्य) बड़े भारतीय पत्तनों के कार्य के सुचारू संचालन के लिए नौवहन और परिवहन मंत्रालय के साथ सम्पर्क बनाए रखते हैं।

(च) मोटे तौर पर उक्त अधिकारी को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :—

(1) हर पत्तन के लिए अलग-अलग प्रस्ताव कार्य तथा छोटे कार्यों के लिए मानदण्ड निर्धारित करना।

(2) बड़े पत्तनों को कार्य-कुशलता का पता लगाने के लिए उपयुक्त प्रपत्र तैयार करना, और

(3) ऐसी क्रिया-पद्धति तैयार करना जिसे अपनाने से पत्तन कार्यों से सम्बन्धित समस्याएं शीघ्र हल हो सकें।

स्थगन प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रश्न आदि के बारे में

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, सोमवार को जिस लड़के की दिल्ली में डेथ हुई थी, उसके बारे में हमने एडजोर्नमेंट मोशन दिया था और आपने आश्वासन दिया था कि किसी दूसरे तरीके से उसकी चर्चा कराएंगे। मैंने इस सम्बन्ध का कालिंग अटेंशन दिया है। चार दिन से हजार लोग होम मिनिस्टर के घर बैठे हैं और लड़के की लाश अभी तक उसके घर वालों को नहीं मिली है। इस कारण वहां बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस पर चर्चा कराएं।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझ से मिलिये।

श्री जार्ज, फर्नान्डीस (मुजफरपुर) : मेरा प्रिवलेज मोशन है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने बुलाया था, आप थे नहीं।

श्री जार्ज, फर्नान्डीस : वह बहुत जरूरी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने कल श्री तपन कुमार मित्र, माल्दा के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी है। वहां श्री गनीखां चौधरी ने उन्हें सप्लाई किया…

अध्यक्ष महोदय : मुझे सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने आपको लिखा है…

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सम्बन्ध में जांच करूंगा—मुझे अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है ? सूचना कल दी गई थी।

अध्यक्ष महोदय : अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह सूचना आपको मिल जानी चाहिये थी।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसे देखूंगा।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय, काफी बोर्ड ने काफी के दाम बढ़ा दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी आप क्या चाहते हैं ? क्या जो बात आप उठाने जा रहे हैं वह व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने आपके पास नोटिस दिया है कि काफी के दाम बढ़ा दिये गये हैं, नाश्ते के दाम बढ़ा दिये हैं और इससे कर्मचारी लोग परेशान हैं और हम लोग भी परेशान हैं। इस पर कुछ होना चाहिये ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आपके रहते यह कैसे हो गया।

अध्यक्ष महोदय : यह उसकी चर्चा करने का समय नहीं है। आप मेरे पास आ सकते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप की इजाजत के बगैर यह कैसे हो गया।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने इसके बारे में नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : आपको याद होगा कि मैंने दो विशेषाधिकार प्रस्ताव भेजे थे···

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुलाऊंगा···हम इसे लाएंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : कृपया ध्यानाकर्षण प्रश्नों के बारे में मुझ से मिलिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ···होली के दिन कालेज की छात्राओं से छेड़खानी करने और अत्याचार के प्रश्न के बारे में···

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझसे मिलिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसका सम्बन्ध दिल्ली प्रशासन से है। महोदय, आपको इसे स्वीकार करना चाहिये। यह एक बहुत गम्भीर मामला है।···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नहीं ? क्या गम्भीर मामला नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझसे मिलिये । मेरा कहना है कि ध्यानाकर्षण प्रश्नों पर यहां चर्चा न की जाये ।

श्री रामावतार शास्त्री : हर मामलें में आप कह देते हैं कि चैम्बर में मिलिये ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, हर मामले में ऐसा नहीं कहते । चैम्बर है, जो कि मेरा ही नहीं आपका भी चैम्बर है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : एक विशेषाधिकार का मामला आपके विचाराधीन है. इसके बारे में मैंने सूचना दी है । मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमें यहां कुछ मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करें···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसकी इजाजत नहीं है । मुझे अपने आपको सन्तुष्ट करना होता है । मुझे नियम देखने होते हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या इस मामले में आप हमारा सहयोग नहीं चाहते ?

अध्यक्ष महोदय : हर समय आपका स्वागत है । क्या कभी मैंने आपको रोका है ?

श्री जगदीश टाईलर (दिल्ली सदर) : दो दिन पहले मैंने पश्चिम बंगाल की घटनाओं के बारे में ध्यानाकर्षण की सूचना दी है···

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण सूचनाओं के बारे में आप मुझे चैम्बर में मिल सकते हैं । अब प्रोफेसर कुरियन आप बोलिये ···(व्यवधान)*आप क्या कर रहे हैं ।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : मैंने सरदारी लाल के विरूद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी है ।···

अध्यक्ष महोदय : इसे मेरे पास आने दीजिये···मैं इस पर विचार करूंगा । लेकिन यहां नहीं ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है···

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं है ।

श्री हरिकेश बहादुर : *

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है । बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बारे में मैंने नियम 377 के अधीन कुछ कहने की अनुमति दी है ।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : दो दिन पहले मैंने नियम 222 के अन्तर्गत एक सूचना दी है···

अध्यक्ष महोदय : हम उस पर विचार करेंगे ।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री बापू साहिब परूलेकर (रत्नगिरि) : मैंने दिल्ली के एक लड़के को गोली मारे जाने के बारें में नियम 184 तथा 193 के अन्तर्गत सूचनाएं दी हैं···

अध्यक्ष महोदय : उस पर कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा।

श्री बापू साहिब परूलेकर : मैंने नियम 193 के अन्तर्गत सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार करेंगे।

श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, उसकी चर्चा यहां पर न की जायें। किसी स्थगन प्रस्ताव को उठाने की अनुमति नहीं है।

डा० वसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : दस दिन पहले मैंने "सुगंधित सुपारी में घातक जहरीला पदार्थ" का मामला उठाने की आपसे अनुमति मांगी थी किन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस पर विचार करने दीजिये। यह एक गम्भीर बात है। हम इस पर विचार करेंगे।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : दिल्ली पुलिस की गोली से टैक्सी ड्राइवर का बच्चा मारा गया है। उसका न्यायिक जाँच कराई जानी चाहिये। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वह हो गया। यह कोई तरीका नहीं है। आप मुझे चैम्बर में मिलिये। कार्यवाही वृत्ताँत मे कुछ भी सम्मिलित नहीं कियाा जा रहा है। (व्यवधान) देखिये आप ऐसा करते हैं। मैं सब की बात सुन लूंगा, आपकी भी बात सुन लूंगा (व्यवधान)** कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। मोती भाई, वैसे मैंने आपको 377 अलाऊ कर दिया है। (व्यवधान) मैंने अलाऊ किया है, मुझे पता है। आप 377 यहां नहीं पूछ सकते। (व्यवधान)** कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मलित नहीं किया जा रहा है।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, एक तो पढ़ाई बन्द हो रही है, जिससे छात्रों में असन्तोष है। मान्यवर···(व्यवधान) हमने कालिंग अटेंशन दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। आप यहां पर कालिंग अटेंशन की चर्चा नहीं कर सकते। आपको नियम देखने चाहिये।

श्री राजेश कुमार सिंह : आप परमीशन देते रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं ध्यानाकर्षण के बारे में अपने चैम्बर में विचार कर सकता हूँ। यहाँ पर नहीं।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : मैंने बनारस यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पुलिस का··· (व्यवधान)**

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही निश्चय कर चुका हूं। नहीं, इसकी अनुमति नहीं है। यहां है कोई प्रश्न पूछा नहीं जा सकता। मुझसे चैम्बर मे मिलिये। इसकी कोई अनुमति नहीं है।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : प्रसिद्ध साहित्यकार, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की मूर्ति···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। यह सब असंगत है। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

(तत्पश्चात् श्री जयपाल सिंह कश्यप सभा भवन से उठकर बाहर चले गये)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ?

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर **खड़े हुए**।

अध्यक्ष महोदय : मि० हाल्दर, आपको बड़ी तकलीफ होती है। कृपया बैठ जाइये। यह अच्छा नहीं लगता है।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : मुगल वंश के अन्तिम बादशाह···

अध्यक्ष महोदय : यह समय इसके लिए नहीं है। राकेश जी, आप क्या करते हैं ? आप तो बड़े सज्जन आदमी हैं। इस पर कोई एडजोर्नमेंट मोशन नहीं होता है। आप इसका 377 दीजिए।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसनसोल) : 30 को रैली पर अकारण गोली चलाई गई है···(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यहां इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। अब, सभा पटल पर पत्र रखे जायें। श्री बी० शंकरानन्द।

(व्यवधान)**

सभा पटल पर रखे गये पत्र

औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) नियम, 1981

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अन्तर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं जो दिनांक 17 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 27 (ड) में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या 2262/81**]

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखें और समीक्षा, दिल्ली मोटरयान (पहला और दूसरा संशोधन, नियम, 1979 और विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं अपने साथी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 19¯9-80 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखे गये देखिये एल० टी० संख्या 2263/81]**

(2) मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा 133(4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति—

(एक) दिल्ली मोटरयान (पहला संशोधन) नियम, 1979 जो 5 नवम्बर, 1979 को दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ई० सी० ई० 3 (45) 74-ट्रांस०/13726 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दिल्ली मोटरयान (दूसरा संशोधन) नियम, 1979, जो दिनांक 14 नवम्बर, 1979 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ई० सी० ई० 3 (93)/79—ट्रांस०/14222 में प्रकाशित हुए थे।

(3) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) **[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए एल० टी० संख्या 2264/81]**

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

श्री बन्सी लाल (भिवानी) : महोदय, मैं भारतीय डेरी निगम (कृषि मंत्रालय-कृषि और सहकारिता विभाग) से सम्बन्धित सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति (पांचवी लोकसभा) के 83वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 14वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

याचिका समिति

तीसरा प्रतिवेदन

श्री रघुनाथ सिंह वर्मा (मैनपुरी) : महोदय, मैं याचिका समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अन्तर्गत मामले लिए जाएंगे। श्रीमती गुरब्रिन्दर कौर ब्रार।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

नियम 377 के अधीन मामले

(1) पंजाब में फरीदकोट जिले के मुक्तसर कस्बे में पानी जमा हो जाना

श्रीमती गुरब्रिन्दर कौर ब्रार (फरीदकोट) : महोदय, देश के अनेक भागों में पानी जमा हो जाने और मिट्टी के खारे होने की राष्ट्रव्यापी समस्या बनी हुई है जिसको दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार को ध्यान देना चाहिए और सहायता करनी चाहिए। पानी जमा होने और मिट्टी के खारेपन को दूर करने से देश मे कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी।

फरीदकोट जिले के मुक्तसर कस्बे में पानी जमा होने की समस्या बनी हुई है। सिख गुरुओं के जीवन से सम्बन्धित तीर्थ-स्थानों की यात्रा करते हुए असख्य तीर्थयात्री इस स्थान पर आते हैं।

मुक्तसर की आस-पास की मिट्टी अमरीकी किस्म के कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है परन्तु पानी जमा हो जाने की समस्या के कारण अनेक कृषकों को इस किस्म का कपास बोने में कठिनाई हो रही है। पानी जमा हो जाने की समस्या दूर हो जाने पर इस क्षेत्र में अमरीकी किस्म का कपास फिर से बड़ी मात्रा में बोया जा सकेगा जिससे निर्धन कृषकों को आर्थिक लाभ पहुँचेगा।

दुर्भाग्यवश, वर्ष के अधिकांश समय में मुक्तसर की हालत खराब रहती है। कस्बे के अनेक भागों और पहुँच मार्गों पर पानी भरा रहता है और भूमिगत जलस्तर सतह से केवल 6 फुट नीचे रहता है। पूरा क्षेत्र प्रदूषित रहता है और मच्छरों का घर बना रहता है। जिससे कस्बे के लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो जाता है।

कस्बे में पानी जमा हो जाने की समस्या को दूर करने के लिए लघु अवधि और दीर्घ अवधि की योजनाओं की आवश्यकता है। लघु अवधि समाधान के तौर पर जगह-जगह ऐसे अनेक

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पम्प लगाए जा सकते हैं जो बराबर प्रदूषित पानी खींच कर नालों में फेंक सकें और कस्बे को रोगाणुओं से मुक्त कर सकें। दीर्घअवधि समाधानों के अन्तर्गत जल निकास लाइनें डाली जानी चाहिए जो पूरे वर्ष विशेषत: बरसात में मुक्तसर और आस-पास के इलाकों से पानी की निकासी करें।

मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि वह मुक्तसर कस्बे में पानी जमा हो जाने की समस्या पर ध्यान दे और इसे शीघ्र दूर करने के लिए लघु अवधि और दीर्घ अवधि की योजनायें बनायें।

(2) मद्रास में पेयजल की सप्लाई

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : महोदय, मद्रास महानगर में पीने के पानी की सप्लाई बढ़ाने की समस्या एक महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी मामला है। केन्द्रीय सरकार को इस पर ध्यान देकर इस समस्या को दूर करने के लिए व्यावहारिक योजना बनानी चाहिए।

इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि वीरानम योजना 28 करोड रुपये की अनुमानित लागत पर तैयार की गई थी जिसमें से 11 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

हालांकि, यह सुनने में आया है कि इस लाभकारी और व्यावहारिक योजना को लागू करने की बजाय, जिससे मद्रास नगर को चिरप्रतीक्षित राहत मिलती, प्राधिकारियों में 159 करोड़ रुपये की बहुत अधिक अनुमानित लागत पर कट्टालाई योजना तैयार की है। इससे न केवल विकट वित्तीय समस्या पैदा होगी बल्कि राज्य के कृषि उत्पादन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इसके लिए बहुत सी उपयोगी भूमि काम में आ जायेगी। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ग के कृषक ने इसका विरोध किया है।

अत: मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह मद्रास नगर में पीने के पानी की सप्लाई बनाने की समस्या पर ध्यान दे और राज्य सरकार को इसके लिए एक व्यावहारिक योजना बनाने और लागू करने में सहायता दे।

(3) पश्चिम बंगाल में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के उपाय

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : महोदय, पश्चिम बंगाल राज्य में बेरोजगारी की समस्या इतनी विकट है कि जब तक केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय क्षेत्र में राज्य में नये औद्योगिक एककों की स्थापना करने के लिए निवेश नहीं करती तब तक राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए विकासकारी उपाय लागू नहीं किए जा सकेंगे। इसीलिए पश्चिम बंगाल के लोग पिछले 2 सालों से पश्चिम बंगाल में नये केन्द्रीय निवेश के लिए आँदोलन कर रहे हैं। और इसीलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि केन्द्रीय सरकार को हल्दिया में एक बड़ा जहाज मरम्मत काम्पलैक्स स्थापित करना चाहिए; हल्दिया के तेल-शोधक कारखाने का विस्तार करना चाहिए, वहाँ एक तटीय इस्पात सयंत्र खोलना चाहिए, दुर्गापुर संयंत्र मिश्रधातु, इस्पात संयंत्र और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की इस्पात उत्पादन क्षमता बढ़ानी चाहिए; और भारत इलैक्ट्रोनिक्स और सेन्ट्रल

केमिकल एण्ड फार्मेस्यूटिकल के एककों और एक सर्कुलर रेलवे की स्थापना करनी चाहिए। नयी दिल्ली में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में चर्चित योजना आयोग के छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के प्रलेख को देख कर यह प्रकट हुआ कि बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद पश्चिम बगाल की मांगों पर उचित ध्यान नही दिया गया।

पिछले 14 सालों से, मेट्रो रेलवे को छोड़ कर पश्चिम बंगाल में कोई बड़ा केन्द्रीय निवेश नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त वहाँ केन्द्रीय सरकार के जो भी मुख्यालय थे उन्हें भी अकारण हटाया जा रहा है। क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि सरकार समग्र पूर्वी क्षेत्रों की समस्या पर उचित ध्यान न देकर उसकी उपेक्षा क्यों करती है? पश्चिम बंगाल में पढ़े-लिखे बेरोजगारों की संख्या सबसे अधिक है। मगर केन्द्रीय सरकार उनके लिए क्या कर रही है? उनकी समस्याओं को दूर करने के स्थान पर वे उनके रास्ते में अड़चनें डाल रही हैं और राज्य के मामलों में विघ्न डाल रही हैं—चाहे वे काम के लिए अनाज कार्यक्रम हो अथवा शैक्षिक संस्थानों का मामला हो। इन परिस्थितियों में मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह पश्चिम बंगाल में व्यापक बेरोजगारी को देखते हुए इस परियोजना को मंजूरी दें।

(4) दिल्ली में पेड़ों के काटे जाने का समाचार

डा० वसंत कुमार पंडित (राजगढ़) : मैं इस माननीय सभा का ध्यान एक गम्भीर जनहित के मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और चाहता हूँ कि सरकार इस पर तुरन्त कार्यवाही करे।

पिछले कुछ वर्षों से 30-35 वर्ष पुराने सैकड़ों बड़े-बड़े वृक्षों को और दिल्ली की शोभा बढ़ाने वाले और अनेक लोगों को छाया देने वाले दुर्लभ किस्म के पेड़ों को नई दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य प्राधिकरण द्वारा काटा जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने प्राधिकारियों को इस बारे में हमेशा चेतावनी दी है। परन्तु इन प्राधिकारियों ने इस प्रकृति विनाश की ओर से आंखें मूंद रखी हैं। इससे शहर का सारा माहौल बदल जाएगा जिससे प्रदूषण और बंजरपन पैदा हो जाएगा। ऐसा लगता है कि सरकार ने बम्बई, मद्रास और अन्य महानगरों में होने वाले ऐसे विनाश से सबक नहीं सीखा है।

अधिक पेड़ उगाओ और वनरोपण सप्ताहों में केवल बड़े नेताओं द्वारा पौधे लगाने की तसवीरें बाँट कर खानापूरी कर दी जाती है। कुछ दिनों पहले स्कूल लेन, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, और मथुरा रोड़ आदि स्थानों पर अनेक वृक्ष काट डाले गए। दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली नगर निगम और यहाँ तक कि दिल्ली नगरपालिका ने भी सड़कें चौड़ी करने, निर्माण कार्यों और भवन निर्माण आदि की आड़ में पेड़ काट डाले। वृक्ष प्रतिरोपण की बात की जाती है परन्तु उसके परिणाम बहुत असतोषजनक हैं। जिसके लिए उपयुक्त जानकारी का अभाव है।

अब लोधी गार्डन्स में 250 वृक्षों को काटने की बारी है क्योंकि वहाँ चौहद्दी को हटाया जा रहा है। नये होटल बनाने और 1982 के एशियाई खेलों के नाम पर किए जाने वाले निर्माण

कार्यों में बहुत से पेड़ उखाड़ दिए जायेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि "अपने क्षेत्र में पेड़ बचाओ"— एस० ए० टी० वाई० ए० संगठन इस वृक्ष विनाश के विरुद्ध सत्याग्रह करेगा।

लोधी रोड़ काटे जाने वाले वृक्षों में नीम, शीशम, बबूल, शहतूत, जामुन, सिल्वर ओक और पीपल आदि जैसी दुर्लभ किस्में हैं। पुराने पेड़ों के प्रतिरोपण के परिणाम विशेषत: दिल्ली के जलवायु में बहुत, असंतोषजनक हैं। नये पौधों को छायादार पेड़ बनने में कम से कम 2 दशकों का समय लग जाएगा।

महोदय, मैं सरकार से और उपराज्यपाल से दृढ़तापूर्वक आग्रह करता हूँ कि वे यथासंभव अधिक से अधिक वृक्षों को बचाने के लिए कदम उठायें। आने वाली पीढ़ियां इस प्रकृति विनाश के लिए सरकार को कभी क्षमा नहीं करेंगी। इस संकटपूर्ण स्थिति पर फिर से पूरी तरह ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है और मैं आशा करता हूँ कि प्राधिकारी इस चेतावनी पर ध्यान देंगे।

(5) देश में प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : चौथे अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण के अनुसार देश के 2937 प्राइमरी स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं। इनमें से अकेले 600 स्कूल उत्तर प्रदेश में हैं। ऐसी है, प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा की दयनीय स्थिति।

बिहार में ऐसे स्कूलों की संख्या 497, मध्य प्रदेश में 411, कर्नाटक में 381, आन्ध्र प्रदेश में 292, उड़ीसा में 243, महाराष्ट्र में 114, तमिलनाडु में 104, राजस्थान में 96 तथा गुजरात में 68 है, जहां अध्यापक बिल्कुल नहीं हैं।

देश में 1,64,931 स्कूल ऐसे है जहाँ मात्र एक एक अध्यापक हैं। दिल्ली में ऐसे चार स्कूल हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे स्कूलों की संख्या 25,201 है जो सबसे अधिक है। आन्ध्र प्रदेश का 21,544 स्कूलों के साथ दूसरा स्थान है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में 17,827, बिहार में 17,085, कर्नाटक में 16,341 उड़ीसा में 14,698, राजस्थान में 11,978 ऐसे स्कूल हैं जहां केवल एक एक अध्यापक हैं। केन्द्र शासित प्रदेश में भी ऐसे स्कूलों की संख्या काफी है। देश में इस प्रकार के स्कूलों का प्रतिशत 34.75 है।

देश में 1,29,541 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं वहां केवल दो अध्यापक हैं। मध्य प्रदेश, बिहार एवं कर्नाटक में ऐसे विद्यालयों की संख्या सबसे अधिक है।

जिन प्राथमिक विद्यालयों में तीन अध्यापक हैं उनकी संख्या 1,658 है। इसी प्रकार 38,726 स्कूलों में प्रत्येक में चार अध्यापक तथा 24,908 स्कूलों में प्रत्येक में पांच अध्यापक हैं।

कुल 4,74,636 प्राथमिक विद्यालयों में 8.85 प्रतिशत ही ऐसे स्कूल हैं, जहां पांच से अधिक अध्यापक हैं। राष्ट्रीय स्तर पर औसत छात्र अध्यापक अनुपात प्राइमरी स्तर पर 49 छात्रों के पीछे एक अध्यापक, मिडिल स्तर पर 25 छात्रों पर एक अध्यापक तथा सेकेन्डरी एवं हायर सेकेन्डरी स्तर पर 18 छात्रों पर एक अध्यापक हैं।

शिक्षा के प्रति भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के लिए ये आँकड़े इस बात के ज्वलंत उदाहरण हैं कि हमारी भावी पीढ़ी के प्रति सरकार का रवैया क्या है ? क्या सरकार इसी प्रकार से देश के उत्थान में नौजवानों एवं छात्रों का सहयोग चाहती है ? इस ओर भारत सरकार को विशेष ध्यान देकर प्राइमरी स्कूलों की इस दयनीय स्थिति में सुधार के लिये राज्य सरकारों की विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। इस दिशा में अब और विलम्ब करना देश के लिए घातक सिद्ध होगा।

(6) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के सर सुन्दर लाल अस्पताल का बन्द होना

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि छात्रों एवं डाक्टरों के बीच संघर्ष हो जाने के कारण काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान का सर सुन्दर लाल अस्पताल बन्द हो गया है जिससे जनता को चिकित्सा सम्बन्धी भीषण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। संघर्ष इतना बढ़ गया है कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा है और विश्वविद्यालय परिसर में अनेक प्रकार की हिंसा की घटनाएं हुई हैं तथा विश्वविद्यालय अनिश्चित काल के लिए बन्द हो गया है। चूंकि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है अतः भारत सरकार को तत्काल उक्त मामले में हस्तक्षेप कर समस्या का समाधान करना चाहिए अन्यथा स्थिति और भी अधिक बिगड़ सकती है जो उक्त विश्वविद्यालय तथा छात्रों एवं जनता के हित की दृष्टि से अत्यन्त घातक सिद्ध होगी। विश्वविद्यालय का शीघ्र खोला जाना छात्रों की पढ़ाई के लिए अति आवश्यक है।

(7) रेडक्रास सोसाइटी के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कथित विश्वास भंग के लिए न्यायालय में मामला

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : महोदय, मैं निम्नलिखित मामलों को नियम 377 के अधीन उठाना चाहता हूं :

मैट्रोपोलिटन मजिट्रेस्ट श्री जसवन्तसिंह ने परसों मेजर जनरल एस० एस० मैत्रा (रिटायर्ड), श्री अजीत भौमिक, भारतीय रेडक्रास सोसायटी के क्रमशः वाइस चेयरमैन और ज्वाइंट सेक्रेटरी और सोसाइटी के तीन अन्य कर्मचारियों को सम्मन जारी किये हैं और उन्हें बंगला देश के शरणार्थियों के लिए 11 करोड़ रुपये की राहत सामग्री और धन के मामले में आपराधिक विश्वास भंग के मामले में 30 मई को पेश होने को कहा है।

मैजिस्ट्रेट ने उन्हें बुलाने के आदेश तभी दिये जब उसने प्रारंभिक साक्ष्य देने हेतु बुलाए गए साक्षियों के बयानों के आधार पर यह पाया कि उन्हे विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या मामला सिद्ध हो गया है।

यह मामला श्री मेहर चन्द यादव, दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान के भूतपूर्व डिप्टी चेयरमैन और भारतीय सोशलिस्ट पार्टी के अखिल भारतीय कोषाध्यक्ष ने दायर किया है।

श्री यादव ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि इन पाँच दोषी व्यक्तियों ने राहत सामग्री के मामले में आपराधिक षड़यन्त्र करने के सिलसिले में आपराधिक विश्वास भंग तथा खातों में गड़बड़ी के अपराध किये हैं।

बंगला देश के शरणार्थियों के लिये विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय जनसेवी संगठनों ने इस राहत सामग्री को दानस्वरूप दिया था।

ऐसी परिस्थितियों में, सम्बन्धित अधिकारियों को उनके पदों से तुरन्त निलम्बित किया जाए तथा रेडक्रास सोसायटी के हितों को और क्षति पहुँचाने से रोका जाये।

(8) गुजरात में देशी तम्बाकू उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिया जाना

श्री मोती भाई आर० चौधरी (मेहसाना) : अध्यक्ष महोदय, गुजरात में जो ज्यादातर पैमाने में देसी तम्बाकू-बीड़ी तम्बाकू पैदा होती है, उसके मूल्य में भारी गिरावट आई है, जिससे वहां के तम्बाकू किसान बहुत कठिनाई में हैं। जिसका दाम 80 से 200 रुपये प्रति मन होना चाहिये, वह अभी 20 से 40 रुपये प्रतिमन से अधिक दाम नहीं मिल रहा है। इससे किसानों में बहुत असंतोष है। सन 1978 में ऐसे ही तम्बाकू के दाम गिर गये थे, तभी उस समय की जनता सरकार ने नाफेड द्वारा उचित दाम पर तम्बाकू खरीदने का इन्तजाम करके किसानों को बचाया था। उसी तरह एस० टी० सी० या नाफेड द्वारा उचित दाम पर तम्बाकू खरीदने का गुजरात में इन्तजाम किया जाये जिससे कि किसानों को सरकारी क्रय-व्यवस्था के माध्यम से लाभप्रद मूल्य मिल सके। गुजरात तम्बाकू बाजार समिति ने भी ऐसी मांग की है। इस पर फौरन ध्यान दिया जाये और स्थायी रूप से देसी तम्बाकू पकाने वाले किसानों को उचित दाम पर तम्बाकू खरीदने की व्यवस्था मिल सके। इसलिए तम्बाकू बोर्ड के कानून के अन्तर्गत इस तम्बाकू को भी लाया जाये। इस हेतु भारत सरकार ने जो निष्णात समिति बनाई थी, उसने भी यही सिफारिश की है तो इस बारे में भी जल्दी से प्रावधान करके बीड़ी तम्बाकू पकाने वाले गुजरात के किसानों को मदद की जाये।

अनुदानों की मांगे, 1981-82

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर और आगे विचार करेंगे तथा मतदान करेंगे। श्री नवल किशोर शर्मा।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पेट्रोलियम, कैमिकल्स और फर्टिलाइजर के बजट अनुदानों की माँगों के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। यह मंत्रालय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यह तो सही है कि पिछले साल भर में इस मंत्रालय ने सभी क्षेत्रों में कुछ अच्छे काम करने की कोशिश की है, लेकिन इससे हम संतोष नहीं कर सकते। चेलेन्जेज बहुत हैं और उनका मुकाबला करने के लिए लगातार परिश्रम और निगरानी रखने की जरूरत है।

यह मंत्रालय एक ओर तेल, क्रूड आयल, पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स से संबंधित है, तो दूसरी ओर कृषि के क्षेत्र में अत्यावश्यक फर्टिलाइजर्स से भी संबंधित है और तीसरी ओर जिन्दगी के लिये जरूरी दवाओं से भी संबंधित है।

जहां तक तेल का ताल्लुक है, अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बदलती जा रही हैं; तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। पिछले साल के दौरान तेल की कीमतें दो दफा बढ़ीं, और वे कब कितनी बढ़ जायेंगी, यह हमारे नियंत्रण से बाहर है। इसलिए इस बात की बहुत जरूरत है—इस बारे में सतर्कता से काम करने की जरूरत है—कि हमारे देश में तेल, क्रूड आयल, का उत्पादन तेजी से बढ़े।

ओ० एन० जी० सी० ने तेल के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, लेकिन उसकी अपनी क्षमता लिमिटिड है, और इसलिए यद्यपि मैं साधारणतया विदेशी तेल कंपनियों के भारत में आने का विरोध करने वाले लोगों में से हूं, लेकिन बदलती हुई अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण विदेशी कंपनियों को यहां लाने की जो कोशिश की जा रही है, मैं उसका स्वागत करता हूं। यह अच्छी बात है कि इस दिशा में तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं।

मैं तेल के मामले में आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। पिछले साल हमारा तेल का इम्पोर्ट बिल 5600 करोड़ रुपये का था और आने वाले साल में उन्हीं कीमतों के आधार पर 4855 करोड़ रुपये का इम्पोर्ट बिल होने वाला है। यह भी ठीक है कि देश के अन्दर हमारा उत्पादन बढ़ा है, लेकिन हमारी जरूरत 10 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ती जा रही है, और इस बढ़ती हुई जरूरत को पूरा करने के लिए तेल के बारे में तेजी से खोज की जानी चाहिए। यह खुशी की बात है कि मंत्रालय इस बारे में सजग है और मंत्री जी ने व्यक्तिगत स्तर पर इस काम को देखने का निर्णय कर लिया है। उसके परिणामस्वरूप कुछ गतिशीलता आई है।

जैसा कि मुझे मालूम हुआ है, विदेशी कंपनियों के लिए वे ब्लाक्स तय किये गए हैं, जिनमें ओ० एन० जी० सी० या आयल इंडिया काम नहीं कर सकते। कुछ लोग कह सकते हैं कि ओ० एन० जी० सी० और आयल इंडिया को ज्यादा काम करना चाहिए, लेकिन उनके हैंड्ज फुल हैं। जब हमें तेल का उत्पादन बढ़ाना है, तो हमारे लिए इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम विदेशी कंपनियों का सहयोग लें। लेकिन एक बात का ध्यान रखा रखना होगा: विदेशी कम्पनियां आयें, लेकिन उसमें ओ० एन० जी० सी० का शेयर अवश्य होना चाहिए, और सबस्टेंशल शेयर होना चाहिए, उसका ईक्विटी पार्टीसीपेशन होना चाहिए, और साथ ही जो तेल निकले, वह किसी भी कीमत पर विदेशी कम्पनियों को ले जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। सदन को यह आश्वासन दिया जाना जरूरी है।

जहां हम तेल का उत्पादन तेजी से बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं, वहां हमें तेल की बचत करने की दिशा में भी कुछ कदम उठाना चाहिए। इसके लिए रिसर्च एण्ड डेवेलपमेंट को विकसित करना जरूरी है। मुझे खुशी है कि गैस का एक ऐसा बर्नर ईजाद किया गया है, जिसमें 15 परसेंट गैस की बचत होगी। अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह की रिसर्च की जानी चाहिए।

आज की बदलती हुई परिस्थितियों में रिसर्च एण्ड डेवेलपमेंट को इस देश में जितना महत्व मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल रहा है। इसलिए आर० एण्ड डी० को स्ट्रेंग्थन किया जाना चाहिए और हर क्षेत्र में रिसर्च करके तेल की खपत को कम करने की कोशिश की जानी चाहिए।

जहाँ तक सम्भव हो, पेट्रोलियम प्राडक्ट्स के इस्तेमाल में भी बचत करनी चाहिए। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में पेट्रोलियम प्राडक्ट्स का उपयोग अनेक लाभदायक तरीकों से हो सकता है और इसलिए हमें इस देश को उससे वंचित नहीं रखना है, लेकिन साथ ही उसमें भी नये तरीके और आर० ऐंड डी० का इस्तेमाल कर के उस की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना चाहिए।

यह तो सही है कि पिछले साल डीजल के वितरण की स्थिति ठीक रही और केरोसिन में भी आम तौर पर लोगों को तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गैस के वितरण के बारे में शिकायतें मिल रही हैं। मैं राजस्थान की बात कह सकता हूँ। जयपुर में पिछले तीन महीने से गैस नहीं मिल रही है। कल मेरे एक मित्र रांची की बात कह रहे थे। तो यह स्थिति है। ऐसी स्थिति में ब्लैक मार्केट पैदा होता है। इस स्थिति को रोकना चाहिए। मन्त्रालय को इस बारे में सजग रहना चाहिए।

डीजल के वितरण के बारे में मैं एक सुझाव देना चाहूंगा आप ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि हमने 80-81 में 175 नये आउटलेट्स खोलने की बात की है। पता नहीं कितने खुले, पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये आउटलेट्स खोलते वक्त जो क्रिटिकल एरियाज हैं उन का ध्यान रखा जाय तो ज्यादा अच्छा है। कुछ क्षेत्र, कुछ प्रान्त हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जहां बिजली का उत्पादन कम होता है, किसान को बिजली नहीं मिल पाती। ऐसे क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर आउटलेट्स खोलने पर ध्यान देना चाहिए और मैं समझता हूँ कि ऐसे क्षेत्र में ज्यादा आउटलेट्स खोलने चाहिए। 175 से इतने बड़े देश में काम नही चल सकता।

तेल के सम्बन्ध में इतना कहने के बाद में फर्टिलाइजर के बारे में भी कुछ सुझाव देना चाहता हूं। फर्टिलाइजर्स के उत्पादन में दुर्भाग्य से नइट्रोजन का उत्पादन बहुत कम रहा। 27.5 लाख टन के बजाय 22 या 23 लाख टन उत्पादन हुआ। इसके कारण तो दिए हैं आपने कि इन इन कारणों से, बिजली की कमी थी या फीड स्टाक की कमी थी, आदि आदि, जिससे यह हुआ पर हम लोग तो असल में इन कारणों में इन्टरेस्टेड नहीं हैं और देश की आम जनता भी कारणों में इन्टरेस्टेड नहीं है, रिजल्ट्स में इन्टरेस्टेड है और कोई कारण नहीं है कि जब हमारी इन्स्टाल्ड कैपेसिटी 5 मिलियन टन से ज्यादा है तो हमारा उत्पादन उसके आधे से भी कम हो। हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स में 56 प्वाइंट समथिंग है। यह दुर्भाग्य की बात है। क्या वजह है? क्यों नहीं हमारा कैपसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ सकता? इसके बारे में वर्षों से शिकायत है। लेकिन कुछ किया नहीं जा रहा है। मेरा यह मानना है कि इन्स्टाल्ड कैपेसिटी का अगर पूरा उपयोग नहीं किया जाता फ्यूचर इन्वेस्टमेंट बेमानी हो जाता है। इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मैं इन्वेस्टमेंट के खिलाफ नहीं हूं और इसलिए गवर्नमेंट आफ इंडिया को मुबारकबाद भी देना चाहता हूं कि आने वाले दस सालों के लिए जो फर्टिलाइजर्स के बारे में प्लानिंग किया है वह अपने आप में एक अच्छी चीज है। छः प्लान्ट्स गैस के आधार पर लगाने जा रहे हैं। मैं इन गैस

के आधार पर लगाये जाने वाले प्लान्ट्स के बारे में यह निवेदन करना चाहूँगा कि जब मथुरा-सिपाइनगी की बात चल रही थी तो राजस्थान के भरतपुर और सवाई-माधोपुर को भी उसमें विचार करने के लिए सम्मिलित किया गया था। पर किसी भी कारण से सही मथुरा का नम्बर आया। दुर्भाग्य की बात है, ठीक कह रहे हैं इन्द्रजीत गुप्ता जी इसलिए कि राजस्थान का नम्बर रह गया, यू० पी० का नम्बर आ गया, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि राजस्थान का नम्बर रह गया। तो मैं यह कह रहा था कि अब इस गैस बेस्ड फर्टिलाइजर के बारे में राजस्थान को नेग्लेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। मैंने सुना है इसके बारे में कमेटी ने जांच भी की है और शायद सवाई माधोपुर के बारे में कुछ फेवरेबल रिपोर्ट है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जैसा कल सुखाड़िया जी कह रहे थे, राजस्थान में पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बहुत कम है बल्कि करीब करीब लोयस्ट है। (व्यवधान) वहां पर दौलत तो है लेकिन दौलत का फायदा दूसरे लोग उठाते हैं, दिये तले अन्धेरा है। इसलिए मैं कह रहा था कि उस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए।

सलादीपुरा की पायराइट प्रोजेक्ट की कहानी बहुत पुरानी है। मैं स्वयं वहां गया था, मैंने उसको देखा है और मैं चाहूंगा मन्त्री महोदय भी एक बार देख लें तो अच्छा होगा। आपने अपनी रिपोर्ट में कहा है :

"परिक्षणों के परिणामों के आधार पर, कम्पनी ने सलादीपुरा पायराइट से सल्फ्यूरिक एसिड तथा फास्फेट से तैयार किये जाने वाले उर्वरकों के उत्पादन के लिये अध्ययन किये हैं तथा एक प्रारम्भिक रिपोर्ट तैयार की है। वह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।"

यह कंसिड्रेशन कहीं द्रौपदी के चीर की तरह न हो जाए। मैंने 6 महीने पहले इसके बारे में सवाल किया था तब भी (ए) का यह जवाब था :

"रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।"

इस कंसिड्रेशन का कहीं अन्त होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : 'कंसिड्रेशन' के लिये कोई, दूसरा शब्द छांटिये।

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं यह सुझाव दूंगा कि इस मामले पर अविलम्ब विचार किया जाये तथा कम-से-कम समय में निर्णय लिया जाये।

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : तत्काल कार्यवाही की जाये।

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं वही कहना चाहता हूँ, जिसका मन्त्री महोदय ने सुझाव दिया है। मैं उनका आभारी हूं।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस बारे में निर्णय तुरन्त लिया जाना चाहिए। कोई वजह नहीं है कि इस निर्णय में देरी की जाए। झाबर कोटला के बारे में सुखाड़िया जी ने जो कहा था उसका मैं भी समर्थन करता हूँ।

मैं ड्रग्ज के बारे में भी दो बातें कहना चाहता हूँ। मुझे खेद है कि ड्रग्ज के क्षेत्र में इण्डियन सेक्टर को तरजीह नहीं दी जा रही है। अभी भी इस क्षेत्र में मल्टीनेशनल्स और फेरा कम्पनीज की मानोपोली है। मैं अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था, 7 फेरा कम्पनीज में से 4 का एक्वीटी पार्टिसिपेशन 40 परसेन्ट में आया है और अभी भी कार्यवाही चल रही है। हिन्दुस्तान मे ड्रग्ज के मामले में आत्मनिर्भरता अब ऐसी स्थिति में आ गई है कि अगर सरकार चाहे और ड्यू एनकरेजमेंट मिले तो कोई वजह नहीं है कि मल्टीनेशनल कम्पनीज को देश के बाहर दौलत ले जानी की इजाजत मिले। हमें अपने इंडियन सेक्टर को, इंडियन कम्पनीज़ को एन्करेज करना चाहिए लेकिन इस सम्बन्ध में अभी रफ्तार बहुत धीमी है। कल राज्य मन्त्री ने जब डिबेट में इन्टरवीन किया तो मैं उनको सुन रहा था। मुझे सुनकर हैरत हुई। मैं शायद सही हूँ, अगर मैंने ठीक सुना है, उन्होंने कहा कि छठी पंचवर्षीय योजना में हम फेरा कम्पनीज से भी इन्वेस्टमेंट की उम्मीद करते हैं, सर्टेन एमाउन्ट जो था वह मुझे याद नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बात अपने आप हमारी घोषित-नीति के विपरीत है। आज हम फैरा कम्पनी से कैपिटल इन्वेंस्टमेंट के लिए उम्मीद करते हैं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम फैरा कम्पनी को बढ़ावा देना चाहते हैं। मैं मन्त्री महोदय से मांग करता हूं कि वे इस पर पुनर्विचार करें। ड्रग्स के सम्बन्ध में यह कोशिश की जानी चाहिए, बल्कि कुछ आइटम्स तो ऐसी हैं तो पब्लिक सैक्टर आराम से बना सकता है। लाइसेंस के मामले में हमें हैरत हुई कि पांच लाइसेंस फेरा कम्पनी को दिए गए हैं। मेरी यह भावना है कि इस नीति में परिवर्तन करने की जरूरत है। किसी भी कीमत पर फैरा कम्पनी को इस देश में बढ़ने की इजाजत नहीं देनी चाहिए—मेरी मन्त्री महोदय से यह मांग है।

इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री सूर्य नारायण सिंह (बलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, कल सदन में ड्रग्स और फर्टिलाइजर के मामले में स्वावलम्बन प्राप्त करने के दृढ़ निश्चय की घोषणा सरकार की ओर से की गई और इसी तरह के उदगार हमारे माननीय सदस्यों ने भी व्यक्त किए, लेकिन चिन्ता की बात यह है कि एक ओर आप कहते हैं कि हम स्वावलम्बन हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जिन नीतियों को आप अनुसरण कर रहे हैं, उससे स्वावलम्बन हासिल करने का कोई सवाल पैदा नहीं हो सकता है। उस उद्देश्य की पूर्ति कभी नहीं हो सकती है।

आज हमारा देश तेल के संकट से गुजर रहा है। जैसा कि पूर्ववक्ता, श्री नवल किशोर शर्मा जी, ने बताया कि गत वर्ष इम्पोर्ट बिल 56 अरब के करीब देना पड़ा और अगले साल भी इसी तरह की बात होगी। इसीलिए युद्धस्तर पर तेल के खोज की समस्या हमारे सामने हैं, लेकिन दुर्भाग्य हमारा यह है कि तेल की खोज करने के लिए और हायर-टैक्नोलॉजी के नाम पर फारन मल्टी-नेशनल के साथ आप जो कोलाबोरेशन कर रहे हैं वह हमारे राष्ट्रीय हित के खिलाफ है और यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम उनको तेल की खोज के लिए कहते हैं और 32 ब्लाक्स इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। इन 32 ब्लाक्स का सर्वे ओ० एन० जी० सी० ने किया था और यह जो कोलोबोरेशन हो रहा है, यह उनको टर्म्स-एंड-कंडीशन्स पर हो रहा है। मैं पूछना यह चाहता

हूँ कि क्या यह हमारे राष्ट्रीयहित के अनुकूल है । वह टर्म्स-एण्ड-कन्डीशन्स क्या हैं—जो कुछ हमारे साइंटिस्टों ने सर्वे किया है. वह मुफ्त उनको दे दिया जाए । वे जो डाटा तैयार करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे, उसकी कोई जानकारी हमारे इन्जीनियर्स को नहीं दी जाएगी, उस पर उनका पूरा अधिकार होगा । इतना ही नहीं पैदावार में हिस्से के आधार पर उनके साथ कोलाबोरेशन हो रहा है । जो तेल निकलेगा, उसका 20 से 25 प्रतिशत तक देने की बात अखबारों में हमने देखी है । इससे और दुर्भाग्यपूर्ण बात हमारे देश के लिए क्या हो सकती है । एक ओर तेल के सकट से हमारा देश गुजर रहा है और हमारे ओ० एन० जी० सी० के जो साइनटिस्ट हैं. इन्जीनियर्स हैं और टैक्नीशियन्स हैं, जो कि तेल की खोजके मामले में और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिन्होंने पिछले दिनों काफी प्रयास किया है··· लेकिन आज हम ऐसा समझौता करने जा रहे हैं कि जो मल्टी-नेशनल कम्पनियाँ यहां पर आयेंगी, तेल की खोज करने के लिये, उनसे ओ० एन० जी० सी० को अलग रखा जायगा । उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों यहां पर इस सम्बन्ध में जो प्रयास किये गये, टैकनालाजी को बढ़ाने के लिये जो कार्य किये गये, वह इस बात का सुबूत है कि ओ० एन० जी० सी० के पास योग्य साइन्टिस्ट तथा इन्जीनियर्स की कमी नहीं है, उनके कामों के लिये हमारा देश गौरव महसूस करता है । अगर उनको पूरा मौका दिया जाता, आधुनिक टैकनालाजी से उनको लैस किया जाता, तो आज हम जिस अभाव से गुजर रहे हैं वह दिन देखने का मौका नहीं मिलता ।

आज आप सेल्फ-रिलएंस की बात कहते हैं । शर्मा जी ने अभी ठीक ही कहा है—जो हमारी इंस्टाल्ड कैपेसिटी है, चाहे पेट्रोलियम इण्डस्ट्री हो, चाहे ड्रग्ज या फर्टिलाइजर की इण्डस्ट्री—हम पूरी कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं कर पाते । इसका क्या कारण है ? सरकार नये इन्वेस्टमेंट करती जाय, सेल्फ-रिलाएंस की बात करती जाय—तो इससे सेल्फ-रिलाएंस नहीं आ सकती है । एक बात मैं गौरव के साथ कह सकता हूं—हमारे यहां बरौनी में जो फर्टिलाइजर्स का कारखाना है वह शायद हिन्दुस्तान में अकेला कारखाना है जो 80-90 परसेन्ट लोड पर चलता है, अगर वहां हम 80-90 परसेन्ट कैपेसिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं तो दूसरी जगह पर क्यों नहीं कर सकते हैं—इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है । हमें चाहिये कि हम अपनी इंस्टाल्ड-कैपेसिटी का अधिकतम उपयोग करें और जो स्थान इन्फ्रास्ट्रक्चर से पहले से लैस हैं उन कारखानों का ज्यादा विस्तार करना चाहिये, हम इण्डस्ट्रीयल रिलेशन्ज में सुधार करके पूरी क्षमता का प्रयोग कर सकते हैं । लेकिन यह एक बिडम्बना है कि जो इन्स्टाल्ड कैपेसिटी है उसका 50 प्रतिशत भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं । इण्डस्ट्रीयल रिलेशन्ज रोज-ब-रोज खराब होते जा रहे हैं । कभी बिजली के नाम पर, कभी किसी अन्य चीज के नाम पर काम बन्द हो जाता है ।

मैं यहां पर बरौनी की चर्चा विशेष रूप से करना चाहता हूं—बरौनी में जो खाद का कारखाना है उसके लिये एक कैपटिव पावर प्लांट लगाने का सरकार ने निर्णय किया था जिससे कि उस कारखाना को लगातार चालू रखा जा सके, लेकिन आज तक उसको नहीं लगाया गया है । हम लोगों ने इस सम्बन्ध में बार-बार सरकार से माँग की कि उसको शीघ्र लगाया जाय । मालूम नहीं उसमें क्या कठिनाई है और कब तक वह लगेगा—कुछ भी कहना मुश्किल है । बिहार

में आज जो बिजली की स्थिति है उसके चलते वहां पर कारखाने बन्द होते रहते हैं जिससे करोड़ों रुपयों का घाटा होता है। बरौनी को भी बिजली की आपूर्ति न होने से बहुत जबरदस्त घाटा उठाना पड़ा है। इस तरफ सरकार को तुरन्त ध्यान देना चाहिये।

बरौनी रिफाइनरी का कारखाना 1964 में शुरू हुआ था। उस समय से लेकर अब तक जितने पैट्रोलियम मिनिस्टर्स आये सभी ने इस बात का आश्वासन दिया कि बरौनी में पेट्रो-कैमिकल कम्प्लेक्स बनायेंगे। आप दूसरी जगहों पर भी बनाइये, हमें उससे ऐतराज नहीं है, लेकिन इस बात को ध्यान में रख कर प्राथमिकता दी जाय कि कहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। यदि आप किसी ऐसी जगह पर लगाते हैं जहां साधनों की कमी है तो उसमें बहुत अधिक समय लगेगा तथा सफलता भी नहीं मिलेगी। लेकिन बरौनी इस दृष्टि से एक आइडियल लोकेशन है जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है। इस के चारों तरफ नेशनल हाइ-वे है तथा रेलवे लाइनों से घिरा हुआ इलाका है। उसका माल नैपाल, भूटान, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश सब तरफ जाता है। मैं आप को यह भी याद दिलाना चाहता हूँ—जनवरी, 1980 में आप ही ने कहा था बिहार पेट्रो-कैमिकल का कारखाना जरूर लगायेंगे, लेकिन कहां लगायेंगे— इसके लिये एक कमेटी का निर्माण किया गया है, उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद फाइनल निश्चय करेंगे। लेकिन शायद आज तक उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल नहीं की है—इसका क्या औचित्य हैं? बिहार—जिसकी आबादी के 60 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं—आज तक वहां कैमिकल इण्डस्ट्रीज के सम्बन्ध में कोई डवेलपमेंट नहीं हुआ है। इस काम को वहाँ पर करने की बहुत सम्भावना है—हमारे यहां जो नाप्था पैदा होता है उसमें एरोमेटिक-कन्टेन्ट्स बहुत ज्यादा हैं, फर्टिलाइजर बनाने के नाम पर जो उसमें वैल्यूविल कैमिकल्ज हैं, उनको जला दिया जाता है—इससे बढ़ कर राष्ट्रीय जनहित दूसरा क्या हो सकता है? इस पर आप को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये और हमारे मंत्री जी इस सदन को अविलम्ब आश्वासन दें कि बरौनी में पैट्रो-केमिकल का कारखाना लगायेंगे तथा जो वहां फर्टिलाइजर का कारखाना है उसका विस्तार होगा, कैप्टिव पावर प्लांट वहां अविलम्ब लगाने की ओर सरकार कदम उठायेगी।

खाद की कमी की यहां पर बहुत चर्चा की गई है। बिहार के पिछड़ेपन के सवाल को ध्यान में रखते हुए नेशनल डवेलपमेंट कौन्सिल की अभी हाल की जो मीटिंग थी, हमारे मुख्य मन्त्री डा० जगन्नाथ मिश्र ने भी इस बारे में सवाल उठाया था लेकिन हमको इस गवर्नमेंट की नीति समझ में नहीं आती कि जहाँ पर प्रचूर मात्रा में कोयले की खदानें होते हुए भी उस पर आधारित खाद का कारखाना क्यों नहीं बन सकता है और सस्ता खाद तैयार क्यों नहीं हो सकता है, वहां पर वह कारखाने नहीं लगाती है। कोल कार्बोनाइजेशन की बाई-प्रोडक्ट और फाइटो-कैमीकल्स पर अगर सही तरीके से रिसर्च की जाए, तो सस्ते रेट पर दवाइयों का निर्माण किया जा सकता है और औषधों के कारखाने लगाए जा सकते हैं। इसमें बिहार का क्या कसूर है क्योंकि यह सरकार इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं ले रही है और इस तरह से बिहार की उपेक्षा कर रही है।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। पाइराइट्स की खानें बिहार के अमझोर स्थान, जो कि रोहतास जिले में है, पर काफी मात्रा में उपलब्ध हैं। वहां पर पी० पी० सी० एल०

का हैडक्वार्टर है मगर इसका क्या जवाब मंत्री जी के पास है कि जबकि उसका हैडक्वार्टर अमझोर में है, उसके मैनेजिंग डाइरेक्टर और जनरल मेनेजर जो हैं, उनका निवास-स्थान दिल्ली में है। इस से आप समझ सकते हैं कि वे कैसे वहां काम करते होंगे। पाइराइट्स में फास्टेट का कन्टेंट बहुत ज्यादा है और इस से वहां पर फास्फेटिक कारखाना बन सकता है लेकिन इस पर विचार करने वाला कौन है जबकि उसके मैनेजिंग डाइरेक्टर और मैनेजर अपने हैडक्वार्टर पर नहीं रहते हैं। उसमें फास्फेट का कन्टेंट ज्यादा है और आपके कई खाद के कारखाने वहां बन सकते हैं, फास्फेटिक कारखाने बन सकते हैं और दूसरे कारखाने बन सकते हैं और इस तरह से बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा सकता है। मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए वहां पर रासायनिक के कारखाने, पेट्रो-कैमीकल्स और दूसरे कारखाने बनाने के सवाल पर आप को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। अब यह कहने से कोई लाभ नहीं होने वाला है कि बिहार में आज एक क्षेत्रीय उन्माद पैदा हो रहा है। यह शायद मंत्री जी को मालूम होगा, हम तो इसके बारे में जानते ही हैं कि अभी कुछ दिन पहले पार्टियों की दीवार तोड़ कर बैगूसराय में यूथ्स और स्टूडेंट्स की जितनी जमायतें हैं, वे एक जगह जमा हुई थीं और उन्होंने यह कहा था कि हमारे यहां पेट्रो-कैमीकल्स का कारखाना लगाया जाए क्योंकि बिहार एक बैकवर्ड स्टेट है। इसका फायदा बिहार के एक जिले को ही नहीं बल्कि पूरे बिहार राज्य को और पूरे देश को होगा। इसके लिए उन्होंने दो दिनों तक सरकारी कार्यालयों का घेराव किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके पहले कि स्थिति संभाल के बाहर हो आए, इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए और बिहार की किस्मत के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है, उसको आप बन्द कीजिए। बिहार का विकास किया जाए और जो वहां की आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए अविलम्ब कदम उठाए जाएं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

धन्यवाद।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, शर्मा जी ने ठीक ही कहा है कि इस मंत्रालय का सम्बन्ध जहां किसानों से है, मनुष्यों की जिन्दगी से है, वहां देश की प्रगति से भी है और मुझे खुशी इस बात की है कि इस देश में जो प्राकृतिक गैस आयोग है, उसकी उपलब्धियां इस बात की द्योतक हैं कि हमारा देश इस संकट से ऊपर एक दिन उभरेगा, जिसकी ओर माननीय सूर्य नारायण सिंह जी ने और दूसरे कई सदस्यों ने इशारा किया है और अपनी चिन्ता व्यक्त की है कि विदेशी कम्पनियों के साथ जो हमारा समझौता हुआ, उसका असर इस प्राकृतिक गैस आयोग पर भी पड़ेगा, उनके कार्य में कुछ रुकावट होगी। मैं समझता हूं कि···

उपाध्यक्ष महोदय : आप मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है। हम 14.00 बजे पुनः समवेत होंगे।

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2-00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 7 मिनट पर पुन: समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि तेल के उत्पादन के क्षेत्र में हम किस तरह विकास कर रहे हैं। बम्बई हाई में सागर विकास के आने के बाद जिस तरह से हमारे अधिकारी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं उसको देखने का मुझे मौका मिला है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारा देश एक न एक दिन इस क्षेत्र में आत्म-निर्भर बनेगा।

वैसे बीस सूत्री कार्यक्रम इस देश में चल रहा है। लेकिन आज भी पूरे बिहार के सभी सदस्य एक प्वाइंट प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं चाहे विरोधी पक्ष के लोग हों या सरकारी पक्ष के और उसमें भी हमको सफलता नही मिल पा रही है। बीस सूत्री कार्यक्रम की समय-समय पर समीक्षा होती है किन-किन स्तरों पर हमें कहां तक सफलता मिली है लकिन मुझे खेद के साथ कहना पडता है कि हमारा जो एक सूत्री कार्यक्रम भी है उसमें भी हमें सफलता नहीं मिल पा रही है। बरौनी में पैट्रो-कैमीकलज की स्थापना का यह कार्यक्रम है। वर्षों से यह मांग चलो आ रही है। बिहार के कितने ही मंत्री आए और गए, आश्वासन भी लोगों को दिए गए लेकिन आश्चर्य की बात है कि उसके बाद कितने की पेट्रों कैमिकलज के कारखानों की स्थापना की जा चुकी है या उनकी योजनाएं बनाई जा चुकी हैं परन्तु बरौनी में इसकी स्थापना सम्भव नहीं हुई है। बरौनी में किस बात की कमी है ? आप कहते हैं कि वहां नेप्था उपलब्ध नहीं है परन्तु वहां का नेप्था दूसरे प्रान्तों को दिया जाता है। उस स्थिति में आप चाहते क्या हैं ? इस क्षेत्र म एक कदम तो आप आगे बढ़े होते।

1974 में जब बिहार में हमारे इसी सदन के एक माननीय सदस्य चन्द्रशेखर बाबू उद्योग मंत्री थे उस समय उन्हीं की पहल से एक यूनिट भी वहां के लिए स्वीकृत हुआ था, कैप्रोलेक्टम प्लांट स्वीकृत हुआ था। आज वह भी कहां है ? आप कब वहां पूरा पेट्रोकेमिकल के प्लांट स्थापित करने जा रहे है ? कोई पेपर प्लान ही तो बना कर आप बताएं ताकि लोगों का भरोसा जमे, लोगों को विश्वास हो कि आप भी हमारे लिए कुछ सोच रहे है। क्या आप यह चाहते हैं कि हम भी उसी तरह से और उसी राह पर चलें जिस तरह से और जिस राह पर असम के लोग चल रहे हैं, क्या आप यही चाहते हैं कि जिस तरह से असम में आज हो रहा है, उसी तरह से वहां भी हो। हम नहीं चाहते कि हमारे प्रान्त के नौ जवानों को इस तरह की किसी बात पर उतारू होने के लिए मजबूर होना पड़े। मैं चाहता हूँ कि सरकार अपनी हठ धर्मिता छोड़े। आप वहां एक्सपर्ट्स से जांच करा चुके हैं। उनकी सहमति आपको प्राप्त हो चुकी है। आप वहाँ पर पेट्रो-कैमिकलज की स्थापना का निर्णय लें ताकि हमारे लाखों नौ जवानों का भविष्य जो अंधकारमय है, उसको एक प्रकाश की किरण मिल सके।

बहुत बड़ी संख्या में शिक्षित बेरोजगारों की दृष्टि आप के ऊपर लगी हुई है। कि जो आप ऐजेन्सीज देने जा रहे हैं, इस बात के लिए मैं आपको बधाई देता हूं कि इस विक्लांग वर्ष में जो आपके विभाग ने पहल की है कि उनको भी पेट्रोल और डीजल की ऐजेन्सीज दी जायेंगी। इससे विक्लांगों को बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जो अपंग लोग शिक्षित और बेरोजगार हैं उनका कोई रोजी का सहारा नहीं था, लेकिन अब आप इस तरह के लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। साथ

ही देश के अनेकों ऐसे नौजवान हैं जो इंजीनियर हैं, शिक्षित हैं, एम० ए० पास करके बेकार थे, उनको भी आप रोजगार देने जा रहे हैं।

एफ० सी० आई० और एच० एफ० सी० की जो एजेन्सीज हैं उनमें भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनायी जाय कि हर प्रखंड स्तर पर शिक्षित बेरोजगारों को ऐजेन्सी दी जाय, और जो विकलांग हैं उनके लिए भी आरक्षण होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि आदिवासियों के लिये जो आप आरक्षण करते हैं वहां वह होना चाहिये इस बारे में मेरा निवेदन है कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं जहां उनकी आबादी अधिक है वहीं उनके लिये आरक्षण होना चाहिये, न कि दूसरी जगह जहां उनकी आबादी नहीं है। मैं इस बारे में पहले भी कह चुका हूं, फिर मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि हमारे सारन जिले में 1 प्रतिशत भी आदिवासी नहीं हैं वहां अगर पेट्रोल पम्प का आरक्षण आदिवासियों के लिए करते हैं तो इसका कोई औचित्य नहीं है। दक्षिण बिहार में उनके लिये आरक्षण कीजिए क्योंकि वहां आदिवासी अधिक रहते हैं। इसी तरह से हमारे निर्वाचन क्षेत्र में, रसूलपुर में इसकी ऐजेन्सी आदिवासियों के लिये आरक्षित की है जहाँ आदिवासी हैं ही नहीं। इसलिए मंत्री जी इस बात पर विचार करें कि आरक्षण वहां हो जहां उनकी आबादी अधिक हो ताकि वहां आदिवासी और हरिजन ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें।

माननीय शर्मा जी ने कहा था कि इस विभाग का काफी महत्व है क्योंकि इसमें जीवन रक्षा के लिए आवश्यक दवाइयों का भी उत्पादन होता है। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार की जो नीति है वह काफी स्पष्ट है और देश में जीवनोपयोगी दवाओं का काफी हद तक उत्पादन हमारे देश में होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ में आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय महोदय ने सदन में जो माँगे पेश की हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। मंत्री जी को मैं इस विशेष रूप से इसलिये भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि केवल इस महकमे के सामने नहीं, बल्कि सारे देश के सामने ईरान ईराक युद्ध ने एक बहुत बड़ा चेलेंज प्रस्तुत किया था और 17 मिलियन टन जो क्रूड आयल हम बाहर से मंगाते थे उसका बहुत बड़ा अंश, 11 मिलियन टन, केवल ईराक और ईरान सप्लाई करते थे। इसको ऐसा लगता था कि इस कमी की पूर्ति के लिये हमारे राष्ट्र को बड़ा प्रयत्न करना होगा। लेकिन मैं मंत्री जी की दक्षता और उनकी चतुराई और विशेष रूप से विदेशों में जा करके जिस तरह से उन्होंने सम्पर्क स्थापित किया और सोवियत रूस, कुवैत, बलगेरिया या और दूसरे देशों से जिस तरह से क्रूड आयल की सप्लाई के लिये प्रयत्न किया उसके लिये यह सदन ही नहीं बल्कि सारा राष्ट्र कृतज्ञ है।

इस बात के लिये मैं धन्यवाद देता हूं कि 1980-81 के बजट में जो क्रूड आयल का निर्यात करने के लिये 5,600 करोड़ रु० खर्च किया है, आशा यह है कि आने वाले वर्ष में केवल राष्ट्रीय कोष से 4,855 करोड़ रु० ही खर्च होंगे।

यही नहीं, जैसाकि बम्बई हाई और दूसरे क्षेत्रों से हम क्रूड आयल प्राप्त कर रहे हैं, अपने देश में यही प्रगति रही जैसा माननीय मंत्री जी ने सदन में आश्वासन दिया है, उससे आशा है कि 1 हजार करोड़ रुपये की सेविंग्ज इस वर्ष हम अपने बजट में कर सकेंगे, उसके मुकाबले में जो क्रूड आयल आयात करने पर हम खर्च करते थे।

क्रूड आयल और पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स को मुहैया करने और सप्लाई करने में जहां देश में एक कीर्तिमान स्थापित किया गया है, उसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा कि हमारी इस नीति में और सुधार की आवश्यकता है।

इस सुधार के बारे में मैं सबसे पहला सुझाव यह देना चाहता हूं कि एच० एस० टी०, (हाई स्पीड डीजल) या एल० डी० ओ० जो भी इस्तेमाल होते हैं, खासतौर से एल० डी० ओ० किसान अपने कुएं में पंपिंग सैट चलाने के लिये या ट्रैक्टर चलाने के लिये इस्तेमाल करता है, उसके लिये विशेष अवसर उसका होता है चाहे जुलाई-अगस्त का महीना हो या नवम्बर दिसम्बर का महीना हो, उस समय उसकी प्राप्ति के लिए वह विशेष रूप से मुखापेक्षी रहता है। आप उस समय इसकी व्यवस्था के लिए बफर स्टाक कायम कीजिए। वह व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि जिस समय विशेष रूप से इसकी मांग की जाती है, खासतौर से एग्रीकल्चर सैक्टर में या इंडस्ट्रियल सैक्टर में और उस समय जो बहुत बड़ा अभाव होता है, वह नहीं होना चाहिये। डीजल या दूसरे पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर उस समय दूकानदारों को ब्लैक मार्केट करने का मौका नहीं मिलना चाहिये।

वितरण प्रणाली के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि वह आज विकासशील देशों की मांगों के अनुरूप नहीं है। आपने जो नार्म्स स्वीकार किये हैं, वह यह कि आपकी एवेब्रिलिटी क्या होगी, कितना आपके पास है ? उसके साथ सेल्स और कंजम्पशन की पालिसी को लेकर जो आप चलते हैं, सभी राज्यों के लिये कुछ ऐसा समय होता है जिसमें वह पूर्णतया लागू नहीं होती। इस मामले में मैं राजस्थान का उदाहरण देना चाहूंगा। वहां तीन वर्ष से अकाल है। आपने इस वर्ष भी और गत वर्ष भी वहां डीजल आयल और पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स सप्लाई करने के जो नार्म्स मुकर्रर किये है, उनकी मान्यता कायम की है, उसमें यह है पहले वर्ष जितना डीजल दिया गया है, उससे 10 प्रतिशत और बढ़ाकर दे सकते हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में इस वर्ष बिजली का उत्पादन बिलकुल गिर गया है क्योंकि चम्बल नदी में पानी नहीं था। रावत भाटा अणु शक्ति बिजली घर का इतिहास आपके सामने है कि महीने में 5, 10 दिन वह चलता है और बाकी दिन बन्द रहता है। किसानों को बिजली नहीं मिल पाती है। वहां आप डीजल के लिये यदि यह शर्त लगा दें कि पिछले वर्ष में जितना डीजल आपने दिया है, उससे केवल 10 प्रतिशत ही ज्यादा दे सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि यह उस प्रान्त के लिये और देश के उस भू-भाग के लिये औचित्यपूर्ण व्यवहार आपके विभाग का नहीं है। मैं चाहूंगा कि आपने जो नीति निर्धारित की है, उसमें संशोधन करें। आपकी कोई कमेटी नेशनल लैवल पर रहे या कोई दूसरा तरीका हो, जो वहां स्टेट में जाकर वहां की मांग का जायजा ले अपनी सिफारिश करे और उसके अनुरूप आप उस जगह सप्लाई करें।

पहली बार आपके विभाग में एक और बात देखने को मिलती है, जिसको आपने भी अनुभव किया होगा। आपने जब से इस महकमे का चार्ज लिया है, मैं मानता हूं कि उसमें डीजल की सप्लाई इतनी पर्याप्त मात्रा में की है कि उसमे ब्लैक मार्केट के चांस बहुत कम हो रहे हैं और आपने उस सम्भावना को समाप्त ही कर दिया है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि डीजल की कीमत में और किरासिन आयल की कीमत 93 पैसे का फर्क है, जिसकी वजह से आपके प्रयत्नों के बावजूद भी डीलर लोग डीजल में किरासिन आयल मिलाते हैं और उससे एडल्ट्रेशन बहुत बढ़ जाती है। इस सम्बन्ध में यह सुझाव है कि डीजल को कलरिंग कर दिया जाये, जिससे मिलावट का चांस न हो। लेकिन मैं एक दूसरा सुझाव यह भी देना चाहता हूं उस व्यक्ति को कभी भी केरोसीन आयल का होलसेल डीलर मुकर्रर न किया जाए, जो डीजल का भी डीलर हो, और अगर ऐसे कोई डीलर मुकर्रर किये हुए हैं, तो उन्हें समाप्त कर दिया जाये। इन दोनों चीजों के डीलर अलग-अलग व्यक्ति होने चाहिए। आमतौर पर स्टेट्स से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो व्यक्ति केरोसीन आयल का होलसेल डीलर है, यदि उसके पास डीजल का भी लाइसंस है तो वह निश्चित रूप से मिलावट करता है और उसको चैक करने के लिये सरकार के पास कोई एजेंसी नहीं है इसलिए मंत्री महोदय अपने विभाग को यह निर्देश दें कि केरोसीन आयल और डीजल का डीलर एक ही व्यक्ति न हो।

सरकार ने जो फ्रेट पालिसी बनाई है, जिसके अन्तर्गत फ्रेट में कनसेशन दी गई है, वह पालिसी बहुत अच्छी है। लेकिन जो लोग एग्रीकल्चरल सैक्टर में काम करते हैं, उन्हें विशेष सुविधाएं देने के बारे घोषणा करनी चाहिए। सरकार जिस रेट पर किसान को डीजल देती है, एग्रीकल्चरल प्राइसिज कमीशन उसी रेट को कनसिडर करता है। लेकिन किसान को कई बार ब्लैक से भी डीजल खरीदना पड़ता है। यदि किसान को अप्रैल, मई में 100 लिटर की जरूरत है, तो जुलाई में उसकी डिमांड 200, 300 लिटर की हो जाती है। सरकार ने डीजल की डिस्ट्रिब्यूशन के लिए राशन कार्ड सिस्टम लागू किया हुआ है, हालांकि वह उसको खत्म कर रही है—कइ जगह उसको खत्म भी कर दिया गया है और फ्री सेल की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन इस सिस्टम के अन्तर्गत किसान की डिमांड बढ़ जाने की वजह से मार्केट दूसरे तरीके से खरीदना पड़ जाता है। इसीलिए मैंने यह सुझाव दिया है कि सरकार को एक बफर स्टाक कायम करना चाहिए, जब किसान को अधिक आवश्यकता हो, तो सरकार उसे पर्याप्त मात्रा में डीजल दे सके। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इन सुझावों पर उचित ध्यान देंगे।

जहां पावर कट है, वहां इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा डीजल दिया जाना चाहिए। यह महकमा इस देश की आर्थिक प्रगति के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वह प्रगति कृषि के क्षेत्र में हो अथवा औद्योगिक क्षेत्र में। हमारे देश की प्रगति बहुत कुछ पेट्रोलियम, प्राडक्ट्स और क्रूड आयल पर निर्भर करती है। इसलिए मंत्री महोदय को इस बारे में सुचारू रूप से कदम उठाने होंगे।

जहां तक उर्वरकों का सम्बन्ध है, इस देश में नाइट्रोजन या फास्फेटिक फर्टलाइजर की खपत होती है। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 1980-81 में नाइट्रोजन फर्टलाइजर के उत्पादन का लक्ष्य 27.5 लाख टन निर्धारित किया गया था, जबकि केवल 22 लाख टन उत्पान होने की

सम्भावना है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे अन्न पैदा करने वाले जो बहुत बड़े सूबे हैं—खासतौर से राजस्थान जहाँ राजस्थान नहर जा रही है—वहां फर्टलाइजर की मांग सरकार की एसेसमेंट से ज्यादा है, जिसके परिणामस्वरूप वहां पर किसानों को ब्लैक में खरीदना पड़ता है। इसलिए सरकार को इस बारे में पहले ही व्यवस्था कर लेनी चाहिए। राजस्थान में श्री राम यूरिया फर्टलाइजर पैदा होता है, लेकिन राजस्थान के किसान को नहीं मिलता है, वह राजस्थान से बाहर भेजा जाता है। सरकार को किसानों को पर्याप्त मात्रा में फर्टलाइजर देने की व्यवस्था करनी चाहिए।

हालांकि महकमे का ध्यान फास्फेटिक उर्वरक की तरफ कम है, लेकिन किसानों को उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। खास तौर से कोटा में, जहां वाटरलागिंग प्राबलम है और एल्केलाइन स्वायल (soil) डेवेलप होने लगी है, जब तक इस खाद को और बढ़ावा नहीं दिया जायेगा, वहां पर उसके कनजम्प्शन और ऐवेलेबिलिटी को नहीं बढ़ाया जायेगा, तब तक हमारा उत्पादन गिरता चला जायेगा।

एक चीज मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक इस उर्वरक का सम्बन्ध है, इसके बारे में आपको विशेष रूप से कोई इस तरह की व्यवस्था करनी होगी, क्यों कि अभी आपने जो भी उर्वरक कारखाने लगाने के निश्चय किए हैं वह उन प्रान्तों में हैं खास तौर से जहां पर या तो आपको कोल मिलता है या जहां गैस मिलती है, गुजरात में आपको गैस मिलती है, मुझे उस बात से कोई गुरेज नहीं है, आप उन प्रान्तों में लगाएं, लेकिन इसके साथ-साथ जो दूसरे प्रान्त हैं उनके साथ भी मैं समझता हूं कि आप एक औचित्यपूर्ण व्यवहार करेंगे। राजस्थान में गैस बेस्ट प्लान्ट लगाने की जो बात है उसके बारे में आपने अभी तक एक भी प्लान्ट का निर्णय नहीं किया है। जैसा मैंने अखबारों में पढ़ा है, सवाईमाधोपुर और भरतपुर के बारे में यह देखा जा रहा है कि कहां तक फीजिबिलिटी वहाँ फर्टिलाइजर प्लान्ट लगाने की है लेकिन अभी तक आप के मुहकमे की तरफ से कोई उसकी घोषणा नहीं हुई है। मैं यह माँग करूंगा कि कम से कम दो गैस बेस्ट फर्टिलाइजर प्लान्ट राजस्थान को दिए जाएं। उसका कारण है। आज राजस्थान जिस तरह से आगे बढ़ रहा है राजस्थान नहर की जो तरक्की चल रही है जिसकी वजह से आज केवल राजस्थान के नहीं बल्कि दूसरे प्रान्तों के भी किसान जा कर वहां जमीन खरीद रहे हैं, उसकी ग्रेविटी बढ़ रही है, वैसी हालत में वहां फर्टिलाइजर की मांग आगे जा कर बढ़ेगी और बढ़ती जा रही है। तो उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप को पहले से ही उसका असेसमेंट करना है और वहां पर ज्यादा ज्यादा से फर्टिलाइजर प्लान्ट लगाने की सुविधा आपको देनी चाहिए। इसलिए इस बात को आप बड़ी गम्भीरता से लें और वहाँ पर फर्टिलाइजर प्लान्ट लगाने के लिये विशेष रूप से एक औचित्यपूर्ण व्यवहार राजस्थान के साथ करें।

ड्रग्स के बारे में जो आपने नीति निर्धारित की है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूँगा और इस बात को इस सदन में कई बार उठाया गया है कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनका इस देश के अन्दर अभाव है। इसके बारे में जो आपने बजट पेश किया है और आप के विभाग की ओर से विवरण आया है उसमें आप ने इस तरह का कोई विशेष कदम नहीं उठाया है जिससे कि राष्ट्र को और सदन को आश्वस्त कर सकें कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स की कमी पिछले दो तीन

सालों से चली आ रही है वह नहीं रहेगी। तो उसके लिए आप को कोई इस तरह का प्रावधान करना चाहिए और लाइफ सेविंग ड्रग्स या दूसरी आवश्यक दवाओं के वितरण की व्यवस्था पर भी आपको कंट्रोल करना चाहिए। उसकी कीमत के बारे में भी आपको एक यूनिफार्म पालिसी निर्धारित करनी चाहिए। उसके लिए भी मैं ऐसा मान कर चलता हूं कि आप कोई ऐसा विशेष कदम उठाएंगे जिससे गरीब आदमियों को, साधारण आदमियों आवश्यक को दवाएं उचित कीमत पर मिलें।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दवाओं में खास तौर से एडल्टरेशन के केसेज बहुत ज्यादा आते हैं, इजेक्शन्स में भी टेबलेट्स में भी और दूसरी चीजों में भी। इसको रोकने के लिए कारगर कदम उठाने की आश्यकता है। कई केसेज जो ऐसे आये हैं कि जहां पर एडल्टरेटेड ड्रग्स जिनको दिये उसी वक्त उन पेशेंट्स की मृत्यु हो गई है। इसलिए यह जो एडल्टरेशन ड्रग्स के अन्दर होता है उसको रोकने के लिए और भविष्य में इस तरह के एडल्टरेशन के अवसर कम से कम मिलें इसके लिए आप को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष रूप से अपने जिले गोरखपुर और सामान्यतया सारे देश में डीजल और मिट्टी के तेल की अनुपलब्धता के विषय में कुछ कहना चाहूंगा। जनता के समक्ष यह बहुत भारी समस्या है और इसलिए सरकार द्वारा इस समस्या को हल करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। महोदय, जब से इस सरकार ने सत्ता संभाली है तब स आज तक पेंट्रोलियम उत्पादों की कीमतें दो बार बढ़ायी जा चुकी हैं और हो सकता है शायद भविष्य में अभी और बढ़ाई जाएं। यहाँ तक कि बड़े पैमाने पर खपत हाने वाली 60 औषधियों की कीमतें भी अभी हाल में बढ़ाई गई हैं। इस देश की गरीब जनता को दवाइयां नहीं मिल रहीं हैं। उनकी खरीदने की शक्ति बहुत सीमित है। उनका इस सरकार द्वारा शोषण किया जा रहा है। उनके लिए बहुत सी समस्याएं पैदा हो गई हैं। मूल्य बढ़ाए जा रहे हैं और इसीलिए हमारी जनता के सामने अनेकों समस्याएं हैं। इससे यह पता चलता है कि यह सरकार पूर्णतया जन विरोधी सरकार है।

महोदय, माननीय पैट्रोलियम मंत्री तेल के लिए सारे संसार का दौरा कर रहे हैं। परन्तु उन्हे कहीं से भी तेल नहीं मिला है। वह कितना तेल प्राप्त कर सके हैं यही मुख्य प्रश्न है ?

(व्यवधान)

महोदय, माननीय मन्त्री के दौरे पर काफी पैसा खर्च किया जा चुका है, उन्होंने अनेकों देशों का दौरा किया है परन्तु उन्हें तेल नहीं मिला है। और जो तेल मिला भी है उसकी मात्रा बहुत थोड़ी है। इसका क्या कारण है। इसका यही कारण है कि विदेशों से तेल मांगने के लिए कोई प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति चाहिए। हर व्यक्ति यह काम नहीं कर सकता। और इस सरकार में ऐसे व्यक्तियों की कमी है। यही मेरा आरोप है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिभासम्पन्न व्यक्तियों को रखा जाना चाहिए। मुझे यह जान कर बहुत प्रसन्नता हुई कि माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। यह बहुत अच्छा समाचार है। यह भी कहा जा रहा है कि भ्रष्ट लोगों को हटाया जाएगा। यह बहुत अच्छी खबर है और मैं इसका स्वागत करता हूं। परन्तु

मैं यह पूछना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार कहां पर है। महोदय, भ्रष्टाचार पैट्रोलियम मंत्रालय में है। मैं किसान रैली, मारूति अधिग्रहण, पनडुब्बी तथा सेंचूरियन टैंकों वाले मामले की बात नहीं कर रहा हूं। मैं श्री मोयनिहान; जो कि भारत में अमरीका के राजदूत थे, द्वारा लिखी पुस्तक "दि डेंजरस प्लेस की भी बात नहीं कर रहा हूं। परन्तु मैं इस पैट्रोलियम मंत्रालय की बात कर रहा हूं। यहाँ कई तरह की बातें हो रही हैं। यहाँ बहुत से कांड हो रहे हैं। सबसे बुरा तो थाल वशेट परियोजना है, जिसके बारे में अभी श्री उन्नीकृष्णन ने सदन में बताया है। तब माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा :

"इस प्रकार इस तथ्य की—उन्हें प्रतियां कहां से प्राप्त हुई—की केन्द्रीय जांच आयोग द्वारा पूरी तौर पर जाँच की जानी चाहिए।

मुख्य बात तो यह है कि यदि भारत सरकार की गुप्त फाइलें और दस्तावेज ऐसे लोगों के हाथ पड़ जाएं जो कि ऐसे प्रश्न उठाने के इच्छुक है, तब रक्षा की दृष्टि से इस देश को बचाना कठिन हो जाएगा।"

महोदय, माननीय मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि वह इस देश को बचाना चाहते हैं, जबकि वास्तव में वह इस मुल्क को बेच रहे हैं। वह चाहते हैं कि चाहे हमारा देश लुट जाए परन्तु उनके खिलाफ कोई आवाज न उठाए। **(व्यवधान)** यह हमारा राष्ट्रीय कर्त्तव्य है। यदि हमें किसी कांड का पता चलता है तो हमें उसे सामने लाना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपना कर्त्तव्य ठीक तरह से नहीं निभा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरिकेश बहादुर, सरकार ने निविदाएं आमंत्रित की हैं ? क्या यह देश को बेचना है ?

श्री हरिकेश बहादुर : यह भी मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूं। आप कृपया सुनते जाइए। अभी सरकार द्वारा बहुत से झूठे मामले गढ़े जाएंगे क्योंकि सरकार विपक्ष और विपक्षी दलों के सदस्यों को कठोरतापूर्वक दबाना चाहती है। यदि वह जयप्रकाश नारायण जैसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती हैं तो वह कुछ भी कर सकती हैं और जिसकी तैयारी भी वह कर रही हैं। वास्तव में इस मंत्रिमंडल के आधा दर्जन मंत्री पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। परन्तु मैं जानता हूं कि कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होगी।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसनसोल) : उनके पास यह सब जान पाने का साधन है। उनके नेता काफी समय तक मंत्री पद पर रह चुके हैं और वह यह सब तथ्य जान सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री हरिकेश बहादुर : कृपया मेरी बात सुनें यदि मैं मंत्री बन जाऊं तो मैं आपको बता दूं कि देश का शासन कैसे चलाया जाना चाहिए। वह मेरे पुराने मित्र हैं, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने की स्वतन्त्रता है।

श्री हरिकेश बहादुर : उनकी जानकारी के लिए मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा। आप सुनिए, सारे ठेके इटली की फर्म को ही दिए जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? क्या मंत्री महोदय में यह बताने की हिम्मत है। मुझे मालूम है उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। यह सही है कि इटली की जिस फर्म को यह ठेका दिया गया है वह ठीक से कार्य नहीं कर रही है। आप आर० सी० एफ० को जाकर देखिए, मैं वहां जा चुका हूं। वहां कार्य ठीक से नहीं हो पा रहा है। परन्तु बड़े ठेके उसी फर्म को दिए जा रहे हैं। इसका क्या कारण है, मैं इस समय कुछ कहना नहीं चाहता परन्तु आप समझ सकते हैं कि इसका क्या कारण हो सकता है। अब महोदय, मैं यह सब बातें मन्त्री महोदय को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे बाहर बहुत सी बातें पता चली हैं जो मैं उन्हें बताना चाहता हूं। क्या वह इसे नकार सकते हैं। लोग कहते हैं कि इस सरकार ने थाल वशेट परियोजना का ठेका उन्हें देने के लिए उनसे नौ करोड़ रुपये लिए हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है अथवा गलत। यदि यह सही है तो यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि इस मुल्क को बेचा जा रहा है। यदि माननीय मंत्री इसे अस्वीकार करते हैं तो मैं उनकी बात मानने को तैयार हूं। वह बतायें कि वास्तविक स्थिति क्या है। सब जगह यही कहा जा रहा है कि थाल वशेट परियोजना एक बहुत बड़ा कांड है। क्योंकि उसमें 950 करोड़ रुपये की राशि लगी हुई है। अब महोदय, यह भी हो सकता है कि राजनैतिक कारणों अथवा किन्हीं अन्य कारणों से वह अन्य लोगों के खिलाफ दोष लगाकर कार्यवाही करेंगे।

अब महोदय, 1977 में एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की गई।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : आपने नौ करोड़ रुपये कहा है या 950 करोड़ रुपये ?

श्री हरिकेश बहादुर : नौ करोड़ रुपये लिए गए तब ठेके को अन्तिम रूप दिया। परन्तु परियोजना की लागत 950 करोड़ रुपये थी। यह दो अलग-अलग बातें हैं; जिन्हें ठीक से समझना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री रण वीर सिंह (केसरगंज) : आपके समय की बात नहीं बोल रहे हैं। जो पहले हो चुका है, उसको बोल रहे हैं··· **(व्यवधान)**

श्री हरिकेश बहादुर : आप उसी को मान लीजिए।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। अब यह वक्तव्य एक सामान्य वक्तव्य है। यह मान-हानिकारक और दोषारोपण है इसलिए इसे स्वीकृति नहीं मिलनी चाहिए।

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, क्यों? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरिकेश, उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। यहां किसी भी प्रकार का दोषारोपण अथवा मानहानि करने की अनुमति नहीं है। आपने कहा है कि सरकार ने 9½ करोड रुपया या ऐसा कुछ लिया है। फिर भी मैं रिकार्ड देखूंगा कि कहीं कोई दोषारोषण तो नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री हरिकेश बहादुर : यदि वह इसे मानने से इन्कार करते हैं तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरिकेश, आप जब कोई दोषारोपण करते हैं तो मुझे मालूम है आप उसका उत्तरदायित्व भी लेते हैं। परन्तु आपको यह सब मुझे लिखित में देना चाहिए था। तब आप उसका जिक्र कर सकते थे।

श्री हरिकेश बहादुर : ठीक है महोदय मैं इसे वापिस लेता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसे वापस ले लिया है।

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नगिरी) **:** आप उस ओर बैठे सदस्यों को कभी सलाह क्यों नहीं देते ? आप हमेशा हमीं को सलाह देते हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी बातें दोनों ही पक्षों में होती रहती हैं।

(व्यवधान)

श्री बापूसाहिब परुलेकर : परन्तु आप उन्हें कभी कोई सलाह नहीं देते हैं। वह अपनी आलोचना क्यों नही सुनते हैं। उन्हें तसल्ली से यह सब सुनना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और मैंने उसे अनुमोदित किया था। **(व्यवधान)** माननीय सदस्यों की सूचना के लिए, यदि कोई माननीय सदस्य बोल रहा है तो आप खड़े होकर उनसे यह पूछ सकते हैं कि क्या वह अपना कथन वापस लेते हैं तब आप व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं। यदि वह मानने से इन्कार करे तो आप स्पष्टीकरण नही माँग सकते।

(व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर : वर्ष 1977 में भारत सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी और 1979 में एक आशय पत्र जारी किया गया था। जब वह सतारूढ़ हो गए तो उन्होंने इस सलाह देने सम्बन्धी ठेके पर निर्णय करने में केवल तीन महीने का समय लगाया। श्री बहुगुणा उस समय जनता सरकार में पैट्रोलियम मन्त्री थे। उनके खिलाफ कोई उंगली भी नहीं उठा सकता, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उनके खिलाफ कुछ कह सके। वह इस देश को बेच रहे हैं। इसे नोट कर लीजिए आप लोग** की माफिक काम कर रहे हैं। इस तरह से मत करिए। **(व्यवधान)**

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरिकेश आप अपना वक्तव्य जारी रखिए।

श्री रणवीर सिंह : महोदय उन्होंने कहा है** की माफिक। यह पूर्णतया आपत्तिजनक है।

एक माननीय सदस्य : वह ऐसा कैसे कह सकते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा··· आप कृपया बैठ जाएं।

श्री रणवीर सिंह : नहीं, नहीं, आप बार-बार इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि हम** की माफिक काम कर रहे हैं। यह आपत्तिजनक है इसे हटाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सारा कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा कि उसमें कहीं कोई मानहानिपूर्ण वक्तव्य तो नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह : श्रीमन्, यह वापिस होना चाहिए, इसको आप देख लें। (व्यवधान) इनकी आदत बार-बार** कहने की। यह आदत छोड़नी चाहिए और ये शब्द इनको वापस लेने चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल मुझसे बात करें। यह कृपया मेरे ऊपर छोड़ दें।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं यह सब वापस नहीं लूंगा। यह सब रिकार्ड में दर्ज होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब कृपया आप अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री रणवीर सिंह : आप का निर्णय क्या हुआ, इस विषय में। इन्होंने जो** कहा था, उसके सम्बन्ध में आप का निर्णय क्या हुआ ? (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : किसी का नाम तो लिया नहीं इन्होंने। एक जनरल बात कही है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे अफसोस है उन्होंने ऐसे शब्द कहे। आप सोचते हैं यह सब आपके खिलाफ कहा गया है और आप इसे मेरे नोटिस में लाए हैं। मैं सारी कार्यवाही को देखूंगा। यदि वहां किसी की निन्दा है, कोई बात सदन के सदस्यों के लिए या किसी बाहरी व्यक्ति के लिए अपमानजनक या मानहानिपूर्ण है, तो मैं उस पर पूरा ध्यान दूंगा। मैं सारा कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा श्री हरिकेश बहादुर कृपया अपना वक्तव्य शुरू करके उसे समाप्त करें।

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, जनता सरकार ने जिस विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, उसने अपनी रिपोर्ट जब दी, जब जनता सरकार सत्ता में नहीं थी। और तब अन्तिम निर्णय

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

इन लोगों द्वारा लिया गया। यही वह प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने निर्णय लिया था। जब श्री बहुगुणा पैट्रोलियम मत्री थे, मैं यह सोचता हूँ कि मंत्री महोदय को इस बात का पता होगा। इसके साथ ही उन्होंने परीक्षित प्रौद्योगिकी का जिक्र भी किया है तथा जो भी उस विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया— सचिव अथवा विशेषज्ञों द्वारा, उन्होंने केवल उन सुझावों को स्वीकार कर लिया।

अब वे इस समस्त बंबई हाई गैस टाटा बंधुओं को देना चाहते हैं। लेकिन जनता सरकार ने यह निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि कोई फेक्शनएशन सयत्र नहीं लगाया जाएगा। यह जनता सरकार का निर्णय था। महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय जब यह निर्णय लिया कांग्रेस (आई) के एक संसद सदस्य ने, जो कि उस समय विरोधी दल में थे और जो इस समय मंत्रिमण्डल में हैं तथा जो सलाहकार ठेके के बारे में निर्णय लेने की उप-समिति में रहे थे, श्री बहुगुणा को एक पत्र लिखा था जिसमें ब्रिटेन के हंफी ग्लासगो की टेकनालोजी पर भी विचार करने के लिए कहा गया था। इस प्रकार का पत्र उस संसद सदस्य द्वारा लिखा गया था जो इस समय मत्रिमंडल में हैं। और तभी से वे इस के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। वे सीधे लोग नहीं हैं। वे सीधा होने का ढंग कर रहे थे और अब तो वह मन्त्री भी हैं। कांग्रेस (आई) के उस सदस्य ने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी रखा था। उस प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई थी तथा श्री बहुगुणा ने उस का जवाब दिया था।

अध्यक्ष महोदय : कोई भी मन्त्री इतना सीधा नहीं है जितने आप हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं इन सब के बारे में इसलिए बहस कर रहा हूं कि इस कारण से विश्व बैंक ने यह ऋण देना रद्द कर दिया है। उन्होंने यह ऋण केवल 7.5 प्रतिशत की दर से दिया था। अब वे यूरो-डालर बाजार आदि से ले रहे हैं। मुझे नहीं पता कितने प्रतिशत पर ऋण लिया है। वे इस बात पर बहुत प्रसन्न हैं कि उन्हें ऋण मिल गया है। लेकिन वे इस बात से दुखी नहीं हैं कि उन्हें ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। सरकारी खजाने पर अधिक बोझ पड़ेगा। इसके लिए उन्हें कोई खेद नहीं है। ये राष्ट्रीय हितों के वास्तविक रक्षक हैं। हम अपराधी हैं। हम देश और देश के हित की बात नहीं करते, यह उन का कहना है।

जनता सरकार जितना अच्छा कर सकती थी उसने किया और अगर मंत्री महोदय वास्तव में कुछ जानना अथवा करना चाहते हैं तो उन्हें उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बिठाना चाहिए तथा इसे अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने दें। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या वह यह करने के लिए तैयार होंगे? महोदय, मुझे पता है, वह इसके लिए राजी नहीं होंगे।

आगे, महोदय, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि एक साक्षात्कार लिया गया था। यह चार तेल निगमों द्वारा 70 एल० पी० जी० डीलरों द्वारा 140 डीजल और पैट्रोल डीलरों के लिए, पिछले साल अक्तूबर और नवम्बर में लिया गया था। महोदय, हुआ क्या? मंत्री महोदय की मर्जी पर चयन रद्द कर दिया गया। मुझे नहीं पता इसमें उन का अपना क्या स्वार्थ था। परन्तु यह रद्द कर दिया गया। मैं एक समाचार से उद्धृत करना चाहूँगा जिसमें कहा गया था :

"तेल कंपनियों के कार्यकारी अधिकारियों को बुलाया गया"

श्री रामसिंह यादव : किसी भी समाचार पत्र को उद्धृत नहीं किया जा सकता।

श्री हरिकेश बहादुर : क्यों नहीं ? यहां पर किया जाता है। आपको मालूम नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह केवल उद्धृत कर रहे हैं। वह कर सकते हैं। वह किसी भी दस्तावेज से उद्धृत कर सकते हैं। वह लिखित भाषण में से नहीं पढ़ सकते। वह किसी भी दस्तावेज को उद्धृत कर सकते हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : मुझे यह मजबूरन कहना पड़ा है। चूंकि मुझे किसी ने बताया था कि क्योंकि हम यहां बोल रहे हैं अतः मेरे खिलाफ भी एक जांच आयोग गठित किया जाएगा। इसीलिए मैं बताना चाहता था कि सही क्या है और गलत क्या। मुझे स्थिति अवश्य ही स्पष्ट करनी चाहिए। अब मैं उद्धृत कर रहा हूं :

"तेल कम्पनियों के कार्यकारी अधिकारियों को नई दिल्ली में दिसम्बर की 8 तथा 17 तारीख को और एक बार फिर महीने के तीसरे सप्ताह में सम्मन किया गया।

यह पता चला है कि पहले श्री सेठी ने अधिकारियों को साक्षात्कार लेने और उम्मीदवारों का चयन करने के लिए बधाई दी। इसके पश्चात् उन्होंने उन उम्मीदवारों की सूची दी जिन्हें वे रखवाना चाहते थे।

श्री सेठी की सूची में उन व्यक्तियों के नाम भी शामिल थे जिन्होंने न तो आवेदन ही किया था और न ही वे साक्षात्कार लेने से पहले जो मार्गनिर्देश जारी किए थे, उन्हें पूरा करते थे।

पांच जनवरी को एक तेल निगम के मुख्यालय से इस के प्रभागीय कार्यालय को टेलेक्स सूचना दी गई जिसमें उन्हें यह हिदायतें दी गई कि वे साक्षात्कार को रद्द कर दें तथा ग्राह्य उम्मीदवारों की सूची मुख्यालय को भेजें।" यह सब हुआ है।

मेरे लिए अधिक समय नहीं बचा है। इन्होंने मेरा समय ले लिया।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको केवल पांच मिनट दिए गए थे।

श्री हरिकेश बहादुर : नहीं महोदय, आपने मुझे दस मिनट दिये थे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं।

अब मैं औषध उद्योग को लूंगा। ग्लैक्सो ने यहां आकर 2 लाख रु० लगाए थे अब उनके माल की बिक्री 62 करोड़ रुपये की है। और उनकी परिसम्पत्ति 60 करोड़ रु० मूल्य की है। फाइजर ने यहां 1.5 लाख रुपये से धंधा आरम्भ किया था और अब उन की परिसंपत्ति 48 करोड़ रु० मूल्य की है। यह किस प्रकार हुआ ? यह केवल हेराफेरी और शोपण के कारण ही हो सका।

औषध नीति में भी कुछ परिवर्तन हुए हैं। यह नीति सभा पटल पर 28 मार्च, 19´8 को प्रस्तुत की गई। ये परिवर्तन क्यों किए गए ? किस प्रकार के परिवर्तन किए गए ? मैं उन्हें मुद्दे वार बताऊंगा। पहला मुद्दा है नई औषध नीति में धारक मूल्यों तथा आम बिक्री मूल्यों को स्पष्ट नहीं किया गया। 1978 में जनता सरकार ने कुछेक बचाव के रास्तों को ठीक किए जाने की कोशिश की थी। वे इस पर विचार करना चाहते थे जिससे कि काफी कुछ किया जा सके। मुझे नहीं पता वे क्या करना चाहते हैं।

अगला मुद्दा है—डी पी सी ओ 1979 में औषधियों के अस्थायी मूल्य बताए गए थे लेकिन नई औषध नीति में उन्हें निर्दिष्ट नहीं किया गया। इस के पश्चात बल्क औषधियों की बिक्री के लिए धारक मूल्यों और पूल (सामूहिक) मूल्यों के निर्धारित करने के अधिकार की बात आती है, जिसका जिक्र 1979 डी पी सी ओ में तो किया गया है लेकिन नई औषध नीति के मार्गनिर्देशों में नहीं किया गया। इसके अलावा फार्मुलेशंस के मूल्य बढ़ाने के उपबंधों में नई औषध नीति के मार्ग निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। तथा; डी पी सी ओ 1979 के अन्तर्गत औषध मूल्य समकारी लेखा का उपबंध—जो नई औषध नीति, आवश्यक वस्तु अधिनियम और आयात व्यापार नियंत्रण अधिनियम के परस्पर विरोधी उपबंध हैं। अन्तिम मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मंत्रिमंडल और डी पी सी ओ 1979 द्वारा मंजूर किए गए पेपर में हुए फर्क के बारे में है। मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वे जो कुछ मैंने कहा उस की जांच करें तथा अगर यह गलत हो तो उसके बारे में मुझे अवश्य ही बताएं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर यह गलत होगा तो आप क्या करेंगे ?

श्री हरिकेश बहादुर : मैं अपने कथन को सही कर लूंगा। अब मैं तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के बारे में कुछ कहूंगा। मैं वहां गया था। मैं एक समिति की तरफ से वहां गया था, तथा मुझें वहां काफी बातों का पता चला। एक बात मैं यहां बताना चाहूंगा।

वहां कर्मचारियों के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बहुत से कर्मचारियों को लगभग प्रति कर्मचारी 2400 रु० से 3600 प्रतिमास तक दिया जाता है। जहां तक आवास की समस्या का प्रश्न है अर्थात इसका समाधान करने के लिए प्रत्येक कर्मचारी पर यह राशि खर्च की जाती है लेकिन वे आवास सुविधाएं उपलब्ध नहीं कर रहे। फिर वे किस लिए यह सब कर रहे हैं ?

वे यहां तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के बारे में एक विधेयक ला रहे हैं। यह पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। इस के अनुसार तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के किसी भी सदस्य को, कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना किसी भी समय हटाया जा सकता है। किस लिए यह विधेयक, इस सदन में लाया गया ? इस का एक मात्र उद्देश्य बहुत से ठेकों—तेल की खुदाई के बारे में—के बारे में निर्णय लिया जाना है। बहुत सी विदेशी कंपनिया अपनी निविदाएं भेजेंगी। मंत्री महोदय किसी में रुचि रखते होंगे। अगर वह किसी अधिकारी को इसे करने को कहेंगे और अगर वह अधिकारी इसकी मनाही करेगा, तो उसे अपना घर छोड़ने के लिए कहा जाएगा। यह है इसका लोकतंत्र, इस प्रकार यह काम कर रहे हैं।

अन्तिम बात मैं यह कहना चाहूँगा कि वे बहुत से उर्वरक संयंत्र लगाने जा रहे हैं। थालवैशेट में पहले ही दो उर्वरक संयंत्र लगाए जा चुके हैं तथा एक आर० ओ० एफ० भी है। लेकिन फिर भी वे महाराष्ट्र में दो और संयंत्र लगाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री ने यह बताया था। मुझे इस बारे में ईर्ष्या नहीं है लेकिन उन्हें अन्य राज्यों में भी तो कम से कम कुछ संयंत्र लगाने चाहिए। उन्हें बिहार और उत्तर प्रदेश में भी कुछ संयंत्र लगाने चाहिए। श्री भीष्म बाबू भी यह चाहते हैं और इसीलिए मैं भी कह रहा हूं।

इसमें किसी मंत्री का शामिल होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसा कि 21 मार्च, 1981 के **हिन्दुस्तान टाइम्स** में बताया गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह मंत्री कौन हैं? वह क्या कर रहे थे? मंत्री महोदय इस प्रकार की समस्त जानकारी उपलब्ध कराएं। जो कुछ वे कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें दूसरों को बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो मांगें प्रस्तुत की हैं मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद से हमारे देश में हर क्षेत्र में पैट्रोलियम पदार्थों की खपत बढी है। उपाध्यक्ष महोदय, भारत में जितने खनिज भरे हुए हैं, उनको देखते हुए रूस के एक विशेषज्ञ ने कहा था कि भारत तेल पर बसा हुआ है। आप देखें कि हमने थोड़े से प्रयत्न से आसाम, गुजरात और अन्य बहुत सारे स्थानों पर इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है। छठी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए सिर्फ 4 हजार 3 सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, इसको और अधिक बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनें। हमारी पूरी कोशिश है कि हम आत्म-निर्भर बनें। अभी हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति पेट्रोलियम पदार्थों की खपत दो बैरल है, इसकी पूर्ति के लिए काफी कोशिश की जा रही हैं, मंत्री जी भी कोशिश कर रहे हैं, इस बात के लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। आगे अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मंत्री महोदय ने पैट्रोलियम के लिए जो योजना बनाई है वह बहुत अच्छी योजना है और आम आदमी की आवश्यकताएं, चाहे वे डीजल, घासलेट, फर्टिलाइजर अथवा दवाइयों की हों, उनकी पूर्ति के लिए अच्छी योजना बनाई गई है और उसके लिए मैं विभाग को धन्यवाद देता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई प्रदेशों में बांबे हाई गैस पर आधारित कारखाने खोलने की योजना है। इसके लिए मध्य प्रदेश के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश शासन ने झाबुआ और रतलाम के बीच मोरवानी नामक स्थान पर यह कारखाना खोलने का प्रस्ताव भेजा था और इसके लिए भारत-शासन की जो पहली कमेटी बनी थी, उसने भी इस जगह के लिए अपनी सिफारिश की थी, लेकिन मुझे अफसोस है कि उसके बारे में फिर के कमेटी बनाई गई है।

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

वहाँ माही नदी है। पानी वहां उपलब्ध है। वह कम्पीटली आदिवासी एरिया है। वहां रेलवे लाइन है। वैस्टर्न रेलवे का डिविजन रतलाम है। सब सुविधायें वहां पर उपलब्ध होते हुए किसी दूसरी जगह इसको अगर आप ले जाते हैं तो वहाँ के लोगों में आक्रोश पैदा होगा। इस

वास्ते मन्त्री महोदय इस पर विचार करें। हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गाँधी लोगों को, आदिवासी लोगों को ऊपर उठाना चाहती हैं। यदि उनको ऊपर उठाना है तो आपको चाहिये कि झाबुआ और रतलाम के बीच मोरवानी में बम्बई हाई पर आधारित फर्टिलाइजर कम्प्लैक्स की स्थापना की जाए और मेघनगर में जहां फास्फेट निकला है वहां पर सुपर फास्फेट कारखाने की स्थापना की जाए। इससे जो लोग मजदूरी की तलाश में बाहर जाते हैं उनको वहीं रोजगार मिल सकेगा और उनको लाभ पहुँचेगा।

कोरबा के अन्दर 1973 में प्रधान मन्त्री जी ने एक यूरिया के कारखाने का शिलान्यास किया था। उस पर 120 करोड़ लागत आने वाली थी और 495 टन यूरिया का वहां उत्पादन होने वाला था। वह भी मध्य प्रदेश में था। लेकिन आज भी उस योजना को ठंडे बस्ते में रखा हुआ है। जो काम चल रहा है वह बहुत धीमी गति से चल रहा है। इस समय जो पेट्रोलियम मंत्री हैं सेठी जी तब वह उस प्रदेश के मुख्य मन्त्री थे। उन्होंने ही इस कारखाने का शिलान्यास करवाया था। मैं अनुरोध करता हूं कि तेजी के साथ उस यूरिया कारखाने की स्थापना के काम को चालू करवाया जाए ताकि उस प्रदेश के पिछड़े हुए और गरीब लोगों को लाभ मिल सके।

आज हमारा जीवन पैट्रोलियम पदार्थों से जुड़ गया है। घासलेट की बात को ही आप लें। शहरों में बिजली आ गई है और वहां लोगों को बिजली मिल जाती है। गांवों के आदमी को घासलेट तक नहीं मिलता है। शहरी लोग जो है वे तेजी के साथ लपक कर उसको ले लेते हैं। गांवों और शहरों में भेदभाव नहीं होना चाहिये। ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को पर्याप्त मात्रा में घासलैट की सप्लाई होनी चाहिये और उनको भी यह आसानी से उपलब्ध होना चाहिये।

डीजल की आवश्यकता भी निर्विवाद है। बसों, ट्रकों, गाड़ियों के लिए इसकी बहुत आवश्यकता हैं। किसान जो पैदा करता है उसके लिए भी उसको डीजल की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। अगर किसान को समय पर डीज़ल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह परेशान होता है, हताश हो कर बैठ जाता है और उसकी खेती बरबाद हो जाती है, फसल बरबाद हो जाती है। तब वह बैंकों तथा दूसरी एजेंसियों से जो ऋण उसने लिया होता है उसको चुका नहीं पाता है। किसान की खेती का समय आए तो उसको समय पर डीजल मिल जाना चाहिये और पर्याप्त मात्रा में मिल जाना चाहिये। इस देश को हमारे किसानों ने बनाया है। आज दूसरे देशों के आगे हम अन्न के लिए भीख मांगने नहीं जाते हैं। किसान ने अनाज के मामले में अपनी मेहनत से हम को आत्म-निर्भर बना दिया है। इस वास्ते उनकी जो डीजल की आवश्यकतायें हैं उन पर हमको विशेष ध्यान देना चाहिये। समय पर गांव में ही डीजल सप्लाई करने की व्यवस्था हो जानी चाहिये। मैं चाहता हूं कि जो भी उसकी आवश्यकतायें हैं उनकी पूर्ति ब्लाक लेवेल पर हो जानी चाहिये। अगर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति समय पर और तेजी के साथ की जाएगी तो भारत को वह खुशहाल बना देगा।

गांधी जी कहा करते थे कि भारत गांवों में बसता है। आप और हम सभी जो चुन कर आए हैं, अधिकतर गांवों के रहने वाले हैं। लेकिन आप देखें कि जितनी गैस की एजेन्सियां दी गई हैं या जितने गैस के कनेक्शन दिए गए हैं सब शहर वालों को ही दिए गए हैं, गाँवों में न गैस

दी गई हैं और न उसकी एजेन्सियां दी गई हैं। सारा लाभ शहर वालों को ही उपलब्ध कराया गया है। गाँवों और शहरों में भेदभाव नहीं होना चाहिये। पहाड़ी लोग, हरिजन लोग, आदिवासी लोग, वीकर सैक्शन्ज के लोग अधिकतर गाँवों में रहते हैं। वहाँ जगलों में आज लकड़ी नहीं है। खाना वे पका नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों को गांवों में आपको गैस एजंसियाँ देने की व्यवस्था करनी चाहिये और वहाँ आपको गैस कनैक्शन भी देने चाहियें। और मैं तो मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि शहर और गाँवों की जनसंख्या का बंटवारा होना चाहिये और उसी आधार पर गाँवों के लोगों को भी गैस एजेन्सी का लाभ मिलना चाहिये।

सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है इसमें काफी लोग लगे हुए हैं। जितने भी कौरपोरेशन्स बने हुए हैं उसके चाहे चेयरमैन हो या मैनेजर हो, जो पिछड़े हुए समाज के लोग हैं इन उच्च स्थानो पर उनके रिजर्वेशन का कोटा पूरा होना चाहिये और उनको उस रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलना चाहिये क्योंकि वह भी आगे बढ़ना चाहते हैं और इस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं। उनको अपने रिजर्वेशन का कोटा पूरा मिलना चाहिये।

गाँवों में किसान फर्टिलाइजर दूर दूर से लेते हैं। तो जो सेन्ट्रल सब्सिडी है वह गाँवों के क्षेत्र में अधिक से अधिक किसानों को देनी चाहिये।

आपका अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि आप घंटी भी बजा रहे हैं, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सेठी जी हमारे प्रदेश के जो बौम्बे हाई गैस पर बेस्ड फर्टिलाइजर का कारखाना मोरवानी में खोला जाय उसमें जल्दी की जाय और दूसरे कस्बा, जिला बिलासपुर में यूरिया खाद का कारखाना भी स्थापित किया जाय जिसका शिलान्यास हमारी प्रधान मन्त्री जी पहले कर चुकी हैं।

इतना ही मेरा निवेदन है।

सभापति महोदय : श्री के० पी० उन्नीकृष्णन, आपने यह सूचना दी है कि पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की माँगों के बारे में अपने भाषण में आप कोई दस्तावेज उद्धृत करेंगे।

मैंने मामले की जाँच की है। 26 फरवरी 1965 को अध्यक्ष महोदय ने इस बारे में यह निर्णय दिया था :—

"आमतौर पर कोई सदस्य उस दस्तावेज से उद्धृत कर सकता है जिसे कि सरकार ने गुप्त अथवा गोपनीय की संज्ञा दी हो तथा जिसे सरकार ने सार्वजनिक हित को देखते हुए प्रकट नहीं किया हो।" यह भी कहा गया कि—

"जब कि सरकार को, उस दस्तावेज जिसे कि गुप्त अथवा गोपनीय नाम दिया गया है, कि किसी प्रति को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, वह सदस्य जो कि इस प्रकार का दस्तावेज उद्धृत करता है, उसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह यह प्रमाणित करे कि उसने अपनी जानकारी से इस बात की जांच करली है कि यह

प्रलेख सरकार के मूल प्रलेख की यथार्थ प्रति है तथा इसके लिए सदस्य स्वयं जिम्मेदार है और तभी अध्यक्ष महोदय उसे ऐसा करने की स्वीकृति देंगे। अगर सदस्य इन शर्तों के अनुसार ऐसा प्रमाणित नहीं करता है तथा तथा वह इस प्रकार के दस्तावेज से उद्धृत करने की जिद करता है तो अध्यक्ष सरकार से इस प्रकार के दस्तावेज की प्रमाणिकता के बारे में पूछ सकता है तथा सरकार द्वारा अध्यक्ष को जो तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे वह यह सिद्ध करने के लिए अन्तिम होंगे कि क्या यह दस्तावेज वास्तविक है अथवा नहीं अगर सरकार कथित प्रति की सत्यता को मानने अथवा अस्वीकार करने से इन्कार करें तो अध्यक्ष सदस्य को आगे बोलने की अनुमति दे देंगे तथा अब सरकार का यह कार्य है कि वह जो उचित जवाब समझती हो वह दे।"

मेरे द्वारा ऊपर जो नियम उद्धृत किया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए मैं श्री उन्नीकृष्णन से यह पूछना चाहूंगा कि क्या वह यह प्रमाणित करने के लिए तैयार हैं कि उन्होंने अपनी स्वयं जानकारी से यह जाँच कर ली है कि जिस दस्तावेज को वह उद्धृत करना चाहते हैं, वह सरकार के दस्तावेज की वास्तविक प्रति हैं। तथा ऐसा वह अपनी जिम्मेदारी पर करेंगे।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बड़ागरा) : जी हां, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं और जब मैं इन्हें सभापटल पर प्रस्तुत करूंगा तो मेरा कथन स्वत: प्रमाणित हो जाएगा।*

सभापति महोदय : क्या वे मूल दस्तावेज की ही प्रतियाँ हैं ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : जी हाँ।

श्री जी० एम० बनातवाला : यदि वे किसी दस्तावेज में से यह उद्धरण दे रहे हैं तो वह दस्तावेज हमारे पास नहीं हैं। उन्हें इस दस्तावेज की एक प्रति सभा के पटल पर रखने के लिए तैयार रहना चाहिये।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं ऐसा ही करूंगा। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पर इस सदन में काफी समय पूर्व निर्णय किया जा चुका है।

महोदय, कई वर्षों से मैं इस मन्त्रालय की अनुदान मांगों पर होने वाली बहस में भाग लेता आ रहा हूं। मुझे गत वर्षों के दौरान भी यह देखने का सौभाग्य मिलता रहा है कि माननीय मंत्री जी इस मन्त्रालय से सम्बद्ध रहते रहे हैं। और आज भी मुझे उन्हें इस कुर्सी पर बैठे हुए देख कर प्रसन्नता हो रही है न केवल इसलिए कि मेरे हृदय में उनके लिए सम्मान और स्नेह है अपितु मैं जानता हूं वे बड़े योग्य व्यक्ति हैं तथा निसन्देह ही प्रधान मन्त्री जी के एक विश्वासपात्र सहयोगी भी। जो कुछ मैं कहूंगा अथवा जो कुछ भी मैंने कहा है, वह सब मैंने राष्ट्र हित के लिए मेरे हृदय में विद्यमान चिन्ता के परिणाम-स्वरूप और एक संसद सदस्य के नाते अपने कर्तव्य का पालन करते हुए किया है।

---

*श्री के० पी० उन्नीकृष्णन ने चार दस्तावेज सभा के पटल पर रखे, जिन्हें [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए 2377/81 सं० एल० टी०]

यह मन्त्रालय अत्यन्त महत्व रखता है क्योंकि ऊर्जा नीति, यदि आपने कोई तैयार की है, न केवल आर्थिक विकास की दिशा का निर्धारण करेगी बल्कि यह हमारे भावी मार्ग से भी हमें अवगत करायेगी। आज न केवल उद्योग की दृष्टि से ही यह महत्वपूर्ण है बल्कि यह अनेक दूसरे क्षेत्रों, जैसे कि कृषि जो भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है, परिवहन इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है :

"वर्ष के दौरान हमें 167 लाख टन खनिज तेल का कुल आयात करने की आवश्यकता होगी···पैट्रोलियम उत्पाद 79.8 लाख टन और कुल आयात 5600 करोड़ रुपये का होगा।

मैं मन्त्री जी से एक बात पूछना चाहूंगा। हरवर्नी पैराग्राफ में कहा गया है कि :

"1981-82 के दौरान, हमें 152 लाख टन खनिज तेल और 47.3 लाख टन पैट्रोलियम उत्पादों का आयात करना होगा। मौजूदा मूल्यों के हिसाब से इन आयातों पर 4855 करोड़ रुपये खर्च होने की सम्भावना है।

ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। ऐसी स्थिति में जबकि पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य बढ़ रहे हैं, इस वर्ष 167 लाख टन खनिज तेल के लिए 5600 करोड़ रुपये खर्चने पड़े, वर्ष 1981-82 के लिए, उनका कहना है कि 152 लाख टन खनिज तेल पर केवल 4855 करोड़ रुपये खर्च आयेगा। गत वर्ष जबकि खनिज/पैट्रोलियम उत्पाद के आयात में केवल 10 लाख टन की वृद्धि हुई थी, मूल्यों में 80·3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई थी, क्योंकि पैट्रोलियम उत्पादों के यूनिट मूल्य में ही लगभग 75 प्रतिशत की वृद्धि हो गई थी। आप शायद यह दलील दें कि असम में पुन: उत्पादन शुरू हो जाने से आयात में कमी आये। परन्तु आप अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम तथा खपत में वृद्धि जैसे दूसरे कारकों के सम्बन्ध में क्या कहनाचाहेंगे ? इस परिवेश में—राजनीतिक, अन्तरराष्ट्रीय एवं आर्थिक—इस बात की क्या गारंटी है कि मूल्य स्थिर रहेंगें ? कृपया इस बात की ओर ध्यान दीजिए कि हमारे देश में तेल की प्रति व्यक्ति खपत विश्व में सबसे कम है। क्या आप सभा को यह बतायेंगे कि क्या हमारी खपत उतनी ही रहेगी ? इस बात को स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

हमें समुद्र के भीतर और समुद्र तट के तेल स्रोतों का अन्वेषण करने के लिए प्रयास जारी रखने चाहिये। इस कार्य के लिए इनसे पूर्व के मंत्रियों द्वारा बताये गए आत्म-निर्भरता के मार्ग पर चलना होगा। और मैं विशेषतौर पर इस दिशा में श्री के० डी० मालवीय द्वारा किए गए सराहनीय कार्य का हवाला देना चाहूँगा, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को विशेषतौर पर इसकी प्रबन्ध व्यवस्था एवं अनुसंधान और विकास कार्यों को, सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि श्री सेठी एक व्यस्त व्यक्ति हैं, न केवल एक मंत्री के रूप में बल्कि दूसरे कारणों से भी स्पष्ट है कि वे पहले से ही काफी व्यस्त हैं। तथापि मैं आशा करता हूं कि वे तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को सुदृढ़ करने के इस बुनियादी कार्य को पूरा करने के लिए कुछ समय निकालेंगे। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का इंजीनियरी एवं विकास डिवीजन बहुत बड़ा डिवीजन है। परन्तु इसकी ओर कितना ध्यान दिया जाता है ? इसकी कल्पना आप इसी बात से कर सकते हैं कि गत पांच वर्षों से कोई सदस्य (इंजीनियरी एवं विकास) नियुक्त नहीं किया गया था। मैं नहीं जानता कि अब किसी को नियुक्त किया गया है अथवा नहीं।

वर्ष 1983-84 में भारत की पैट्रोलियम तथा तेल उत्पादों की आवश्यकता लगभग 320 लाख टन की होगी तथा 1990-91 में 500 लाख टन की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति ने यह परिकल्पना की थी। इसीलिए, मुझे पहले दिए गए आंकड़ों पर शक था। अत: यह बहुत आवश्यक है कि उन्हें इस कार्य तथा इससे भी अधिक एक एकीकृत ऊर्जा नीति तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। सरकार ऐसी कोई नीति अभी तक निर्धारित नहीं कर सकी है हालांकि सरकार इस बात का दावा करती है कि वह अर्थव्यवस्था को ठीक कर देगी। इस सरकार की ऊर्जा नीति क्या है ? क्या उनके पास कोई एकीकृत ऊर्जा नीति अथवा ऊर्जा नीति है ? पैट्रोलियम मंत्रालय हमारे पैट्रोलियम उत्पादों और आयातों से सम्बन्धित, मामलों की देख-रेख करता है। केन्द्र सरकार के अधीन कोयला, जल और ताप बिजली उत्पादन का कार्य ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मैं इन मंत्री जी के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं क्योंकि ऐसा करने के लिए यह उचित समय नहीं है। मेरा मुद्दा यह है कि इसके लिए एकीकृत ऊर्जा विकास नीति तथा विद्युत नीति तैयार करने और ईंधन की आवश्यकता को पूरा करने की आवश्यकता है जो कई औद्योगिक क्षेत्रों में विश्व में सबसे कम है। अत: आत्मनिर्भरता के क्षेत्रों तथा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का अभिनिर्धारण करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

उर्वरकों के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने से पूर्व, मैं यह कहना चाहूंगा कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने उत्पादन में परस्पर विभाजन करने का निर्णय किया है। इस सम्बन्ध में जो स्पष्टीकरण दिया गया है वह सदन की सन्तुष्टि के लिए अपर्याप्त है। आपको संसद तथा जनता को इस बारे में सन्तुष्ट करना होगा कि उत्पादन विभाजन करने के अलावा प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं थी। यह निर्णय को न्यायोचित कैसे ठहराया जा सकता है क्योंकि इससे हमें अपनी परिशोधन क्षमता भी बढ़ानी होगी।

अब मैं उर्वरक पर आता हूं। मैं उनकी बुद्धिमत्ता पर कटाक्ष नहीं करना चाहता क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि उनकी संवेदनशीलता को पहले ही धक्का लग चुका है। समूची सरकार और पूरे सरकारी तन्त्र को अबोध जनता के विरुद्ध कार्य करने के लिए स्वतन्त्र छोड़ दिया गया है। मुझे आशा है कि यदि मैं 23 दिसम्बर 1980 को इस सदन में दिए गए उनके भाषण के सम्बन्ध में कुछ टिप्पणी करूं तो वे मुझे क्षमा करेंगे। भारत सरकार की स्थिति के बारे में सफाई देते हुए, उन्होंने कहा था :

"यह बिलकुल स्पष्ट होता जा रहा है कि ब्रॉन ने किस प्रकार से पूरे मामले को प्रभावित किया है तथा इन रिपोर्टों को कैसे तैयार किया गया था।"

आप इन शब्दों को नोट कीजिए "इन रिपोर्टों को कैसे तैयार किया गया था।"

"महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल नहीं किया गया" इन रिपोर्टों को किन लोगों ने तैयार किया था ? शायद पहली बार इन्हें श्री शर्मा ने तैयार किया था। दूसरे ग्रुप के प्रमुख थे श्री लवराज कुमार जिन्हें अब पदोन्नत करके पैट्रोलियम मन्त्रालय में सचिव का पदभार सौंप दिया गया है। इनके अतिरिक्त श्री पॉल पोथेन, डा० मुकर्जी और डा० मन मोहन सिंह, जो अब योजना

आयोग के सदस्य हैं, भी इस कार्य से सम्बद्ध थे। ससूची भारत सरकार, सचिवगण, उर्वरक क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। फिर भी उन्होंने आरोप लगाया है कि: "इन लोगों ने इन रिपोर्टों को कैसे तैयार किया था।" ये हैं पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री जो कि संसद में भाषण दे रहे हैं कि" इन रिपोर्टों को कैसे तैयार किया गया था जिनमें कि महत्व-पूर्ण तथ्यों को शामिल नहीं किया गया।" इसका अभिप्राय यह है कि उन्होंने जानबूझ कर उन तथ्यों को दबा दिया है जिनके आधार पर यह निर्णय लिया गया था। यह एक बहुत ही गम्भीर आरोप है। उन्होंने इन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है। मेरा यही तर्क है कि एक मंत्री, जिसे निर्णय बदलने के लिए एक भूतपूर्व राज्य मंत्री के एक लाइन के छोटे से नोट पर निर्भर करना पड़ता है, उसे इन विशेषज्ञों, हमारे प्रौद्योगिकी विदों, जो कि श्रेष्ट विशेषज्ञ हैं, और हमारे सचिवों के सम्बन्ध में कहने का कोई नैतिक अधिकार प्राप्त नहीं है।

उनके लिए अब कानूनी विशेषज्ञों का भी कोई महत्व नहीं है। क्योंकि उनका कहना है:

"कभी-कभी ऐसा होता है कि यहां तक कि कानूनी विशेषज्ञ भी दोष नहीं पकड़ सकते।"

ठीक है, श्री सेठी के मंत्रालय तथा भारत सरकार में घटिया कानूनी विशेषज्ञ हैं, परन्तु हमारे प्रतिष्ठित मित्र ही, जो कि उच्च न्यायालय के एक भूतपूर्व न्यायधीश हैं, विधि मंत्रालय के प्रमुख हैं। सम्भवत: उन्हें जनता सरकार ने वह स्थान दिया था। इस बात की उन्हें चिंता नहीं है। उन्होंने सजग रूप से एक समिति, जिसे बी० बी० सिंह समिति कहा गया, नियुक्त करने का निर्णय किया। यह दूसरी विशेषज्ञ समिति थी। और इस समिति ने यह सिफारिश की थी कि दो संयन्त्र ब्रॉन को दिए जाएं। इसके अन्तर्गत बुनियादी तौर पर पूर्ववर्ती विशेषज्ञ समिति तथा सचिवों की समिति के निर्णय का समर्थन किया गया था। उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया; श्री सेठी ने ठेकों के विभाजन के सिद्धान्त को स्वीकार किया जो पिछली समितियों द्वारा स्वीकृत प्रौद्योगिकी का मानकीकरण के सिद्धान्त के प्रतिकूल है।

परन्तु एक दिन उन्होंने सदन में कहा था: "यह कहना बिल्कुल गलत है कि भारत सरकार ने विशेष समिति की सलाह को एकदम अस्वीकार कर दिया है।" तब उन्होंने भारत में अनुभव के सम्बन्ध में कहां था। क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि कैलोल ठेके पर हस्ताक्षर होने से पूर्व कैलेग को क्या अनुभव था? इस आलोचना के अन्तर से सम्बन्धित मंत्रालय की फाइलों से मैं श्री नवल किशोर, वे चाहे किसी भी पद पर हैं, के एक नोट का हवाला देता हूं:

"श्री सी० एफ० ब्रॉन के भारतीय परिस्थितियों में परियोजना प्रबन्ध सम्बन्धी अनुभव को एक कमी समझा गया है।" इस मामले में विशेष सचिवों की समिति को भेजे गए एक टिप्पणी द्वारा ही स्थिति सुधरी। मैं इस बात का उल्लेख पहले भी कर चुका हूं कि ब्रॉन अथवा दूसरे लोगों को भारत में ठेके दिये जाते रहे हैं जबकि भारतीय परिस्थितियों में कार्य करने का उन्हें अनुभव प्राप्त नहीं था। उदाहरण के लिए कैलोग ने केलेग ठेका उन्हें दिये जाने से पूर्व तक भारत में एमोनिया संयन्त्र का निर्माण कभी नहीं किया था। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता।

उन्होंने तकनीकी समिति का जिक्र किया। वे सचिवों की समिति को भ्रम से तकनीकी समिति समझ रहे हैं। उन्होंने जो कहा है मैं दोहरा रहा हूं :

"तकनीकी समिति ने इस बात को महसूस नहीं किया। ये सचिवों की समिति है। यदि वे कोई बात महसूस नहीं करते तो क्या आपका अभिप्राय है कि कि सरकार को कोई अधिकार नहीं है ?"

श्री सेठी, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उन्हें सम्बोधित कर रहा हूं, क्या मैं यह कह सकता हूं कि हम आपके अधिकार को चुनौती नहीं दे रहे हैं ? हम जानते हैं कि आप अपने अधिकारों के बारे में पूर्णतया सजग हैं । और आप कानूनी ढंग से उनका इस्तेमाल करना जानते हैं, कभी-कभी गैर-कानूनी ढंग से भी और आमतौर पर गैर कानूनी एवं असंविधानिक ढंग से। हम जानते हैं कि आप अधिकारों के प्रति सजग हैं क्योंकि इसी प्रकार के राजनैतिक दृष्टिकोण से अधिनायकवाद का जन्म होता है।

मंत्री महोदय ! हम तो सरकार के उस अद्भुत बदले हुए रुख के बारे में पूछ रहे हैं जिसके कारण एक अन्तर्राष्ट्रीय घोटाला हुआ था। यदि आप जानबूझ कर इसमें अन्तर्ग्रस्त होना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वे तो केलोग से कुछ भी प्राप्त करने को तैयार हैं। उदाहरणतया मंत्रालय की फाइलों में एक ऐसा पत्र लगा है। जिसमें केलोग से ब्राउन ने यह झूठा दावा किया था कि "हालेण्ड में ब्राउन का एमोकेमी का संयंत्र 8 महीनों तक बन्द पड़ा रहा।" मैं पुलमेन के लोग द्वारा 29 जनवरी 1980 को पेट्रोलियम मंत्रालय को लिखे गए एक पत्र का उद्धरण दूंगा। यद्यपि मैं तो यही समझता था कि व्यापारी मंत्रालय और सचिव को केवल अपने पत्र ही भेजते है लेकिन उन्होंने श्री पी० सी० सेठी, पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री को उक्त पत्र की एक प्रति विशेष रूप से भेजी थी। अब मैं पत्र का उद्धरण देता हूं :

"(ग) हमारी बैठक के पश्चात जो टेलीफोन पर बात हुई थी उसकी हम पुष्टि करते हैं। हमने आपको बताया था कि हमारी जानकारी के अनुसार सी० एफ० ब्राउन का रोजेन वर्ग, हालेण्ड स्थित एसोकेमी संयंत्र 8 महीनों से बन्द पड़ा हुआ है।"

इस बारे में की गई जांच के क्या परिणाम निकले ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही पाई गई थी ? इस प्रकार का झूठा दावा करके कार्य पाने हेतु उनके विरुद्ध क्या कारंवाई की गई ? उन्हें इस प्रश्न का जबाब देना होगा। मैंने सदन में यही सुझाव दिया था और यही माँग की थी कि यह मामला एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति को सौंप दिया जाए। सार्वजनिक रूप से तथा इस सदन में जो आरोप लगाए गए हैं उनकी एक संसदीय समिति द्वारा जांच कराई जाए अथवा जैसाकि श्री टी० टी० कृष्णा माचारी या श्री के० डी० मालविया या अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के मामले में किया गया था वर्तमान पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री, जिनसे वे सभी लोग ज्यादा प्रतिष्ठित थे, के मामले से सम्बन्धित सारी फाइलें प्रधानमंत्री सर्वोच्च न्यायालय के जज के प्रथम दृष्टया विचार जानने के लिए उसे भेजें। जब मैं उनके दल में था और मैंने जांच की मांग की थी तो उन्होंने उक्त मांग को स्वीकार करते हुए टकरू आयोग नियुक्त किया था तथा जिसमें

श्री चन्द्रजीत गुप्ता, स्वयं मैं तथा कुछ अन्य सदस्य थे। उन्होंने 23 तारीख को मेरे से यह प्रश्न किया था कि "इसी प्रकार से अन्य जांच आयोगों की रिपोर्टों से भी कुछ परिणाम नहीं निकले। ये सब जांच आयोग किसलिए बनाए गए थे ? इन्हें राजनैतिक पक्षपात पूर्ण तरीके से गठित किया गया था। इस मामले में भी यही उद्देश्य है।" ये आरोप लगाए गए थे।

इसलिए श्री सेठी केवल जांच आयोग अधिनियम के अधीन जांच करने और न्यायिक तथा संसदीय जांच कराने के विरुद्ध हैं। हमने न्यायिक तथा संसदीय जांच कराए जाने की मांग की थी। लेकिन जांच कराई जा रही है—केन्द्रीय जांच ब्यूरो से। आखिर यह ब्यूरो किस बात की जाँच कर रहा है ? केन्द्रीय जांच ब्यूरो एक ऐसा कार्यकारी जांच अभिकरण है जिसे गृह मंत्रालय के संकल्प, 1963 के अधीन शक्तियां दी गई हैं। मैं इसकी विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता। मैं इसकी बाद में चर्चा करूंगा।

इसका उद्देश्य अब एकदम स्पष्ट हो गया है। भारत सरकार बहाने ढूंढने में लगी हुई है और संवाददाताओं से "एक गहरे षडयन्त्र व अन्तर्राष्ट्रीय प्रभावों की बात कर रही है और यह बात भी स्पष्ट है कि वह हममें से कुछ लोगों और विशेषकर श्री बहुगुणा, जिन्होंने उनके दल को छोड़ दिया है, को इसमें फंसाना चाहती है लेकिन मेरा ख्याल है कि श्री बहुगुणा ने फाइलों पर इस सम्बन्ध में एक के बाद एक कई प्रश्न किए थे। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। उन्होंने लिखा है "पाल पाथन जिसकी रिपोर्ट विचाराधीन है, उसने अपनी रिपोर्ट में कुछ ऐसे मुद्दों का उल्लेख किया है जिनका विश्व बैंक से स्पष्टीकरण लेना जरूरी है। मैं उन मुद्दों के बारे में जानना चाहता हूं।" तथा इस टिप्पण में यह भी लिखा है :—

"जब मंत्री जी ने उपर्युक्त प्रश्नों के अलावा स्पष्ट उद्देश्यों आदि-आदि के बारे में कुछ और स्पष्टीकरण मांगें तो इन प्रस्तावों पर मंत्री महोदय के साथ 17-1-1979 को विचार-विमर्श किया गया था।"

लेकिन इस समय ऐसे लोग सक्रिय हैं जो प्रतिशोध की भावना से लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं उनका कार्य करने का यही राजनीतिक तरीका है। सभापति महोदय ! चूंकि इस सम्बन्ध में कुछ कहने का अभी उचित अवसर नहीं है इसलिए मैं इस बारे में कभी दूसरे समय बोलूंगा। मुझे विश्वास है कि इस सम्बन्ध में अपने विचार रखने के मुझे और भी अनेक अवसर मिलेंगे। आप यह न समझें कि हम आप लोगों की धमकियों और ब्लैकमेल किये जाने सम्बन्धी कार्यों के आगे झुक जायेंगे। मैं कोई इतना डरपोक नहीं कि मैं आपकी किसी भी गैर-कानूनी तथा असंवैधानिक पूछताछों, या हमें दी जाने वाली धमकियों या अपने पीछा होने या टेलीफोन टेप किये जाने जैसी बातों से डर जाऊंगा।

आज एक पुलिस की गाड़ी, एक वायरलैस गाडी मेरे घर के पास खड़ी हुई है। 24 घंटे··· (व्यवधान)। चूंकि मेरे कुछ मित्र पुलिस में भी हैं इसलिए उनसे मुझे यह विश्वसनीय जानकारी मिली है (व्यवधान) पुलिस वायरलैस गाड़ी नं० डी० बी० 1395 लगातार मेरे घर के पास खड़ी

हुई है। (व्यवधान) कुछ दिनों में यह गाड़ी मेरे घर के आस-पास चक्कर लगती रहती है मुझे यह भी विश्वसनीय जानकारी मिली है कि मेरे टेलीफोन जंकशन बाक्स में कोई चीज लगा दी गई है।

श्री हरकेश बहादुर : मुझे सुरक्षा की जरूरत है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं इतना डरपोक नहीं हूँ कि इस ब्लैकमेलिंग से डर जाऊं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच तो उन्हीं के कई साथी डरते हैं। मैंने कम से कम उनके एक सहयोगी को अपनी आंखों से देखा है। मैं उनका नाम लेकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। वह 1977 में श्री चन्द्र शेखर के पैर पड़ रहे थे कि वे मुख्य मंत्री को टेलीफोन कर दें कि उन्हें परेशान न किया जाए या श्री चरणसिंह से कह दें कि उनके मामले में आगे कोई कार्रवाई न की जाए।

न तो मैं डरपोक हूँ और न ही भगोड़ा। मैं बार-बार इन आरोपों को दोहराऊंगा। आखिर संसद किस लिए है। वे हमेशा संसद को सर्वोच्च बताते हैं। क्या केवल न्यायपालिका से भी ऊंचा साबित करने के लिए ? इस संसद को कुछ अहरणीय अधिकार प्राप्त हैं। ये अधिकार तथा अधिकार क्षेत्र भारत के लोगों को दिए गए हैं। यदि संसद को किसी अन्य मंच में परिवर्तित किया गया तो हम भारत की जनता के प्रति अपना कर्तव्य निबाहने में असफल हो जाएंगे। हम लगातार इन अधिकारों, संविधान के अधीन इसे दिये गए अधिकारों और जनता के अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। हम केवल पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय के सम्बन्ध में ही ऐसा नहीं करेंगे बल्कि हरेक मंत्रालय पर निगाह रखेंगे हमारा तो काम ही यही है और इस बात की ही हमने शपथ भी ली है। इन धमकियों के होने के बावजूद भी हम अपने कार्यों को और अधिक व्यापक करेंगे। हम आपको बचन देते हैं कि हम प्रत्येक मंत्रालय के कुकृत्यों को प्रकाश में लाएंगे। धन्यवाद।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री महोदय।

श्री हरकेश बहादुर : मैंने तब मांगों का विरोध नहीं किया था। मैं अब मांगों का विरोध कर रहा हूँ।

सभापति महोदय : कितने प्यारे ढंग से आप विरोध कर रहे हैं।

श्री जी एम० बनातवाला : उन्होंने बाद में सोच समझकर विरोध किया है।

श्री प्रकाश चन्द सेठी : सभापति महोदय। मैं बहस में भाग लेने वाले तथा मांगों का समर्थन करने वाले माननीय सदस्यों तथा जिन्होंने बाद में इनका विरोध किया है उन सबका आभारी हूं।

बहस के दौरान माननीय सदस्यों ने मंत्रालय के विभिन्न पक्षों पर अनेक मुद्दे उठाए। वे सदन के समक्ष तथा मंत्रालय के विचार के लिए भी अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे सामने लाए हैं। यह सत्य है कि ऊर्जा की दृष्टि से तथा साथ ही उर्वरक उत्पादन कृमिनाशी, कीटनाशक दवाइयों,

भेषजों आदि की दृष्टि से यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय मन्त्रालय है। ये सभी महत्वपूर्ण इस मंत्रालय को सौंपे गए हैं। इसलिए इस मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले अनेकों कार्यों के प्रति माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट होना स्वाभाविक ही है।

सबसे पहले में तेल सम्बन्धी विषय पर बोलूंगा। जहां तक तेल का सम्बन्ध है यह सत्य है कि स्वर्गीय पण्डित जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता के कारण ही देश में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग नामक एक संगठन स्थापित किया गया था। सोवियत संघ सहायता से देश के अनेक भागों में तेल का पता लगाया गया था। जब कोई अन्य देश हमारी सहायता के लिये आगे नहीं आ रहा था तब सोवियत संघ हमारी सहायता के लिए आगे आया और हम उसकी सहायता और सहयोग के कारण ही गुजरात के अनेक भागों में तेल की खोज कर सके तथा असम, जहां तेल का उत्पादन हो रहा था, के अलावा भारत में अन्य स्थानों पर भी तेल का उत्पादन होने लगा।

तत्पश्चात् वर्ष 1969-70 में जब मैं इस मंत्रालय का प्रभारी था तब बम्बई-हाई सम्बन्धी कार्य जारी रखने के सम्बन्ध में 1970-71 में एक निर्णय लिया गया था। इसलिए बम्बई हाई के सम्बन्ध में यह स्वाभाविक था कि कोई विदेशी सहयोग किया जाए फलस्वरूप हमने फ्रांस के साथ विदेशी सहयोग किया था। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बम्बई हाई सम्बन्धी कार्य में हमें महान सफलता मिली है। पिछले वर्ष बम्बई हाई में 50 लाख मी० टन उत्पादन हुआ था। श्री उन्नीकृष्णन ने मुझ से यह प्रश्न किया था कि जबकि इस वर्ष का आयात बिल 5600 करोड़ रुपए का है तब अगले वर्ष पेट्रोलियम उत्पादों तथा कच्चे तेल के सम्बन्ध में आयात बिल कम राशि का किस प्रकार से हो जाएगा। इस समय बम्बई-हाई में 75 लाख मी० टन वार्षिक की दर से उत्पादन हो रहा है। बम्बई हाई में उत्पादन की दर में 25 लाख मी० टन वार्षिक की वृद्धि हुई है तथा आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक इसमें उत्पादन 90 लाख मी० टन वार्षिक की दर पर होने लगेगा। इस प्रकार से बम्बई हाई में उत्पादन बढ़ रहा है। यदि तेल का निर्यात करने वाले देश तेल के मूल्य बढ़ा भी दें तो भी हमें कोई चिन्ता नहीं होगी। हमारी मांग के तीव्र गति से बढ़ने तथा पिछली सरकार द्वारा 5 प्रतिशत विकास दर का अनुमान होने के बावजूद डीजल जैसे अनेक क्षेत्रों में 10-12 प्रतिशत की विकास दर रही है। उपभोग में अधिक दर से वृद्धि होने के बावजूद तेल का उत्पादन भी तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा हम समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में भूमि के नीचे अन्य पद्धतियों के माध्यम से जल इंजेक्शन और गैस इंजेक्शन का उपयोग भी करेंगे जिसके फलस्वरूप समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में भी उत्पादन बढ़ाकर लगभग 10 लाख मी० टन तक पहुंच जाएगा जिसके फलस्वरूप आयात की राशि में कमी आएगी।

इस सम्बन्ध में मैं यहां बताना चाहूंगा कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, जो भूकम्पीय सर्वेक्षण, खुदाई तथा तेल का पता लगाने सम्बन्धी कार्य करता है। बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है और इसके लिए हम इन दोनों संगठनों के तकनीशियनों तथा इंजीनियरों व कर्मचारियों की भूरी-भूरी प्रशंसा करते हैं।

ये लोग वहाँ बहुत ही कठिन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। उदाहरणतया गोदावरी नदी घाटी, जहां तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कार्य कर रहा था, में जल के तीव्र प्रवाह और काफी कीचड़

होने के कारण हमारी बी० ओ० पी० तथा कुछ अन्य उपकरण बह गए थे लेकिन हमने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। इस प्रकार से हम ऐसे कठिन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं।

यद्यपि ये कार्य तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को सौंपे गए हैं तथापि इन क्षेत्रों में हमें तकनीकी परामर्श तथा उपकरणों के लिए विदेशी सहयोग करना पड़ सकता है। इसलिए जब भारत सरकार ने मंत्रीमण्डल के एक निर्णय के अधीन 32 खण्डों, जिनमें में 17 समुद्र तट से दूर और 15 समुद्र के तट पर थे, में तेल का पता लगाने का कार्य विदेशी कम्पनियों को सौंपने का निर्णय किया तो वह केवल इसी बात को ध्यान में रखकर किया गया था कि देश को पैट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर बनाना है।

मैं ऊर्जा नीति के प्रमुख प्रश्न पर चर्चा करूंगा जो अनेकों माननीय सदस्यों ने उठाया है। लेकिन प्रश्न यह है कि यदि हमें जिन्दा रहना है और अपनी विदेशी मुद्रा की बचत करनी है तो हमें तेल की खोज का काम बहुत तेजी से करना होगा, और इसलिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया, जिनके पास पहले ही बहुत काम है अपना-अपना कार्य कर रहे हैं। परन्तु इन 32 ब्लाकों का काम जिनके अन्तर्गत देश का एक बहुत बड़ा भाग आता है, तट पर तथा तट से दूर, हमने विदेशी कम्पनियों को दिया है। 67 कम्पनियों ने पूर्व योग्यता बोलियां भेजी थी। 35 कम्पनियों को इस में से चुना गया था। इन 35 कम्पनियों, जिन्हें चुना गया था, में से केवल 22 या 23 कम्पनियों ही विचार-विमर्श के लिए हमारे पास आई। और वे कम्पनियां अभी तक इसमें अपनी रुचि दिखा रही हैं। वे बहुत महत्वपूर्ण कम्पनियाँ हैं, बहुत अनुभवी हैं और उनके पास बहुत सा तकनीकी ज्ञान है तथा काम करवाने की पर्याप्त वित्तीय क्षमता है।

हमने एक और दूसरा पत्र भी जारी किया है और उनमे अन्तिम बोली देने के लिए कहा है। और हमें आशा है कि इस महीने अर्थात अप्रैल के अन्त तक हमें यह मिल जाएगा और जैसे ही यह हमें प्राप्त होंगे हम उनके साथ समझौता कर लेंगे। हमे अभी तक यह नही मालूम है कि उनकी शर्तें क्या हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्यों को और इस सदन के माध्यम से सारे देश को यह विश्वास दिला सकता हूं कि देश के हित का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा और साथ ही साथ तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के हितों को भी ध्यान में रखा जाएगा। हम इस करार में एक खण्ड का उपबंध कर रहे हैं जिसमें तेल की खोज के बाद, यदि उन कम्पनियों द्वारा तेल खोज लिया गया, तो आयोग को, उन विदेशी कम्पनियों से जो यहाँ काम कर रही हैं, 50 प्रतिशत तक इक्विटी शेयर प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसलिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को इस कार्य में पूरी तरह से शामिल किया जाएगा। एक माननीय सदस्य द्वारा इस ओर भी ध्यान दिलाया गया है कि इन कम्पनियों द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को पूरे आंकड़े नहीं दिए जायेंगे और उन्हें अन्धकार में रखा जाएगा। शायद श्री सूर्य नारायण सिंह ने ऐसा कहा है। लेकिन ऐसी बात नही है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को पूरे परिष्किरण आंकड़े उपलब्ध कराए जायेंगे। और यदि आवश्यकता पड़ी तो उन्हें पूरी तरह से उनके सम्पर्क में रखा जाएगा। हम इन कम्पनियों के कार्यकरण में 50 प्रतिशत तक इक्विटी की भागीदारी हासिल करने का विकल्प रख रहे हैं। पेशकश और समझौते के दौरान यह सम्भव हो सकता है कि ये कम्पनियां

तेल में हिस्सा माँगे । बंबई हाई के मामले में भी जहां हम सी० एफ० पी० फ्रांस तकनीकी सहयोग से, बंबई हाई के वर्तमान उत्पादन को 1983-84 तक 120 लाख टन जिसका उन्होंने पहले वायदा किया था, से बढ़ाकर 170 लाख टन कर देने के बारे में इस समय बातचीत कर रहे हैं । इसलिए उत्तरी और दक्षिणी तेल क्षेत्रों में से, हम तेल में किसी प्रकार का हिस्सा देने के लिए कोई करार नहीं कर रहे हैं । क्योंकि ये क्षेत्र तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खोजे गए हैं । हमारे तकनीशियनों ने यह कार्य कर लिया है और इसलिए बंबई हाई के तेल में से किसी प्रकार का हिस्सा देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । लेकिन साथ ही साथ हम उन अनेकों किस्म के साधनों और विभिन्न प्रकार के मानकों पर भी बातचीत कर रहे हैं जिन पर ये विदेशी कम्पनियां काम करने के लिए तैयार हैं । उनके दल ने भारत का दौरा किया था और वे आज वापस जा रहे हैं । हमें आशा है कि वे अन्तिम समझौते के लिए इस माह के मध्य में फिर वापस आयेंगे और उस वक्त तक तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा सरकार इस स्थिति में होगी कि वे इस पर कोई निर्णय कर सकें । लेकिन हमारा स्वार्थ यह है कि तेल की खोज के अलावा जो हम विदेशी कम्पनियों को देने की पेशकश कर रहे हैं, हमारा प्रयास और लक्ष्य बंबई हाई के उत्पादन को वर्तमान तेल क्षेत्रों से वर्ष 1983 के मध्य तक 75 लाख टन प्रति वर्ष की दर से बढ़ाकर 170 लाख टन प्रति वर्ष करना है । और यदि संभव हुआ तो, बी-37, बी-38, आर-9 और आर-12 स्ट्रक्चर पर कार्य करना है यह निर्माण कार्य रत्नागिरि में है । और यदि यह संभव हो सका तो तेल की खोज का और अगला कार्य तथा उत्पादन कार्य करना है । यह भी संभव है कि बंबई हाई और उसके साथ वाले स्ट्रक्चर हमें 1983 के अन्त तक 200 लाख टन तेल दे सकते हैं । इसलिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी । इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समुद्र के अन्दर के क्षेत्र में तेल मिलने की बहुत बड़ी संभावना है । हमें इसमें स्वयं तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया. महानदी, गोदावरी और अन्य बेसिनों में तेल की खोज का कार्य कर रहे हैं और हम इस प्रयास को निरन्तर जारी रखेंगे और विदेशी कम्पनियां जब काम शुरू करेंगी तो तेल की खोज का कार्य और सर्वेक्षण, जो न्यूनतम कार्य है, वह उन्हें करना पड़ेगा । उन्हें कुछ कुंए खोदने का कम से कम कार्य भी करना होगा और जब तक वहां से तेल न निकले, उस समय तक हमें इस प्रकार के कार्य पर कोई भी पैसा नहीं खर्चना होगा । इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से, तेल की शीघ्र खोज के दृष्टिकोण से, तकनीकी ज्ञान प्राप्ति के दृष्टिकोण से और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को इन कम्पनियों के निकट सहयोग में रखने के दृष्टिकोण से हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चल रहे हैं । हम भारत के हिस्से को किसी भी रूप में नहीं बेच रहे हैं और नहीं उसका सौदा कर रहे हैं । और यदि इतने पर भी तेल में हिस्सा सम्बन्धी कोई खंड आता भी है तो हम उसके लिए अपना भरसक प्रयास करेंगे कि इन कम्पनियों को तब तक तेल में किसी प्रकार का हिस्सा न दिया जाये जब तक भारत आत्मनिर्भर न हो जाए । इसलिए हमारा यह प्रयास है कि भारत इस क्षेत्र में यथाशीघ्र आत्मनिर्भर हो जाए और खास कर इन तथ्यों को देखते हुए कि पैट्रोलियम निर्यातक देशों के संघ मूल्यों को जिस तरह से वे आज अपनी कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं उसे देखते हुए—और भी बढ़ा सकते हैं ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के सम्बन्ध में भी मैं आपको बताना चाहता हूं । श्री उन्नीकृष्णन ने भी यह प्रश्न उठाया था कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में पूरे सदस्य नहीं हैं

उसमें इंजीनियरी सदस्य भी नहीं हैं। अन्य सदस्यों ने भी तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को मजबूत बनाने का प्रश्न उठाया है। अब तक हम केवल 9 सदस्य ही रख सकते हैं और उनमें तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का अध्यक्ष भी शामिल है। लेकिन अब हमने सभी रिक्त स्थानों को भरने का निर्णय कर लिया है और इस आयोग में कुल सदस्यों की संख्या को 9 से बढ़ाकर 11 कर देने का भी निर्णय किया है। इस समय आयोग में अध्यक्ष है, सदस्य (वित्त), श्री बनर्जी, सदस्य (सामग्री), श्री बी० एन० झा०. सदस्य (समुद्री आफ शोर), श्री मल्होत्रा, सदस्य (आनशोर), मि० वुडवर्ड और सदस्य (तेल खोज) की भर्ती भी शीघ्र कर ली जाएगी। इसमें तीन सरकारी सदस्य हैं तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को पूर्णतया सक्षम बनाया जा रहा है। और जो कुछ भी रिक्तियां आयोग में थी, वह सब की सब भरी जा रही हैं। इसी प्रकार हम आयल इंडिया का भी पूर्णतया राष्ट्रीयकरण करने के लिए कदम उठा रहे हैं। माननीय सदस्य शायद इस बात को जानते हों कि इस समय यह एक ऐसा संगठन है जिसमें 50 प्रतिशत इक्विटी शेयर भारत सरकार के है और 50 प्रतिशत इक्विटी शेयर विदेशी कम्पनी के पास हैं। जो कुछ भी प्रयास हम कर रहे हैं उसका निचोड़ है यथासम्भव तेल-मोर्चा कायम करना।

इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहता हू—और साथ ही साथ मैं उनका आभारी भी हूं जिन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है—मेरा ख्याल है शायद श्री यादव ने यह बात कही है—कि बहुत ही कठिन दौर में और खासकर ईराक-ईरान युद्ध के दौरान जब हमें पेट्रोलियम उत्पादों की जबरदस्त कमी का सामना करना पड़ रहा था, न केवल मेरे जाने से ही—महोदय, मैं केवल एक बार विदेशों में गया हूं और वह भी फ्रांस और रूमानिया की सरकारों के आमंत्रण पर मैं वहां गया था—लेकिन मैं वहां तेल के लिए नहीं गया था, इसलिए, जैसा कि श्री हरिकेश बहादुर द्वारा कहा गया है कि मैं तेल की खोज में कितनी ही बार विदेशों का चक्कर काट चुका हूं, सही नहीं है। हालांकि यह ठीक है कि श्री बहुगुणा, जब वह तेल मंत्री थे, लीबिया गये थ लेकिन तीन दिनों तक वहां रहन के बावजूद वह श्री गद्दाफी से नही मिल सके थे और वापस लौट आए थे। परन्तु यह सरकार की नीति है और देश की प्रधान मत्री की प्रतिष्ठा है जिसके जरिये हमें दूसरे देशो से तेल उपलब्ध हो सका है। हमारा प्रयास काफी व्यापक हैं, ईरान हमें तेल दे ही रहा है और हमें आशा है कि ईराक भी शीघ्र ही हमें तेल देना शुरू कर देगा। परन्तु, इस तेल के कारोबार के सम्बन्ध में, मैं यह बात फिर जोर देकर कहूंगा कि भारत सरकार की और विशेष रूप से प्रधान मंत्री की प्रतिष्ठा से हमें मैक्सिको, कातार, अल्जीरिया, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और अन्य अनेक अन्य देशों से तेल प्राप्त करने में काफी सहायता मिली है। इस समय भी लीबिया ने जिसने एक बार तेल देने के लिए हमें कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया था, वह भी हमें 10 लाख टन तेल देने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन अभी भी तेल की इस किस्म के बारे में बातचीत करनी शेष है जो हम चाहते हैं और जो वे हमें देने के लिए तैयार हैं। इंडोनेशिया से भी हमें तेल की पेशकश आई है। इसलिए इस तथ्य के बावजूद कि ईराक-ईरान युद्ध छिड़ा हुआ है; हमारी तेल की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में है। रूस भी हमें इराकी तेल क्षेत्रों से 15 लाख टन तेल दे रहा था, अब राष्ट्रपति ब्रेझनेव की भारत यात्रा के बाद 15 लाख टन के बजाय 25 लाख टन देने के लिए तैयार हो गया है इसलिए तेल की अथवा

तेल उत्पादों की कोई कमी नहीं है। लेकिन इसका यह आशय नहीं है कि हम इस मूल्यवान उत्पाद को वैसे ही खर्च करते रहें।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : फिर भी राशनिंग की जरूरत तो है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : अत: इसका यह आशय नहीं है कि हम इन उत्पादों को व्यर्थ ही खर्च करते रहें। जहाँ कहीं भी हम उनकी बचत कर सकते हैं हमें बचत करनी ही चाहिए।

अब मैं तेल उत्पादों के वितरण पर आता हूं। मैं तेल वितरण के बारे में यह कहना चाहूंगा कि इस बारे में कुछ प्रश्न श्री मोहन लाल सुखाड़िया, श्री गिरधारी लाल व्यास, श्री यादव और श्री नवल किशोर द्वारा उठाए गए हैं। यह प्रतीत होता है कि राजस्थान के 17 सदस्यों में से चार या पाँच सदस्यों से ही ज्यादा सदस्यों ने हिस्सा लिया—अर्थात ये पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के लिए राजस्थान दिवस रहा और उन सबने शिकायत की है कि डीजल और अन्य पैट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई राजस्थान में बहुत ही कम है। महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि जहां तक राजस्थान और अन्य राज्यों का संबंध है हमने सभी राज्यों को यह लिखा है कि डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और अब उन्हें इसका राशनिंग समाप्त कर देना चाहिए। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मार्च के पहले सप्ताह से राजस्थान में भी डीजल का विनियंत्रण हो गया है। सिवाय दिल्ली के अन्य सभी राज्यों ने डीजल का राशनिंग समाप्त कर दिया है। मार्च के महीने में हमने राजस्थान को 42490 लीटर के बजाय 48,000 लीटर दिया है।

इसी प्रकार हमने उन्हें उनकी आवश्यकताओं के अनुसार मिट्टी का तेल भी दिया है इसके अलावा मैंने व्यावहारिक रूप से सभी मुख्य मंत्रियों को यह लिखा है कि यदि खास तौर से कृषि के मौसम में डीजल आदि की कोई कमी हो अथवा कोई विशेष मांग हो तो वे मुझे लिख सकते हैं और मैं उन्हें जो सप्लाई की जा रही है उससे ऊपर भी तदर्थ कोटा दूंगा। इसलिए इन उत्पादों की अब कोई कमी नहीं है।

जहां तक रक्षित बिजली-घरों (कैप्टिव यूनिट) का संबंध है मैं यह बताना चाहूंगा कि कि बिजली की कमी के बारे में यह हो सकता है कि अनेक लोगों ने अपने-अपने बिजली उत्पादन सैट स्थापित कर रखे हों जो डीजल से चलते हैं। वे लोग राज्य सरकारों से अपने कोटे की पूरी सप्लाई पा रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिला सकता हूं कि यदि इस कारण हमें किसी राज्य को डीजल के कोटे में वृद्धि करनी पड़ती है तो हम वह भी करेंगे। इसी संबंध में मुझे दोहराना नहीं चाहिए, श्री दास ने जो इस वाद विवाद के प्रारम्भकर्ता हैं बहुराष्ट्रिक कम्पनियों पर संदेह व्यक्त किया था और उस राजनीतिक दबावों के बारे में भी प्रश्न किये थे जिसका प्रयोग तेल और गैस प्राकृतिक आयोग पर प्रभाव डालने के लिए किया जा रहा है। मैंने उन विदेशी कम्पनियों के बारे में उनके प्रश्न का स्पष्टीकरण करने की कोशिश की है जो इसके लिए भारत आ रहीं हैं।

मैं अब वितरण और नए वितरण केन्द्रों के प्रश्न को लेता हूं। श्री हरिकेश बहादुर द्वारा यह कहा गया है। मध्य प्रदेश के श्री सेजवलकर को भी इस बात से आश्चर्य होगा।

वह मुझे व्यक्तिगत रूप से अच्छी तरह से जानते हैं। वह मेरे कार्य करने के तरीके से भी वाकिफ हैं। यह कहा गया था कि यह एजेन्सियों देने के लिए पैसे का लेन-देन हो रहा था। अब मैं स्थिति को स्पष्ट करूंगा। जब मैंने कार्यभार सम्भाला, इन एजेन्सियों के बारे में कम्पनियों द्वारा निर्णय लिया जा चुका था। मैंने एक निर्णय लिया। इन कम्पनियों ने लिए गए निर्णय के अनुसार आवेदकों में से चालीस व्यक्तियों का चयन किया तथा शेष को इन्होंने साक्षात्कार हेतु भी नहीं बुलाया। सर्वप्रथम मैंने चयन करने सम्बन्धी निर्णय को पुनरीक्षण किया।

बेरोजगार स्नातकों के मामले में अंकों का प्रतिशत उनके नौकरी के मामले में बाधक नहीं बनना चाहिए। किसी को भी, जो स्नातक हो—प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी अथवा तृतीय श्रेणी—को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना चाहिए। इसलिए मेरा पहला निदेश यह था कि अगर उन्होंने केवल 40 व्यक्तियों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया है तो यह ठीक नहीं है। मेरा अनुदेश यह था कि जो स्थानीय लोग हैं और जो अधिकृत प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं और जो बेरोजगार स्नातक हैं उन्हें साक्षात्कार के लिए अवश्य बुलाया जाए। इसलिए तकनीकी तौर पर पहला साक्षात्कार रद्द कर दिया गया। कानूनी कमी को पूरा करने के लिए, उन सभी 40 व्यक्तियों को फिर से बुलाया गया, और दूसरा साक्षात्कार लिया गया। उनके प्रतिशत अंक कुछ भी रहे हों, उन सबका साक्षात्कार लिया गया और इन सूचियों को तैयार की जा रही है।

इस सम्बन्ध में, मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि वहाँ दो प्रकार के अंक रखे गए थे। 30 प्रतिशत सामान्य अंक जो किसी भी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं थे। मैंने यह अनुदेश जारी किए कि जहां तक सामान्य अंकों का प्रश्न है, कम्पनियां वाणिज्यिक आधार पर और उनकी क्षमता के आधार पर सख्त निर्णय ले सकती हैं। अन्य 70 प्रतिशत अंकों में से, 25 प्रतिशत हरिजनों और आदिवासियों के लिए, 25 प्रतिशत बेरोजगार स्नातकों और 10 प्रतिशत युद्ध क्षेत्र में मारे गए सैनिकों की विधवाओं और 10 प्रतिशत विकलाँग व्यक्तियों के लिए आरक्षित थे। मैं मई महीने से इसमें भी संशोधन करने जा रहा हूं। मैंने स्वतन्त्रता सेनानियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए भी 10 प्रतिशत आरक्षण रखा है। नए अंकों के लिए उन पर विचार किया जायेगा। मैंने उनसे कहा है कि वे सभी व्यक्तियों को साक्षात्कार के लिए बुलायें तथा लिए जाने वाले तथा न लिए जाने वाले व्यक्तियों का पैनल तैयार करके मुझे भेजें। यह सम्भव है कि जो इन निर्णय से प्रभावित होंगे—निर्णय मंत्रालय में लिया जायेगा—वे ऊलजलूल बातें करेंगे ही। किन्तु यह केवल एक ऐसा मंत्रालय है जो प्रधान मंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम के अधीन बेरोजगार स्नातकों और समाज के पिछड़े लोगों को रोजगार प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए इस निर्णय को उन लोगों के हाथों में नहीं दिया जा सकता जो इसे पैसे वाले लोगों को दे दें अथवा ऐसे लोगों को दे दें जो इन विचारों के समर्थक नहीं हैं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यद्यपि इससे कुछ लोगों को कष्ट होगा। वह निर्णय उनके आधार पर लिया गया है जो इस विचार में विश्वास रखते हैं और जो इसके लिए काम करने को तैयार हैं। यह निर्णय मंत्रालय में सोच-समझकर लिया गया था चाहे कोई यह कहता रहे कि पैसा लिया जा रहा है। मैं इस सदन को यह आश्वासन दे सकता हूं कि एक पाई भी नहीं ली गई और न ही कोई पैसा लिया जायेगा। यह सब प्रचार

कि पसा लिया जायेगा कतई गलत है। कोई पैसा नहीं लिया जायेगा। जहां तक मेरा सम्बन्ध है श्री शेजवलकर जी मुझे अच्छी तरह जानते हैं।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर): महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण लेना चाहता हूं। पहले जो निर्णय लिये जाते थे वे आपके विभाग द्वारा जारी किए मार्गनिर्देशों पर आधारित थे। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या वे मार्गनिर्देश बदल दिए गए हैं।

सभापति महोदय : मंत्री जी ने इसे स्पष्ट कर दिया है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : वह मार्गनिर्देश मंत्रालय के थे और ये भी मंत्रालय के ही हैं। प्रश्न यह है कि नवीनतम कौन से हैं।

श्री एन० के० शेजवलकर : उन्हें ऐन मौके पर ही क्यों बदल दिया गया ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : महोदय, मैंने कारण स्पष्ट कर दिया है। किसी प्रकार, नामतः पार्टी के लिए अथवा अपने लिए अथवा किसी अन्य के लिए, एकत्र करने का कोई प्रश्न नहीं है। जहां तक इस मुद्दे का सवाल है यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अफवाहों के आधार पर इस प्रकार के दोष किसी उत्तरदायी सदस्य द्वारा सदन में लगाये जा रहे हैं।

श्री एन० के० शेजवलकर : यह सब समाचार पत्रों में छपा है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जो कुछ समाचार पत्रों में छपता है वह सदा सच ही नहीं होता। महोदय, अब मैं उरर्वक के प्रश्न पर आता हू।

श्री एन० के० शेजवलकर : क्या आप तरल गैस के बारे मे कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : पटना में 100 रु० में एक सिलेंडर बिकता है, यह बात मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : कहां 100 रु० में बिकता है।

श्री रामावतार शास्त्री : एक इनक्वायरी बैठा दीजिये अगर नहीं साबित हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो आप इस्तीफा दीजिये, आपको आसानी से मिलता होगा, मिलता है, लेकिन मुझे व दूसरे साधारण, लोगों को नहीं मिलता है, पटना के बारे में तो मैं कह सकता हूं। देवी जी ने मुझे चैलेंज किया है इसलिए मैंने कहा है।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : महोदय, जहां तक एल० पी० गैस का सम्बन्ध है मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस गैस की मांग ज्यादा है और उत्पादन कम। आज हमारी उत्पादन क्षमता लगभग 4 लाख मीट्रिक टन है किन्तु विभिन्न हड़तालों, के करण हमें अनेक प्रकार की समस्याओं

का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरणार्थ, हाल ही में कोयली में हड़ताल के कारण काम बन्द कर देना पड़ा और केवल कल ही हड़ताल समाप्त हुई है। 10,000 सिलेंडरों के स्थान में केवल 500 सिलेंडर ही भरे जा रहे हैं। हाल ही में शकूरबस्ती में धीमे कार्य करो प्रक्रिया अपनायी गई जिसके परिणामस्वरूप सप्लाई कम हो गई। इसके बाद बरौनी के बन्द हो जाने के फलस्वरूप बरौनी क्षेत्रों, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में सप्लाई कम रही।

महोदय, मैं इस तथ्य को स्वीकार करता हूं कि बहुत से स्थानों में सिलेंडर तुरन्त उपलब्ध नहीं होते हैं। कभी-कभी इन्हें मिलने में 15 से बीस दिन अथवा एक महीने तक का समय लग जाता है। जैसा कि श्री नवल किशोर शर्मा ने उल्लेख किया है। जयपुर में इसके मिलने में $2\frac{1}{2}$ महीने लग जाते हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह अवश्य कहूंगा कि जहां तक वर्तमान स्थिति का प्रश्न है इसमें सुधार आया है। अब कोई धीमे कार्य करो अभियान अथवा किसी स्थान पर कोई हड़ताल नहीं हो रही है इसके अतिरिक्त मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि कल से उरान संयत्र ने भी उत्पादन शुरू कर दिया है। इसलिए, अब हम वर्ष भर में 4 लाख टन की बजाय मथुरा से और बम्बई हाई से लगभग 9 लाख मीट्रिक टन गैस प्राप्त करेंगे। इस सम्बन्ध में मैं यह भी उल्लेख करूंगा कि मैंने यह अनुदेश जारी किए हैं कि नए उपभोक्ताओं जो प्रतीक्षा सूची में हैं की जरूरतों को पूरा करने से पहले, सप्लाई में जो भी कुछ कमी रहती है पहले उसे पूरा कर लिया जाए। यह अनुदेश मैंने जारी किए है। इसके बाद सप्लाई की कोई कमी नहीं होगी और न ही सप्लाई में कोई देरी होगी। अनधिकृत कनैक्शनों के बारे में, चूंकि इनसे कालाबाजार में वृद्धि होती है, मैंने अनुदेश जारी किए हैं कि उन्हें नियमित कर दिया जाए। इसलिए उन्हें नियमित कर दिया जायेगा। और कोई नया कनैक्शन जारी करने से पहले, हम यह देखेंगे कि हम अपने पुराने उपभोक्ताओं की जरुरतों को पूरी तरह से पूरा कर पा रहे हैं या नहीं, इसे सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही हमने प्रत्येक कम्पनी और प्रत्येक संयंत्र को शिकायत विभाग खोलने के लिए भी कहा है। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा वे शिकायतें करें। जब कभी भी कम सप्लाई अथवा कम वजन, अथवा गैस सिलेंडर में पानी का भरा होना, अथवा इस प्रकार की कोई भी शिकायत हो तो लिखित शिकायत की जाए। हम मन्त्रालय में भी आवश्यक कदम उठा रहे हैं ताकि सिलेंडरों की सप्लाई में कमी और सिलेन्डरों की सप्लाई में देरी आदि की स्थिति में यथासम्भव सुधार लाया जा सके।

श्री एन० के० शेजवलकर : आपकी भविष्य के लिए क्या नीति है। आपने कुछ समय पहले कहा था कि फरवरी से 60,000 कनैक्शन दिये जायेंगे तथा बाद में 1,00,000 कनैक्शन तक बढ़ा दिए जायेंगे। अब आप नए कनैक्शनों के लिए यह कह रहे है कि : कोई नया कनैक्शन नहीं दिया जाएगा, इसलिए, मैं पूछ रहा हूं कि आपकी भविष्य में क्या नीति होगी। अभी तो कह दिया कि नहीं देंगे।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैंने यह नहीं कहा कि हम नहीं देंगे। मैंने ऐसा नहीं कहा।

(व्यवधान)

श्री एन० के० शेजवलकर : यही मुद्दा है जिसे मैंने बहस में उठाया है। यह कोई नया मुद्दा नहीं है। कृपया ध्यान दें।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं इसका उल्लेख करूंगा। मैंने यह नहीं कहा कि हम नहीं देंगे। मैंने जो कहा था वह यह है। मैंने कहा कि प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को कनैक्शन तभी दिए जाएंगे जब पुराने ग्राहकों को नियमित सप्लाई जारी कर दी जायेगी। अब, नए कनैक्शनों के बारे में हम इस स्थिति में हैं कि अब से प्रत्येक महीने एक लाख नए कनैक्शन दिए जायेंगे क्योंकि 'उरान' संयंत्र में उत्पादन शुरू हो गया है और एक लाख की आबादी वाले प्रत्येक नगर में हम गैस एजेंसियां खोलने जा रहे हैं।

श्री जी० एन० बनतावाला : क्या मैं एक मिनट के लिए बाधा डाल सकता हूं अगर आप मुझे अनुमति दें तो ? केरल में मल्लापुरम जिले में एक भी गैस कनैक्शन नहीं है। क्या मैं उनके मामले पर विचार के लिए आपसे अनुरोध कर सकता हूं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैंने इसे नोट कर लिया है। जहां तक उर्वरकों का प्रश्न है।

एक माननीय सदस्य : जैसलमेर के बारे में क्या हुआ ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : यहां अन्वेषण का कार्य इस वर्ष शुरू हो जायेगा।

प्रो० एन० जी० रंगा : यह पाकिस्तान के काफी पास है।

(उपाध्यक्ष महोदय—पीठासीन हुए)

श्री चन्द्रपाल मणि तिवारी (बलरामपुर) : क्या गैस सिलेन्डर्स की कमी इस वक्त पूरी की जा सकती है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैंने कहा की पूरी की जायेगी।

मैंने पहले ही यह स्वीकार किया है कि कुछ कारणों से जो मेरे नोट में तथा मंत्रालय की रिपोर्ट में बताये गए हैं, कभी नेफ्था की सप्लाई में कमी के कारण, कभी कोयले की कमी, कभी विद्युत में कटौती, कमी श्रमिकों की समस्याओं जो कि अक्सर होती रहती हैं और कभी पुराने रूग्ण संयंत्रों के कारण हमारा उत्पादन क्षमता के अनुसार नहीं हो रहा है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि हमारे पास ऐसे उर्वरक संयंत्र नहीं हैं जो अपनी निर्धारित क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, मद्रास उर्वरक संयंत्र अपनी निर्धारित क्षमता का लगभग 90 से 95 प्रतिशत क्षमता तक कार्य कर रहा है। इसलिए हमारे उपकरण और संयंत्र ठीक कार्य कर लेते हैं बशर्ते कि अन्य सभी कारक ठीक हों। यह एक तथ्य है कि जहां तक नाइट्रोजन से उर्वरक बनाने का सम्बन्ध है हमारी उत्पादन क्षमता 45 लाख टन है। किन्तु दुर्भाग्यवश इस वर्ष उत्पादन केवल 22.1 लाख टन था। इसलिए नाइट्रोजन वाले उर्वरक के उत्पादन में काफी गिरावट आई। जहां तक फॉस्फेट युक्त उर्वरक का प्रश्न है कुछ हद तक उत्पादन कम हुआ। किन्तु तब भी नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की तुलना में यह लगभग 8.5 लाख टन था और नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक से यह काफी उत्तम भी है। प्रत्येक संयंत्र पर निगरानी रखने तथा प्रत्येक संयंत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने मंत्रालय में एक सैल खोला है और इस वर्ष हमने लगभग 29 लाख टन नाइट्रोजनयुक्त

उर्वरकों के उत्पादन का लक्ष्य रखा है । किन्तु मेरा यह अथक प्रयास होगा कि 29 लाख टन के बजाय यह लक्ष्य 30 लाख टन निर्धारित किया जाये न केवल निर्धारण के लिए ही बल्कि 30 लाख टन उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए । इसी प्रकार फॉसफोटयुक्त उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि हमें इस तथ्य को जानते हैं कि उरवंकों का उपयोग तीव्र गति से बढ़ रहा है । इसलिए उर्वरक उत्पादन को बढ़ाना होगा । इस बात को मद्देनजर रखकर यह निर्णय लिया गया है कि जहां तक भारत का सम्बन्ध है उर्वरक संयंत्र—मैं फॉसफोटिक उर्वरकों की बात नहीं कर रहा हूं किन्तु नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के बारे में कह रहा हूं—या तो गैस अथवा कोयले पर आधारित होने चाहिए । माननीय सदस्य यह जानते ही होंगे कि, जहां तक बम्बई हाई का सम्बन्ध है हमने छठी योजना अवधि में 10 संयंत्र चालू करने हैं । इनमें से 2 महाराष्ट्र, 2 गुजरात और एक मध्य प्रदेश में खोले जायेंगे जिनके स्थान के बारे में समिति ने अभी निर्णय लेना है और इसे अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, 1 राजस्थान में और 4 उत्तर प्रदेश में खोले जायेंगे । ये सभी 10 संयंत्र बम्बई हाई गैस पर आधारित होंगे ।

हमें उम्मीद है कि छठी योजनावधि में हम फासफोटिक उर्वरक संयंत्र स्थापित कर सकेंगे किन्तु मैं सुखाड़िया जी और व्यास जी को मैं यह आश्वासन देता हूं वि सलादीपुरा और अमरकोटरा के प्रारम्भिक अध्ययनों के परिणाम सितम्बर-अक्टूबर 1981 में उपलब्ध हो जाने का अनुमान है । श्री नवल किशोर शर्मा ने भी वार्षिक प्रतिवेदन में से उद्धरण दिया जिसमें एक रिपोर्ट का हवाला दिया हुआ है जो अभी सरकार के विचाराधीन है । यह प्रारम्भिक प्रतिवेदन था जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है । तत्पश्चात्, पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड से नियमिति प्रतिवेदन तैयार करने को कहा गया था जिससे कि निवेश निर्णय के लिए एक आधार तैयार किया जा सके यह सम्भवतः सितम्बर-अक्तूबर तक उपलब्ध हो जाएगा ।

जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों का संम्बन्ध है, राजस्थान सरकार वहां चट्टानों को अपग्रेड करने के मामले पर कार्यवाही कर रही है और जैसे ही राजस्थान सरकार से हमें इस सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त होगा, इन फास्फेटिक उर्वरक संयंत्रों को स्थापित करने का निर्णय ले लिए जाएगा ।

मूलतः यह सोचा गया था कि हमें एक संयंत्र स्थापित करना चाहिए । लेकिन अब यह स्पष्ट पर दिया गया है कि हम दो संयंत्र स्थापित करेंगे तथा इसकी व्यवस्था छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में कर दी गई है । मैं श्री सुखाड़िया और श्री व्यास तथा श्री वर्मा जी को भी आश्वासन देता हूं कि हम इसके लिए योजना अवधि के अन्तिम वर्ष का इन्तजार नहीं करेंगे । हम इन संयंत्रों को वर्ष 1982 तक पूर्ण कर लेंगे ।

श्री चन्द्रभाल मणि तिवारी : उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में सर्वे आपने कम्पलीट कराया है, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं, एक रिपोर्ट यह आई थी कि जमीन वहां अच्छी नहीं है,

ऊबड़ खाबड़ है, तो मैंने यह सजेस्ट किया था कि वह जमीन प्लेन है, तो क्या आपने फिर उसका सर्वे कराने का सोचा है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैंने अभी बताया कि मेर पास कमेटी की रिपोर्ट आई नहीं है। जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी तब मैं बता सकूंगा कि कौन-कौन सी जगह विचाराधीन है।

एक माननीय सदस्य : महोदय, मध्य प्रदेश में उर्वरक संयंत्र सम्बन्धी स्थिति क्या है।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी संयंत्र भारत में ही स्थित होंगे। आप चिन्ता न करें।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैंने बताया है कि हम स्थान चयन समिति के प्रतिवेदन की प्रतिज्ञा कर रहे हैं तथा राजस्थान के जिसे गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र मिल रहा है, के साथ-साथ मध्य प्रदेश को भी एक संयंत्र मिल जाएगा।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : मध्य प्रदेश में जो गैस वेस्ड प्लान्ट आने वाला है तथा मध्य प्रदेश के लिए किये गये सर्वेक्षण का[कमेटी निर्णय करने वाली है यह कार्य कब तक हो जायगा ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : ये सब सिक्स्थ प्लान के प्रोजेक्ट्स हैं।

श्री सत्यनारायण जटिया : कौन से साल तक हो जायगा ? आप मध्य प्रदेश के हैं इसलिए आप से तो हम कह ही सकते हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : आप कौन से साल में चाहते हैं ?

श्री सत्य नारायण जटिया : यदि इसी साल किया जा सकता हो तो और भी खुशी की बात है। आप की घोषणा का तो हम इंतजार कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी माननीय सदस्य भी कुछ अनुवर्ती कार्यवाही करेंगे। आपको मंत्री जी से प्राय: समय-समय पर सम्पर्क बनाए रखना होगा।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : महोदय, काकीनाड़ा संयंत्र के सम्बन्ध में मैं बता दूं कि हम आन्ध्र प्रदेश सरकार से पत्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जैसे ही उनसे वह पत्र तथा तकनीकी परामर्श दाताओं के स्थानान्तरण सम्बन्धी पत्र मिलेगा, हम उस पर गम्भीरता से विचार करेंगे तथा कीमतों को स्थिर बनाने के प्रश्न पर भी विचार किया जाएगा।

एक माननीय सदस्य : केन्द्रीय सरकार की ओर से इसमें भाग लेने सम्बन्धी स्थिति क्या है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जी नहीं, वह संयंत्र राज्य सरकार का है।

राज्य सरकार को यह छूट है कि वह जिसके साथ भी चाहे भाग ले सकती है।

प्रो० एन० जी० रंगा : महोदय, इसके मुख्यालय के सम्बन्ध में स्थिति क्या है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : यदि वहाँ तेल निकल आता है तब ।

मैं इस प्रश्न पर काफी पहले बोल चुका हूं ।

प्रो० एन० जी० रंगा : कोई बात नहीं । आप अभी भी वहीं तो हैं ।

एक माननीय सदस्य : पैट्रोल तथा डीजल की कीमतें कम करने सम्बन्धी स्थिति क्या है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : माननीय सदस्य इसे जानते है । वह हमेशा से हमारा समर्थक रहा है ।

एक माननीय सदस्य : मैं इसका समर्थन करता हूं । लेकिन सरकार ने कीमत को कम करने अथवा उसे स्थिर रखने के लिए क्या कदम उठाए हैं । संसद सदस्य होने पर भी हम एक कार तक नहीं रख सकते । हम चाहते हैं कि इस दिशा में कुछ किया जाए ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : दुर्भाग्य से कीमतों सम्बन्धी निर्णय हमारे हाथ में नहीं है। जब भी आपके (तेल तथा पैट्रोलियम निर्यातक देश) कीमतों में वृद्धि करते हैं तो, दुर्भाग्य से, हमें भी वृद्धि करनी पड़ती है ।

उर्वरक के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों श्री हरिकेश बहादुर तथा श्री उन्नीकृष्णन ने थाल-वैशट का हवाला दिया है । महोदय, जहां तक थाल-वैशट का सम्बन्ध है, मैंने बहस के दौरान ध्यान दिलाया था कि यह सच है कि पिछली सरकार द्वारा नियुक्ती की गई तकनीकी समिति ने सी. एफ. ब्राऊन के हक में सिफारिश की थी । लेकिन. महोदय, जब हम सत्ता में आए तो इस पूर्ण समस्या की जांच करने के लिए मंत्रियों की एक समिति नियुक्त की गई थी । हमने इस समस्या की जांच की और पता चला, जैसे कि मैंने मुद्दों के नाम बताए हैं, कि अनेक कारणों से तथा उन संदेहों के कारण जिनके बारे में श्री हरिकेश बहादुर बात कर रहे हैं, अर्थात 950 करोड़ रुपये की परियोजना में 9 करोड़ से कुछ अधिक धनराशि का अवैध भुगतान किए जाने सम्बन्धी संदेहों के कारण हमें अत्यधिक संदेह थे कि इस मामले में काफी अवैध भुगतान किए गए हैं । अत: हमें उस संदेह तथा मैंने सभा के सम्मुख जो अन्य बातें रखी हैं । उन सभी पर ध्यान देना था । वे इस प्रकार हैं : ब्राऊन टेकनालोजी एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी थी जहां से और आगे प्रगति की कोई आशा नहीं थी; ब्राऊन संस्था को एक तेल कम्पनी ने अपने अधिकार में ले लिया था तथा अब उनकी मुख्य रुचि तेल में थी, उर्वरक में नहीं थी; ब्राऊन को भारत में काम करने का अनुभव नहीं है; टकनालोजी के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में, जो शर्तें ब्राऊन रख रहा था वे सुस्पष्ट नहीं थी वरन् वे अत्यधिक शर्तें रख रहे थे; साथ ही, वे टकनालोजी का स्थानान्तरण करने के लिए केवल तब तैयार थे जब उन्हें सभी चार सयंत्र दे दिए जाते ।

जहां तक विश्व बैंक का प्रश्न है, मुझे उनके निर्णय पर खेद है । लेकिन मैं यह बता दूं कि कुछ कम्पनियों का चयन किया गया था; और केलॉग तथा टॉपोज उन छह कम्पनियों में से थी जिनका चयन किया गया था । और विश्व बैंक को इसके बारे में पूर्णत: अवगत करा दिया गया था । और इसलिए यदि विश्व बैंक ने कोई निर्णय लिया था तो मैं नहीं जानता कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया । उन्होंने थाल वैशट परियोजना को धन न देने का निर्णय लिया है । हमारे दल द्वारा विश्व बैंक का दौरा करने के उपरान्त तथा मैकनमारा के दौरे के बाद, हमें हजीरा सयंत्र के

लिए पहले की अपेक्षा बहुत बड़ी सहायता मिलने की संभावना है। अत: यह इस वास्तविकता की ओर संकेत है कि थाल वैशट के सम्बन्ध में यह निर्णय केवल बैंक का था; और भविष्य की किसी परियोजना के सम्बन्ध में—हजीरा परियोजना के सम्बन्ध में—वे किसी भी सीमा तक हमें वित्तीय सहायता देने के लिए तैयार हैं।

अत: ये बहादुर लोग कैसे कहते है कि वे जांच से नहीं डरते ? जब किन्हीं सरकारी कागजात का रहस्योद्घाटन हो जाए तो किसी भी सरकार के लिए, चाहे वह यह सरकार हो या कोई अन्य सरकार हो, यह स्वाभाविक है कि वह रहस्योद्घाटन के मामले पर कार्यवाही करेगी, और यदि किसी सरकारी प्रणाली को सुचारू बनाना है तो उस सरकार को यह मालूम करना होगा कि रहस्योद्घाटन कैसे हुआ है। इसलिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच पड़ताल करने का आदेश दिया गया है। माननीय सदस्य यह ऐसा क्यों सोचते हैं कि केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की जाँच पड़ताल से उन पर प्रभाव पड़ेगा, तथा यह कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो अनधिकार चेष्टा करेगा···।

श्री हरिकेश बहादुर : सरकार की एक मशीनरी से क्या हम पूरी सरकार से ही नहीं घबराते। वास्तव में, देश में कोई सरकार ही नहीं है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : हम ऐसी भाषा बोलने के आदी नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बहादुर, क्या आप यह स्वीकार करते हैं कि आप एक संसद सदस्य हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं केवल आश्वासन दिला सकता हूं कि टोपीज अथवा पुलमैन केलोग द्वारा किसी प्रकार का अवैध भुगतान करने का कोई प्रश्न नहीं हैं। यदि उससे पहले किसी प्रकार का कोई अवैध भुगतान किया गया है—अन्य कम्पनी की ओर से—तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो उसकी जांच कर रहा है; तथा वह ब्यूरो कागजात के बाहर चले जाने की प्रक्रिया के माध्यम से जांच कर रहा है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हो सकता है कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया जाए है अथवा न किया जाए। मैं कुछ नहीं कह सकता। अत: यह मान लेना······ (व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर : हमें चाहे गिरफ्तार कर लिया जाए; लेकिन हम किसी मंत्री के पांव नहीं पड़ेंगे। (व्यवधान)। वे कोई मामला गढ़ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरिकेश बहादुर, आप खड़े क्यों होते हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : उसे अपने अथवा अपने मालिक के बारे में काल्पनिक भय है।

श्री हरिकेश बहादुर : मुझे न तो अपने बारे में और न ही अपने मालिक के बारे में भय है।

श्री एन. के. शेजवलकर : मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इस परिवर्तन से हमें कोई हानि हो रही है। मैंने कहा था कि हमें हर वर्ष 55 करोड़ रुपये की हानि हो रही है। क्या यह सच है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : हमने इस तथ्य की जांच की है। हमें जो टकनालोजी प्रदान की गई है उसे देखते हुए जहां तक ऊर्जा की खपत का सम्बन्ध है, धन की किसी प्रकार की हानि होने का कोई प्रश्न नहीं है। निस्संदेह, हानि इस कारण हुई है कि परियोजना को चालू करने में विलम्ब हुआ है। और परियोजना में विलम्ब होने के कारण कीमतों में भी वृद्धि हुई है। इसे छोड़कर, और कोई आवर्ति हानियां होने वाली नहीं है और हमने उस मामले में गहराई से जांच करली है। अतः मैं यह कहूंगा कि काल्पनिक भय के आधार पर अथवा काल्पनिक राजनैतिक अनुमानों के आधार पर ऐसा कुछ भी कहा अथवा किया जाना चाहिए जिससे इस सरकार का अथवा किसी पिछली सरकार की प्रतिष्ठा को अनावश्यक हानि हो। इसलिए हमें यथा स्थिति चलना चाहिए। यदि कुछेक माननीय सदस्यों ने कतिपय प्रश्न रखे हैं अथवा कतिपय सदस्यों ने कुछ मुद्दे उठाए हैं तो वे ऐसा करने में स्वतन्त्र हैं; और इसका अभिप्राय यह नहीं कि उनके विरुद्ध जांच प्रारम्भ की गई है। जांच तो रहस्योद्घाटन के विरुद्ध है, और यदि वे इस रहस्योद्घाटन में शामिल नहीं हैं तो उन्हें किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए थाल वैशट के सम्बन्ध हैं मुझे इससे अधिक कुछ नहीं कहना है। (व्यवधान)

श्री बापूसाहिब परूलेकर : माननीय मंत्री बार-बार यह कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति हों उन्हें घबराना नहीं चाहिए। मैं उनका ध्यान विद्वान सैशन जज, दिल्ली के उस निर्णय की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने स्पष्टतः उल्लेख किया है कि श्री उन्नीकृष्णन तथा अन्य संसद सदस्यों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पूछताछ की जानी चाहिए और आपके सरकारी अभियोजक ने कहा है कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। यही आंशका है। आप कृपया इसे नोट करें। यह कोई अन्य आंशका नहीं है। आप निर्णय को पढ़े।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : एक संसद सदस्य के रूप मेरी केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने न केवल पूछताछ ही की बल्कि अनेक बार गिरफ्तार भी किया। आप इससे भयभीत क्यो हैं? केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मुझे अनेक बार गिरफ्तार किया है और उन्होंने मेरे घर की तलाशी भी ली थी। उन्होंने 12 घंटे तक मेरी पूछताछ की। आपको डर क्यों है।

हरिकेश बहादुर : जो कुछ आपने सभा में कहा था आपकी पूछताछ उन्होंने उस आधार पर नहीं की। उन्होंने आपकी पूछताछ इसलिए की क्योंकि आपने कोई गलत काम किया था।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : नहीं, नहीं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कोई आपके विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकता। आपको उन्मुक्ति प्राप्त हैं। आप बोल सकते हैं। किसी भी सरकार के कुछ मानदण्ड होते हैं। हम आशा करते हैं कि हर सरकार के पास वे मानदण्ड हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : हमारे मानदण्ड हैं और हम विपक्षी दल को सता नहीं रहे हैं जैसा कि उन्होंने अपने शासन में हमें बहुत सताया है। जहाँ तक नए मुद्दों का सम्बन्ध है, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जहा कहीं भी पेट्रोल पम्प अथवा

डीजल पम्प की मांग की गई है अथवा सुझाव दिया गया है, वहाँ हम उस जरूरत की जाच पड़ताल स्वयं करेंगे; और यदि नए पैट्रोल पम्प का खोला जाना है और स्थानीय जरूरतें पूरी होती हैं तो हम निश्चिय ही ऐसे पैट्रोल पम्प खोलेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह राजस्थान-दिवस है ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : माननीय सदस्य श्री पटेल ने कच्चे तेल की रायल्टी का प्रश्न उठाया है । कच्चे तेल की रायल्टी के सम्बन्ध में मैं यह बता दूं कि सरकार ने कच्चे तेल के देशी उत्पाद पर देय रायल्टी की दर 1 अप्रैल से, 42 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति टन करने का निर्णय किया है यद्यपि, अधिनियम के अनुसार, हम । अप्रैल से नहीं दे सकते थे । यह सितम्बर और उससे बाद देय था, लेकिन मंत्रिमण्डल ने अप्रैल से देने का निर्णय किया है ताकि राज्य सरकारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । इस सम्बन्ध में मैं यह भी बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार से परामर्श करने का प्रश्न उठाया गया था । मैं यह बता दूं कि असम तथा गुजरात सरकारों ने इस सम्बन्ध में एक विस्तृत ज्ञापन भेजा है इन दरों को नियत करने से पूर्व उस ज्ञापन पर पूर्णतः विचार किया गया था । मैं यह भी बता दूं कि वर्तमान अधिनियम के अनुसार, सरकार तेल क्षेत्रों अथवा तेल के कुओं के मुहानों पर खनिज तेल के बिक्री मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक दर पर रायल्टी निर्धारित नहीं कर सकती । अब, कच्चे तेल के वर्तमान 305 रुपये प्रतिटन के मूल्य पर देय रायल्टी की अधिकतम दर के अनुसार, यह दर 61.08 प्रतिशत बैठती है, जोकि दी गई है । लेकिन कठिनाई यह है कि गुजरात राज्य की मांग सम्भवतः यह थी कि उन्हें कच्चे तेल के 'ओपेक' मूल्य पर पर 20 प्रतिशत दिया जाना चाहिए । यह अनुचित है क्योंकि जो तेल हम ले रहे हैं उसके आधार पर भारतीय तेल अथवा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को जो भी मूल्य दिया जाता है हम रायल्टी उसी के आधार पर दे सकते हैं, न कि 'ओपेक' के मूल्यों पर ।

एक माननीय सदस्य : यह कृत्रिम मूल्य है ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : यह कृत्रिम मूल्य नहीं है । यह वह मूल्य है जिस पर हम उत्पादन कर रहे हैं और यह सामुहिक-मूल्य है जिस पर हम आपूर्ति कर रहे हैं (व्यवधान) लेकिन यह स्थायी नहीं है । इसे संशोधित किया जा सकता है ।

औषधियों के सम्बन्ध में मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा क्योंकि मेरे मित्र श्री सिंह ने अन्य मुद्दों पर प्रकाश डाला है । मैं केवल यही बताना चाहूंगा कि औषधियों के सम्बन्ध में हम··· (व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा : इससे पहले कि आप अगले मुद्दे पर चर्चा करें, मैं गोदावरी घाटी अन्वेषण के मुख्यालय का प्रश्न उठाना चाहता हूं मैंने एक पत्र लिखा था ।

श्री प्रकाश चन्द सेठी : आपने लिखा है । मुझे प्राप्त हो गया है ।

प्रो० एन० जी० रंगा : मैंने पत्र यह बताने के लिए लिखा था कि काकीनाडा, राजामुन्द्री अथवा विजग इसका मुख्यालय होना चाहिए ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इस समय वे मद्रास से कार्य कर रहे हैं। लेकिन, जैसे ही हम इस कार्य का विस्तार करने की स्थिति में पहुँचेंगे, हम इनमें से किसी भी स्थान के मामले पर विचार करेंगे कि क्या वे स्थान उपयुक्त हैं अथवा नहीं।

श्री दास ने औषध के विषय पर चर्चा करते समय डे-से-कैम लिमिटेड तथा उनके वर्क्स यूनिट के अभ्यावेदनों के बारे में जिक्र किया था। जहाँ इस कम्पनी की मौजूदा हालत का सवाल है, बंगाल के माननीय सदस्य को यह मालूम होगा कि हमने उनकी दो कम्पनियों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है। हमें डे-से-कैम के वर्कर्स तथा कई माननीय सदस्यों से शिकायतें मिली हैं और हाल ही में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भी इस यूनिट को फिर से चालू करने के बारे में विभिन्न सुझाव दिये हैं। हम इन सब पर बड़ी गम्भीरता से विचार कर रहे हैं और यदि इस यूनिट को फिर से चालू करने के बारे में कुछ किया जा सकता होगा तभी इस यूनिट का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने अथवा इसका राष्ट्रीयकरण करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री रेणुपद दास (कृषनगर) : किन्तु अब कार्य ठप्प पड़ा है। केन्द्र सरकार कम्पनी को अपने हाथ में ले सकती है और वह उसका राष्ट्रीयकरण कर उसको आई० डी० पी० एल० अथवा स्मिथ स्टैनिस्ट्रिट कं० लि० कलकत्ता की यूनिट अथवा एक पृथक निर्माण एकक बना सकती है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : हमारा अनुभव रहा है कि जब कभी भी कोई कम्पनी हमने अपने हाथ में ली है आखिर में जाकर हमें उसका राष्ट्रीयकरण करना पड़ा है। कम्पनी का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेने भर से समस्या हल नहीं होती।

मथुरा के माननीय श्री सिंह ने मथुरा रिफाइनरी का प्रश्न उठाया था और उन्होंने उसमें वहाँ के रहने वाले लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। इस सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि सबसे पहले तो उन्होंने यह शिकायत की थी कि हालाकि वह संसद सदस्य हैं लेकिन फिर भी उनको मथुरा रिफाइनरी के परिसर में जाने नहीं दिया जाता। मैंने इस आशय के अनुदेश जारी कर दिये हैं कि कोई भी संसद सदस्य जो किसी उपक्रम आदि (कम्पलैक्स) को देखना चाहे वह उसको देख सकता है और इसलिए मैं आशा करता हूं कि भविष्य में जब कभी वह वहाँ जाना चाहेंगे, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी।

जहां तक वहां के लोगों को उसमें रोजगार देने का सम्बन्ध है, मैं यह कहूंगा कि ऐसे 396 परिवार मथुरा में हैं जिनसे कि जमीन ली गई है, उनमें से 42 व्यक्तियों को मथुरा रिफाइनरी में नियमित नौकरियां दे दी गई हैं। 32 और व्यक्तियों को नियुयित के प्रस्ताव भेजे गये हैं। भारतीय तेल कम्पनी में अनुदानों की सहायता से प्रशिक्षण स्कीमें शुरू की गई हैं और 74 लड़के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। हो सकता है कि उनका आशय केवल मथुरा के स्थानीय लोगों को रोजगार देने से हो। दफ्तर रोजगार में उत्तर प्रदेश में कहीं के भी लड़कों के नाम भेज सकता है। वे सब ही वहां रोजगार प्राप्त करने का हक रखते हैं। अतः भारत सरकार के परिपत्र के अनुसार 800 रु० तक के

वेतनमान वाले पदों पर स्थानीय लोगों की नियुक्ति की जानी चाहिए। स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर दिये गये हैं। उनको वरीयता दी जा रही है और दी जाती रहेगी। जब रिफाइनरी चालू हो जायेगी तो जिन परिवारों की भूमि इस हेतु ली गई है, उन पर अवश्य विचार किया जायेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जायेगा। किन्तु यह सत्य है और मेरा यह अनुभव है कि कभी-कभी बाहर बहुत से लोग भी रोजगार दफ्तरों में अपना नाम दर्ज करा लेते हैं। अत: यदि रोजगार दफ्तरों के जरिये उनके नाम आते हैं, तो हम उसको नहीं रोक सकते।

प्रो० एन० जी० रंगा : कृपया यह न कहें कि आप इसे नहीं रोक सकते। कृपया आप इस पर गौर फरमायें।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : हम तो राज्य सरकारों से इस पर गौर करने के लिए ही कह सकते हैं।

श्री रेणुपद दास : हल्दिया पैट्रोकैमिकल कम्पलैक्स के बारे में आपका क्या कहना है? महोदय, पश्चिम बंगाल सरकार ने हल्दिया पैट्रोकैमिकल कम्पलैक्स स्थापित करने के बारे में पक्का प्रस्ताव किया है। इस विषय पर मंत्री महोदय को साफ शब्दों में कुछ कहना चाहिये ताकि पश्चिम बंगाल की शंका दूर हो।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहाँ तक हल्दिया में पैट्रोकैमिकल कम्पलैक्स का सवाल है, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमने पश्चिम बंगाल सरकार को एक आशय पत्र दिया है। अब उसको औद्योगिक लायसेंस में परिवर्तित करने का प्रश्न विचाराधीन है। इसी बीच उद्योग मंत्री श्री भट्टाचार्य तथा मुख्य मंत्री के साथ हमारी बातचीत हुई और अब यह हो सकता है कि पश्चिम बंगाल सरकार यह कहे कि इस पैट्रोकैमिकल कम्पलैक्स को संयुक्त क्षेत्रीय परियोजना के रूप में शुरू किया जाये। उस स्थिति में 40 प्रतिशत शेयर केन्द्र सरकार लेगी, 40 प्रतिशत पश्चिम बंगाल सरकार तथा 20 प्रतिशत सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं। इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री रेणुपद दास : क्या आई० सी० पी० एल० भी हल्दिया कम्पलैक्स में शामिल होगा?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : हम यह निश्चय करेंगे कि आई० पी० सी० एल० इसके शेयर ले या भारत सरकार की कोई और एजेन्सी। अभी उन चीजों पर हमने गौर नहीं किया है।

जहां तक गुजरात पैट्रोकैमिकल कम्पलैक्स का सम्बन्ध है, गुजरात राज्य अपने स्टेट सैक्टर में एक पैट्रोकैमिकल कम्पलैक्स लगाने का बड़ा इच्छुक है। इस मामले में भी हम राज्य सरकार से सम्पर्क बनाये हुए हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इसको केन्द्र सरकार के साथ संयुक्त क्षेत्र में लगाना ज्यादा वांछनीय तथा व्यावहारिक होगा। हम उनसे सम्पर्क बनाये हुए हैं और आशा है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई निर्णय ले लिया जायेगा।

जहां तक अन्य पैट्रोकैमिकल कम्पलैक्सों का सम्बन्ध है, सरकार ने महाराष्ट्र में एक गैस-क्रैकर कम्पलैक्स, गुजरात में एक गैस क्रैकर कम्पलैक्स तथा इत्र निकालने वाले सयन्त्र लगाने के लिए स्थान चयन समितियां नियुक्त की थीं। इन समितियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं।

समितियों ने निम्नलिखित स्थानों की सिफारिश की है : कि गैस क्रैकर कम्पलैक्स महाराष्ट्र के उसार नामक स्थान पर; एक गैस क्रैकर कम्पलैक्स गुजरात के करवास नामक स्थान पर; एक इत्र निकालने वाला संयत्र उत्तर प्रदेश में सलीमपुर नामक स्थान पर; एक इत्र निकालने वाला संयंत्र कोचीन में तथा एक महाराष्ट्र के उसार नामक स्थान पर। अब इन स्थानों के बारे में विज्ञान तथा तकनालाजी विभाग की औद्योगिक मूल्यांकन समिति ने पर्यावरण की दृष्टि से विचार किया है। सरकार ने भी इस पर विचार किया है और इनको स्वीकार कर लिया है। जैसा कि मैंने अभी-अभी कहा, हल्दिया में एक गैस क्रैकर पैट्रोकैमिकल कम्पलैक्स लगाने के प्रस्ताव पर पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम तथा सरकार के परामर्श से अलग से विचार किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में सरकार पश्चिम बंगाल सरकार तथा गुजरात सरकार से भी निकट सम्पर्क बनाये हुए है।

यद्यपि असम-बोंगई गांव में रिफाइनरी-एवम्-पैट्रोकैमिकल कम्पलैक्स के कई चरण पूर्ण हो चुके हैं लेकिन और चरणों पर कार्य चल रहा है।

सरकार ने इत्र परियोजनाओं सम्बन्धी स्थान चयन समिति की यह सिफारिश भी स्वीकार कर ली है कि बिहार में एक बड़ा पैट्रोकैमिकल संयंत्र लगाया जा सकता है।

ऐसे प्रमुख सहायक एकक जिनमें प्रत्येक के हिसाब से 50 करोड़ रु० से खासा अधिक धन लगाया जायेगा, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश में मुरैना नामक स्थान पर भी लगाने का विचार है। ये सारी परियोजनाएं सारे देश में हजारों लघु तथा मध्यम स्तर के एकक स्थापित करने में सहायक होंगी।

मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार समिति तथा पर्यावरण आयोजना तथा समन्वय समिति स्थापित करने का फैसला कर लिया गया है।

एक माननीय सदस्य : लवराज समिति के पाइप लाइन सम्बन्धी सुझाव का क्या हुआ ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : वह स्वीकार कर लिया गया है।

श्री रेणुपद दास : हिन्दुस्तान फार्टिलाइजर्स, कारपोरेशन का मुख्यालय कलकत्ता में बनाने के बारे में क्या निर्णय हुआ, महोदय एच० पी० सी० का मुख्यालय दिल्ली से कलकत्ता ले जाने के कई कारण हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : स्थान के बारे में मैं बिना सोचे समझे कुछ नहीं कह सकता। मैं इस विषय पर माननीय सदस्य के साथ अलग विचार-विमर्श कर सकता हूं। इन शब्दों के साथ मैं आपका तथा समय का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभा सहमत हो, तो मैं सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ रखता हूं।

(उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 69 से 71 के लिए कार्य सूची के स्तम्भ में दर्शाये गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ में 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक लेखा-नुदान राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के सम्बन्ध में 1981-82 वर्ष की अनुधकों की निम्नलिखित माँगों का लोक-सभा द्वारा स्वीकृत किया गया।

माग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए पेश किये जाने वाले लेखानुदान में मांग की रकम	
1	2	3	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
69.	पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय	19,39,000	
70.	पैट्रोलियम और पैट्रो-रसायन उद्योग	17,06,52,000	34,09,69,000
71.	रसायन और उर्वरक उद्योग	74,15,17,000	47,48,01,000

(2) संचार मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा संचार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 14 से 18 पर चर्चा तथा मतदान करेगी। इस हेतु चार घंटे का समय नियत किया गया है।

जिन माननीय सदस्यों के मांग संबंधी कटौती प्रस्ताव परिचालित कर दिए गए हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें तो, वे 15 मिनट के अन्दर इस आशय की चर्चा सभा पटल पर भेज दें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या बताई गई है जिनको वे प्रस्तुत करना चाहें। उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया समझा जाएगा।

प्रस्तुत किए समझे गए कटौती प्रस्तावों की क्रय संख्या दर्शाने वाली सूची सूचना पट पर शीघ्र ही लगा दी जायेगी। यदि कई सक्षम इस सूची में कोई असंगत पायें तो वह उसको अविलम्ब सभा पटल अधिकारी की जानकारी में लाने की कृपा करें।

श्री सुशील भट्टाचार्य (बर्दवान) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में मैं आपका ध्यान संचार विभाग में प्रशासनिक ढांचे के एक बहुत बड़े रूप की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। 1947 में मद्रास राज्य में केवल एक पोस्टमास्टर जनरल हुआ करता था। अब तमिलनाडु में 2 पोस्टमास्टर जेनरल और ये जी० एम० (दूरसंचार) हैं। आन्ध्रप्रदेश में 2 पोस्टमास्टर जनरल और 2 जी० एम० (दूरसंचार) है। केरल में एक पोस्टमास्टर जनरल और 2 जी० एम० (दूरसंचार) हैं। कर्नाटक में एक पोस्टमास्टर जनरल और 2 जी० एम० (दूरसचार) हैं। हाल ही में कर्नाटक में एक और पोस्टमास्टर जनरल की मंजूरी दी गई है। इस प्रकार यह संख्या 1 से बढ़कर 19 हो गई है। 1 पोस्टमास्टर जनरल की जगह अब 19 पोस्टमास्टर जनरल तथा जनरल मैनेजर (दूर-संचार) है। यद्यपि अन्य राज्यों में यह अनुपात इतना अधिक नहीं है, कुल मिलाकर उच्च अधिकारियों के अनुपात में अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों की अपेक्षा बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

अब मैं टेलीफोनों को लेता हूं। इस वर्ष से टेलीफोन प्रभार बढ़ा दिए गए हैं। अतः मैं इस तथ्य को उजागर करना चाहूंगा कि टेलीफोन सेवा की हालत बड़ी खराब है। टेलीफोन कई महीनों तक खराब पड़ा रहता है—और जब वह चालू भी होता है, तो भी गलत नम्बर मिलते रहते हैं। और जब हम ट्रंककाल अथवा पूछताछ या फोनोंग्राम के लिए टेलीफोन करते हैं, तो हमें 5 से 10 मिनट तक दूसरी ओर उत्तर का इन्तजार करना पड़ता है। फर्जी बिलों की तादाद में दिन-दूनी रात-चौगुनी वृद्धि हो रही है और इस संबंध में कोई सुनवाई कठिन है।

जहां तक एस० टी० डी० बिलों का संबंध है, मंत्रालय पृथक बिल की व्यवस्था क्यों नहीं करता। जैसाकि फोनोग्राम और ट्रंक-काल के बिल जाते हैं। जहां तक बिलों के भुगतान का संबंध है। मुख्यालय में घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता है, तब जाकर उनका भुगतान कोई कर पाता है। यदि आप किसी दिन ईस्टर्न कोर्ट जायें तो आप बिलों का भुगतान करने के लिए लोगों को घंटों इन्तजार करते पायेंगे। यह हालत है टेलीफोन सेवा की।

जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा का विस्तार करने का संबंध है, भारत सरकार अब गांवों में नये सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने को हतोत्साहित कर रही है। क्या यह सच है कि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दूर-संचार विभाग शाखा डाकघरों को अपना देय अन्शदान देने के लिए तैयार नहीं है? क्या मंत्री महोदय इस मामले की जांच करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि टेलीफोन सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में भी विस्तार किया जाए?

जहां तक तारों का सम्बन्ध है, इस समय उन्हें साधारण डाक से भेजा जाता है। यद्यपि तारों पर सरकार लिफाफों की तुलना में दस गुना अधिक शुल्क वसूल कर रही है, परन्तु फिर भी वह उन्हें साधारण डाक से भेज रहे हैं। ऐसे मामले में तारों पर लोगों को इतना ज्यादा पैसा खर्च करने का क्या लाभ है? क्या यह ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी नहीं है?

इन अनियमितताओं के लिए और तार विभाग में विलंब के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इसका कारण कर्मचारियों की अक्षमता है अथवा इस कारण का मूल किसी और जगह पर है? इसका कारण त्रुटिपूर्ण उपकरण, दोषपूर्ण तंत्र, कर्मचारियों की कमी और उच्च स्तर पर

भ्रष्टाचार है ? मन्त्री महोदय की नाक के ठीक नीचे, एक वर्ष पहले संचार भवन में कई लाख रुपये मूल्य का कुछ टन तार पाया गया था जिसके बारे में यह बताया गया था कि वह भंडार में उपलब्ध ही नहीं है। हालांकि इस बारे में विभागीय जांच की गई थी, उसके बाद अधिकारी शांत हो गए। उन्हें किसने शांत किया ? क्या मन्त्री महोदय इस चुप्पी के कारण के बारे में जांच करेंगे।

डाक सामग्री के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह देखा गया है कि हर दूसरे या तीसरे साल सरकार डाक सामग्री पर शुल्क बढ़ाती रही है। लेकिन जब आप डाकखाने में जाते हैं तो डाक लेखन सामग्री को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। गांवों में स्थित डाकघरों या कस्बे के डाकघरों की तो बात ही छोड़ दीजिए, महानगरों में स्थित डाकघरों में भी प्रायः ऐसा होता रहता है कि हमें डाक लेखन सामग्री नहीं मिलती और उसके बिना ही हमें वापस खाली हाथ आना पड़ता है।

जहां तक ग्रामीण डाकघरों को खोलने का संबन्ध है, उनको खोले जाने की गति में कमी आई है। जनवरी 1981 में प्रकाशित "डाक तार" के अनुसार, वर्ष 1979-80 में खोले गए ग्रामीण डाकघरों की संख्या 5,579 थी, जबकि उक्त वर्ष के दौरान केवल 1,366 की ही वृद्धि हुई, जिसका अर्थ यह है कि केवल 25 प्रतिशत वृद्धि हुई। मुझे नहीं मालूम कि इस वर्ष इस खराब कार्य निष्पादन के लिए क्या बाधाएं सामने आ गई थीं।

पत्र प्रेषिती के पास बहुत विलम्ब से पहुंचते हैं। यदि हम कारण का पता लगाने का प्रयास करते हैं, तो हमें पता चलता है कि यह मुख्यतया कर्मचारियों और वाहनों की वजह से है। कलकत्ता में जहाँ उन्हें कम से कम 40 वाहनों की आवश्यकता है, उनके पास केवल 4 वाहन हैं। यह तो स्थिति है। लेकिन उच्च अधिकारी सामान्यतया कर्मचारियों को ही दोष देते हैं। लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि डाक तार विभाग में लगभग 17 प्रतिशत कर्मचारियों की कमी है। इस विभाग के बारे में यह स्थिति है।

अब मैं भवनों की स्थिति के बारे में उल्लेख करना चाहूँगा। आवासस्थिति के बारे में जहाँ तक कार्यालयों का संबंध है, डाक विभाग के पास लगभग 22,350 इमारतों में कार्यालय हैं, उनमें से केवल 2,727 डाक घर ही विभागीय भवनों में स्थित हैं। बाकी डाकघर; जिनकी संख्या 19,578 हैं, किराये के भवनों में स्थित है और सरकार उनके लिए किराये के रूप में प्रति वर्ष 2.71 करोड़ रुपये का भुगतान कर रही है। अनेक मामलों में जिनमे मकान मालिकों ने भवनों की सीधी खरीद का प्रस्ताव किया है, उन मामलों में सामान्यतया यह पाया गया है कि अधिकारियों ने ऐसे सौदे से बचने की कोशिश की है। इसके कारण तो उन्हें ही पता होंगे।

जहां तक कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का सम्बन्ध है, इस समय कुल कर्मचारियों में से, जिनकी संख्या लगभग 5 लाख है, केवल 5 प्रतिशत कर्मचारियों को ही क्वार्टरों की सुविधा प्राप्त है और इस बारे में गठित की गई एक विभागीय समिति ने यह सिफारिश की थी कि वर्ष 1998 तक एक चरणबद्ध तरीके से 30 प्रतिशत क्वार्टर उपलब्ध किए जायें, परन्तु योजना आयोग ने

केवल 14.50 करोड़ रुपये की राशि देने का प्रस्ताव किया है जिससे वर्ष 1983 तक केवल लगभग 5479 क्वार्टरों का ही निर्माण हो सकता है और यह 5479 क्वार्टर डाक तार विभाग के कुल कर्मचारियों के लगभग 1 प्रतिशत कर्मचारियों को ही उपलब्ध हो सकेंगे।

संचार मंत्रालय, जिसमें रेल विभाग के बाद सबसे अधिक कर्मचारी हैं, योजना आयोग की समन्वय समिति का सदस्य नहीं है। जब शिक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय और अन्य विभाग के प्रतिनिधि योजना आयोग की समन्वय समिति में शामिल है, फिर संचार मंत्रालय पर ही भाग लेने से क्यों रोक लगायी गयी है अथवा इस समन्वय समिति में उसे प्रतिनिधित्व देने से क्यों वंचित किया गया है?

कर्मचारियों की सुविधाओं के बारे में मैं यह कह सकता हूं कि सभी प्रकार की सुविधाओं से कर्मचारियों को पूर्णतः वंचित रखा गया है, जिसका अर्थ यह है कि इससे कर्मचारियों की कार्यकुशलता में बाधा पहुँचती है और ग्राहक की संतुष्टि भी कम होती है, जो कर्मचारियों के असंतोष का मुख्य कारण है, जबकि यदि हम अधिकारियों के कमरों की तुलना करें तो यह पाते हैं कि उनके कार्यालय पूरी तरह मुसज्जित हैं उनमें बढ़िया फर्नीचर हैं, पूरे कमरों में कालीन बिछे हुए हैं और लगभग 15 हजार रुपये मूल्य के सोफा सैट्स हैं और टेलीफोन भी लगे हुए हैं। कितना अन्तर्विरोध है? डाक तार कर्मचारियों की हमें सराहना करनी चाहिए कि उच्चअधिकारियों के विपुल वैभव के भद्दे प्रदर्शन के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह नहीं किया है।

डाक तार विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की क्या हालत है। वे गुलामों की तरह काम करते हैं, वे सुबह आते हैं काम करते हैं और कार्यालय को बंद करते हैं और घर वापस चले जाते हैं। दिन प्रतिदिन उन्हें अपना दायित्व निभाना पड़ता है। मैं अनेकों उदाहरणों का उल्लेख कर सकता हूँ। ऐसे अनेक मामले हैं, जिनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और डाकियों के पदों की संख्या में वर्ष 1964 से वृद्धि नहीं की गई है जबकि अधीक्षकों के पदों की संख्या में अत्यधिक उदारता से वृद्धि की गई है और अधिक संख्या में मुख्य डाकघरों को मंजूरी दे दी गई है लेकिन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पदों को मंजूरी नहीं दी गई। यह स्थिति है।

विभागेतर एजेंटों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। उन्हें 108 रुपये से 132 रुपये प्रतिमाह की मामूली राशि मिलती है। अभी हाल ही में, एक सरकारी आदेश के माध्यम से उनके वेतन में 11 रुपये से 18 रुपये की वृद्धि की गई है, जबकि नियमित कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की 5 किस्तें मिल चुकी हैं और मंहगाई भत्ते की दो किश्तें अभी उनको देय हो गई हैं।

ई० डी० ए० शाखा पोस्टमास्टरों के बारे में अभी हाल में सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि उन्हें कार्यालय भवन का किराया नहीं मिलेगा। गांवों में स्थित एक शाखा पोस्ट मास्टर जिसे केवल 121 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं, उसे कार्यालय भवन निःशुल्क उपलब्ध करना होगा। यह आदेश तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। अब उचित समय आ गया है जबकि सरकार उच्चतम न्यायालय के आदेश का सम्मान करे और उन्हें सिविल

कर्मचारी माने, कम से कम उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान आनुपातिक आधार पर पर्याप्त वेतन, मंहगाई भत्ता और वेतनेतर लाभ दिए जाने चाहिए ।

आप उन्हें कम से कम अस्थायी कर्मचारी तो मानिये । आप उन्हें अशंकालिक कर्मचारी मानिए ताकि उन्हें वे कुछ नियमित लाभ मिलें जो अन्य कर्मचारियों को मिल रहे हैं । राज्य सभा की याचिका समिति द्वारा की गई सिफारिशों को तो कम से कम क्रियान्वित किया जाना चाहिए । राज्य सभा की याचिका समिति ने 13 सिफारिशें की थीं जिनमें समय बद्ध वेतनमान, मंहगाई भत्ता, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य वेतनेतर लाभ शामिल थे । इन 13 सिफारिशों में से सरकार ने केवल एक सिफारिश को क्रियान्वित किया है अर्थात प्रत्येक 3 वर्ष की अवधि के बाद उन्हें एक छाता दिया जाए । यह तो वस्तुत: एक मजाक ही है । इन सिफारिशों को क्रियान्वित न करने की वजह से ग्रामीण कर्मचारियों के बीच असंतोष हैं और यह असंतोष दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है । मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि वह कम से कम इस पर विचार तो करें और इसको सही भावना से समझें और उनकी शिकायतों को दूर करने का प्रयास करें, उनकी जरूरतों को सहानुभूति और नये दृष्टिकोण के साथ पूरा करने का प्रयास करे । इन सब बातों के बावजूद डाक तार विभाग में प्राय: औद्योगिक शान्ति है । कर्मचारी अनियमितताओं अथवा विलंब के लिए उत्तरदायी नहीं है । सरकार को यह जानना चाहिए और प्रभावी उपाय करने चाहिए । इसके विपरीत उच्च अधिकारी निदेशालय के निर्णयों का उल्लंघन कर रहे हैं । वे आदेशों को क्रियान्वित नहीं करते । वे उन आदेशों को कई कई महीने तक क्रियान्वित नहीं करते जो उन्हें निदेशालय से प्राप्त होते हैं । स्वीकृत दावों को कई महीनों तक भुगतान नहीं किया जाता है । अब डाक बीमा और डाक बचत बैंकों को ध्यान में रखा जाए तो सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की तुलना में डाक तार विभाग को विशालतम बैंक का दर्जा प्राप्त हो सकता है । डाक घर सेविंग्स बैंक ही एकमात्र ऐसे बैंकिंग एजेंसी है जिसकी शाखाएं दूरस्थ ग्रामों में भी स्थित है । डाक बीमा और डाक बचत बैंकों की सेवाओं में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है । यदि हम पिछले दस वर्ष के बजट पर ध्यान दें तो उन से यह पता चलता है कि वर्ष 1975-76 को छोड़ कर अन्य सभी वर्ष में डाक तार विभाग बजट में 204.5 करोड़ का लाभ हुआ था । इस वर्ष के बजट अनुमानों में 256.39 करोड़ रुपये का लाभ दिखाया गया है । इस वर्ष विभाग द्वारा 15.00 करोड़ रुपये की राशि खर्च किए जाने की संभावना है । डाक बचत बैंकों का पूर्ण विनियम शुल्क प्राप्त होना चाहिए । अन्य बैंकों को अपने प्रभार के रूप में 8.28 रुपये की राशि प्राप्त होती है परन्तु डाक विभाग को केवल 2.25 रुपये की राशि ही अपने प्रभार के रूप में प्राप्त होती है । यह सरासर अन्याय है । यदि उन्हें पूरा प्रभार प्राप्त हो तो विभाग कार्यालय, भवनों, कर्मचारी क्वार्टरों, और कर्मचारियों के लिए पर्याप्त वेतन आदि के बारे में अपने खर्चों को पूरा कर सकता है ।

अन्त में मैं, मंत्री महोदय का ध्यान यह कह कर आकर्षित करना चाहूंगा कि जनता की उचित रूप से सेवा करने की दृष्टि से सरकार को अपने वर्तमान पुरातन पंथी दृष्टिकोण को परिवर्तित करना चाहिए और उसे एक रचनात्मक नीति अपनानी चाहिए जिससे सरकार देश की सेवा कर सके और देश की आवश्यकता को पूरा कर सके । डाक तार विभाग वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय (कार्मिक विभाग) के हस्तक्षेप से भी मुक्त होना चाहिए । मैं यह भी कहना चाहूंगा

कि कर्मचारियों से कार्य लेते समय मंत्री महोदय का कार्य के लिए भुगतान करने में भी सक्षम होना चाहिये। मितव्ययता के नाम पर कार्य कुशलता को कम नहीं किया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संचार मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूँ। टेलीफोन्ज, डाक-तार और दूसरी व्यवस्था का जिस प्रकार से विस्तार हुआ है, वह तो काफी प्रशंसनीय है, लेकिन उनमें जो कमियाँ हैं, मैं उनकी तरफ मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमें उम्मीद है कि मंत्री महोदय उनमें आवश्यक सुधार करेंगे, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा संतोष प्राप्त हो सके।

टेलीफोन के सम्बन्ध में जो शिकायतें हैं, उनके बारे में मंत्री महोदय ने थोड़े दिन पहले हाउस में कहा था कि विस्तार की वजह से हमारी व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी आ गई है। उस व्यवस्था को ज्यादा मज़बूत करने की आवश्यकता है। किसी भी जगह चले जायें, दिल्ली, जयपुर, भीलवाड़ा या हमारे गांव, सब जगह टेलीफोन की व्यवस्था एक ही ढंग से चल रही है। जब टेलीफोन मिलाते हैं, तो कह देते हैं कि आपका नम्बर आने वाला है, और उसके बाद अगर ज्यादा तंग करें, तो कहते हैं कि लाइन खराब है। कोई भी नम्बर समय पर नहीं मिल पाता है, जिसका परिणाम यह है कि जिन उद्देश्यों के लिए टेलीफोन लगाया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। इस स्थिति में टेलीफोन व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा ठीक करने की आवश्यकता है।

मैंने पाया है कि जितने भी टेलीफोन एक्सचेंज हैं, वहां लोग पंद्रह, बीस और पच्चीस साल से एक ही जगह पड़े हुए हैं, जिससे उनका वेस्टिड इन्ट्रेस्ट कायम हो जाता है और सरकार की इनकम भी मारी जाती है। कई लोग बड़े बड़े व्यापारिक घरानों और बड़े बड़े सेठों से मिले रहते हैं। उन लोगों को तो नम्बर एक मिनट में मिल जाता है, जबकि हम लोगों को पूरा पूरा दिन इन्तजार करने के बाद भी नम्बर नहीं मिल पाता है। इसलिए इन वेस्टिड इन्ट्रेस्ट को वहां से हटाना चाहिए, ताकि इस प्रकार की गड़बड़ी न हो। विभाग को शायद यह डर हो कि यूनियन इसका विरोध करेगी। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत बनाना है, तो यूनियनों से नहीं डरना चाहिए। पीछे सरकार ने यह कदम उठाया कि जितना ओवरटाइम दिया जाता था, वह बन्द कर दिया, जिसकी वजह से उसे काफी तकलीफ उठानी पड़ी। उसी प्रकार मंत्री महोदय को और हिम्मत कर के व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए। इन यूनियनों से डरने की जरूरत नहीं है। हां, उनकी वाजिब मांगों की तरफ अवश्य ध्यान देना चाहिए और जहां पेट का सवाल है, उन बातों पर विचार करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ लोग यूनियन की धौंस के जरिए व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो सरकार को ज्यादा मजबूत और सख्त होकर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कदम उठाना चाहिए। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे मंत्री महोदय एक बहुत प्रसिद्ध श्रमिक नेता थे।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं जानता हूं, मैंने उनके साथ भी काम किया है।

अब में अपने क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। भीलवाड़ा जिले में दो तहसीलें आसीन और जहाजपुर ऐसी हैं, जो डायरेक्ट्ली भीलवाड़ा से कनेक्टिड नहीं है। आसीन से

भीलवाड़ा टेलीफोन करने के लिए ब्यावर और अजमेर हो कर जाना पड़ता है और जहाजपुर से भीलवाड़ा टेलीफोन करने के लिए देवली और अजमेर हो कर जाना पड़ता है। यह काफी लम्बा सर्किट है, जिसकी वजह से सारा दिन टेलीफोन मिला कर बैठे रहो, तब भी नम्बर नहीं मिलता है। इस बीच में भीलवाड़ा जा कर वापस आ सकते हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जहाजपुर को सीधे भीलवाड़ें से मिलाया जाय, लाइन खींची जाय क्योंकि भीलवाड़े से शाहपुरे तक लाइन खिंची हुई है, शाहपुरा से जहाजपुर मिलाना है जो केवल 25 मील है। अगर यह व्यवस्था कर दी जाय तो निश्चित तरीके से जहाजपुर क्षेत्र के लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। इसी प्रकार की व्यवस्था आसीन्द की है। आसीन्द के लोगों को ब्यावर और अजमेर हो कर भीलवाड़े जाना पड़ता है जबकि डिस्टेंस केवल 34 मील है। इस 34 मील में भी भीलवाड़े से मांडल मिला हुआ है। नौ मील का डिस्टेंस आप निकाल दें तो 25 मील को लाइन बाकी रह जाती है। अगर आसीन्द और मांडल को जोड़ दें तो आसीन्द तहसील के लोगों को काफी रिलीफ मिलेगी। यह व्यवस्था निश्चित तरीके से की जानी चाहिए।

दूसरा मेरा निवेदन है कि आसीन्द और जहाजपुर के जो टेलीफोन एक्सचेंज हैं, जहाजपुर को तो देवली से मिला रखा है और आसीन्द को ब्यावर से मिला रखा है, टेलीफोन एक्सचेंज दूसरे स्थानों पर होने की वजह से इस व्यवस्था को हम मजबूत नहीं बना पाते और टेलीफोन की जो यह व्यवस्था है उस के कारण लोगों को राहत नहीं मिल पाती।

बिजली की कमी की वजह से टेलीफोन की सर्विस भी ठीक प्रकार से लोगों को नहीं उपलब्ध हो पाती है। हमने पिछली बार निवेदन किया था कि वहां पर अच्छे स्ट्रांग बैटरी सैट उपलब्ध करायें लेकिन ऐसे रद्दी बैटरी सैट दे दिए कि जब बिजली फेल होती है तो टेलीफोन की लाइन बिल्कुल समाप्त हो जाती है। आप जानते हैं कई कई स्थानों पर छः छः, आठ आठ घंटे तक बिजली नहीं मिलती है, इसलिए सारे टेलीफोन एक्सचेंज पन्द्रह, सोलह घंटे बिल्कुल बन्द रहते हैं। इस के अभाव के कारण कई आवश्यक कार्य जिन के लिए टेलीफोन करना आवश्यक होता है धरे रह जाते हैं। इसलिए इन व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए अच्छे बैटरी सेट जहां पर बिजली का अभाव है वहां उपलब्ध कराएं तो काफी सुविधा रहेगी।

तीसरा मेरा निवेदन पी सी ओ के सम्बन्ध में है हमारे जिले के बहुत से ऐसे स्थान हैं जिनके सम्बन्ध में हमने बराबर निवेदन किया है, कि यहां पी सी ओ खोलिए। आपने एक पी सी ओ पिछले साल खोला, उस के लिए हम आपके आभारी हैं। आपने एक शम्भूगढ़ में खोला लेकिन उसके साथ साथ दस पन्द्रह और स्थानों की लिस्ट है जिन स्थानों पर पी सी ओ निश्चित तरीके से खुलने चाहिए। आसीन्द तहसील में अंटाली, ब्राह्मणों की सरेणी और निम्बाहेडा ये तीन बड़े बड़े गांव हैं जिनकी आबादी करीब करीब चार पांच हजार है। यहाँ इस प्रकार की मंडियां हैं। मंडियों के होने की वजह से लोगों को पी सी ओ की सख्त आवश्यकता है।

इसी तरह से ओड़ा तहसील में खेजड़ी है, मानूगढ़ तहसील में सींगोली और महूवामानपुरा है, इस के अलावा आगूंचा, कंवलियास और भीलवाड़े तहसील में रूपाहेली, इस प्रकार से कुल 6-7

स्थान हैं जिनके सम्बन्ध में मैंने पहले भी निवेदन किया और अब भी मेरा निवेदन है कि इन स्थानों पर पी सी ओ खोलें तो उस से वहां की जनता को काफी राहत पहुँचेगी।

वरलियासपुर में आप ने एक पी सी ओ खोल रखा है। वहाँ पर करीब 15-20 लोगों की डिमांड है कि वहां एक्सचेंज खोलना चाहिए। वहां एक्सचेंज खुलवाने की व्यवस्था करेंगे तो उस से लोगों को काफी लाभ पहुंचेगा।

इसी प्रकार से पोस्ट आफिस के सिलसिले में आपने तय किया है कि हर पंचायत सर्किल पर पोस्ट आफिस खोलेंगे लेकिन अब भी बहुत सी ऐसी पंचायतें हैं जहां पर पोस्ट आफिस नहीं खुले हैं। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि जो पंचायत सर्किल अब बाकी रहते हैं उन पर निश्चित तरीके से पोस्ट आफिस खोलने चाहिए।

हमारे यहां शाहपुरा के अंदर फूलिया एक बहुत पुराना स्थान है, बहुत पुराने जमाने में तो वह किसी रियासत की राजधानी थी, मगर अब वहाँ करीब 5-6 हजार की आबादी है। वहां पर एक छोटा सा पोस्ट आफिस है। उसको सब-पोस्ट आफिस में तब्दील करने के लिए वर्षों से आप से निवेदन कर रहे हैं लेकिन आप के विभाग ने उस पर कोई तवज्जह नहीं की है। इसलिए मेरी आप से प्रार्थना है कि वहां पर फूलिया में जो शाहपुरा तहसील में है सब-पोस्ट आफिस आप बनाएं जिससे अड़ोस पड़ोस के लोगों को डाक मिलने में सहूलियत हो।

एक निवेदन और है कि डाक विभाग के कुछ ऐसे पोस्ट मास्टर्स हैं जिनकी शिकायतें हैं। मैंने परसनली शिकायतों की तीन चार चिट्ठीयां लिखी हैं। बदनोर में और शम्भूगढ़ में तथा ऐसे ही और दो तीन स्थानों में पोस्ट मास्टर कई कई वर्षों से वहां जमे हुए हैं और वे लोकल पालिटिक्स में इन्वाल्वड हैं। वे लोगों की चिट्ठियां खोल लेते हैं, मनीआर्डर गड़बड़ करते हैं और कई अन्य प्रकार की शिकायतें उनके खिलाफ हैं। ऐसे लोगों को ट्रांसफर करने के बारे में लिखा गया कि उनका ट्रांसफर किया जाय और उनके खिलाफ जांच करायी जाय, मगर वहां के सुपरिटेंडेंट और अधिकारी लोग यूनियन से इतना घबड़ाते हैं कि अगर हम ट्रांसफर कर देंगे तो यूनियन वाले हमारे खिलाफ बावेला खड़ा कर देंगे। लेकिन जिनके खिलाफ जेन्युइन शिकायतें हैं, जिनके खिलाफ भयंकर आरोप हैं, मिसाल के तौर पर शम्भूगढ़ के पोस्ट मास्टर के खिलाफ ऐसा आरोप है कि एक 500 रुपए का जो ड्राफ्ट आया था उसको उसने गायब कर दिया—इस तरह शिकायत होने के बावजूद आप उनका ट्रांसफर करने या उसके खिलाफ इंक्वायरी करने में घबराते हैं। आप डरते हैं कि ट्रेड यूनियन मूवमेन्ट की वजह से आन्दोलन करके वे हड़ताल कर देंगे लेकिन इन बातों से आप कब तक डरते रहेंगे। यदि आप इस तरह से डरते रहेंगे तो आपका मैनेजमेंट बिल्कुल बेकार हो जायेगा। पहले के समय में डाक-तार तथा रेलवे विभाग को सबसे अच्छा विभाग माना जाता था लेकिन आजकल इन विभागों की हालत वैसी नहीं रह गई है जैसे कि पहले थी। आज इस विभाग की साख पहले जैसी नहीं है। आज ट्रेड यूनियन मूवमेंट के चलते लोग इसमें गड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं और इसकी वजह से इस विभाग में बहुत डेटेरिओरेशन आया है और आपकी सारी व्यवस्थायें गड़बड़ हुई हैं। इसकी वजह से कई स्थानों पर लोगों को तकलीफें उठानी पड़ी हैं। इसलिए इस विभाग की देश में जो पहले साख बनी हुई थी उसी को फिर से कायम करने

का प्रयत्न होना चाहिए और इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि लोग इस बात को महसूस कर सकें कि डाक व तार विभाग इमानदारी और जनता की सेवा करने वाला विभाग है। इस विभाग में जो भी खराब कर्मचारी हैं उनको निश्चित तौर से सजा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्यवाही अवश्य होनी चाहिए। साथ ही साथ ट्रांसफर की कार्यवाही भी होनी चाहिए ताकि यह विभाग ठीक प्रकार से जनता के प्रति अपने दायित्व को पूरा कर सके।

इसी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन स्थानों पर आपने सब पोस्ट-आफिस कायम किए हैं जैसे गुलाबपुरा और बनेड़ा, वहां आपने जमीनें भी ले ली हैं। हमने फ्री प्लाट दिलवाए थे, आपके विभाग ने कहा था कि बिल्डिंग बनायेंगे लेकिन अभी तक बिल्डिंग्ज न बनने की वजह से आपके विभाग का काम वहां सुचारू रूप से चलाने में कठिनाई हो रही है। इसी प्रकार से भीलवाडा में टेलीफोन एक्सचेंज के लिए बिल्डिंग स्वीकृत की गई परन्तु अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है। इस प्रकार से आपके विभाग में शिथिलता बढ़ती जा रही है। जो जमीन आपको वहां पर मिली है उसको भी आप एक्वायर नहीं करना चाहते हैं। टेलीफोन एक्सचेंज की नयी बिल्डिंग के अभाव में पुरानी बिल्डिंग से टेलीफोन एक्सचेंज की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चलती है। इसके कारण जिनके पास टेलीफोन लगे हैं उनको काफी बड़ी तकलीफ है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि भीलवाड़ा शहर, जहाँ सवा लाख की आबादी है, वहाँ पर टेलीफोन एक्सचेंज की बिल्डिंग का निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी आरम्भ करें ताकि जनता को सुविधा मिल सके।

इन बातों के अतिरिक्त आपका विभाग जो और कार्य कर रहा है उसके लिए हम आपके आभारी हैं और हमें आशा है कि आपका विभाग दिन ब दिन तरक्की करेगा तथा जनता की ज्यादा से ज्यादा सेवा करने में सक्षम होगा।

श्री बापू साहेब परूलेकर (रत्नागिरि) : सभापति महोदय, आप ने मुझे पहले बोलने के लिए जो बुलाया है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं और मैं अपने उन साथियों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इसके लिए अनुमति दी है।

जैसा कि आप सभी को ज्ञात है हम इस मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर 7 वर्ष बाद चर्चा कर रहे हैं। अतः सात वर्ष की शिकायतें इकट्ठी हो गई हैं। मेरा आप से अनुरोध है जब तक मैं विषय में असम्बद्ध न बोलने लगूं तब तक आप घण्टी न बजाएं।

इस मंत्रालय का वार्षिक प्रतिवेदन जो हमें दिया गया है, वह लगभग पहले प्रतिवेदनों के ही समान है। केवल खाली स्थानों को भरने का काम ही इसमें किया गया है। बहुत वर्षों से प्रतिवेदन एक से ही चले आ रहे हैं यहां तक कि उनके अध्याय पैराग्राफ एक ही जैसे होते हैं। यह कहते हुए मुझे खेद होता है कि इस प्रतिवेदन में जो कुछ उल्लेख किया गया है उससे अधिक छुपाया भी गया है। संसद सदस्यों और आम लोगों के लिए इस प्रतिवेदन में कुछ भी नहीं है। मेरा विश्वास है कि हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक कर दाता को यह अधिकार है कि वह यह जाने कि हमारा संचार मंत्रालय किस प्रकार कार्य कर रहा है। निःसंदेह यह बात सच है कि इस प्रतिवेदन के पैरा 1·2 में यह उल्लेख किया गया है कि :

"संचार मंत्रालय अपने सभी प्रकार के कार्यों और अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी परियोजनाओं में बहुमुखी प्रगति प्राप्त करने में सफल हुआ है।"

मंत्री महोदय मुझे क्षमा करें कि मैं इस टिप्पणी से सहमत नहीं हूं।

मुझे आशा थी कि आपने जो देशवासियों से वादे किए हैं, जो घोषणाएं की हैं इस प्रतिवेदन में उनका कुछ उल्लेख होगा। आपके द्वारा की गई वे सभी घोषणाएं मैंने पढ़ी हैं। वे समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। मुझे आशा थी कि श्री स्टीफन के मंत्री रहते हुए कुछ सुधार होगा परन्तु गाड़ी उल्टी ही चल रही है।

जब मंत्री महोदय ने इस मंत्रालय का चार्ज लिया था तब मेरे साथी जो मुझ से पहले बोले हैं उन्होंने पोस्टल स्टेशनरी की कमी के बारे में एक प्रश्न पूछा था। मंत्री महोदय ने बताया था कि अब स्टेशनरी की कोई कमी नहीं रहेगी क्योंकि सरकार हैदराबाद में पोस्टल स्टेशनरी और स्टैम्प प्रेस लगाने जा रही है। यदि मुझे ठीक तरह याद है तो मंत्री महोदय ने मई, 1980 में ऐसा कहा था। मैं इस प्रतिवेदन में इसे खोज रहा था। क्या यह सच्चा आश्वासन था अथवा एक राजनीतिक चाल थी ? यही नहीं मैं दस उदाहरण दे सकता हूं परन्तु इसके लिए मेरे पास समय नहीं है क्योंकि मुजे टेलीफोन विभाग के बारे में कुछ कहना है।

बंगलोर में एक प्रश्न उठाया गया था और सभी वर्गों ने मांग की थी कि देश में औषधियाँ उपलब्ध नहीं हैं। लोग शहरों में जाने की स्थिति में नहीं है अत: यह औषधियां विशेषतया सामान्य किस्म की औषधियां डाक घरों के माध्यम से बेची जाएं जैसा कि हाथी समिति सुझाव था। क्या इसे क्रियान्वित करना संभव नहीं है ? जब यह प्रश्न पूछा गया था तब आपने एकदम खड़े होकर यह कहा था कि मैं यह प्रबन्ध कर रहा हूं, मैं इस पर विचार कर रहा हूं। 24 अप्रैल, 1980 के इंडियन एक्सप्रेस में भी इसका उल्लेख किया गया। मुझे इसका विश्वास नहीं हुआ। अत: मैंने आगे और समाचार पत्र देखें कि कहीं आपने इसका खंडन किया हो। मुझे विश्वास है कि आपके सहायक कर्मचारियों ने इस विशेष रिपोर्ट की ओर आपका ध्यान दिलाया होगा। आप यह बात जानते हैं कि खामोशी का अर्थ स्वीकृति है। इस वक्तव्य के बारे में आप के खामोश रहने का अर्थ यही निकलता है कि आपने जो कहा था और वह सच था।

आपने यह भी बताया था कि आप समस्त डाक तार नियमों में सुधार करना चाहते हैं क्योंकि यह नियम ब्रिटिश काल में बनाए गए थे और पुराने हो गए थे। इस बात का भी प्रतिवेदन में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जैसा कि आप को पता है कि भारतीय डाक घर अधिनियम की धारा 4 को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है और इसका भी इसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मंत्री महोदय ने यह भी कहा था कि तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण विभाग में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि मामलों में शीघ्र निर्णय करने के लिये वह शीघ्र ही तकनीकी कर्मचारियों का एक स्थायी पूल बनायेंगे। यहां इस बात का भी कोई उल्लेख नहीं है आपने यह भी कहा था कि 4 महानगरों में उपभोक्ता लेखे, निकासी जांच सेवाएं तथा अन्य दूसरे कार्यों के लिये कम्प्यूटर सेन्टर स्थापित किए

जाएंगे। रिपोर्ट में न तो इस बारे में कोई उल्लेख ही किया गया है और न इसके लिये कोई धन-राशि ही नियुक्त की गई है।

आपने महिला कर्मचारियों के लिये राज-सहायता प्राप्त अथवा विभागीय परिवहन सेवा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था। दिल्ली, बम्बई जैसे बड़े शहरों के लिये जहां महिला टेलीफोन आपरेटरों को दिन रात काम करना पड़ता है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है और आप तो जानते ही हैं कि बम्बई में क्या स्थिति है, वहां महिलाओं की हत्या की जा रही है।

भूतपूर्व संसद सदस्य श्रीमती अहिल्या रांगणेकर अपनी शिकायतें लेकर उपमंत्री से मिलीं परन्तु उनकी शिकायतें का कोई समाधान नहीं हुई है। रिकोर्ड से मुझे पता चला है कि इस सबंध में कुछ किया भी नहीं गया है। पता नहीं आपने जो यह आश्वासन दिया था आप इसे पूरा भी करेंगे या नहीं। कर्मचारियों और लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिये यह घोषणा भी की थी कि ग्रुप हाउसिंग योजना चलाई जाएगी और डाक कर्मचारियों के लिये पर्वतीय क्षेत्रों में अवकाश गृह खोले जाएंगे इससे कर्मचारी बहुत प्रसन्न हुए थे परन्तु इन आश्वासनों के बारे में रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है। इस उद्देश्य के लिये बजट मे भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जून, 1980 में एक घोषणा की गई थी कि डाक तार विभाग का पृथक बजट होगा। यदि ऐसा किया जाता तो यह विभाग सरकार की सामान्य निधि में पर्याप्त राशि का योगदान दे सकता था। क्या आप इस विषय में गंभीर हैं। यदि आप वास्तव में गंभीर हैं तो रिपोर्ट में इसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया। यदि इसका उल्लेख किया जाता तो हम इसे पढ़कर कुछ सुझाव और आंकड़े दे सकते थे। दुर्भाग्यवश इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया।

सबसे महत्वपूर्ण बात जिसकी ओर में सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान बंटाना चाहता हूं। मंत्री महोदया द्वारा की गई यह घोषणा है कि दूर संचार के क्षेत्र में आगे सभी विस्तार कार्य इलेक्ट्रानिक्स स्वीचिंग प्रणाली पर आधारित करने का विचार है। आपने यह भी कहा था सरकार शीघ्र ही इलेट्रानिक उपकरणों के लिये स्वदेशी निर्माण क्षमता स्थापित करना चाहती है।

मुझे खेद है कि यह घोषणा सही नहीं पाई गई। दूसरी ओर विभाग एक अन्य ही प्रौद्योगिकी लाने का प्रयास कर रहा है तथा रायबरेली में पुरानी क्रास बार प्रणाली आरंभ करने का प्रयास कर रहा है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप रायबरेली के विरुद्ध क्यों हैं।

श्री बापू साहिब परूलेकर : मैं रायबरेली के विरुद्ध नहीं हूं। ऐसे समाचार हैं कि इलेक्ट्रानिकी संचार क्रास बार प्रणाली के लिये, आई० टी० टी० की रायबरेली यूनिट के पहले विस्तार के लिये, पूरी यूनिट का पी० टी० एम० से आयात किया जाएगा। पी० टी० एम० अमरीकी बहुराष्ट्रीय आई० टी० पी० की बेलज्यिम की एक सहायक कंपनी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह स्वदेशी उत्पादन क्षमता है। इस समाचार का खंडन नहीं किया गया। यह कहा गया है कि आयात की राशि विदेशी मुद्रा के अतिरिक्त 30 करोड़ रुपये होगी।

देश में पुरानी प्रौद्योगिकी लायी जायेगी और गरीब-करदाता को 6000 प्रति लाइन देना होगा। क्या मत ठीक है ? यही नहीं आप लोगों में यह धारणा है कि इस तथ्य के बावजूद भी यह सब कुछ किया जा रहा है कि योजना बनाने के लिए एक डिजाइन कार्यकारी दल नियुक्त किया गया था। उन्होंने एक योजना दी है जिसे इन्डियन क्रास बार के नाम से जाना जाता है। समाचार पत्रों में ऐसे लेख और सम्पादकीय प्रकाशित हुये हैं विगत सब अमरीकी प्रभाव के अधीन किया जा रहा है। तकनीकी विकास मतनिदेशक पर अमरीका का प्रभाव है। यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूँ कि वह यह बतायें कि क्या ये समाचार ठीक हैं। यदि ये समाचार ठीक हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह वक्तव्य ठीक है कि इस क्रास-बार प्रणाली के स्थान पर इलेक्ट्रानिक प्रणाली लायी जायेगी और वह भी स्विदेशी ढंग से दोनों में से कौन सी चीज ठीक है ? ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने की बात भी कही गई है। अन्य चीजों को मैं छोड़ देता हूं। आपने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के डकघरों से 6000 करोड़ रुपये की राशि की बचत हुई है। डाक-बचत की यह सबसे बड़ी राशि है। परन्तु आप इसके बदले उन्हें क्या दे रहे हैं। जनवरी, 1980 में आपने कुछ रियायतों की घोषणा की थी। ये रियायतें अभी तक डाक तथा तार विभाग के जिला कार्यालय स्तर तक नहीं पहुँच पायी है। पिछड़े क्षेत्रों के लिये एक पब्लिक काल आफिस के लिये न्यूनतम 2500 की आबादी की शर्त भी तय की गई है। परन्तु रतनागिरि स्थिति डाकघर सुपरिनटेन्डेंट ने मुझे बताया है कि उनके पास ऐसे आँकड़े अभी तक नहीं पहुंचे हैं इसलिए वह स्वीकृति नहीं दे सके हैं। दूसरी ओर उन्होंने मुझे बताया है कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण भी कुछ बाधायें हैं। इसलिये दूर संचार सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों के लिये विस्तार करना संभव नहीं हैं। अब आप कहते हैं। कि आपके पास पैसा नहीं है। लेकिन महोदय मैं संचार मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वह यह बतायें कि क्या यह सच है कि मंत्रालय को टेलीफोन की बकाया राशि के रूप में 33 करोड़ रुपये दिये जाने हैं और एक संसद सदस्य ने आपके मंत्रालय को 1 लाख रुपया देना है। क्या यह सच है ? इस राशि को वसूल करने के लिए आपने क्या उपाय किये हैं ? संवाददाता सम्मेलन में श्री स्टीफन ने यही कुछ कहा था।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या वह सदस्य जीवित हैं ?

श्री बापू साहेब पारूलेकर : यह बात उन्होंने अपने संवाददाता सम्मेलन में स्पष्ट नही की इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। सदस्यों द्वारा दी जाने वाली राशि के अलावा 33 करोड़ रुपये की और भी बकाया राशि है।

महोदय, जहां तक तार विभाग का संबंध है इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 1965-66 से 1980-81 तक सर्वाधिक परियात 1977-78 में—जनता शासन काल में—रहा जबकि 50·26 लाख संदेश तथा 1712·84 लाख शब्द तार द्वारा भेजे गए। अब प्रतिवर्ष इसमें कमी आती जा रही है। महोदय, क्या ऐसा इसलिए हो रहा है कि तार सम्बन्धित व्यक्ति के पास पुष्टि-पत्र मिलने के बाद पहुँचती है।

अब मैं महत्वपूर्ण टेलीफोन विभाग को लेता हूँ। मुझे टेलीफोनों के बारे में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि माननीय प्रधान मंत्री ने हाल ही में इस बारे में कहा है जिसे, श्री स्टीफन

महोदय आपके फोटोग्राफ के नीचे प्रकाशित किया गया है और जिसे आपने इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि :

"माननीय प्रधान मंत्री ने यह कहा बताते हैं कि टेलीफोन विभाग सड़ चुका है और उसमें काफी अधिक सुधार की आवश्यकता है।"

(व्यवधान)

महोदय, टेलीफोनों की समस्या महाप्रबन्धकों को नाटकीय ढंग से हटा कर हल नहीं की जा सकती। टेलीफोन ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। सभी यह बात जानते हैं। हमें इसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सभा के माननीय सभापति और भारत के उप-राष्ट्रपति ने कहा है कि गलत कालों के कारण उनकी एक रात में पांच बार नींद खराब हुई। यदि भारत के उपराष्ट्रपति की यह स्थिति है तो हमारी स्थिति क्या होगी। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इन सभी बातों पर विचार करें। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या एक स्वायत्तशासी निगम बनाने पर विचार करना उचित होगा। टेलीफोन केन्द्रों के काम में सुधार करना भी जरूरी है। साथ यह भी जरूरी है कि जो व्यक्ति दोषी पाये जायें उनके विरुद्ध भी कुछ किया जाए। आप के टेलीफोन आपरेटर या डाक कर्मचारी कई बार रूखाई से बोलते हैं। सभापति महोदय, मुझे विभाग द्वारा वर्ष में एक बार "शिष्टता सप्ताह" मनाने की बात समझ नहीं आती है। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि शेष 51 सप्ताहों में कर्मचारी अशिष्टता से व्यवहार करते हैं।

महोदय, जहाँ तक दिल्ली में टेलीफोनों का सवाल है आप देखेंगे कि आप यदि 180, 181, 182 और 183 नम्बर घुमाएं—जब मुझे इस मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलने के लिए कहा गया तो मैंने स्वयं ये नम्बर घुमाए और इस बात की पुष्टि हुई—कि आपको सुबह चार बजे भी टेप किया हुआ यह उत्तर मिलता है "कृपया इन्तजार कीजिए, आप क्यू में हैं।"

वे टेप चला देते हैं और आपस में गप्पे मारते रहते हैं। यदि आप 199, 197 और 196 नम्बर घुमाएं—मैंने स्वयं ये नम्बर घुमाये और देखा कई मिनटों तक टेलीफोन को पकड़े रहने के बाद अचानक ही सी आवाज आ जाती है। जब आप टेलीफोन पकड़े होते हैं तो आपको टेलीफोन आपरेटरों की न खत्म होने वाली घर गृहस्थी की बातें सुनाई देती रहती हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें उनकी गप्पों से शिकायत नही जितनी उनके रूखे व्यवहार से है। मेरे एक मित्र कहते हैं।

"उपभोक्ताओं का कहना यह है कि टेलीफोन आपरेटर भले ही शहद भरी मीठी आवाज न बोलें लेकिन कम से कम आराम से तो बोलें।"

लेकिन यह भी नहीं होता है।

इस प्रकार ऐसी स्थिति से सामना करना पड़ता है। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस सब पर विचार करें। कई बार हमें गलत नम्बर मिल जाता है। यदि किसी मंत्री को मंत्रिमंडल से हटाना हो तो इस प्रकार के गलत नम्बर मिल जाने से कोई और मंत्री हटा

दिया जायेगा। और जहां तक एस० टी० डी० का सम्बन्ध है, यह मजाक हर जगह किया जा रहा है कि एस० टी० डी० का मतलब है "सबसक्राइबर, ट्राई एण्ड डाई" (उपभोक्ता जी, कोशिश करते रहो नम्बर नहीं मिलेगा) एस० टी० डी० का यह अर्थ लगाया जा रहा है। महोदय पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि कई समितियां नियुक्त की गई और उन्होंने 200 सिफारिशें की। लेकिन इन सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। महोदय लम्बी प्रतीक्षा सूची के लिए बार-बार केबलों की कमी का बहाना दिया जाता है। लेकिन मैं मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ? क्या यह सच है कि सरकारी केबल फैक्टरियों को आर्डर नहीं मिल रहे हैं जबकि केबलों का आयात किया जा रहा है ? यह सच है या नहीं ? क्या यह भी सच है या नहीं कि पूरे टेलीफोन विभाग में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी नियुक्त हैं। जबकि अन्य देशों में एक कर्मचारी को सौ टेलीफोनों की देखभाल करनी होती है यहां एक कर्मचारी को केवल 10 टेलीफोनों को देखना होता है। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि डाक तार कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 26·07 करोड़ रुपये का ओवरटाइम दिया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा इसलिए है कि कर्मचारी 11 बजे से 5 बजे तक काम नहीं करते हैं और 5 बजे से काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इतना ज्यादा ओवरटाइम देना पड़ता है। महोदय पूरे डाक विभाग में तथा दूर संचार प्रभाग में सुधार की आवश्यकता है।

ट्रंक काल के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं जब उनसे ये कहता हूं कि वे रत्नागिरि के लिए, बरास्ता बम्बई एक ट्रंक काल बुक करें तो लगभग दो घंटे के बाद मुझे बताया जाता है कि महोदय बम्बई-बंगलौर लाइन खराब है। मैं सुबह सात बजे काल बुक कराता हूं और शाम को सात बजे उन्हें याद दिलाता हूं और पूछता हूं कि मेरी काल का क्या हुआ ? आपको पता है कि उनका क्या जबाब होता है ? वह यह कहते हैं महोदय आपकी लाइन खराब है। लेकिन यदि मैं विशेष नम्बर को फोन करता हूं तो 10 मिनट में ही मिल जाता है। यह स्थिति है। इसलिए मैं कहता हूं कि मंत्रालय के डाक और दूरसंचार संबंध में पूरी तरह से सुधार लाने की आवश्यकता है। हम पैसा देते हैं। एक जरूरी काल बुक कराते हैं। 15 या 20 घंटे तक काल मिलती ही नहीं। यदि ऐसे कनेक्शन से जरूरी काल नहीं मिल सकती तो आप उसके लिए जरूरी काल का पैसा क्यों लेते हैं। उसके लिए जरूरी काल का पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। अब होता यह है कि 15 दिन टेलीफोन खराब रहता है तो आप उन दिनों के लिए भी पैसा वसूल कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। मैं जब कोई शिकायत दर्ज कराता हूं तो मुझे कहा जाता है कि मैं परिवेक्षक को फोन करूं। मैं परिवेक्षक को फोन करता हूं परिवेक्षक कहता है कि मैं इंजीनियर को फोन करूं। मैं इंजीनियर को फोन करता हूं इंजीनियर कहता है कि मैं अधीक्षक को फोन करूं। वह कहता है कि मैं पहले वाले नम्बर पर फोन करूं। इस प्रकार चक्र पूरा हो जाता है लेकिन काम फिर भी नहीं होता। निःसदेह, कुछ सुधार हुआ है किन्तु वह संतोषजनक नहीं है। इन सब बातों के होते हुए आप मुझे क्षमा करें मैं अनुदान-मांगों का समर्थन नहीं कर सकता इसलिए मैं इनका विरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, जो संचार मंत्रालय की तरफ से मांगे प्रस्तुत हुई हैं उनका मैं समर्थन करते हुए अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

मैं संचार मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके मंत्रालय के माध्यम से हमारे देश ने उपग्रह संचार युग में प्रवेश किया है और हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 15 नवम्बर को सिकन्दराबाद में उपग्रह संचार प्रणाली का उद्घाटन कर अण्डमान निकोबार, लक्षद्वीप और मिजोरम से सीधे बातचीत करने की व्यवस्था की । हमारे वैज्ञानिकों का यह कार्य बहुत उत्साहवर्द्धक और प्रशंसनीय है । इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय और हमारी गवर्नमेंट ने जो कदम उठाये हैं उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ ।

दूसरे मंत्री जी का जो सराहनीय कार्य है जिसकी प्रशंसा किये बगैर भी मैं नहीं रह सकता वह यह है कि 1980-85 की छठी पंचवर्षीय योजना, सिक्सथ फाइव इयर प्लान में संचार व्यवस्था के लिए 950 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है । इसी तरह से बेकवर्ड और ट्राइबल एरियाज में संचार व्यवस्थाएं फैलाने की भी योजना बनायी गयी है । उसमें राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट को भी सम्मिलित किया गया है । परन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है । इन्टेग्रेटिड नेटवर्क की जो आपकी योजना है इस संबंध में कार्य जल्दी से जल्दी शुरू होनी चाहिए ताकि इन बैकवर्ड एरियाज में, जहां पर टेलीफोन फेसिलिटीज नहीं हैं वहां पर टेलीफोन फेसिलिटीज दी जा सकें और वह क्षेत्र भी विकास की ओर अग्रसर हो सके ।

दूसरी बात मैं पी० सी० ओ० कनेक्शंस के बारे में कहना चाहता हूं । बैकवर्ड एरियाज के लिए पी० सी० ओ० कनेक्शन के लिए आपने 2500 पापूलेशन नार्म तय किया है, इसलिए इस नार्म के अन्तर्गत जितने भी स्थान आते हैं उन पर जल्दी से जल्दी कार्य शुरू किया जाना चाहिए । इन स्थानों पर जल्दी से जल्दी स्वीकृत प्रदान की जानी चाहिए ।

सभापति महोदय, इसी प्रकार मैं पुलिस-स्टेशंस के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लो-एण्ड-आर्डर की स्थिति कायम रखने के लिए पुलिस स्टेशनो को कनैक्ट करना बहुत आवश्यक है । पुलिस स्टेशन टेलीफोन से कनैक्ट नहीं होते हैं तो जनता को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और आपने अपने नामर्स के अंदर भी यह दिया हुआ है कि पुलिस स्टेशंस को प्रायोरिटी दी जाएगी, परन्तु बहुत से पुलिस स्टेशंस अभी तक कनैक्ट नहीं किए गए हैं । हमारे यहां के एक पुलिस स्टेशन—गुड़ा के बारे में मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यहाँ पर सात वर्ष पूर्व टेलीफोन कनैक्शन स्वीकृत किया गया था, यह महत्वपूर्ण ग्राम है और यहां की जनसंख्या 5000 से ज्यादा है, लेकिन अभी तक इसे टेलीफोन कनैक्शन नहीं दिया गया है । इसी प्रकार और भी सैंक्शंड स्कीम्स हैं, जैसे—बटडू, मेदूसर, उंडू, भिभाड़ आदि, यहां पर भी अभी कार्य शुरू नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि इन स्थानों पर जल्दी से जल्दी कार्य शुरू होना चाहिए । इसी प्रकार और स्थान भी हैं जो आपके नार्म्स के अन्तर्गत आते हैं, जैसे—गुड़ा, गिड़ा, बिजराड़, गिराब आदि, इन स्थानों पर भी शीघ्र ही टेलीफोन की सुविधा दी जानी चाहिए । इस बारे में हम राजस्थान सर्कल के जनरल मैनेजर से जब भी मिलते हैं तो उनका यही जवाब रहता है कि सामग्री उपलब्ध नहीं है । कभी कहते हैं कि अल्यूमिनियम वायर नहीं हैं, कभी कहते हैं कि कंडक्टर्स नहीं हैं, कभी कहते हैं कि खंबों की कमी है, तो कहने का मतलब यह है कि यह हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहां पर अगर सैक्शंड स्कीम्स पर काम शुरू नहीं होता है तो हमारी प्रगति रुक जाती है,

हमारी प्रगति नहीं हो सकती, हमारा विकास नहीं हो सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो पी० सी० ओ० की सैंक्शंड स्कीम्स हैं और जो 2500 जनसंख्या के गांव हैं उन स्थानों पर तीव्रता से काम शुरू होना चाहिए। सभापति महोदय, मेरा कहना तो यह है कि सैंक्शन होने के बाद एक साल के अंदर कार्य शुरू हो जाना चाहिए। एक साल का समय आप ले सकते हैं, लेकिन 3-4 या 5 साल का समय आप लें, पी० सी० ओ० कनेक्शन के लिए, यह स्थिति ठीक नहीं है।

सभापति महोदय, इसके अलावा रांग कनेक्शन, क्रास-कनेक्शन, नो-कनेक्शन, फाल्टो कनेक्शन, यह स्थिति आज टेलीफोन विभाग की है। इसके बारे में मेरे मित्रों ने पहले ही काफी कह दिया है, इसलिए मैं दोहराना नहीं चाहता। जब से ओवरटाइम बंद कर दिया गया है, तब से स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई है। ओवर-टाइम बंद हुए 6 माह हुए हैं, इस बीच काफी इन-एफिसिएंसी आई है। इस बारे में मैंने स्वयं देखा है कि जब भी हम बाड़मेर से टेलीफोन करते हैं तो जोधपुर तक तो रिसपोंस मिलता है, लेकिन जोधपुर से आगे कोई भी स्टेशन हो, चाहे बांबे हो, अहमदाबाद हो, जोधपुर से आगे कोई भी स्टेशन हो, रिसपोंस नहीं मिलता। जोधपुर बिल्कुल एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है। दो दो दिन लग जाते हैं। कनेक्शन के बारे में कतई आपके लोग कोओप्रेट नहीं करते हैं। आपने जो ओवरटाइम बन्द करने की नीति अपनाई है इसका तो मैं प्रशंसा करता हूं लेकिन आपको यह भी देखना चाहिये कि बाड़मेर और जैसलमेर आदि में जहां स्टाफ आप्रेटरों का पंद्रह होना चाहिये वहां पांच का ही स्टाफ है जो पद रिक्त पड़े हैं उनकी पूर्ति भी होनी चाहिये।

पोस्ट आफिस खोलने के बारे में अपने कुछ नाम फिक्स किए हैं। बेक्वर्ड एरियाज के लिए आपने एक हजार की पापुलेशन का नाम फिक्स किया है। यह बहुत बड़ा और विस्तृत क्षेत्र है। यह जन संख्या जो आपने रखा है बहुत अधिक है। जैसलमेर में तो सात व्यक्ति पर स्कवेयर मील में रहते हैं। बाड़मेर में 75 पर स्कवेयर मील में रहते हैं। यह पापुलेशन उन एरियाज के लिए बहुत अधिक है। इसको पांच सौ किया जाना चाहिये। इन एरियाज को स्पेशल केस के तौर पर ट्रीट किया जाना चाहिये। मेरा खुद का पार्लियामेंट का एरिया केरल प्रान्त से दुगुना है और हरियाणा से ड्योढ़ा है। ऐसे एरियाज में एक हजार के विल्लेज होना बहुत बड़ी बात है। इस नाम को अगर रखा जाए तो वहां पोस्ट आफिस की सुविधा प्राप्त ही नहीं हो सकती है। इसको पांच सौ की पापुलेशन के आधार पर आपको करना चाहिये। हमारे यहां एक रेवेन्यू गांव सूंदरा ऐसा है जो पांच सौ स्कवेयर मील में फैला हुआ है। अगर एक रेवेन्यू विल्लेज में एक पोस्ट आफिस है तो आप कहते है कि वहां दूसरा नहीं खोला जा सकता है। लेकिन सूंदरा को ही आप देखें। कितना बड़ा यह रेवेन्यू विल्लेज है। इस रेवेन्यू विल्लेज में ऐक से दूसरे विल्लेज में जाना हो तो बीस पच्चीस मील का एरिया कवर करना पड़ता है, दस मील का एरिया कवर करना पड़ता है। यहां दो होने चाहिये। इसी तरह से ग्राम रावतसर में दो ब्रांच पोस्ट आफिस होने चाहिये। इसका पचास स्कवेयर मील का एरिया है और पांच हजार की आबादी है। 1981 की सैंसस के ये आंकड़े हैं। 1971 में यह आबादी चार हजार थी। वहां भी दूसरा पोस्ट आफिस रामसर कुआ रावतसर में होना चाहिये। वहां मिडल स्कूल है। इसी तरह से पूलिया का तला (ग्राम सवाऊ पदम सिंह) जो एक रेवेन्यू विलेज है उसके अन्दर भी दो पोस्ट आफिस होने चाहिये। आपने जो नाम फिक्स

किए हैं उसमें ये नहीं खुल सकते हैं। आपको इन नार्म्ज के बारे में फिर से स्टडी करनी चाहिये। किस प्रकार का एरिया है, कैसी वहाँ को कंडीशंज हैं, इन सबका अध्ययन करके पोस्ट आफिस खोलने के बारे में आपको नीति बनानी चाहिये।

जैसलमेर में सुपरिटेंडेंट पोस्ट आफिस नहीं है। यह डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। डिफेंस की दृष्टि से इसका महत्व बहुत ज्यादा है। प्रधान मंत्री जी वहां दौरे पर गई थीं वहां पर डिविजनल पोस्ट आफिस नहीं है। बाड़मेर में नहीं है। कोई बिल्डिंग नहीं है। बार-बार हमने कहा है कि हम जमीन देने को तैयार हैं हमारी गवर्नमेंट देने को तैयार है, फ्री देने को तैयार है। वहां आप पोस्ट आफिस की बिल्डिंग बनाए। जो अभी बनी हुई है वह पचास वर्ष पुरानी है और वह भी एनक्रोचमेंट करके बनाई गई है स्टेशन रोड के पास। यह बिल्डिंग हमारे टाऊन की ब्यूटी को खत्म कर रही है इसको वहाँ से हटाया जाना चाहिये। हम जमीन देने को तैयार हैं। अच्छी आप बिल्डिंग बनाए। जैसलमेर में न सुपरिटेंडेंट पोस्ट आफिसिस है और न डिविजनल पोस्ट आफिस और बाड़मेर न पोस्ट आफिस की नई बिल्डिंग ही बनाई जाती है। उसकी घोर उपेक्षा हो रही है। यह क्षेत्र सीमावर्ती है। बाड़मेर जैसलमेर का महत्व डिफेंस की दृष्टि से बहुत अधिक है। आर्मी वहां पर है। बी०एस० एफ०वहां पर है और डिफेंस का वडक्वार्टर वहां पर है वह मुख्यालय है। मुख्यालय में तो सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिये। आपने जो नार्म जनसंख्या के बारे में निर्धारित किए हैं उन पर आपको कायम नहीं रहना चाहिये। ऐज ए स्पेशल केस बाड़मेर और जैसलमेर का विकास करना चाहिये।

अन्त में कहना चाहता हूं कि जो व्यवस्था की जा सके वह आप करें ताकि हमारे क्षेत्र में लोगों को पोस्ट आफिस, डाक तार की सुविधायें मिल सकें। हमारे बाड़मेर और जैसलमेर में सब पोस्ट आफिसेज बहुत कम हैं। जो बाच पोस्ट आफिस हैं जिनकी पोपुलेशन 2,500 अगर हो जाय वहां आप खोल दें। कोई और नोर्म आप तय कर लीजिये, ताकि वहां सब-पोस्ट आफिस हो जाय। बाड़मेर में बहुत कम सब-पोस्ट आफिस हैं, और जो हैं भी वह सभी किराये की इमारतों में हैं। इस सम्बन्ध में आपको भवन बनाने के लिए प्रयास करना चाहिये। विकास की दौड़ में जब सभी आगे बढ़ रहे हैं तब हम पिछड़े हुए रहें यह उचित नहीं है। हम देश के प्रहरी हैं हमारा पूरी तरह से विकास करके हमारी प्रगति करें, और देश के जो प्रहरी हैं वह यह महसूस करें कि यह देश हमारा है और हमारी प्रगति में केंद्रीय सरकार पूरी तरह से जागरूक है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री मनोहर लाल सैनी (कुरुक्षेत्र) : सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि आजादी के इतने लम्बे अर्से के बाद भी डाक तार और संचार सुविधाओं का समुचित विकास नहीं हुआ है और विस्तार भी नहीं हुआ है। पिछडे हुए क्षेत्र जहां रेगिस्तान है, पहाड़ी इलाके हैं, समुद्र से घिरे हुए इलाके हैं वहां की बात तो विशेषकर है। लेकिन हिन्दुस्तान के ~ लाख गांवों को अभी तक डाक तार, टेलीफोन और संचार की दूसरी सुविधायें पूरी तरह से नहीं मिली हैं। अभी कई माननीय सदस्यों ने इस बारे में मंत्री जी का ध्यान दिलाया है।

जहां तक डाकखानों का सम्बन्ध है उसके लिये 1,000 लोगों की जो सीमा रखी गई है वह सीमा कुछ इलाकों के लिये ठीक नहीं है। और जहाँ गांव सुविधायें देना चाहें, क्योंकि में तजुर्बे के आधार पर कहता हूं कि गांव के लोगों को बर्डन किया जाता है जब भी कोई स्कूल बनाया जाय, अस्पताल बनाया जाय उसके लिए उनसे जमीन ली जाती है और इमारत भी ली जाती है। अगर डाक तार विभाग के लोग और यह मंत्रालय चाहे तो गांव के लोग इस सुविधा का जमीन ही नहीं बल्कि बिल्डिंग भी—टेलीफोन सुविधाओं के लिए और डाक घर के लिये गांव के लोग मकान तक बना कर देने के लिये तैयार हैं बशर्ते कि मिनिस्ट्री की इसमें दिलचस्पी हो।

मैं कुरुक्षेत्र से आता हूं, वहाँ एक गांव है बड़शामी, वहाँ के सरपंच, श्री शेर सिंह ने ऐप्लाई किया टेलीफोन कनेक्शन के लिये, दो, तीन कनेक्शन पहले भी मिले हैं और लाडवा जहां ऐक्सचेंज हैं वहां के अधिकारी ने कहा कि पहले कनेक्शन शहर में देंगे हालांकि नम्बर उसका पहले है। क्या मंत्री जी ने विभाग को ऐसे इंस्ट्रक्शन्स दे रखे हैं कि नम्बर होते हुए भी गांव के लोगों को बाद में टेलीफोन कनेक्शन लाइन होते हुए भी बाद में दिया जाएगा और शहर में पहले दिया जाएगा? मैंने इस बारे में अम्बाला के जी० एम० से बातचीत की। कहा गया कि ए० जी० एम० से बात कर वायेंगे, दो, तीन मिनट बाद फिर कहा गया कि वह भी नहीं हैं। हमने कहा किसी और से बात कराइये। इसी में 10 मिनट ले लिये और किसी से बात हुए बगैर टेलीफोन डिसकनेक्ट हो गया। इस तरह से विभाग की लापरवाही है, और विशेष कर गांव के साथ मैं चाहूंगा क्या मंत्री जी देश को और सदन को आश्वासन देंगे कि देश के 7 लाख गांवों को डाकघर की जहां यह सुविधा नहीं है तुरन्त सुविधा दी जायेगी, और जहां टेलीफोन की लाइनें हैं वहां उनको पहले और शहर के लोगों को बाद में कनेक्शन दिये जायेंगे?

टेलीफोन का हाल जैसा है वह अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा है टेलीफोन्स की काल्स मिलाने पर भी बड़ा करप्शन है और एस० टी० डी० में भी काफी करप्शन है। जहां काल मिलाई जाती है, कई बार नहीं, बहुत बार रिकार्ड नहीं की जाती है। दोनों तरफ से रिकार्ड होनी चाहिये या उसके लिए कोई और सुविधा होनी चाहिये। शहरों में और बड़े कस्बों में सेठ-साहूकारों के यहां टेलीफोन आपरेटर्स घूमते हुए नजर आते हैं, वह बिल इकट्ठे करते हैं। इस तरह से गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लास हो रहा है। मंत्री महोदय इस तरफ ध्यान दें, दोनों तरफ की काल्स रिकार्ड हों, जिससे देश को इस तरह का नुकसान न हो।

जहां तक छोटी बचत का सम्बन्ध है, आपकी वार्षिक रिपोर्ट में दियागया है कि 600 करोड़ रुपये से भी ऊपर गांव के लोग बचत करके देते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल गांव के लोगों को फेस करनी पड़ती है। जब वह शहर में रजिस्ट्रेशन के दफ्तर में या तहसील के दफ्तर में जाते हैं तो उन पर दाबाव दियाजाता है कि कि स्माल सेविंग्स में 10,5 हजार जमा करो। कहते हैं कि हमारे पास नहीं है. फिर उनसे कहा जाता है कि एक साल का ब्याज दीजिये और उनसे एक साल का इन्ट्रेस्ट लेकर पैसे वाले आदमी वह पैसा और उससे जो कम पैसा होता है, जमा करके उसका फायदा उठा लेते हैं। पैसा तो गांव के लोग देते हैं और वह जमा होता है शहर के बड़े पूंजीपतियों के नाम। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें, राज्य सरकारों से संबंध स्थापित करें और उनसे कहें कि जहां गांव के लोगों का

रुपया डिपाजिट करने का सवाल हो वह गांव में ही जमा किया जाये वहां विशेष ध्यान स्माल सेविंग्ज की तरफ दिया जाये। आज लाखों नहीं करोड़ों रुपया इंटरेस्ट के तौर पर गांवों से वसूल करके शहर के लोगों के नाम पर जमा करते हैं, यह बड़ी सीरियस बात है, इस पर अवश्य ध्यान दिया जाये।

इसके अलावा जो कुछ उपकरण हम बाहर से मंगा रहे हैं, वह बड़े डिफैक्टिव हैं और यहां काम नहीं कर रहे हैं, इस पर भी आप ध्यान दें। इस मामले में देश आत्मनिर्भर बने इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिये। जो उपकरण हमारे टेलीफोन में या दूसरी चीजों में लगते हैं वह सब यहां तैयार किये जायें, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले।

एक्सट्रा डिपार्टमेंटल एजेन्ट्स का जहां तक सवाल है, कई माननीय सदस्यों ने इस तरफ ध्यान दिलाया है। यह लोग बहुत लो-पेड है, और इन की तादाद हजारों में नहीं, लाखों में है। उनकी सुख-सुविधा की तरफ डिपार्टमेंट का ध्यान अभी तक नहीं गया है। इस तरफ भी मंत्री महोदय ध्यान दें।

आखिरी बात मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहकर समाप्त करूंगा। कुरुक्षेत्र बड़ा ऐतिहासिक स्थान है और यह अपने देश में ही नहीं बल्कि सारे संसार में ऐतिहासिक है। वहाँ हर साल लाखों करोड़ो लोग स्नान के लिए जाते हैं, वह एक बड़ा तीर्थ-स्थल है। हमारे राष्ट्रपति जी भी पिछले साल वहां गये थे। उसका सम्बन्ध तुरन्त दिल्ली के साथ एस० टी० डी० से जोड़ा जाये, यह हमारा कहना है। साथ ही देश के तमाम जिलों को उस प्रान्त की राजधानी से जोड़ा जाये और संभव हो तो दिल्ली से भी जोड़ा जाये। यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, पहले तो मैं इस मन्त्रालय की डिमाँड्ज का समर्थन करती हूँ, लेकिन कुछ सुझाव देना चाहती हूँ।

टेलीफोन, टेलीग्राम और पोस्टल डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन्ज में है। मैं यह सोचती हूं कि टेलीग्राम और पोस्टल का मोटो सर्विस है, लेकिन टेलीफोन में ऐसा लगता है कि यह कर्मशियल बनती जा रही है। ऐसा मैं क्यों कहती हूँ? पोस्टकार्ड का रेट आम जनता के लिए 15 पैसे रख गया है। जो लोग ज्यादा पोस्टकार्ड लिखना चाहते हैं, उनके लिये कोई रेट नहीं बढ़ाया गया है। मैं मन्त्री महोदय से यह भी कहना चाहती हूं कि हम लोग ज्यादा खत लिखते हैं तो हमें भी उसका कोई ज्यादा चार्ज नहीं देना होता है। इसी तरह से ज्यादा टेलीग्राम देते हैं तो उसका भी ज्यादा चार्ज नहीं होता है। जैसा चार्ज पहले टेलीग्राम का होता है, वही 10, 15, 20 या कितने ही टेलीग्राम दें, सबका चार्च एकसा ही रहता है। वैसे ही खत का भी है, हम 100 खत लिखें तो भी वही एक ही रेट चार्ज होता है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि टेलीफोन ज्यादा करने से उसका चार्ज बढ़ता जाता है।

मैं एक ही एग्जाम्पल देना चाहती हूं। जब हम टेलीफोन लेते हैं, तो उससे पहले डिपाजिट देते हैं। 250 काल्ज फ्री होती हैं। उसके बाद 1750 काल्ज तक के लिए रेट 30 पैसे था, जिसको बढ़ा कर 40 पैसे कर दिया गया है। उसके बाद 5000 काल्ज तक 40 पैसे का रेट था,

उसको बढ़ा कर 50 पैसे कर दिया गया है। 5000 से ऊपर की काल्ज के लिए रेट को 60 पैसे कर दिया गया है।

सरकार ने एस० टी० डी० को इन्ट्रोड्यूस किया, जिसके जरिये हम देश के किसी भी हिस्से से बात कर सकते हैं। सरकार ने हमको यह सुविधा दी, लेकिन उसने दाम भी ज्यादा बढ़ा दिये हैं। क्या यह सर्विस माटो है ? मैं साफ साफ कहना चाहती हूँ कि इसमें सर्विस का माटो दिखाई नहीं देता है। हमें एस० टी० डी० के लिए बुकिंग करने की आवश्यकता नहीं है और हम आपरेटर की सहायता के बिना डायरेक्टली एस० टी० डी० कर सकते हैं। इस लिए अगर डिपार्टमेंट में ज्यादा एम्पलाईज हैं, तो उन्हें कम किया जा सकता है। जब हम एस० टी० डी० ज्यादा उपयोग करते हैं, तो हमारे काल्ज बढ़ जाते हैं और हमें ज्यादा पैसा देना पड़ता है।

आखिर सरकार ने एस० टी० डी० को क्यों इन्ट्रोड्यूस किया है ? अगर मन्त्री महोदय इसको नहीं चाहते, तो वह इसको समाप्त कर दें। इससे हमारे काल्ज कम हो जायेंगे। या तो वह एस० टी० डी० को खत्म कर दें, या ज्यादा कालों के रेट्स को रेड्यूस कर दें। मेरा सुझाव है कि अगर 5000 से ज्यादा काल हों, तो उनके लिए 20 पैसे रखे जायें। उसी रैशो में दूसरे रेट भी कम किये जायें। इससे हम ज्यादा एस० टी० डी० काल कर सकते हैं।

जो रेंट को नहीं बढ़ाया गया है और उसको वैसा ही रहने दिया है, उसके लिए मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूँ।

जो महिला कर्मचारी फैमिली के साथ रहती हैं, उनकी भी रात की ड्यूटी लगा दी जाती है। आप जानते हैं कि बम्बई और दिल्ली वगैरह सिटीज में महिलाओं के विरुद्ध कितने अपराध होते हैं। इस लिए उनको रात की ड्यूटी पर न लगा कर डेटाइम की ड्यूटी पर लगाया जाये, जिससे वे अपनी फैमिली का ख्याल रख सकें और उन्हें घर का काम करने की फुर्सत मिल सके। रात की ड्यूटी लगाने से महिलाएं अपने बच्चों की ठीक देख-भाल नहीं कर सकती हैं। इस लिए उन्हें रात की ड्यूटी पर न लगाया जाए और इस तरह उन्हें अपने बच्चों की देख-भाल करने की सुविधा दी जाये।

श्री झारखण्डे राय (घोसी) : बहुत ठीक कहा है आपने।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : जब मरदों की रात की ड्यूटी पर लगाते हैं, तब भी औरतें शिकायत करती हैं।

श्रीमती विद्या चेन्नुपति : आप लोगों के लिए कोई प्राबलम नहीं है। आपके जरिये ही हमारे लिए प्राबलम पैदा होती है। इस लिए हमें सुविधा दी जाए।

जब हल ट्रंक काल बुक करते हैं, तो बहुत समय लगता है। यह हो जाता है। हमारे एक भाई ने कहा है कि कृपया जरा इन्तजार कर लीजिए, आप क्यू में हैं, यह तो हमेशा हो जाता है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि ट्रंक काल बुक करने के लिए और ज्यादा लाइन बढ़ा दीजिए। आज सुबह मैंने देखा कि मुझे ट्रंक काल बुक करने के लिए 15 मिनट लगा है। इसलिए मैं कह रही हूं कि उस की लाइन बढ़ा दीजिए।

दूसरी बात टेलीग्राम्स के बारे में कहना चाहती हूं। गांव वालों को टेलीग्राम देने के लिए और सुविधा बढ़ायी जानी चाहिए। गांवों में ऐसा हो जाता है कि पोस्ट आफिस में टेलीग्राम देने के लिए वहां टेलीग्राफ का इंस्ट्रूमेंट भी रखना पड़ता है क्योंकि गांवों को टेलीग्राम देने में बहुत समय लगता है। टेलीग्राम आता है तो पोस्ट से डालते हैं और पोस्ट से दूसरे या तीसरे दिन उनके गांव को जाता है। इस चीज को कुछ बदलना पड़ेगा। इस को बदलने से गांव वालों को कुछ सुविधाएं मिल सकेंगी।

सब-पोस्ट आफिस के बारे में हमारे एक भाई ने कहा है। सब-पोस्ट आफिस में भी टेलीग्राफ की सुविधा रखनी पड़ेगी।

एक बात और मैं टेलीफोन के बारे में कहना चाहती हूँ। आप टेलीफोन एक्सचेंज बनाते हैं, लेकिन वह ठीक तरह से काम नहीं करते हैं। वह क्यों नहीं करते हैं, इस के बारे में मिनिस्टर साहब को सोचना पड़ेगा। आप जितने भी टेलीफोन एक्सचेंज बनाते हैं उन में एयर कंडीशन का अच्छी तरह से प्रबन्ध नहीं होता है। मैंने खुद कुछ एक्सचेंजों में जाकर देखा है। इसलिए आप एक्सचेंज देने के पहले यह देख लें कि एयर कंडीशन की व्यवस्था ठीक तरह से है या नहीं। टेलीफोन एक्सचेंज शुरू करने से पहले पूरा पूरा एयर कंडीशन होना चाहिए। आजकल टेलीफोन एक्सचेंज इसीलिए खराब हो रहे हैं कि आप का एयर कंडीशन का तरीका ठीक नहीं है। इसलिए एयर कंडीशन के तरीके में भी जरा सुधार करना पड़ेगा और उसके रिपेयर के लिए भी बजट को इन्क्रीज करना पड़ेगा। जब वह खराब हो जाते हैं तो तुरन्त उस को ठीक नहीं करते हैं जिससे जल्दी काम नहीं हो पाता। इसलिए मन्त्री जी यह काम भी जरा देख लें।

दूसरी बात यह है कि रांग टेलीफोन काल्स आती है तो उसका भी हम पेमेंट करते हैं जो बिल आप बनाते हैं वह हम अदा करते हैं उसमें मीटर की रीडिंग तो होती चली जाती है जिस से रांग काल्स का भी हमें पैसा देना पड़ता है। तो इस के लिए भी आप को सोचना पड़ेगा। आप ने जो अच्छा काम किया है उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूं और वह आखिर में कहना चाहती हूं कि जब हमारा टेलीफोन खराब हो जाता है तब आगे क्या करना है, यह सोचना आप ने शुरू कर दिया है, इसीलिए में आपको धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि जब टेलीफोन खराब हो जाता है तो पन्द्रह-पन्द्रह दिन भी वह काम नहीं करता है, इसको जरा देख लीजिये। हम तो रिपोर्ट करते हैं कि हमारा टेलीफोन काम नहीं करता है और उसमें पन्द्रह दिन जो लगते हैं उसके बारे में सोचने के पहले हमारे ऊपर जो पैसा पड़ता है, वह तो पड़ता ही रहता है, इसके बारे में भी आप सोच लीजिए। लेकिन जैसा मैंने कहा आप ने सोचना शुरू किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं और मैं चाहती हूं कि उसको पूरा कर दीजिए।

मैंने जो कहा है उसके ऊपर मंत्री महोदय जरा ध्यान देंगे। टेलीफोन, टेलीग्राफ और पोस्ट आफिस जो हैं वे आम जनता के उपयोग की चीज हैं, इनको कमर्शियलाइज आप मत कीजिए। सर्विस मोटिव से इसमें जो करना चाहते हैं वह कीजिए। यह हमारी यूटिलिटी की चीजें हैं, आम जनता के उपयोग के लिए हैं। इसकी टेक्नोलाजी को बढ़ाने के लिए सोचिए। टेक्नोलोजी को कार्मशियलाइज नहीं करना चाहिए। हर एक आदमी उसका उपयोग कर सके, इसके लिए जो कर

सकते हैं वह करने की बात सोचिए। आम जनता के पास यह सारी टेकनोलाजी जानी है। इसके ऊपर आप सोचें। आप को मैं फिर अपनी तरफ से धन्यवाद देती हूं और आशा करती हूं कि आप मेरे सुझावों को मानेंगे। मैं आपकी डिमांड का समर्थन करती हूं।

श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

डोम्बीवाली, कल्याण, उल्लहासनगर, अम्बरनाथ और बदलापुर (ठाणे जिला, महाराष्ट्र) जहां हजारों छोटे/बड़े उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं, में एक आधुनिक टेलीफोन एक्सचेंज की व्यवस्था करने में अशफलता। (1)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

डाकघरों में कर्मचारियों की आवश्यकता और भवनों के किराये तय करने के मानदण्ड को बदलने की आवश्यकता। (2)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किया जायें।"

महाराष्ट्र में डाक कर्मचारियों, विशेषरूप से रेल डाक सेवा में, समयोपरि भत्ते का शीघ्र भुगतान करने की आवश्यकता।(10)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

वास्तविक डाक सेवा में ई० डी० डाक एजेन्टों को शामिल करने की आवश्यकता (11)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

महान शिवाजी-महाराज के सम्मान में एक स्थायी डाक टिकट जारी करने की आवश्यकता। (12)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों पर ब्याज की दर में परिवर्तन दर्शाने वाली रबड़ की मोहरों की प्रामाणिकता के बारे में घोषणा की आवश्यकता। (13)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें।"

अयारा ग्राम पंचायत (ठाणे जिला, महाराष्ट्र) में एक डाकघर खोलने की आवश्यकता। (14)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें।"

ठाणे नगर (महाराष्ट्र) में पत्रों की डिलीवरी में विलम्ब को दूर करने के लिये आवश्यक कदम उठाने की आकश्यकता। (15)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपयें कम किये जायें।"

ठाणे रेलवे स्टेशन (महाराष्ट्र) के समीप एक बड़ा डाकघर की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (16)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

रेलवे स्टेशन डाकघर के समीप उपलब्ध खुले स्थान और रत्न हाऊस, गोखले रोट (स्टेशन के समीप) विभागीय कब्जे में एक अन्य आवास का उपयोग करने की आवश्यकता । (17)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जायें ।"

ठाणे शहर (महाराष्ट्र) में बैंकों, धार्मिक संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं और चिकित्सा केन्द्रों (निजी प्रैक्टिस करने वालों को छोड़कर जिनके आवेदन पत्र लम्बे समय से विचाराधीन हैं, अग्रता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन देने की आवश्यकता । (18)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जायें ।"

महाराष्ट्र के कोलावा, रायगढ़ जिले स्थित वर्तमान चौक डाकघर को उप-डाकघर में अविलम्ब अपग्रेड करने को आकश्यकता । (19)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम किये जायें ।"

बम्बई उप-नगरीय क्षेत्र (अर्थात् बम्बई वी० टी० से मनखुर्द करजात/कसारा औ चर्च गेट से विरार) सभी रेलवे स्टेशनों के बाहर लेटर बक्सों को स्थापित करने और एक दिन में कम से कम 3 बार पत्र निकासी की व्यवस्था करने की आवश्यकता (20)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

अम्बरनाथ (ठाणें जिला, महाराष्ट्र) के कानसाई सैक्शन में अविलम्ब एक नया डाकघर खोलने की आवश्यकता है । (21)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

उमभरनी, तल कल्याण, जिला ठाणे (महाराष्ट्र) में एक-एक शाखा डाकघर खोलने की आवश्यकता जो आसपास के अनेक गांव की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे । (22)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

ठाणे, कल्याण डोम्बीवाली, उल्लहासनगर, अम्बरनाथ, कालवा, मयन्दर, भिवन्डी (ठाणे जिला, महाराष्ट्र) जैसे तेजी से बढ़ रहे शहरों में पर्याप्त संख्या में पोस्ट वाक्सों की व्यवस्था करने की आवश्यकता । (23)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

ठाणे जिला (महाराष्ट्र) के डोम्बीवाली (पूर्व) के रामनगर क्षेत्र में तुरन्त एक डाकघर खोलने की आवश्यकता (24)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

ठाणें डोम्बीवाली, कल्याण, उल्लहासनगर और अम्बरनाथ में खोले गये रात्रिकालीन डाकघरों के लिये तुरन्त पर्याप्त कर्मचारियों की व्ययस्था करने की आवश्यकता । (25)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

ठाणे, कल्याण, डोम्बीवाली, उल्लहासनगर, अम्बरनाथ, कालवा और भयन्दर (महाराष्ट्र के ठाणे जिला) में और डाकियों की नियुक्ति करने की आवश्यकता। (26)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

ठाणे जिला (महाराष्ट्र) में डाकघरों में पर्याप्त कर्मचारियों की व्यवस्था करने में असफलता। (27)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

ठाणे जिला, (महाराष्ट्र) में विभिन्न डाकघरों में सेवा निवृत्ति/स्थानान्तरण/पदोन्नति/लम्बी छुट्टी के फलस्वरूप होने वाली रिक्तियों को भरने में असफलता। (28)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

उल्लहासनगर, (ठाणे जिला, महाराष्ट्र) उल्लहासनगर में स्वचालित टेलीफोन भवन का शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता (29)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

उल्लहासनगर, कैम्प नम्बर 2 (ठाणे जिला, महाराष्ट्र) स्थित डाकघर के भवन में सेनिटरी ब्लाक का निर्माण शुरु करने की आवश्यकता। (30)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किये जाएं।"

उल्लहासनगर, कैम्प नं० 2 (ठाणे जिला, महाराष्ट्र) स्थित डाकघर के लिये और आवास की आवश्यकता (31)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

महाराष्ट्र सर्किल के सभी डाकघरों और तारघरों में सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की कमी को पूरा करने की आवश्यकता। (32)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

डोम्बीवाली (जिला ठाणे, महाराष्ट्र) डाकघर भवन के लिये जमीन का अधिग्रहण करने में विलम्ब। (33)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

नांदेड़, जलगांव, अकोला, अहमदनगर और धुले का औद्योगिक शहर के रूप में तेजी से विकास हेतु पर्याप्त दूरसंचार सुविधाओं की व्यवस्था करने में विलम्ब (34)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

पैंसाफन्द, तेलगाँव, दबाड़े (महाराष्ट्र) के स्वर्गीय श्री अतोबा काले के सम्मान में स्मरणात्मक डाक टिकट जारी करने के सुझाव के सम्बन्ध में कार्यवाही करने की आवश्यकता। (35)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

भारतीय टेलीग्राफ यूनियन, औरंगाबाद डिवीजन की माँगों पर कार्यवाही करने की आवश्यकता। (36)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माग में 100 रुपये कम किये जायें।"

एन० एफ० पी० टी० ई० से सम्बद्ध आल इण्डिया इंजीनियरिंग इम्पलायज यूनियन लाईन स्टाफ एण्ड क्लास फोर सर्वेन्टस द्वारा प्रस्तुत की गई माँगों पर कार्यवाही करने की आवश्यकता। (37)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

महाराष्ट्र के औरंगाबाद नगर में डाक और तार कर्मचारियों को नगर और आवास भत्ता देने में असफलता। (38)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के लिये औरंगाबाद में एक स्वतंत्र डाक-तार निदेशालय की आवश्यकता। (39)

श्री आर० के० महालगी :

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

बम्बई टेलीफोन विशेषकर ठाणे एक्सचेंज के अन्तर्गत आने वाले टेलीफोनों के सम्बन्ध में (50 और 59 से आरम्भ होने वाली संख्याएं) टेलीफोन उपभोक्ताओं की शिकायतें दूर करने में असफलता। (131)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

नासिक डाक घर में कार्य करने वाले कर्मचारियों के परिवारों को दी जाने वाली कुटुम्ब पेंशन अन्तिम रूप से तय करने में डाक अधिकारियों की असफलता। (132)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

ठाणे शहर, महाराष्ट्र के विशेषकर वागले एस्टेट, पोखरा मार्ग, वर्तक नगर, लोकमान्य नगर राबोड़ी और श्री रंग सोसायटी में अधिक टेलीफोनों की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (133)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

भंयण्डार टेलीफोन एक्सचेंज में, जो तेजी से औद्योगिक केन्द्र बनता जा रहा है, कार्यकरण के सुधार की आवश्यकता। (134)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

भंयण्डार में सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था करने में बम्बई टेलीफोन्स की असफलता। (135)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

औरंगाबाद टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन उपभोक्ताओं को लोगों को प्रतीक्षा सूची उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (136)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

नागपुर सहित विभिन्न रेलवे प्लेटफार्मों पर लगाई गई सार्वजनिक मशीनों की जाँच करते रहने की आवश्यकता । (137)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

महाराष्ट्र सर्किल में विभागीय वाहनों के दुरूपयोग को रोकने की आवश्यकता । (138)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

ठाणे पश्चिम डाकघर के अधीक्षक के मुख्यालय को पालघाट (ठाणे, जिला महराष्ट्र) में ले जाने की आवश्यकता । (139)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

तार सेवाओं में सुधार के लिये कनिष्ठ अभियन्ता टेलीकोम एसोसिएशन द्वारा दिये गये सहयोग का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने की आवश्यकता । (140)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जाये ।"

डाक तार विभाग के अल्प ड्यूटी कर्मचारियों की मजदूरी को प्रति घंटे दो रुपये से बढ़ाकर तीन रुपये करने की आवश्यकता । (158)

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जायें ।"

त्रुटिमुक्त टेलीफोन सेवा की व्यवस्था करने में असफलता । (3)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

त्रुटिपूर्ण बिलिंग सिस्टम को बदलने में असफलता । (4)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

टेलीफोन विभाग में कदाचार रोकने में असफलता । (5)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

सभी नगरों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की व्यवस्था करने में असफलता । (6)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

अप्रचलित क्रौस बार पद्धति पर निर्भर रहने के स्थान पर और अधिक कुशल पद्धति लागू करने में असफलता । (7)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

शाखा पोस्टमास्टरों को दिये जाने वाले वेतन अथवा पारिश्रमिक का उच्चतर स्तर पर पुनः निर्धारित करने की आवश्यकता । (8)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

शाखा पोस्टमास्टरों के वेतनमानों में सुधार लाने में असफलता । (9)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

बिहार के मधुबनी जिले के अन्तर्गत बराह् शाखा डाकघर (बेनीपट्टी) को उप डाकघर बनाने की आवश्यकता । (40)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

बिहार के मधुवनी जिले के अन्तर्गत बिसफी शाखा डाकघर को उप डाकघर बनाने की आवश्यकता । (41)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

बिहार के मधुबनी जिले में उमगाव ब्लाक के अन्तर्गत मनोहरपुर गांव में नया शाखा डाकघर खोलने की आवश्यकता । (42)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

प्रस्तावित पारसमणी पी० सी० ओ० को कमसोल के रास्ते न भेज कर सीधे मधुबनी जिला मुख्यालय के रास्ते भेजने की आवश्यकता । (43)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

शहरघाट पी० पी० ओ० को सुरसद-सीतागढ़ी-मुजफ्फरपुर-दरभंगा के रास्ते भेजने के स्थान पर जैसा इस समय किया जा रहा है सीधे मधुबनी बेनीपट्टी के रास्ते भेजने की आवश्यकता । (44)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

बिहार में दरभंगा जिले के जैली ब्लाक के अन्तर्गत जोगियारा में नया पी० सी० ओ० खोलने की आवश्यकता । (45)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

बिहार के मधुबनी जिले के लौकाही प्रखंड के अन्तर्गत नेऊर पंचायत में मैनाही ग्राम में एक नया शाखा डाकघर खोलने की आवश्यकता । (155)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

जयनगर और दरभंगा और जयनगर तथा पटना के बीच सीधी टेलीफोन सेवा व्यवस्था करने की आवश्यकता । (156)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

मधुबनी जिले के खजोली प्रखंड के अन्तर्गत मारूकिया ग्राम में एक नया शाखा डाकघर खोलने की आवश्यकता । (157)

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

डाक वस्तुओं की डिलीवरी में असाधारण विलम्ब रोकने की आवश्यकता। (46)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

डाक के जरिये भेजे जाने वाले ड्राफ्टों और पोस्टल आर्डरों की चोरी और दुरुपयोग को रोकने में असफलता। (47)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

ग्रामीण क्षेत्रों में असन्तोषजनक डाक सेवा। (48)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

डाक और तार विभाग के भूतपूर्व कर्मचारियों के बच्चों को नौकरियां देने में वरीयता देने में असफलता। (49)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

डाक-तार विभाग में बढ़ रहे कदाचार रोकने में असफलता। (50)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

अतिरिक्त विभागीय एजेन्टों को जो 100 रुपये से 130 रुपये प्रतिमास के अल्प वेतन पर लम्बे समय से कार्य कर रहे हैं, अधिक वेतन और उनकी सेवाएं नियमित करने में असफलता। (51)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

टेलीफोन विभाग की अकुशल सेवाओं को सुधारने में असफलता जिससे टेलीफोन प्रयोगताओं को बहुत असुविधा हो रही है। (52)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

टेलीफोन लगाने का खर्चा आदि दिये जाने के बाद भी टेलीफोन लगाये जाने में होने वाले विलम्ब को रोकने में असफलता। (53)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

आई० टी० आई० के कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने में असफलता। (54)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर लिमिटेड मद्रास द्वारा उचित मूल्य के विद्युत टाईपराइटर बनाने और सप्लाई करने में असफलता। (55)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

दूर संचार में कुशलता लाने के लिए दूर संचार के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का विकास करने में असफलता। (56)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

डाक-तार बोर्ड के प्रशासन में सुधार करने में सरकार की असफलता विशेष रूप से उस स्थिति में जब कि डाक वस्तुओं और टेलीफोन सेवाओं की दरें प्रति वर्ष बढ़ाई जा रही हैं । (57)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

संचार विभाग में व्याप्त कुप्रबन्ध । (80)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"

दिल्ली, कलकत्ता और पटना में टेलीफोन विभाग में व्याप्त अराजकता को रोकने में असफलता । (81)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

देश में टेलीफोन के त्रुटिपूर्ण कार्यकरण के बारे में शिकायतों को दूर करने में असफलता । (82)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

नेशनल फेडरेशन आफ पोस्ट एन्ड टेलीग्राफ एम्पलाईज एसोसिएशन (एन. ई. पी. टी. ई.) को डाकतार कर्मचारियों का एकमात्र प्रतिनिधि निकाय के रूप में मान्यता देने में असफलता । (83)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

कर्मचारियों के स्थानान्तरण के बारे में एक निश्चित तथा निष्पक्ष नीति का पालन करने में असफलता । (252)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्ग- मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

ग्रामीण डाक-घरों के अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों का स्थायी घोषित करने में असफलता । (253)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के लिये बेहतर वेतनमान की व्यवस्था करने में असफलता । (254)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को भी अन्य कर्मचारियों के समान सुविधाओं की व्यवस्था करने में असफलता । (255)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने में कदाचार को रोकने में असफलता । (256)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

बिहार सर्किल के पटना डिवीजन में टेलीफोन कनैक्शन देने में विलम्ब को रोकने में असफलता । (257)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक डाकघर खोलने की आवश्यकता। (258)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

टेलीफोन बिलों के भुगतान में कदाचार को रोकने में असफलता । (259)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

बिहार सर्किल के पटना में प्रभावशाली एवं बड़े बड़े लोगों के पास टेलीफोन की बकाया राशि को वसूल करने में असफलता। (260)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

टेलीफोन सेवाओं की अकार्यकुशलता जैसाकि पटना में आधे से अधिक टेलीफोन हमेशा खराब रहने से पता चलता है । (261)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

डाक-तार विभाग के कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के पूर्व कम से कम तीन पदोन्नति देने में असफलता । (262)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

डाक-तार कर्मचारियों को बिना शर्त 8.33 प्रतिशत बोनस देने में असफलता । (263)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के उपबन्धों के अनुसरण में संचार मंत्रालय से विभिन्न प्रपत्रों को द्विभाषी रूप में प्रकाशित करने में असफलता । (264)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

डाक-तार विभाग में हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक बुलाने में अनावश्यक विलम्ब। (265)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

ट्रंक काल बुक करने में कदाचार को रोकने में असफलता । (266)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

संचार मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों को क्रियान्वित करने में असफलता । (267)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

डाक-तार कर्मचारियों को पर्याप्त संख्या में आवासों की व्यवस्था करने में असफलता। (268)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

बिहार सर्किल में डाक-तार कर्मचारियों के लिये और अधिक रिहायशी मकानों का निर्माण करने की आवश्यकता । (269)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

बिहार सर्किल में पटना के डाक-तार कालोनियों में उचित सफाई की व्यवस्था न करने में असफलता । (270)

"कि संचार मत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

बिहार सरकार के पास टेलीफोन बिलों के लाखों रुपयों की बकाया राशि को वसूलने में असफलता । (271)

"कि संचार मंत्रालय शीषंक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

डाक-तार यूनियनों और अधिकारियों के बीच तय मासिक बैठक को नियमित रूप से बुलाने में असफलता । (272)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

दिल्ली तथा अन्य स्थानों में टेलीफोन नम्बर 197, 198 और 199 का असन्तोषजनक कार्यकरण । (273)

"कि डाक-तार-सामान्य राजस्व को लाभाँश, प्रारक्षित निधि में विनियोग और सामान्य राजस्व से उधारों की वापसी शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

पटना तथा बिहार सर्किल के अन्य स्थानों पर समय-समय पर डाक-टिकटों तका पोस्टकार्डों की होने वाली कमी को दूर करने की आवश्यकता । (274)

"कि डाक-तार-सामान्य राजस्व को लाभाँश, प्रारक्षित निधि में विनियोग और सामान्य राजस्व से उधारों को वापसी शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

कर्मचारियों की सेवा-शर्तों के सम्बन्ध में उनकी मांगों को स्वीकार करने में असफलता । (275)

"कि डाक-तार-सामान्य राजस्व को लाभाँश, प्रारक्षित निधि में विनियोग और सामान्य राजस्व से उधारों की वापसी शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

डाक-तार विभाग के सभी कैजुअल कर्मकारों को नियमित करने में असफलता । (276)

"कि डाक-तार-सामान्य राजस्व को लाभाँश, प्रारक्षित निधि में विनियोग और सामान्य राजस्व से उधारों की वापसी शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

तार घरों में चैनलों को ठीक हालत में रखने में असफलता । (277)

"कि डाक-तार-सामान्य राजस्व को लाभाँश, प्रारक्षित निधि में विनियोग और सामान्य राजस्व से उधारों की वापसी शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

तार घरों में पुराने टेलिप्रिन्टरों को बदलने में असफलता । (278)

"कि डाक-तार-सामान्य राजस्व को लाभाँश, प्रारक्षित निधि में विनियोग और सामान्य राजस्व से उधारों की वापसी शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

डाक-तार विभाग में नौकरशाही के महत्व को कम करने में असफलता । (279)

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

डाक तार विभाग के कर्मचारियों के लिये "सी" स्तर के शहरों के लिए मकान किराया भत्ता की दर का पुनर्निर्धारण करने में असफलता । (84)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

बिहारशरीफ में दिन में दो बार डाक वितरण के लिए डाक मोटर की व्यवस्था करने में असफलता । (85)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

नालन्दा जिला के तमाम उपडाकघरों का अपना भवन बनाने तथा स्टाफ क्वाटर बनाने में असफलता । (86)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

पोस्टल डिवीजन का आधार राजस्व जिला निर्धारित करने में असफलता । (87)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

नालन्दा जिला स्थित राजगीर, इस्लामपुर, एकंगरसराय, हिलसा, चंडी, नूरसराय, गिरिअक, अस्थामा, सरमेरा, रहुई और हरनोत में डाकघर का अपना मकान बनाने में असफलता । (88)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

बिहार नगर पालिका (नालन्दा) के अन्तर्गत शेखाना महल्लों में डाकघर खोलने में असफलता । (89)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को नियमित करने में असफलता । (90)

"कि सचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

बिहार राज्य के अन्तर्गत नालन्दा जिला स्थित बिहारशरीफ में दिन में दो बार डाक वितरण की व्यवस्था करने में असफलता (91)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

डाकतार विभाग के कर्मचारियों के लिए बिहारशरीफ में स्टाफ क्वाटरों का निर्माण करने में असफलता (92)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

नालन्दा जिले के डाकघरों में जेनरेटर की व्यवस्था करने में असफलता जिससे आवश्यक कार्य में व्यवधान को रोका जा सके । (93)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

बिहारशरीफ प्रधान डाकघर में स्टाफ की कमी को दूर करने में असफलता । (94)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

सोहसराद उप डाकघर के लिए अपना भवन न बनाकर किराए में अधिक पैसा खर्च करना । (95)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

इस्टर्न रेलवे के बख्तियारपुर स्टेशन में द्रुत डाक सेवा सुनिश्चित करने में तथा जाने और आने वाली पंजाब मेल को रोकने में असफलता । (96)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

इस्टर्न रेलवे के फतुहा रेलवे स्टेशन पर डाक वितरण में शीघ्रता लाने में असफलता । (98)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

तमाम वैसे डाकघरों में जहां काम के दृष्टिकोण से कर्मचारी कम हैं वहाँ पर्याप्त मात्रा में स्टाफ की व्यवस्था करने में असफलता । (99)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

बिहारशरीफ के टेलीफोन एक्सचेंज में व्याप्त कदाचार को समाप्त करने में असफलता । (100)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किया जायें ।"

पूरे देश में ट्रंक काल एवं लोकल काल की गड़बड़ी को दूर करने में असफलता । (101)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

नालन्दा जिला अन्तर्गत हिलसा प्रखंड स्थित चिकसोरा ग्राम में नया डाकघर खोलने में असफलता । (102)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

नालन्दा जिला अन्तर्गत हरनौत प्रखंड स्थित बोधनगर ग्राम में नया डाकघर खोलने में असफलता (103)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

नालन्दा जिला स्थित हिलसा प्रखंडान्तर्गत जोगीपुर और चिकसोरा ग्रामों और सरमेरा प्रखंड अन्तर्गत रामनाथपुर ग्राम में पी० सी० ओ० की स्थापना करने में असफलता । (104)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

नालन्दा जिला अन्तर्गत चंडी प्रखंड स्थित त्रिभुवनाविगहा प्रभारा में नया डाकघर खोलने में असफलता । (105)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

बिहार राज्य के नवादा जिला अन्तर्गत वारसलीगंज प्रखंड स्थित कुम्भी गांव में नया डाकघर खोलने में असफता । (106)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

नवादा जिले के गोविन्दपुर उपडाकघर के भग्नावेश भवन का पुनः निर्माण कराने में असफलता । (107)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

देश के ग्रामीण अंचला एवं आदिवासी क्षेत्रों में डाकघर और टेलीफोन सम्बन्ध का जाल बिछाने में असफलता । (108)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

डाक एवं टेलीफोन सेवा को सस्ता और सुलभ करने में असफलता । (109)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपयें कम किये जायें ।"

डाक टिकटों, पोस्टकार्डों, अन्तरदेशीय पत्र एवं लिफाफों के अभाव को दूर करने में असफलता । (110)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

देश भर में पत्रों एव तारों के पहुँचने में हो रहे गैर-आवश्यक विलम्ब को रोकने में असफलता । (111)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

डाकघरों में पत्रों पत्रिकाओं एवं अन्य डाक सामग्री की हो रही चोरी को रोकने में असफलता। (112)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

डाकघरों में पहुँचने के बाद भी प्राप्तकर्ताओं के पास डाक सामग्री पहुँचाने में हो रहे विलम्ब को रोकथाम करने में असफलता । (113)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

बिहार राज्य अन्तर्गत बेगुसराय जिला स्थित मंसूरचक बाजार में स्थित पुराने टेलीफोन एक्सचेंज को हटाने को रोकने में असफलता । (114)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

पटना जिला के विक्रम ग्राम के टेलीफोन एक्सचेंज को बनाने में असफलता (115)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किये जाएं ।"

मांगों के अनुसार टेलीफोन एक्सचेंज एवं कनेक्शनों की व्यवस्था करने में असफलता। (116)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

टेलीफोन एक्सचेंज के कार्यों में सुधार करने में असफलता । (117)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

नालन्दा जिला के नूरसराय प्रखन्ड स्थित परासी ग्राम में नया डाकघर खोलने में असफलता । (118)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

देश की तमाम राज्यों की राजधानियों को दिल्ली से एस० टी० डी० द्वारा जोड़ने में असफलता । (119)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

बिहार में नालन्दा जिला मुख्यालय में एक स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज बनाने में असफलता । (120)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

नालन्दा जिले में सभी प्रखंडों को जिला मुख्यालय से सीधी टेलीफोन सेवा द्वारा जोड़ने में असफलता । (121)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

सभी राज्यों में प्रत्येक जिले को उस राज्य की राजधानी के साथ स्वचालित टेलीफोन सेवा द्वारा जोड़ने में असफलता । (122)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपयें कम किये जायें ।"

नालन्दा जिला मुख्यालय को दिल्ली, कलकत्ता, गोहाटी, मद्रास, जालन्धर, पटना तथा अन्य सभी महत्वपूर्ण आलू उगाने वाले स्थानों के साथ एस० टी० डी० द्वारा स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज से जोड़ने में असफलता । (123)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लम्बे सभी आवेदकों को टेलीफोन देने में असफलता । (124)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

नये टेलीफोन कनेक्शन देने में कदाचार रोकने में असफलता । (125)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

बिहार राज्य के नालन्दा ज़िले के अस्थावां पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत जियार गांव में सार्वजनिक टेलीकोन केन्द्र की व्यवस्था करने में असफलता (280)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

बिहार राज्य के नालन्दा जिले के एकंगरेसराय पुलिस थाने के अन्तर्गत दामोदर सराय-मानपुर गांव में एक नया डाकघर खोलने में असफलता । (281)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

पूरे देश में अतिरिक्त विभागीय डिलीवरी एजेंटों की मांगों को स्वीकार करने में असफलता । (282)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

देश में पंचायतों क जिला मुख्यालयों में डाकघर की व्यवस्था करने में असफलता । (283)

'कि संचार मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

नये डाकघर खोलने के मानदण्ड की समीक्षा करने में असफलता ताकि 2000 से कम जनसंख्या वाले गांव में भी डाकघर खोले जा सकें । (284)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किया जायें ।"

नये डाकघर खोलने के लिए सन्निकट गांवों को एक गाँव के रूप में मानने में असफलता । (285)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

पूरे देश में टेलीफोन सेवाओं में सुधार करने में असफलता । (286)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

बिहार राज्य समेत देश में सभी पंचायत मुख्यालयों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने में असफलता । (287)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

बिहार में प्रत्येक पंचायत मुख्यालयों में एक नये डाकघर की व्यवस्था करने में असफलता । (288)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

देश में 2000 की जनसंख्या वाले तथा इससे ऊपर की जनसंख्या वाले गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की व्यवस्था करने में असफलता । (289)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

बिहार शरीफ (नालन्दा) में टेलीफोन एक्सचेंज के भवन के लिये जमीन अधिग्रहण कर लिये जाने के बावजूद उसका निर्माण करने में असफलता । (290)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

टेलीफोन उपभोक्ताओं की टेलीफोन में गड़बड़ी के सम्बन्ध में शिकायतों पर प्रभावी कदम उठाने में असफलता । (291)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

बोरिया टेलीफोन एक्सचेंज को चालू करने में असफलता । (126)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

बोरिया टेलीफोन एक्सचेंज में वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर स्वयं डायल घुमाकर सम्पर्क स्थापित करने की सुविधा के लिए स्वीकृति देने में असफलता (127)

"कि सचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये ।"

टेलीफोन सेवा को असुविधा मुक्त करने में असफलता । (128)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

पश्चिम बंगाल में नये टेलीफोन एक्सचेज खोलने में असफलता । (129)

'कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

कलकत्ता में न्यूनतम सेवाएं उपलब्ध कराने में टेलीफोन सेवा की असफलता । (130)

श्री बापूसाहेब पारूलेकर (रत्नागिरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में नाबाद और पोलादपुर तालुकों में पर्याप्त डाक और तार-संचार सुविधायें उपलब्ध कराने में असफलता । (159)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में बूबागर तालुक में पर्याप्त डाक और तार-संचार सुविधायें प्रदान करने में असफलता । (160)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में सह्यादरी पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित गांवों में पर्याप्त डाक और तार सुविधायें प्रदान करने में असफलता । (161)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्वीकृत उप-डाकघरों और सार्वजनिक टेलीफोनों को चालू करने में असफलता। (162)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में रत्नागिरी तालुका में पुरंगद गांव और सरगुनशवर तालुका में मकुआजान गांव में टेलीफोन केन्द्र चालू करने में असफलता। (163)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में नाटे और नेगद में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने में सरकार की असफलता। (164)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

देश में डाकियों की सेवा-शर्तों में सुधार करने में असफलता। (165)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

महाराष्ट्र में रत्नागिरी में रेलवे डाक सेवा को डाक-घर की नई इमारत में स्थानान्तरित करने की आवश्यकता। (166)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

महाराष्ट्र में रत्नागिरी में डाक-तार कर्मचारियों के लिये पर्याप्त संख्या में स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण करने पें असफलता। (167)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में मंदगद, दापोली कहद बूबागढ़ और चिपलन में डाकघरों की अपनी इमारतें बनाने में असफलता। (168)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में लिफाफे, टिकट, पोस्टकार्ड, अन्तर्देशीय पत्र आदि की पर्याप्त सप्लाई करने में असफलता। (169)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

महाराष्ट्र के रत्नागिरी में डाक-तार विभाग द्वारा ग्राहकों की शिकायतों पर तुरन्त ध्यान देने में असफलता। (170)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

रत्नागिरी जिले के बुलूगढ तालुक में पेव और पंगारी गाँवों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने में असफलता। (171)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

धन की कमी के कारण नये सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय, तार-घर और डाक-घर खोलने पर प्रतिबन्ध को हटाने में असफलता । (172)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में सार्वजनिक टेलीफोन, तार कार्यालय और डाक-घर खोलने के लिये उदार नीति अपनाने की आवश्यकता । (173)

'कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दापोली खाद और मंदनगढ में डाक-तार कार्यालयों को जीर्ण-शीर्ण भवनों से अन्य स्थानों पर भेजने की आवश्यकता । (174)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में डाक-तार विभाग के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते का भुगतान करने में असफलता । (175)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

देश के डाक घरों में स्टाम्प विक्रेताओं की समस्याओं को हल करने में असफलता । (176)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्यर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

ट्रंक काल का कनेक्शन प्राप्त करने में अनावश्यक विलम्ब और टेलीफोन आपरेटरों का अभद्र व्यवहार । (177)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में नन्दनगढ़ तालुका में महापराल, पंडेरी, वेलास लटावन और वेसाबी गांव में स्वीकृत सार्वजनिक टेलीफोन चालू करने में असफलता । (178)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले मेदापोली तालुका में जलगांव, कैलाशी अंजारले और आदये गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन खोलने में असफलता । (179)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खोपी, टिसांगी शिरगांव, अम्बोली, बीरमनी और लोटे गांवों तथा खेद तालुका में सार्वजनिक टेलीफोन चालू करने में असफलता । (180)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में चि पलूर तालुका में कुलकेवाडी, कसुस्ते, शियाल, कुतरे और नन्दगांव ग्रामों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने में असफलता । (181)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग 100 रुपये कम किये जायें ।"

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में रत्नागिरी तालुका में हरचेरी कारवुडे और फासुगा गांव में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने में असफलता । (182)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

महाराष्ट्र में रत्नागिरी में स्वीकृत टेलेक्स सेवा चालू करने में असफलता । (183)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

महाराष्ट्र में रत्नागिरी में उचित स्थान पर टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने में असफलता । (184)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

महाराष्ट्र के रत्नागिरी और रायगढ़ जिलें में मराठी भाषा समझने वाले और बोलने वाले लोगों को टेलीफोन आपरेटरों के पदों पर नियुक्त करने की आवश्यकता । (185)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मबाद टेलीफोन केन्द्र के कर्मचारियों द्वारा ग्राहकों की शिकायतें दूर करने में असफलता । (186)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

रत्नागिरी को बम्बई से एस० टी० डी० सेवा द्वारा जोड़ने में असफलता । (187)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

बम्बई और गोवा के बीच रात्रि एक्सप्रेस बसों द्वारा डाक सेवा लागू करने में असफलता । (188)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

देश में जिला स्तर पर डाकघरों में रात्रि डाक सेवा चालू करने में असफलता । (189)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

हाथी समिति की सिफारिशों के अनुसार डाक घरों के माध्यम से कुछ दवाइयां बेचने क प्रबन्ध करने में असफलता । (190)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

रविवार को डाक बाँटने की प्रथा पुन: लागू करने में असफलता । (191)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

व्यापक डाक-तार विधि बनाने में असफलता । (192)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

डाक-तार विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिये तकनीकी व्यक्तियों का एक प्रस्तावित 'स्थायी पूल' बनाने में असफलता । (193)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

देश के चार महानगरों में प्रस्तावित कम्प्यूटर केन्द्र लगाने में असफलता । (194)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

डाक-तार विभाग में महिला कर्मचारियों को विभागीय वाहन देने या किरायों में रियायत देने में असफलता । (1·5)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

विश्व बैंक से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी द्वारा दूरसंचार परियोजना के लिये दिए गए 251 करोड़ रुपए के ऋण का उपयोग किया जाना । (196)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

जिन लाइनों पर उपभोक्ताओं के टेलीफोन के सम्बन्ध में अधिक बिल बनाये जाने की शिकायत करते हैं उनकी विशेष जांच के लिए पर्यवेक्षी उपकरण आयात करने की आवश्यकता । (197)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

अमरीकी बहुराष्ट्रीय निगम की बैल्जियम में सहायक कम्पनी बी० टी० एम० से इलेक्ट्रो-मैकेनिकल क्रास बार प्रणाली एकक का आयात करना ताकि आई० टी० आई० के रायबरेली एकक का विस्तार किया जा सके । (198)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

क्रास बार प्रणाली के स्थान पर जोकि पुरानी हो गई है, इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज बनाने की आवश्यकता । (199)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

डाक-तार विभाग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में कार्य कुशलता अभियान चलाने के लिए उपाय करने की आवश्यकता । (200)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

देश भर में मंत्रालय के अधिकारियों से टेलीफोन की बकाया राशि के 33 करोड़ रुपयों की वसूली के लिए उपाय करने की आवश्यकता । (201)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाए ।"

टेलीफोन एक्सचेंजों में अधिकारियों द्वारा महिला टेलीफोन आपरेटरों को तंग करने और उनका मजाक उड़ाने को रोकने की आवश्यकता । (202)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

महिला टेलीफोन आपरेटरों से छेड़खानी करने की शिकायतों को रोकने की आवश्यकता । (203)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

महिला टेलीफोन आपरेटरों को वाहन की सुविधा देने में असफलता यद्यपि उन्हें असामान्य समय पर ड्यूटी देनी होती है । (204)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

टेलीफोन सेवा में सुधार के लिए टेलीफोन आपरेटरों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता । 205)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

देश में टेलीफोन और दूरसंचार सेवाओं में गिरावट को रोकने की आवश्यकता । (206)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

देश में छिपे तौर पर चल रही डाक सेवा को रोकने की असफलता । (207)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पौलादपुर तालुक में सवाड़, अड़ावले, अम्पेनाली और पलछिल गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन और तार घर खोलने में असफलता । (20)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले के रत्नगिरी तालुक में पिरन्दावने गांव में स्वीकृत बी० पी० ओ० चालू करने में असफलता । (209)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्यर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

रत्नगिरी तालुक और रत्नगिरि जिले में जकादेवी गांव में स्वीकृत पी० सी० ओ० तार घर और उप-डाकघर खोलने में असफलता । (210)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

महाराष्ट्र में रत्नगिरि में एक स्वतन्त्र तार डिवीजन खोलने में असफलता । (211)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

महाराष्ट्र के रत्नगिरि जिले के गुणागर तालुक में तलावाली गाँव में स्वीकृत सार्वजनिक टेलीफोन खोलने में असफलता । (212)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

अतिरिक्त विभागीय एजेन्टों की समस्याएं सुलझाने में असफलता । (213)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

1978-79 के मुकाबले में देश में 1980-81 में तार सन्देशों में कमी । (214)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

डाक-तार विभाग द्वारा विदेशों में डेपूटेशन पर भेजे गये व्यक्तियों पर होने वाले व्यय में वृद्धि को रोकने की आवश्यकता । (215)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

टेलीफोन विभाग के कार्यकरण में सुधार में असफलता । (216)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

टेलीफोन विभाग में अधिक कर्मचारियों को रोकने की आवश्यकता । (217)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

देश में केबल्स की कमी दूर करने की आवश्यकता । (218)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

आयात के स्थान पर देश की कारखानों में बनी केबल्स को प्रयोग में लाने की आवश्यकता । (219)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

डाक-तार विभाग को बेहतर लोक सेवा बनाने के लिए विभाग में पूर्ण फेरबदल की आवश्यकता । (220)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

सरकार के नीति निर्देशों के अनुसार टेलीफोन के लिए एक स्वशासी निकाय स्थापित करने की आवश्यकता । (221)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

घटिया क्रास बार उपकरणों का प्रयोग बन्द कर एक अन्य क्रास बार कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता । (222)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

टेलीफोन उपकरण बनाने में पुरानी पड़ गई प्रौद्योगिकी में परिवर्तन की आवश्यकता । (223)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें।"

नई दिल्ली में अमरीका के आई० सी० ए० के कर्जन रोड काम्पलेक्स के उचित रख रखाव और कैप्यूटर लगाने की आवश्यकता। (224)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें।"

रात को किये जाने वाली ट्रंक कालों पर रियायतों का वापस लिया जाना। (225)

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

टेलीफोन तकनीशियनों और भारत हैवीइलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, आकाशवाणी और भारतीय रेलों में कार्यरत अन्य तकनीशियनों के बीच सेवा शर्तों में विभिन्नता को समाप्त करने में असफलता। (292)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

मध्य प्रदेश में उज्जैन डाकघर में और अधिक डाकियों की व्यवस्था करने में असफलता। (293)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

उज्जैन को अन्य नगरों से एस० टी० डी० प्रणाली द्वारा जोड़ने की आवश्यकता। (294)

"कि संचार मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

उज्जैन में एस० टी० सी० सेवा को और अधिक कार्यकुशल बनाने की आवश्यकता। (295)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के भाट पचलाना में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने की आवश्यकता। (296)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बिछदोद में एक सार्वजनिक टलीफोन केन्द्र खोलने की आवश्यकता। (297)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के अलोत में एक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की आवश्यकता। (298)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के महिदपुर में एक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की आवश्यकता । (2 9)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के कच्चरोड में एक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की आवश्यकता । (300)

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

उज्जैन जिले के नागदा स्थित टेलीफोन एक्सचेंज में और कर्मचारियों की व्यवस्था करने की आवश्यकता ताकि टेलीफोन सेवा सन्तोषजनक बनाई जा सके । (301)

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : उपाध्यक्ष महोदय सबसे पहले तो मैं संचार मंत्रालय की अनुदानों की मांग का समर्थन करता हूँ । साथ ही साथ, मैं इस विभाग की कुछ प्रमुख समस्याओं के बारे में भी बताना चाहता हूं ।

यह सच है कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए कुशल संचार व्यवस्था का तीव्रता विकास अत्यन्त आवश्यक है जैसाकि इस ओर के कुछ कई मित्रों ने पहले कहा है कि भारतीय डाक व्यवस्था कभी संसार की कुशलतम व्यवस्थाओं में गिनी जाती थी । लेकिन क्षमायाचना करते हुए मैं यह कह सकता हूं कि आज इसमें हर स्तर पर अकुशलता व्याप्त है । जो हमारे राष्ट्रीय जीवन का एक चिन्ताजनक लक्ष्य है । पत्रों को पहुंचने में विलम्ब एवं अनिवार्यतता होती रहती है । कभी कभी तो, डाक को न मिलने के कारण लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । इसमें कोई शक नहीं है कि डाकखानों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है । लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है । हालांकि डाकखानों की संख्या में वृद्धि हुई है लेकिन उनकी खराब्रियों और पत्रों एवं तारों के वितरण की वर्तमान व्यवस्था में खराबियों के अध्ययन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है । मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि इस० यवस्था को सुधारने के निए कोई उपाय नहीं किए गये हैं । यदि पत्रों के वितरण करने में कहीं कोई गलती है तो कुछ न कुछ सुधारात्मक उपाय तो किये ही जाने चाहिए ताकि बढ़ती जा रही समस्याओं को कम किया जा सके । इस समूची समस्या का डाक कारण परिवहन व्यवस्था का समय पर कार्य न करना है । क्योंकि परिवहन व्यवस्था द्वारा समय का पालन नहीं किया जा रहा है इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों को भेजी जानी डाक तथा डाक वस्तुएं वहां देरी से मिलती हैं । परन्तु विभाग को डाक व्यवस्था को सुधारने के बारे में सोचना चाहिए । इसे परिवहन-प्रणाली पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिये । यदि वह पत्रों के वितरण का कोई और साधन ढूंढ सकता है तो विलम्ब की इस समस्या को काफी हद तक सुलझाया जा सकता है ।

इस सदन में, अनेकों माननीय सदस्यों तथा मंत्री महोदय ने भी कहा है कि डाक व्यवस्था में अकुशलता का प्रमुख कारण कर्मचारियों की कमी, समयोपरि भत्ते में मितव्ययिता अनुपस्थिति चिकित्सा छुट्टी का दुरुपयोग आदि है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इन त्रुटियों की जांच करें अथवा कोई ऐसी समिति बनायें जो इन समितियों की जांच कर सके और इनमें सुधार करने के लिए कुछ नए सुझाव दे सके। कभी-कभी यह आरोप लगाया जाता है कि इस विभाग में निर्धारित योग्यता से अधिक योग्यता वाले व्यक्तियों को भरती किया जाता है। और वे हमेशा ही बेहतर नौकरी की तलाश में रहते हैं और जैसे ही उन्हें अच्छी नौकरी मिलती है वे अपनी वर्तमान नौकरी छोड़ देते हैं। इस प्रकार हालांकि ये रिक्तियां इन व्यक्तियों द्वारा अस्थाई रूप से भरी जाती हैं लेकिन वास्तव में, हमेशा ही खाली पड़ी रहती हैं। इसी प्रकार और भी अन्य त्रुटियां हैं।

सभापति महोदय : क्या आप अपना वक्तव्य दो मिनट के भीतर खत्म कर सकते हैं ?

श्री अर्जुन सेठी : जी नहीं, मुझे कम से कम 4-5 मिनट और लगेंगे।

सभापति महोदय : तब आप अपना वक्तव्य कल दीजिये।

अब सभा कल 11.00 म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 3 अप्रैल 1981/13 चैत्र, 1903 (शक) के 11 बजे तक के स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, साउथ मौजपुर, दिल्ली।